मंगलवार, 2 मार्च 1982

11 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 2 मार्च, 1982/11 फाल्गुन, 1903 (शक)

का शुद्धि-पत्र

विषय सूची के पृष्ठ (iii), ऊपर से पंक्ति 6 में दूसरे शब्द "श्री" के स्थान प
"जो०" पढ़िये ।

पृष्ठ 38, ऊपर से पंक्ति प्रथम में "श्री ए०बी०एम०गनी खान चौधरी" के स्था
पर "श्री ए०बी०ए०गनी खान चौधरी" पढ़िए ।

पृष्ठ 73, ऊपर से पंक्ति तीन में "श्री गिरिधर गोमांगो" के स्थान पर
"श्री गिरिधर गोमांगो" पढ़िए ।

पृष्ठ 87 में नीचे से सातवीं पंक्ति में (घ) के स्थान पर (ख) पढ़िए ।

पृष्ठ 115, नीचे से पांचवीं पंक्ति में "श्री एस०ए०दोराई सेबस्त्वियन" के
स्थान पर "श्री एस०ए०दोराई सेबस्तियन" पढ़िए ।

पृष्ठ 127, ऊपर से पंक्ति चार में "डा० स्वामी" के स्थान पर "डा० सुब्रह्मण्य
स्वामी" पढ़िए ।

पृष्ठ 150, ऊपर से पंक्ति 18 में "श्री के अर्जुन" के स्थान पर "श्री के० अर्जुनन
पढ़िए ।

पृष्ठ 243, ऊपर से पंक्ति 18 में "1505" के स्थान पर "1605" पढ़िए ।

पृष्ठ 307 प्रथम पंक्ति में "श्री जाफर शरीफ" के स्थान पर "श्री सी०के०
जाफर शरीफ" पढ़िए ।

विषय–सूची

अंक 9, मंगलवार, 2 मार्च, 1982/11 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 124, 125, 126, 127, 132, 134 और 135.	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 128 से 131, 133, 136 से 144.	21-254
अतारांकित प्रश्न संख्या 1385 से 1419 और 1421 से 1616.	
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	255-257
सभा पटल पर रखे गये पत्र	257-261
राष्ट्रपति से संदेश	261-262
नियम 377 के अधीन मामले :	262-267
(एक) पश्चिम बंगाल में शिक्षित युवाओं को रोजगार देने हेतु छोटे सिनेमाघरों के निर्माण के लिए सुविधायें देने की आवश्यकता श्री सत्यगोपाल मिश्र	262
(दो) मिरजापुर, बनारस और इलाहाबाद जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के भूमिहीन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता श्री उमाकान्त मिश्र	262-263
(तीन) वनस्पति घी के मूल्य में लगातार वृद्धि प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	263
(चार) ईद-उल-जुहा से पूर्व हज यात्रियों के सऊदी अरब में प्रवेश पर सऊदी सरकार द्वारा लगाई गई पाबन्दी श्री जैनल बशर	263-264

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

	विषय	पृष्ठ
(पांच)	भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के महाराष्ट्र राज्य को स्थानान्तरित किये गये इंजीनियरों की वरिष्ठता बनाये रखने की आवश्यकता श्री उत्तम राठौड़	264
(छः)	वर्ष 1982 में दशहरा तथा दीवाली की छुट्टियों की तिथियों में असंगति को समाप्त करने की आवश्यकता डा० वसंत कुमार पंडित	264-265
(सात)	डेरी बोर्ड और डेरी निगम का पुनर्गठन करने की आवश्यकता श्री हरिकेश बहादुर	265-266
(आठ)	महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोआ में चलने वाले मछली पकड़ने के छोटे जालपोतों के लिये डीजल पर उत्पाद शुल्क में छूट देने की आवश्यकता प्रो० मधु दण्डवते	266
(नौ)	किसानों को गुड़ के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता श्री बी० डी० सिंह	267-267
बजट (रेल) 1982-83 सामान्य चर्चा—जारी		267-334
	श्री जमीलुर्रहमान	267-271
	श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामा राव	271-274
	श्री वासुदेव आचार्य	274-281
	श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह	281-284
	श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम	284-287
	श्री जयदीप सिंह	287-291
	श्री कृष्ण कुमार गोयल	291-296
	श्री वी० एस० विजयराघवन	296-299
	श्री चन्द्रशेखर सिंह	299-302
	श्री के० राममूर्ति	302-309

विषय	पृष्ठ
श्री सी० के० जाफर शरीफ	309-311
श्री एन० ई० होरो	311-313
श्री प्रताप भानु शर्मा	313-317
श्री दलबीर सिंह	317-320
श्री श्री० एम० बनातवाला	320-323
श्री रामेश्वर नीखरा	323-326
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर	327-329
श्री गुलाम रसूल कोचक	329-332
श्री मोहन लाल पटेल	332-334
कार्य मंत्रणा समिति	334
छब्बीसवां प्रतिनेदन	

लोक सभा

मंगलवार, 2 मार्च, 1982/11 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजन ।

श्री के० ए० राजन : इस प्रश्न का संबंध उपभोक्ताओं की कठिनाइयों से है···

एक माननीय सदस्य : उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मान लिया है कि उत्तर अवश्य दिया जायेगा ।

श्री के० ए० राजन : प्रश्न संख्या 124.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इण्डियन आयल के गैस डीलरों का सम्मेलन

124. **श्री के० ए० राजन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राहक सेवा में सुधार के उपाय खोजने के उद्देश्य से इंडियन आयल कारपोरेशन के एल० पी० गैस डीलरों का एक सम्मेलन राजधानी में 3 फरवरी 1982 को हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और उसका परिणाम क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शकर) : इंडियन आयल कारपोरेशन (आई० ओ० सी०) द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिल्ली प्रभाग के एल० पी० जी० (खाना पकाने की गैस) के इन्डेन वितरकों की नई दिल्ली में दिनांक 3-2-82 को उत्तरी क्षेत्र के महा-प्रबन्धक द्वारा एक बैठक आयोजित की गयी थी । इस बैठक का उद्देश्य था एल० पी० जी० वितरकों का ग्राहकों के प्रति उनका उत्तरदायित्व ज्ञान कराना था । इस बैठक में वितरकों के साथ ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार लाने के उपायों संतोषजनक ढंग से शिकायतों पर कार्यवाही करने और कार्य-संचालन के अन्य पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया था ।

श्री के० ए० राजन : यह प्रश्न एल० पी० जी० के उपभोक्ताओं द्वारा उठाई जाने वाली कठिनाइयों से उत्पन्न हुआ है। बैठक का उद्देश्य अत्यन्त स्पष्ट था। परन्तु इस विशेष पहलू के बारे में क्या ठोस सुझाव दिये गये तथा क्या ठोस कार्यवाही की गई ? प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह हमें बतायें कि इस बारे में क्या ठोस सुझाव दिये गये थे तथा इस बैठक के दौरान क्या प्रक्रिया तय की गई।

श्री पी० शिव शंकर : मैं पहले बता चुका हूं कि ग्राहक सेवा में सुधार के बारे में आम ढंग की चर्चा की गई थी। उदाहरणार्थ, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि उपभोक्ताओं को सिलंडर मिलने में देरी होती है तथा सिलंडर 15 किलो भरे हुए नहीं होते आदि। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं तथा उनकी ओर ध्यान दिया गया। आवश्यक रूप से ये सभी लोग इन शिकायतों पर एकत्रित हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : कोई बुरा उद्देश्य नहीं था।

श्री के० ए० राजन : नियमित रूप से इन सिलंडरों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की शिकायत है कि सिलंडर की गैस कितने दिन चलती है। यह अवधि प्रति मास बदलती रहती है। यह आरोप लगाया गया है कि विक्रेता इन सिलंडरों को 1-2 दिन के लिए होटलों या रेस्टोरेंटों को दे देते हैं तथा बाद में उन्हें उपभोक्ताओं को सप्लाई करते हैं। इसलिए प्रत्येक मास इसके उपभोग की अवधि बदल जाती है। उपभोक्ताओं की इस शिकायत का क्या समाधान निकाला गया है ?

श्री पी० शिव शंकर : यह सही है कि इस प्रकार की शिकायतें विभिन्न तेल कम्पनियों को मिली हैं। इसका इलाज यह किया गया है कि सिलंडरों को स्थल पर ही तोल लिया जाये तथा जहां भी शिकायत प्राप्त हो पुराने सिलंडरों के बदले नये सिलंडर दे कर उसे दूर किया जाये। अब विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा शिकायतें दर्ज करने के लिए शिकायत केन्द्रों की स्थापना भी की गई है ताकि मेरे विभाग का सतर्कता कक्ष इन पर ध्यान दे सके।

श्री राम विलास पासवान : गैस सप्लाई के सम्बन्ध में बार बार शिकायत करने पर भी कुछ नतीजा नहीं निकलता है। मार्स एजंसी एक कनाट प्लेस में है जो सप्लाई करती है। होटलों और रेस्टोरेंटों में तो सप्लाई हो जाती है लेकिन हम लोग बार बार टेलीफोन करते हैं, दसियों बार करते हैं तब जा कर हम लोगों के यहां सप्लाई की जाती है। यह वी. आई. पीज के साथ ट्रीटमैंट है जो किया जाता है। आपका जो विजिलेंस सैल है इसको डीलर कुछ समझते ही नहीं हैं चूंकि डीलर सीधे पैसे से डील करते हैं। मुझे क्षमा करें, मैं आपके सम्बन्ध में यह बात नहीं कह रहा हूं। वे जानते हैं कि उन्होंने पैसा दे कर या हाई आफिशल्ज की पैरवी के बल पर डीलरशिप ली है इस वास्ते उनको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो कम्पलैंट की जाती है वह रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है। क्या आप कोई इनवैस्टीनेशन करने जा रहे हैं कि जो गैस सप्लाई हो उस पर कोई मीटर वगैरह हो जिससे पता चल सके कि सिलंडर इतना भरा हुआ या इतना खाली है और कंज्यूमर को पता चल सके कि उसमें कितनी गैस है ?

जो पर्ची सिलंडर पर लगी रहती है वह अंग्रेजी में होती है। जो अंग्रेजी जानने वाले लोग नहीं हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसको हिन्दी में भी लगवाने की आप व्यवस्था करेंगे ? कितने विक्रेताओं के खिलाफ आपने कार्रवाई की है उनके लाइसेंस रद्द किए हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मैंने भारतीय तेल निगम के साथ परामर्श करके एक प्रक्रिया निकाली है जिसके अनुसार पहली बार उन्हें चेतावनी दी जाएगी। अगली बार अपराध की गम्भीरता पर विचार करते हुए उस व्यक्ति की गैस एजेंसी को निलम्बित या रद्द करने के लिए कार्यवाही की जायेगी। यह प्रक्रिया हमने तैयार की है तथा यही निदेश हमने विभिन्न तेल कम्पनियों को भेज दिये हैं।

मेरे माननीय मित्र ने सिलंडर में गैस की मात्रा का पता लगाये जाने के बारे में पूछा है। शायद सभा को पता होगा कि कुछ समय पूर्व एक समाचार छपा था, सिलंडर के भीतर गैस की मात्रा को मापने के लिए एक इलैक्ट्रानिक उपकरण तैयार कर लिया गया है। यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर कुछ अधिक विचार किए जाने की आवश्यकता है। अभी तो इतना ही तय किया गया है कि शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त तोले जाने की व्यवस्था की जाये ताकि उसके आधार पर उचित कार्यवाही की जा सके। मुझे खेद है कि असुविधाएं हो रही हैं। अंतिम विश्लेषण के तौर पर माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि काफी सीमा तक यह बात गैस-वितरण में लगे व्यक्तियों के आचरण पर निर्भर करती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार अपने को उत्तरदायित्व से ही मुक्त मान रही है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम इन अनियमतताओं के विरुद्ध यथा संभव कठोर कार्यवाही करने की चेष्टा करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पहले बतायी गई कठिनाइयों के अलावा क्या उन्हें एक और अति गम्भीर कठिनाई का पता है जिसका कि निम्न वर्ग की काम करने वाली महिलाएं सामना कर रही हैं। आजकल जो गैस बर्नर बिक्री के लिए प्रदर्शित किये और बेचे जाते हैं, वे बहुत महंगे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से कम कीमत के बर्नर उपलब्ध नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति सस्ते मूल्य के बर्नर के लिए आग्रह करता है, जैसा कि मैंने किया, तो हमारा अनुभव है कि ऐसे सस्ते बर्नर भयंकर आवाज करता है तथा किसी समय भी यह फट सकता है जिससे किसी सदस्य की जान भी जा सकती है। तीन शिकायतें किये जाने के बाद उसे दो महीने पश्चात् बदला गया और वह भी मेरे अति विशिष्ट व्यक्तित्व के स्तर के कारण। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। यदि सस्ते बर्नर उपलब्ध नहीं कराये जाते तो बहुत कम नौकरी करने वाले लोग ऊंचे दामों पर उसे खरीद पायेंगे। मंत्रालय इस बारे में क्या कर रहा है ?

श्री पी० शिव शंकर : निःसन्देह सस्ते बर्नरों के निर्माण का मामला मंत्रालय को नहीं सूझा। फिर भी इस सुझाव पर विचार किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम इस मामले पर और गम्भीरता से विचार करेंगे कि क्या हम सस्ते बर्नर सप्लाई कर सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : महिला संसद सदस्यायें घर पर खाना नहीं बनाती हैं । यह सिद्ध किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें उनके लिये प्रतिस्पर्धा आयोजित करनी होगी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं खाना बनाती हूं । तभी तो मैं यह सभी बातें जानती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा ।

श्री पी० शिव शंकर : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करता हूं कि श्री सत्य साधन चक्रवर्ती के प्रश्न संख्या 127 को, यदि उन्हें आपत्ति न हो तो, इसके साथ लिया जा सकता है क्योंकि वास्तव में मैं यह समझता हूं कि प्रश्न संख्या 127, प्रश्न संख्या 125 का अनुपूरक है । निःसन्देह इसका निर्णय उनको करना है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इसे पृथक रूप से लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी सदस्य ऐसा चाहते हैं और मंत्री महोदय नहीं मानते ।

श्री पी० शिव शंकर : इसीलिए मैंने इसे उनकी पसंद पर छोड़ दिया है ।

श्री अटल विहारी बाजपेयी : यदि आप उन्हें दो अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दें तो वह मान जायेंगे ।

श्री पी० शिव शंकर : मैं इसे उनकी पसंद पर छोड़ता हूं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं सहमत हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अन्ततः स्वीकार कर लिया है ।

श्री पी० शिव शंकर : ठीक है ।

स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मस्यूटिकल्स कारपोरेशन के पास आयातित आवश्यक औषधियों का बिना बिका भण्डार

*125. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम की एक सहायक कम्पनी स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के पास करोड़ों रुपये मूल्य की आयातित आवश्यक औषधियों के भारी बिना बिके भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भंडारों के बिना बिका रह जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ग) दिनांक 19.2.1982 को स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी० पी० सी०) के पास लगभग 10.28 करोड़ रुपये के क्लोरमफेनीकोल पाउडर, क्लोरमफेनीकोल पामीटेट, सल्फामेथोक्साजोल और डाक्सीसाइक्लीन जैसी आयातित सरणीबद्ध बल्क औषधों का स्टाक था जबकि चालू वर्ष के लिये सरणीबद्ध बल्क औषधों की कुल अनुमानित आवश्यकता 36 करोड़ रुपये की है। इस स्टाक का कुछ भाग सी० पी० सी० के पास पंजीकृत वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को जारी किये गये आवंटन आर्डरों के अन्तर्गत आ जाता है। क्लोरमफेनीकोल पाउडर और पामीटेट जैसी कुछ औषधों के संबंध में उठान धीमा रहा।

सी० पी० सी० सामान्यत: पात्र वास्तविक प्रयोगकर्ताओं में वितरण करने के लिये बल्क औषधों को तीन माह का स्टाक रख सकती है। इसके अतिरिक्त अप्रत्याशित कमीं की अवस्था में कुछ नाजुक औषधों की अवधि सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये सी० पी० सी० उनकी तीन महा की आवश्यकताओं के बराबर वफर स्टाक भी रखती है।

सरकार इन औषधों की मांग और अपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरणीवद्ध बल्क औषधों के वितरण, आबंटन और स्टाक से संबधित स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करती है। सी० पी० सी० को अपनी वस्तुसूचियों का निपटान करने योग्य बनाने की दृष्टि से क्लोरमफेनीकोल पाउडर, क्लोरमफेनीकोल पामीटेट और सल्फामेथोक्साजोल के वास्तविक प्रयोगकर्ताओं पर लगाई गई सीमित सप्लाई का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है और वे इन मदों को सी० पी० सी० के पास पंजीकृत कराई गई मात्राओं के बराबर प्राप्त कर सकते हैं।

क्लोरऐम्फेनिकाल का आयात

*127. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** :

श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य व्यापार निगम की एक सहायक कम्पनी स्टेट केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी स्टेट केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एन्टीवायोटिक औषधि क्लोरऐम्फेनिकॉल का आयात करती है और उसे 620 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी उपर्युक्त औषधि आयात की गई है;

(ग) क्या खुले बाजार में उपर्युक्त औषधि 500/- रुपया प्रति किलोग्राम की दर से आसानी से उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो ऊंचे मूल्यों पर उपर्युक्त औषधि का आयात करने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी० पी० सी०) ने सूचित किया है कि वर्ष 1981-82 के दौरान उन्होंने क्लोरामफेनीकोल पाउडर या क्लोरमफेनीकोल पामीटेट का कोई आयात नहीं किया है। क्लोरमफेनीकोल पाउडर और क्लोरमफेनीकोल पामीटेट के पूल मूल्य, जो सी० पी० सी० के बिक्री मूल्य भी हैं, सरकार द्वारा दिनांक 7 अक्तूबर 1981 से क्रमशः 622/- रु० प्रति कि० ग्रा० और 806/- रु० प्रति कि० ग्रा० निर्धारित किये गये हैं।

(ग) 622/- रु० प्रति कि० ग्रा० से कम मूल्य पर स्थानीय बाजार में क्लोरमफेनीकोल पाउडर की उपलब्धता की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई है।

(घ) 622/-रु० प्रति कि० ग्रा० का मूल्य एक आयातित मध्यवर्ती से उत्पादन की लागत पर आधारित है। मध्यवर्ती का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य घट जाने से सीधे तौर पर आयातित मध्यवर्ती से निर्माण की लागत अब कम हो गई है। किन्तु सी० पी० सी० द्वारा क्लोरमफेनीकोल का आयात गत वर्ष में किया गया था और 1981-82 के दौरान कोई आयात नहीं किया गया, अतः उनके गत आयात मूल्यों की तुलना हाल ही में आयातित मध्यवर्ती पर आधारित मूल्य से करने का प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : कैसा एक जैसा उत्तर है।

श्री पी० शिव शंकर : मैं श्री वर्मा और श्री चक्रवर्ती के बीच भेदभाव नहीं करना चाहता था।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो टिप्पणी प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार राज्य व्यापार निगम की एक सहायक कम्पनी सी० पी० सी० के पास लगभग साढ़े 11 करोड़ रु० की आयातित औषधियों के भंडार बिना बिके हुए पड़े हैं । इनके अनुसार प्रयोगकर्ताओं ने इस माल को नहीं उठाया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा इसलिये हुआ कि बाजार में विदेश से मंगायी गयी औषधियां ज्यादा महंगी हैं बनिस्वत यहां देश की बनी हुई औषधियों के जो बाजार में हैं ? यदि हां, तो यह औषधियां विदेश से क्यों मंगाते हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे मित्र की बात पूरी तरह से गलत नहीं है, विशेष रूप से बल्क औषधि क्लोरमफैनिकाल के बारे में जिससे क्लोरमफैनिकाल पाउडर और क्लोरमफैनिकाल पामीटेट निर्मित किये जाते हैं । जहां तक क्लोरमफेनिकाल का संबंध है इसे आयात किया जाता है तथा अगर उससे दवाइयाँ तैयार की जाती है, तो निश्चय ही वे उनकी तुलना में कुछ कीमती रहती हैं जो कि मध्यवर्ती एल० बेस को आयात करके बनाई जायें । इसे पहले राज्य व्यापार निगम के माध्यम से नहीं लिया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप इसका खुले रूप में आयात होता था तथा उससे बनायी गई दवाइयां कुछ सस्ती बैठती थीं । इसलिए जहां तक निजी निर्माताओं का संबंध है वे एल० बेस का आयात करके दवाइयां तैयार करते रहे हैं । यह निःसन्देह सस्ती थी अतः परिणामस्वरूप सरकार के पास केवल दो ही विकल्प रह गये । या तो सरकार एल० बेस के आयात पर शुल्क लगाये अथवा मूल्य को इस तरह से निर्धारित किया जाये कि दोनों को एक विशेष मूल्य स्तर पर बेचा जा सके । अंतिम विश्लेषण के रूप में सरकार ने निर्णय किया कि एल० बेस पर, जिस पर पहले 25% शुल्क था, शुल्क बढ़ाया जाये और शुल्क बढ़ा दिया गया । जिसके परिणामस्वरूप यह बल्क औषधि शीघ्र ली जाने लगी है, जहां तक कि राज्य व्यापार निगम तथा सी० पी० सी० का संबध है ।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : यह तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से और ज्यादा महंगी हुई और महगी होने पर उपभोक्ताओं की कठिनाई बढ़ गई ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह औषधियां कब मंगाई गई थीं और कितने रुपयों की औषधियां पुरानी हो गईं जिनका उपयोग नहीं हो सकता है, उनकी एक्सपाइरी डेट हो गई है ?

श्री पी० शिव शंकर : श्रीमान, जहां तक आयातित भाग का संबंध है इनका आयात अक्तूबर, 1980 में किया गया था । उत्तर में मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं ।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : यह तो मैं पूछता नहीं हूं । मैं तो यह पूछता हूं कि एक्सपाइरी डेट के बाद की कितनी हैं, जिनका जीवन-काल समाप्त हो गया है ?

श्री पी० शिव शंकर : पहला जो प्रश्न पूछा कि कब इम्पोर्ट की गई, उसका मैंने उत्तर दिया । जहां तक निर्धारित तिथि के निकल जाने का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि ये बल्क ड्रग्स हैं । जब तक इनसे दवाइयों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक तारीख निकलने का प्रश्न ही

नहीं उठता । अतः जहां तक बल्क ड्रग्स का सम्बन्ध है

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : यह कोई जवाब नहीं है । जब इतनी पुरानी हो गई हैं तो उनकी एक्सपाइरी डेट जरूर रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि जब तक दवा बनती नहीं, उनकी मौत होती नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दवा बनने के बाद मरीजों की मौत होती है ?

श्री पी० शिव शंकर : दवा बनी ही नहीं तो एक्सपाइरी डेट का सवाल कहां से आयेगा ? लेकिन जहां तक बल्क ड्रग का सवाल है, अभी 2 साल की अवधि है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, हम एक ऐसी बात पर चर्चा कर रहे हैं जिसके विषय में मंत्री को तथा मुझे बहुत ही कम जानकारी है क्योंकि न तो हम वैज्ञानिक हैं और न ही रसायनश हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : कम से कम आपने कुछ विज्ञान पढ़ा होगा । जो कि मैंने नहीं पढ़ा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने पढ़ा है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है । इसको छोड़िये । कुछ भी हो, प्रश्न यह है···

अध्यक्ष महोदय : मुझ से मत पूछो, मुझे आप दोनों को स्कूल भेजना पड़ेगा ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है । पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि आप इन भंडारों को छः महीने तक रखते हैं और आवश्यकताओं के आधार पर आयात किया करते हैं और इसके लिये हम आवश्यकताओं की गणना करते हैं । अतः जो उत्तर आपने पहले प्रश्न का दिया उससे मुझे पता चला है कि आपने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मध्यवर्ती औषधि के मूल्यों को कम करने की बात नहीं उठायी । अतः सब कुछ ठीक था । आवश्यकताओं के अनुसार आयात की गयी दवाइयां वास्तविक उपयोगकर्ताओं को दे दी जायेंगी और इसलिये फालतू स्टाक का प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु जब मेरा विशेष प्रश्न यह था कि मूल्य उससे कहीं अधिक हैं । जिस मूल्य पर कि उपयोगकर्ता घरेलू बाजार से प्राप्त कर सकते हैं तब आपने कहा है कि आपको सीमाशुल्क बढ़ाकर 25% से 80% करना पड़ा ताकि मूल्यों में कुछ समता रह सके । अब मैं समझता हूं कि पहले प्रश्न के उत्तर में आपने इस विषय को पूर्ण रूप से छोड़ दिया था और कह दिया कि सब कुछ ठीक है । अब प्रश्न यह है - आपके स्टाक में पड़ी हुई औषधियों का किस प्रकार निपटान करने का विचार है, क्योंकि सीमाशुल्क के बढ़ाये जाने पर भी औषधियों को बहुत धीमी गति से उठाया जा रहा है क्योंकि इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा है और सी० पी० सी० उद्योगों के साथ बैठकें कर ताकि इसे उठाया जा सके । आप कहते हैं कि इसमें 36 करोड़ रु० लगने हैं । परन्तु इस विशेष औषधि के सम्बन्ध में लगभग 6 करोड़ रु० लगने हैं । आपका इस औषधि का किस प्रकार निपटान करने का विचार है ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं समझता हूं कि मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है बशर्ते कि मेरे माननीय मित्र ने मेरी बात ठीक तरह समझी हो। प्रश्न संख्या 125 तथा 127 के मेरे उत्तर में कोई असंगति नहीं है।

स्थिति इस प्रकार है। जहां तक वर्ष 1982 का सम्बन्ध है, इन आवश्यक औषधियों की मांग लगभग 36 करोड़ रु० की है, जिनका आयात सी० पी० सी० के माध्यम से करना होगा। यह सत्य है कि इस बल्क ड्रग क्लोरेम्फेनिकॉल की उतनी मात्रा से खपत नहीं की जा सकी जितनी कि आशा थी। यहां तक सदस्य महोदय की बात ठीक है। इस बल्क ड्रग के निपटाने के लिए केवल दो ही दिन शेष रह गए थे। विभिन्न निर्माताओं द्वारा यह उतनी मात्रा में नहीं लिया गया जितनी कि उम्मीद थी। या तो मध्यवर्ती एल० वेस को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मंगाया जाये और उस स्थिति में गैर-सरकारी निर्माता अपने आप आयात नहीं कर सकेंगे, या आयात शुल्क में वृद्धि कर दी जाये। मूल्य स्थिर होने पर निर्माता इसे सी० पी० सी० के भण्डारों से ले सकेंगे। अतः वाणिज्य मंत्रालय के इस दृष्टिकोण को देखते हुए कि इसे राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मंगाना उचित नहीं है, हमें आयात शुल्क बढ़ाना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप यह ड्रग कुछ अधिक तेजी से उठाया जाने लगा है।

मेरे माननीय मित्र के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है कि एल० वेस पर आयात शुल्क बढ़ाये जाने की नवीनतम कार्यवाही के फलस्वरूप इस क्लोराम्फेमिकोल की बिक्री कुछ अधिक तेजी से होने लगी।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जैसा कि मैंने कहा है इसका भी प्रभाव बहुत ही कम हुआ है। यदि आप ऐसा कर भी दें, पुनः पूर्ति लाइसेंस की वजह से निर्माता इस औषधि का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से स्वतन्त्रता से आयात कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सस्ता है।

श्री पी० शिव शंकर : नहीं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : वे पुनः पूर्ति लाइसेंस के द्वारा यह कर रहे हैं तथा कुछ दूसरे गुप्त तरीके भी हैं जिनको वे अपना रहे हैं। हमारी सरकार इसे प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने की स्थिति में नहीं है।

इन लाइसेंसों के माध्यम से वे आयात कर सकते हैं। यह स्वतन्त्र आयात है। इस एल० वेस के बारे में यह ठीक है कि आप आयात करते हैं परन्तु जैसा कि मैंने कहा है इसका प्रभाव बहुत कम हो रहा है।

श्री पी० शिव शंकर : जैसा कि मैंने कहा, शायद मैंने स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया।

जहां तक क्लोराम्फेनिकॉल का सम्बन्ध है इसका आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। इसके लिये मुक्त लाइसेंस का कोई प्रश्न नहीं है। वस्तुतः स्थिति यह है कि सी० पी० सी० के पास पहले से ही भंडार इकट्ठा हो जाने के कारण अब क्लोरेम्फेनिकॉल का

भी आयात रोक दिया गया है ताकि वर्तमान भंडार को समाप्त किया जा सके। केवल बाद में ही इस पहलू पर विचार किया जा सकता है कि क्या आगे इसका आयात किया जाये या नहीं। मेरे माननीय मित्र की यह बात ठीक ही है कि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का सम्बन्ध है वहां यह सस्ता है। इसी आधार पर निर्माता इसका आयात कर सकते हैं। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं। परन्तु आयात शुल्क बढ़ाये जाने के कारण एक बार देश में लाये जाने के बाद परिणाम यह होता है कि एल० बेस का आयात हतोत्साहित होता है जिससे कि क्लोरेम्फिनिकोल को समाप्त किया जा सके। मेरा तात्पर्य सी० पी० सी० के भंडार से है। स्थिति यह है।

जहां तक इसके लाइसेंस के भाग का सम्बन्ध गुप्त रूप से आयात के प्रश्न से है, यदि कोई लोग अवैधानिक साधनों से कानून का उल्लंघन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मेरे मित्र को मुझे सूचित करने की कृपा करनी चाहिए। अन्यथा कानून अपने तरीके से कार्यवाही करेगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं वैधानिक साधनों की बात कर रहा था। मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह दूसरे प्रश्न के साथ ही है। मंत्री मेरी बात से सहमत होंगे कि क्लोरैम्फेनिकोल का पुनः पूर्ति लाइसेंस के द्वारा 500 रु० या इससे कम प्रति किलो के हिसाब से आयात किया जाता है। कुछ समय के लिए आप इस गुप्त तरीके से आयात की बात को भूल ही जाइये। परन्तु पुनः पूर्ति लाइसेंस के द्वारा निर्माता इस औषधि का आयात 500 रु० या उससे कम प्रति किलो के हिसाब से कर सकते हैं। यदि यह सम्भव है तो 620 रु० प्रति किलो कौन खरीदेगा ?

श्री पी० शिव शंकर : श्री चक्रवर्ती, जैसा कि मैंने बताया है कि क्लोरेम्फेनिकोल का सारा आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जाता है। वस्तुतः एल० बेस की बात दूसरी है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण मलिक : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न वर्गों की कितने-कितने मूल्य के एन्टीबायोटिक्स रसायन तथा फार्मेसी निगम के पास बिना बिकी पड़ी है और उसको बिक्री के लिए न उठाये जाने के क्या कारण हैं तथा उनके स्टाकों को उठाने तथा बेचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है। क्या मैं मंत्री से यह भी जान सकता हूं कि आभास ऐसा होता है कि इण्डियन फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड में विदेशी एकाधिकारियों के हित छाये हुए हैं और इसी कारण से स्टाक इतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं ? इण्डियन फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड अच्छा कार्य नहीं कर रही तथा घाटा उठा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि इन मुद्दों पर सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री पी० शिव शंकर : मैंने पहले ही कहा है कि जहां तक स्टाकों का प्रश्न है, वे मांग के अनुपात से बहुत अधिक नहीं है। वस्तुतः अपने उत्तर में मैंने बताया है कि हमें हमेशा तीन महीने का स्टाक रखना पड़ता है और मांगों की पूर्ति करने के लिए तीन महीने आगे तक का सुरक्षित भंडार रखना पड़ता है। मेरा तात्पर्य साधारण भाषा में यह है, यदि मुझे ऐसा कहने की अनुमति

दी जाये, कि हमारी माँग लगभग 36 करोड़ रु० की बल्क ड्रग्स की है जिनका आयात किया जाना है । अब लगभग 10.25 करोड़ रु० की औषधियां भंडार में हैं । छः महीने का भंडार लगभग 18 करोड़ रु० का होगा । मैंने श्री चक्रवर्ती को यह पहलू स्पष्ट कर दिया है क्योंकि एक विशेष महत्वपूर्ण औषधि का भंडार बढ़ गया है और मुझे आवश्यक रूप से इसका उत्तर देना पड़ा । दूसरों के संदर्भ में स्थिति उतनी बुरी नहीं है ।

श्री सुधीर गिरि : मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि भारत से बाहर से इन औषधियों को खरीदते समय क्या वही दवाइयां उन देशों में भारत सरकार द्वारा दिये गये मूल्यों से सस्ते मूल्यों पर बिक रही थीं ? यदि हाँ तो सरकार ने उन औषधियों को ऊंचे मूल्यों पर आयात क्यों किया तथा ऐसा करने में सरकार को उपभोग करने वाली जनता का क्या हित दिखाई पड़ा ?

श्री पी० शिव शकर : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है सरकार ऊंचे मूल्य पर औषधियां नहीं खरीद रही । सरकार ने उसी मूल्य पर औषधियां खरीदी हैं ? परन्तु जब हमारे अपने बाजार में औषधियों को बेचने का प्रश्न आता है, तो आयात शुल्क की वजह से मूल्य का कुछ अधिक होना निश्चित है । यह स्थिति है ।

डा० कृपा सिन्धु भोई : क्लोरेम्फेनिकोल का हमारे देश में भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाने के सम्बन्ध में बहुत जबरदस्त वाद-विवाद हुआ था । मेरे माननीय मित्र श्री चक्रवर्ती का यह मुख्य प्रश्न था । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि क्योंकि क्लोरेम्फेनिकाल का रक्त संचार पर प्रभाव पड़ता है इसलिए भारत में डाक्टर आन्त्र ज्वर के लिए क्लोरेम्फेनिकोल के स्थान पर सेप्ट्रोन तथा अन्य संवर्गी औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं तथा फलस्वरूप व्यापारिक संगठन क्लोरैम्फेनिकॉल को लेने के इच्छुक नहीं हैं, जो कि पहले आन्त्र ज्वर के लिए निर्धारित की गयी औषधि थी ?

श्री पी० शिव शकर : यह कारण नहीं है । यह एक एन्टी बायोटिक्स औषधि है । जहां तक पार्क-डेविस का सम्बन्ध है वे इसे क्लोरोमाइटिसिन के नाम से बनाते हैं । इस औषधि को वे यह व्यापारिक नाम देते हैं । जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है वह इसके न लिये जाने का यह कारण नहीं है । मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि भंडार क्यों नहीं उठाये जा रहे हैं । मैं उसको दोहराना आवश्यक नहीं समझता ।

नये इलैक्ट्रानिक स्विच गिअर कारखानों की स्थापना करना

*126. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत टेलीफोन उपकरणों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में कुछ नये इलेक्ट्रोनिक स्विच गिअर कारखानों की स्थापना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमोदित योजनाओं में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपस्करों के निर्माण हेतु 500,000 लाइनों की क्षमता वाले दो नए कारखानों की स्थापना शामिल है।

(ग) इन फैक्ट्रियों की स्थापना हेतु प्राद्योगिकी के आयात हेतु जारी की गई विश्वजनीन निविदाएं 31-3-82 तक प्राप्त होनी हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज उपस्करों के निर्माण हेतु दो नए कारखाने बनाए जाएंगे। जिनकी प्रत्येक की क्षमता 5 लाख लाइनों की होगी। मैं समझता हूं कि यह नई क्षमता अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध कराई जायेगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि (क) 1990 तक इस नए उपकरण के लिए हमारी मांग कितनी हो जाएगी; (ख) क्या इन नई परियोजनाओं के स्थलों को अन्तिम रूप से तय करने के लिए विभाग द्वारा किसी विशेषज्ञ-समिति का गठन किया गया है; और (ग) क्या इस विशेष स-समिति ने मध्य प्रदेश का भी दौरा किया है और वहां किसी उपयुक्त स्थान का सुझाव दिया है।

श्री विजय एन० पाटिल : जहां तक प्रश्न (क) का संबंध है, मांग 1985 तक के लिए मांग का अनुमान लगाया गया है और हम टेलोफोन लाइनों और क्रास बार लाइनों सहित 1985 नक 14 लाख लाइनों की सप्लाई करने वाले हैं। प्रश्न (ख) के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ-समिति स्थलों के चयन पर विचार कर रही है और अभी तक वह किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंची है। प्रश्न (ग) के संबंध में सभी राज्यों का दौरा किया गया है और उपयुक्त स्थलों पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मैं मंत्री महोदय से उन स्थानों का नाम जानना चाहता हूं जहां यह विशेषज्ञ-समिति दौरे पर जा चुकी है।

श्री विजय एन० पाटिल : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। उसने बहुत सी जगहों का दौरा किया है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मैं समझता हूं उन्हें जगहों का नाम पता होना चाहिए।

श्री जेवियर अराकल : मुझे एक प्रदर्शनी सन् 80 में संचार-व्यवस्था देखने का अवसर प्राप्त हुआ। संचार-व्यवस्था में इलेक्ट्रोनिक ने बहुत उन्नति की है, फिर भी हम काफी पीछे हैं।

कम्प्यूटर अनुभाग, इलेक्ट्रोनिक अनुभाग और संचार विभाग के बीच अच्छे सम्बन्ध और समझ तथा सवन्वय होना चाहिए। मैं समझता ऐसा है।

मेरा प्रश्न विश्वजनीन निविदा से संबंधित है जिसके 3-3-82 तक समाप्त हो जाने का अनुमान है। क्या इस निविदा को एक के बाद दूसरी सरकार मानती रहेगी अथवा इस पर व्यावहारिकता और तकनीकी पहलुओं के आधार पर विचार किया जायेगा ?

मैं विश्वजनीन निविदा के संबंध में यही पूछना चाहता हूं।

सचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : विश्वजनीन निविदा का किसी से प्रतिबद्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह विश्वजनीन निविदा है और कोई भी इच्छुक पार्टी यह निविदा भर सकती है। इसकी विशिष्टता यह है कि वह डिजिटन होना चाहिए, नवीनतम बात यह है।

मेरे माननीय सहयोगी ने जिसे देखा वह इसका उन्नत अंग थी, डिजिटल इलेक्ट्रोनिक क्रिया और हमारे सामने अपने विकल्प थे।

दो तरह के इलेक्ट्रोनिक्स हैं—एनालौग और डिजिटल। प्रारम्भ में हम इन दोनों में से किसी के लिए निविदाएं मंगाते थे। अब हमने यह निर्णय लिया है कि नयी प्रोद्योगिकी उन्नत होनी चाहिए अर्थात् 'डिजिटल'। अतः निविदा को संशोधित किया गया है और हमने केवल डिजिटल प्रौद्योगिकी को ही इसमें रखा है। हम 31 मार्च तक ही सब निविदा भेजने वालों के बारें में तथा निविदा के विषय में जान पाएगे। उसके बाद ही प्रक्रिया आरम्भ होगी। इलेक्ट्रोनिक विज्ञान उन्नति कर रहा है।

मेरे माननीय सहयोगी ने वहां जो देखा उससे वह चकित रह गये। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि जो कुछ उन्होंने देखा उसका अधिकांश भाग अन्तिम रूप से निश्चित नहीं है। ये चीजें नमूने के तौर पर लगाई जा रही हैं। हम इन्हें राष्ट्रीय तन्त्र में नहीं डाल सकते हैं। हम राष्ट्रीय तन्त्र में केवल उसी प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं जिसकी गुणवत्ता सिद्ध हो चुकी हो और इस विशिष्टता के आधार पर ही विश्वजनिन निबिदा आमंत्रित की गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् सेठी क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री चिन्तामणि जेना : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश की ई० टी० टी० डी० सी० ने इस टेलीफोन उपकरण उद्योग को इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की सप्लाई के लिए प्रस्ताव किया है। और यदि हां, तो उसके लिए विश्वजनिन निविदा की क्या आवश्यकता है ?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि जब समिति हमारे देश के कुछ राज्यों और स्थानों का दौरा कर चुकी है तो क्या उसने सरकार को उसकी रिपोर्ट दे दी है, और यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी में

बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है और कुछ अन्य देश हमसे बहुत आगे हैं। यही कारण है कि विश्वजनीन निविदा आवश्यक है।

दूसरे मैं स्थल के चुनाव के बारे में बता चुका हूं। वह अभी विचाराधीन है और सभी मानदंडों पर विचार किया जा रहा है।

बम्बई की खाड़ी में लहर ऊर्जा परियोजना की स्थापना करना

*132. **श्री डी० पी० जदेजा† :**

श्री नवीन रवाणी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई की खाड़ी में लहर ऊर्जा परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से स्थल का चयन किया गया है और उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार बम्बई की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना शुरू करने पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, कच्छ की खाड़ी में अध्ययन करने तथा अन्वेषण करने के लिए सरकार ने एक स्कीम स्वीकृत की है ताकि उक्त क्षेत्र में ज्वारीय परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा सके। प्रस्ताव 218 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया है तथा अन्वेषण कार्य शुरू किए जा चुके हैं।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : मेरे प्रश्न के (ख) भाग का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि 1975 में वापस जाते हुए संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने कच्छ की खाड़ी में चार विभिन्न स्थलों का प्रस्ताव रखा था और उनमें दो स्थल ऐसे थे जिन पर जहाजरानी मंत्रालय भी विचार कर सकता है और सिर्फ तलकर्षण से ही प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपए का खर्चा बचा सकते हैं; तथा क्या मंत्री महोदय हमें बता सकते हैं कि क, ख, ग अथवा घ में से किस स्थान का चयन किया गया है।

श्री विक्रम महाजन : इस बारे में अध्ययन किया गया और तीन स्थलों का सुझाव दिया गया था। सी० ई० ए० द्वारा चौथे स्थान का सुझाव भी दिया गया है। पहले जिन तीन स्थानों का सुझाव दिया गया था उनमें एक स्थल में समुद्र में 26 कि० मी० निर्माण करना होगा, दूसरे में 31 कि० मी० और तीसरे में 24 कि० मी० जबकि सी० ई० ए० जो सुझाव दिया है उसके अनुसार हमें सिर्फ 5 कि० मी० दीवार बनानी होगी। हम 600 मेगावाट का केन्द्र के निर्माण

करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अध्ययन आरम्भ कर दिया गया है।

श्री दौलत सिंह जदेजा : कच्छ की खाड़ी के अलावा संयुक्त राष्ट्र की टीम द्वारा काम्बे की खाड़ी और पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र भी चुने गए थे लेकिन मंत्री महोदय की रिपोर्ट से हमें पता चला कि सिर्फ एक ही स्थान चुना गया है। मैं जानना चाहता हूं क्या वह अन्य दो स्थलों के बारे में भी विचार कर रहे हैं।

श्री विक्रम महाजन : समुद्र में दीवार बनाने के लिए और भी कई स्थलों का भी सुझाव दिया गया है। एक मामले में 26 कि० मी० के करीब और दूसरे में 32 कि०मी० के करीब दीवार बनानी होगी। हमें इनमें से एक स्थान को चुनना होगा। जो कि बनाये जाने वाले ऊर्जा स्टेशन के लिए उपयुक्त हो। बंगाल में भी स्थान देखे गए लेकिन उनकी क्षमता बहुत कम थी मुश्किल से एक जगह एक मेगावाट, दो मेगावाट और तीन मेगावाट। अतः सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद हमने निश्चय किया कि अच्छा यही होगा यदि हम एक पर ही विचार करें।

एक माननीय सदस्य : बंगाल में वह कौन से स्थान हैं ?

श्री विक्रम महाजन : बंगाल में एक दुर्गाद्वानी क्रीक है जिसका एक विकल्प 1.5 मेगावाट का है और दूसरा 2 29 मेगावाट है। दूसरा बेलाडोना क्रीक है। इसमें एक विकल्प 1.85 मेगावाट है और दूसरा 2.25 मेगावाट। तीसरा स्थान पिट्स क्रीक है उसकी अनुमानित क्षमता 15.4 मेगावाट है।

श्री नवीन रवाणी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को भावनगर में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वेक्षण करने के लिए वाणिज्य मंडल, भावनगर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है। क्या यह भी सच है कि ज्वारीय ऊर्जा इकाइयां फ्रांस और दक्षिण कोरिया में सफलता पूर्वक कार्य कर रही हैं और यह कि सरकार इन देशों के विशेषज्ञों का परामर्श लेने का विचार कर रही है ?

श्री विक्रम महाजन : अब तक केवल एक ही ऊर्जा केन्द्र वाणिज्यक स्तर पर कार्य कर रहा है और वह फ्रांस में है। अन्य देश अभी प्रयोग ही कर रहे हैं।

श्री नवीन रवाणी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या हम इन देशों से विशेषज्ञ बुलाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री विक्रम महाजन : हमने देखा है कि फ्रांस से ही सर्वोत्तम प्रौद्योगिक मिल रही है और इसलिये हमने उनको निमंत्रण दिया है।

श्री नवीन रवाणी : क्या सरकार को भावनगर में ज्वारीय ऊर्जा सर्वेक्षण के लिए वाणिज्य मंडल, भावनगर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और क्या सरकार भावनगर में सर्वेक्षण करेगी ?

श्री विक्रम महाजन : जैसा कि मैंने पहले कहा है; हमने सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है।

जहां तक भावनगर का प्रश्न है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं निरीक्षण करने के बाद माननीय सदस्य को इसकी सूचना दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 134—श्री के० सी० शर्मा प्रश्न संख्या 135 ..

श्री सत्य नारायण जटिया : प्रश्न संख्या 135.

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, क्या आप अपना प्रश्न नहीं रखना चाहते ?

श्री काली चरण शर्मा : जी हां, महोदय, प्रश्न संख्या 134.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : प्रश्न संख्या 135. . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, श्री शर्मा ने अपना प्रश्न, प्रश्न संख्या 134, रखा है और श्री जटिया ने बड़ी ईमानदारी से अपने सहयोगी से समझौता किया है।

श्री पी० शिव शंकर : हुआ यह है कि आज मेरे मंत्रालय के करीब 11 प्रश्न हैं और उन सभी का उत्तर मुझे ही देना है।

मध्य प्रदेश में पैट्रो-कैमिकल कम्पलेक्स की स्थापना

*134. **श्री काली चरण शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिंड तथा दतिया (मध्य प्रदेश) में पेट्रो-केमिकल्स कम्पलेक्स की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में बड़ा रासायनिक उद्योग स्थापित करने पर विचार करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) मध्य प्रदेश राज्य उद्योग कारपोरेशन लिमिटेड को 15,000 मी० टन प्रति वर्ष क्षमता का एक पोलिएस्टर स्टेपिल फाईबर संयंत्र स्थापित करने के लिए जुलाई, 1981 में एक आशय-पत्र जारी किया गया था; इस विशाल पैट्रोरसायन संयंत्र की पूंजीगत लागत का अनुमान लगभग 50 करोड़ रुपये लगाया गया है। प्रायोजना के सही स्थान का संकेत अभी तक राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश में मोरेना जिला के स्थान पर एक अन्य विशाल पैट्रोरसायन संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री काली चरण शर्मा : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मुरैना के पैट्रो-कैमिकल कारखाने के बारे में सरकार कब तक निर्णय करेगी।

श्री पी० शिव शंकर : मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि जितनी जल्दी संभव होगा हम निर्णय कर लेंगे ··· ऐसे मामलों में निश्चित समय बताना कठिन है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने बरौनी में पेट्रो कैमिकल कांप्लेक्स खोलने के बारे में निर्णय लिया था कि 1980-81 में स्थापित किया जाएगा। उस समय तत्कालीन मंत्री श्री पी० सी० सेठी जी ने आश्वासन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैडम, यह संगत नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : देश में कितने पेट्रो केमिकल कांप्लेक्स खोलने का प्रस्ताव है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का मामला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुरैना, भिण्ड, दतिया—ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और डाकू प्रभावित क्षेत्र हैं। और बिना कोई केन्द्रीय कारखाना बड़े पैमाने पर लगाए हुए इन क्षेत्रों का विकास मुश्किल है, क्या सरकार मुरैना के संबंध में जो कारखाना प्रस्तावित है और जिसका मामला बहुत दिनों से सरकार के विचाराधीन है, उस पर जल्दी से फैसला करेगी और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश देगी कि इस मामले में अपनी कुंभकर्णी निद्रा छोड़कर सक्रिय बने ?

श्री पी० शिवशंकर : सरकार की औद्योगिक नीति यह है कि पहली प्राथमिकता पिछड़े क्षेत्रों को दी जानी चाहिए। इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए निश्चय ही समय पर कार्यवाही की जाएगी। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि, यदि अनावश्यक रूप से कुछ बाधायें पैदा नहीं हुई तो मेरे लिए जितनी जल्दी संभव होगा, हम कोई निर्णय अवश्य लेंगे।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

*135. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार गैस पर आधारित कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) ये संयंत्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे तथा वे कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर इस बारे में सर्वेक्षण किया गया है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) गैस पर आधारित 6 उर्वरक प्लांट लगाने का प्रस्ताव है जिसमें से एक-एक मध्य प्रदेश और राजस्थान में तथा चार उत्तर प्रदेश में लगाये जायेंगे ।

श्री जमीलुर्रहमान : विहार का क्या हुआ ? इन प्लांटों के सही स्थल और कार्यान्वियन की तिथि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त स्थल चयन समिति ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्न-लिखित जिलों में बताये गये स्थानों का सर्वेक्षण किया :—

(i) सेहोर
(ii) होशंगावाद
(iii) मंदसौर
(iv) रतलाम
(v) उज्जैन
(vi) सागर, और
(vii) गुना ।

श्री सत्य नारायण जटिया : उर्वरक की देश को बहुत ज्यादा जरूरत है । इस वास्ते गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स जल्दी से जल्दी लगने चाहियें । प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में आपने कहा है कि इन प्लांट्स के सही स्थानों और कार्यान्वियन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि जो सर्वेक्षण किए गए हैं और जो पूरे हो गए हैं वे किन-किन तिथियों को पूरे हुए थे और उन पर निर्णय लेने के काम को आप कब तक पूरा कर लेंगे ? कब तक पता चल जाएगा कि यहां आप ये प्लांट देने वाले हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : मुझे खेद है कि जहां तक प्रतिवेदन की विभिन्न तिथियों का संबंध है, मेरे पास तुरंत सूचना उपलब्ध नहीं है । जहां तक निश्चित तिथि की बात है, मैं आपको इस अवस्था में वह भी नहीं दे सकता हूं । परन्तु, यथासमय मैं उसे सभापटल पर रख दूंगा । जहां तक सरकार के निर्णय का संबंध है, मामला विचाराधीन है । समय निश्चित करना संभव नहीं है । मेरे विचार से, दो या तीन सप्ताह में मेरे लिए इस पर निर्णय लेना और फिर मन्त्रिमंडल के द्वारा इस पर कार्यवाही करना कठिन न होगा ।

श्री सत्य नारायण जटिया : मैंने यह पूछा था कि सर्वेक्षण का काम कब पूरा कर लिया गया है ?

श्री पी० शिव शंकर : मैंने निवेदन किया है तिथि अभी मेरे पास नहीं है और इसको मैं टेबल पर रख दूंगा ।

श्री सत्य नारायण जटिया : गैस बेस्ड फर्टिलाजर प्लांट्स लगाने के बारे में जो स्थान चुने जाने हैं उनकी अर्हताएं क्या हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : गैस-आधारित संयंत्रों को स्थापित करने के लिए विभिन्न कारणों पर, तत्वों पर विचार करना होता है। विशेषकर, बिजली और पानी मुख्य तत्व हैं, उपादान हैं, जिन पर उनके स्थापना-स्थल के अतिरिक्त विचार करना होगा। निश्चित रूप से, प्रथम वरीयता पिछड़े जिलों को ही दी जायेगी।

श्री सत्य नारायण जटिया : उज्जैन जिले में फिलौदा सामोदी माता के निकट सर्वेक्षण किया गया है ? वहां पर मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक इस संयंत्र की स्थापना कर दी जाएगी ?

श्री पी० शिव शंकर : एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को आधार बना कर पूरे मामले का तस्फिया किया जाएगा।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। (एक) में यह पूछा गया था। प्रश्न (क) में पूछा गया है सरकार का विचार गैस पर आधारित कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है। (बी) में यह पूछा गया है कि ये प्लांट जो स्थापित होंगे वे कहां होंगे ? मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि लोकेशन के लिए पानी और पावर, ये दो चीजें जरूरी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे याद है कि आपने कहा था कि एक छोटा सा सवाल करूंगा।

श्री जमीलुर्रहमान : छोटा ही कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना है कि बरौनी में पावर और पानी दोनों ही हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है ? वहां भी अगर गैस बेस्ड प्लांट लो तो खेती की पैदावार बढ़ेगी, खेत हरे भरे होंगे।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, स्थल की अवस्थिति और बिजली और पानी के अतिरिक्त कच्चे-माल की सहज उपलब्धि का भी तो प्रश्न है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सभी प्रकार के माप दण्ड को गिनाना मेरे लिए सम्भव नहीं है, परन्तु कच्चे-माल की उपलब्धता भी एक माप दण्ड है जिस पर विचार करना आवश्यक है।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है ··· (व्यवधान)

श्री नीरेन घोष : आपको गैस कैसे मिलती है ?

श्री पी० शिव शंकर : मुझे वाक्य पूरा करने दो। आप मेरी बात सुने बगैर ही मुझे जांचना चाहते हैं। सारी मुसीबत तो यही है। महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, सिन्द्री कारखाना तो वहां पहले ही है। हम सम्भावित मांगों और सम्भावित शर्त की मात्रा पर भी विचार करते हैं। विभिन्न बातों पर विचार करना पड़ेगा। मैं किसी विशेष जगह पर, स्थल-विशेष की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं कर रहा हूं। परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, कभी-कभी मान लो कि अधिक मांग होती है तो यदि पड़ौस के क्षेत्र में कोई उर्वरक संयन्त्र स्थापित कर दिया जाता है तो वह उस प्रदेश के लोगों को भी सहायता देगा। अतः ये सभी वे पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष जी, गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज को लेकर अक्सर राज्यों में झगड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि तय करने का आधार टैक्नीकल न होकर पोलिटिकल होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास जो सर्वे कमेटी है उसका आधार क्या है चयन करने का ? और वह किस प्रकार निश्चय करती है स्थान का ? मिसाल के लिये मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अन्दर झालावाड़ जिला बैक्वर्ड जिला घोषित है। वहां कोई ऐसा कारखाना नहीं लगाया जाता है जब कि वहां से पाइप लाइन भी जाती है। सरकार ने निश्चय किया था कि झालावाड़ के अन्दर कारखाना लगाने के विषय को भी देखा जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सारे देश के अन्दर सर्वे करके इस प्रकार के स्थान तय करने का आधार पौलिटिकल न होकर टेक्नीकल आधार आप रखेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इन उर्वरक संयंत्रों के स्थापना-स्थलों का निर्धारण राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं किया जाता है। दो विशेषज्ञ समितियों ने मामले पर विचार किया था। एक विशेषज्ञ समिति तो जिसके अध्यक्ष श्री के० सी० शर्मा थे स्थापना-स्थल को लेकर बनाई गई थी और दूसरी जिसके अध्यक्ष श्री लवराज कुमार थे वह पाइप लाइन के बारे में थी। उन्होंने संयुक्त रूप से ही इस मामले पर विचार किया है और उन्होंने विभिन्न माप दण्डों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार किया है। उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसमें राजनीतिक विचारण के होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अभी मंत्री जी ने कहा कि यह कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में लगाये जायेंगे जो पिछड़े क्षेत्र हैं। दूसरे आपने यह भी कहा कि एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर दी गई है इसके लिये। मान्यवर. मैंने एक साल हुए सही प्रश्न आपसे पहले मंत्री महोदय से किया था और उनका एक पत्र भी हमें मिला था। गाजीपुर में उर्वरक कारखाना खोलने के सम्बन्ध में। और आपने उत्तर दिया था कि चयन समिति गाजीपुर में भेजी जा चुकी है और वहां जा करके उसने अपना सर्वे किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह सर्वे समिति गाजीपुर में कब गई थी और उसने क्या रिपोर्ट आपको दी ? क्योंकि मैं आपके मंत्रालय को अब तक 8 पत्र लिख चुका हूं और मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। तो क्या गाजीपुर में, जैसा कि सरकार का भी प्रस्ताव है, वह फैक्ट्री लगेगी कि नहीं ? जबकि वहां के लोग भूमि भी देने को तैयार हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : यह कमेटी गाजीपुर कब गई थी उसकी तारीख को मैं अभी नहीं बता सकता। इस मामले में थोड़ा जांच करके फिर सदन में आपको बता दूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : रिपोर्ट क्या आयी है ?

श्री पी० शिव शंकर : इस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। मैं क्षमा चाहता हूं आपके खत लिखने के बावजूद भी आपको जवाब नहीं मिला। आप दो, तीन दिन का समय दीजिये मैं जांच करा लूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मान्यवर, राजस्थान सरकार ने गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिये कौन कौन से नाम प्रस्तावित किये हैं और आपने किस पर निर्णय लिया है, यह मैं जानना चाहता हूं । दूसरे राक फासफेट और पाइराइट पर बेस्ड खाद के कारखाने राजस्थान को आपने दिये थे, मैं जानना चाहता हूं कि वह कहाँ लगाने का आपने निर्णय किया है, उसके सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है, इसका भी उत्तर दीजिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज के जनरेटरों का खराब होना

*128. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड के जनरेटिंग सेटों के निरन्तर खराब होने के कारण राष्ट्रीय उत्पादन में गंवाए गए जन दिवसों का कोई उचित अध्ययन किया गया है; यदि हां, तो इसके आंकड़े क्या हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान विदेशों को कितने मेगावाट जनरेटिंग सेटों का आर्डर दिया गया है, ये आर्डर किसको दिए गए थे तथा कितने और बड़े जनरेटिंग सेट आयात किए जाने की संभावना है और कब ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान कुल 1280 मेगावाट क्षमता के उत्पादन सेटों के आर्डर जापान, हंगरी, इटली और कनाडा को दिये गये हैं । इनका ब्यौरा संलग्न विवरण (उपाबन्ध) में दिया गया है । इस समय यह कह सकना संभव नहीं है कि भविष्य में कितने आर्डर दिए जायेंगे ।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	आर्डर दिए गए उपस्कर की क्षमता	किस फर्म को आर्डर दिया गया
1	2	3	4
1.	पश्चिमी यमुना नहर ज० वि० परियोजना (हरियाणा रा० बि० बोर्ड)	64 मे. वा.	सुमिटोमो कारपोरेशन जापान ।

1	2	3	4
2.	लोअर मेत्तुर परियोजना (तमिलनाडु बि० बोर्ड)	120 मे. वा.	सुमिटोमो कारपोरेशन जापान।
3.	लोअर बोरप्लानी परियोजना असम (असम रा० बि० बोर्ड)	100 मे. वा.	—वही—
4.	नागार्जुन सागर परियोजना (आन्ध्र प्रदेश रा० वि० बोर्ड)	302.4 मे वा	हिताशी मिन्सुबिशी कन्सार्टियम, भा है. इ. लि० के जरिए आर्डर दिया गया।
5.	सतकना परियोजना (जम्मू और कश्मीर)	4 मे. वा.	गांजमोवाग, हंगरी, भा. है. इ. लि. के जरिए आर्डर दिया गया।
6.	करना जल-विद्युत परियोजना (जम्मू और कश्मीर)	2 मे. वा.	गान्जमोवाग हंगरी भा. है. इ. लि के जरिए आर्डर दिया गया।
7.	कुन्डा जल विद्युत परियोजना (तमिलनाडू वि. बोर्ड)	20 मे. वा.	अनुमोदित-वेस्टिंग-हाउस कनाडा को आर्डर दिया जाना है।
8.	हीराकुन्ड स्टेज ii ज. वि. प. (उड़ीसा रा. वि. बोर्ड)	37 5 मे वा.	हिताशी जापान को आर्डर दिया गया।
9.	नेवेली थर्मल परियोजना विस्तार	3×210 मे. वा.	बायलरों के लिए ट्रांस-इलैक्ट्रो, हंगरी को आर्डर दिए गए। टर्बेजनरेटर के लिए फ्रांको टोसी इटली को आर्डर दिए गए।

मिट्टी के तेल की आवश्यकता

*129. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यवार मिट्टी के तेल की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में मिट्टी के तेल की मांग पूरी करने के लिये उसका आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मात्रा का ब्यौरा क्या है और किन किन देशों से, देशवार इसका आयात किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का निर्धारण उनके विगत के आबंटन/विक्रय तथा तदनुरूपी महीनों के लिये ऐसे आबंटनों/विक्रयों पर 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर किया जाता है। उत्पाद की कुल उपलब्धता परिवहन क्षमता इत्यादि को ध्यान में रखकर उनका मासिक आबंटन किया जाता है। नियमित मासिक आबंटन के अतिरिक्त, विशेष स्थितियों जैसे कि बाढ़, सूखा, त्यौहार इत्यादि का सामना करने के लिये जब आवश्यकता होती तथा जब न्यायोचित होता है तदर्थ आधार पर आबंटन भी किये जाते हैं।

विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को वर्ष 1981-82 के दौरान किये गये आबंटन विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) जी हां। वर्ष 1982 में 1.5 मि. मी. टन मिट्टी के तेल के आयात के लिये सोवियत संघ के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गये हैं। तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यू. एस. ए., यू. के साथ बरमूढ़ा में स्थित सप्लायरों से अतिरिक्त मात्रा में मिट्टी के तेल के आयात के प्रबन्ध भी किये गये हैं। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, इन साधनों में लगभग 160,000 मी. टन मिट्टी का तेल प्राप्त करना सम्भव होगा। इस सम्बन्ध में और ब्यौरे देना जनहित में न होगा।

विवरण

1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दिया गया मिट्टी के तेल का आबंटन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1981-82 के दौरान आबंटन
1. आन्ध्र प्रदेश	338280
2. अरुणाचल प्रदेश	4510
3. अण्डमान तथा निकोबार	1705

4. असम	133800
5. बिहार	258600
6. चण्डीगढ़	10920
7. दादर तथा नगर हवेली	1705
8. दिल्ली	142600
9. गुजरात	438067
10. गोआ, दमन एवं दियू	16670
11. हरियाणा	77380
12. हिमाचल प्रदेश	19100
13. जम्मू और काश्मीर	32550
14. कर्नाटक	256410
15. केरल	140130
16. मध्य प्रदेश	210160
17. महाराष्ट्र	869167
18. मणीपुर	9250
19. मेघालय	7970
20. मिजोरम	3810
21. नागालैंड	5410
22. उड़ीसा	85450
23. पंजाब	165300
24. पांडिचेरी	8090
25 राजस्थान	143104
26. सिक्किम	5450
27. तमिलनाडु	387610
28. त्रिपुरा	12310
29. उत्तर प्रदेश	455386
30. पश्चिम बंगाल	419800
31. लक्षद्वीप	—
योग :	4660,754

दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रशुल्क में वृद्धि

*130. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री रेणुपद दास : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम अपने प्रशुल्क में पुनः वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दामोदर घाटी निगम ने अपने प्रशुल्क में वृद्धि करने से पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार और बिहार सरकार से जो दामोदर घाटी निगम बोर्ड की सदस्य हैं, परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो दोनों सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि परामर्श नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) जी, हां। दामोदर घाटी निगम के पूंजी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित आन्तरिक साधन पैदा करने के लिए।

(ख) और (ग) 22.1.1982 को हुई निगम की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था। तथापि बिहार सरकार का प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित नहीं था जबकि पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि ने अधिक ब्यौरे की मांग की थी। निगम की अगली बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियर्स इण्डिया लि० में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों का भरा जाना

*131. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियर्स इंडिया लि० ने अप्रैल, 1981 के बाद विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से ही आवेदन-पत्र आमंत्रित किए हैं; यदि हां, तो कितनी बार;

(ख) यदि हां, तो उस विज्ञापन के आधार पर कितने उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं;

(ग) यदि साक्षात्कार आदि के लिए कोई उम्मीदवार नहीं बुलाया गया, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) इन पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है और इन जातियों के लिए आरक्षित कोटा कितना है; और

(ङ) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां, अप्रैल 1981 के पश्चात् ऐसा दो बार किया गया था ।

(ख) और (ग) 280 प्रत्याशियों ने इंजीनियरिंग में विभिन्न प्रशिक्षण के पदों के लिए और अन्य पदों के लिए 734 प्रत्याशियों ने आवेदन किये थे । केवल कुछ वर्ग के पदों के लिए साक्षात्कार किये गये हैं । अपेक्षित मानकों को पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों (प्रत्याशियों) को साक्षात्कार जो कि मार्च-मई 1982 को किए जाने हैं, के लिए आमंत्रित किया जायेगा ।

(घ) और (ङ) इंजीनियर्स इंडिया लि० अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष उपाय कर रहा है । इनमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कुछ गैर-स्नातक इंजीनियरिंग उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना, चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सह प्रतिनिधि शामिल करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती के लिए विभिन्न सम्बद्ध एजेन्सियों को मांग के ब्यौरे भेजने में सहायता देना आदि शामिल हैं । अनुरक्षित कोटे के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए यथा सम्भव संयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं ।

एफ० पी० डी० आई० एल० द्वारा उत्पादित उत्प्रेरकों (कैटालिस्ट) की भरमार

*133. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1982 को सिन्दरी स्थित फर्टिलाइजर (प्लानिंग एंड डेवलपमेन्ट) इण्डिया लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्प्रेरकों के खरीददारों का तथा निलम्बित पड़े क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्प्रेरकों की अकस्मात् भरमार हो गई है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एकक एफ० पी० डी० आई० एल० द्वारा तैयार किए गए उत्प्रेरकों को नहीं खरीद रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि थाल परियोजना के लिए उत्प्रेरक एफ० पी० डी० आई० एल० से नहीं खरीदे जाएंगे और सिन्दरी आधुनिकीकरण संयंत्रों के लिए भी उत्प्रेरक अन्य स्रोतों से खरीदे गए हैं, यदि हां तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उत्प्रेरकों की उपयुक्तता के बारे में एफ० पी० डी० आई० एल० तथा भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक के बीच भारी मतभेद है; और

(ङ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) इण्डिया लिमिटेड, सिन्दरी के उत्प्रेरकों के खरीददारों और लम्बित आर्डरों का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) एफ० पी० डी० आई० एल० ने कम उठान के कारण उत्प्रेरकों की भारी वस्तु-सूची की सूचना दी है । यह मुख्यतया पिछले वर्षों के दौरान काफी समय तक अधिकतर निर्माण यूनिटों के बन्द होने के कारण उर्वरक उद्योग से उत्प्रेरकों की कम मांग के कारण है ।

(ग) थाल परियोजना के लिए उत्प्रेरक सप्लाई आर्डर पर अभी कार्यवाही की जानी है । एफ० सी० आई० ने देश में दूसरे सप्लायर से सिन्दरी आधुनिकीकरण प्लांट के लिए कार्बन मोनोक्साइड शिफ्ट कनवर्सन उत्प्रेरक की एक चार्ज खरीदी है क्योंकि एफ० सी० आई० के अनुसार एफ० बी० डी० आई० एल० द्वारा सप्लाई किए गए चार्ज के साथ प्लांट अनुभव पूर्णतया संतोषप्रद नहीं था ।

(घ) और (ङ) एफ० पी० डी० आई० एल०, एफ० सी० आई० के इस मूल्यांकन से सहमत नहीं है इस संबंध में निर्णय अन्ततोगत्वा उपभोक्ता कम्पनी के तकनीकी फैसले पर निर्भर करता है ।

विवरण

एफ पी. डी. आई. एल. सिन्दरी से उत्प्रेरकों के खरीददारों की सूची

(i) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०

(ii) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०

(iii) नेशनल फर्टिलाइजर लि०

(iv) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०

(v) मद्रास फर्टिलाइजर लि०

(vi) जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि०

(vii) श्रीराम कैमिकल्स लि०

(viii) स्टील आथारिटी आफ इंडिया लि० (राऊरकेला उर्वरक प्लांट)

(ix) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०

(x) हरी फर्टिलाइजर्स

(xi) असम पेट्रोकैमिकल्स

(xii) इण्डियन कैवल कम्पनी

(xiii) बाइमेटल वेरिंग

(xiv) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी

(xv) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

(xvi) इण्डियन एक्सप्लोसिव लि०

(xvii) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० ।

1 जनवरी, 1982 को लंबित आर्डर

(1) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, दुर्गापुर

क. 15.13 एम^3 सेकण्डरी रिफोर्मेशन कैटेलिस्ट

ख. 8. एम^3 कैटेलिस्ट सपोर्ट वाल्स

(2) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०, उद्योग मंडल
17 एम^3 वनाडियम पेन्टाक्साइड कैटेलिस्ट

(3) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, बम्बई
10 एम^3 वेनाडियम पेन्टाक्साइड कैटेलिस्ट

(4) भटिण्डा हेवी एलाइड कैमिकल्स
10 एम^3 वनाडियम पेन्टाक्साइड कैटेलिस्ट

छोटे इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

*136. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्रों की उपयोगिता को देखते हुए ऐसे केन्द्र पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित करने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में इस योजना का उत्तर प्रदेश के रानीखेत, बगेश्वर, धारचुला, लोहाघाट, पिथौरागढ़ और रामनगर नगरों को लाभ मिलेगा ?

संचार मन्त्री (श्री जी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां। सरकार ने देश में छोटे इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचैंजों की संस्थापना के लिए एक योजना तैयार की है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी इस योजना में शामिल किए गए हैं।

(ख) जी हां। इन सभी शहरों में अब हस्तचल टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं तथा रानीखेत और पिथौरागढ़ में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र के कम्प्रेसरों का खराब हो जाना

*137. **श्री रशीद मसूद** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया उर्वरक काम्पलेक्स के आक्सीजन और नाइट्रोजन कम्प्रेसर इसलिए खराब हो गए कि विदेशी और स्वदेशी दोनों निर्माणकर्ताओं ने जो उपकरण सप्लाई किए थे उनके डिजाइनों में भारी कमियां और खराबियां थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कारण कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने खराब उपकरणों की सप्लाई के सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) हल्दिया प्लांट को चालू करने के दौरान आक्सीजन और नाइट्रोजन कम्प्रेशरों में डिजाइन दोष पाए गए।

(ख) संचालन कार्य कलाप के दौरान आक्सीजन कम्प्रेशन के इन्टरकूलर चैनल पार्टिशन सेपरेटर इन्टरनल, वैल्व प्लेट, पिस्टन रिंग और गाइड रिंग खराब हो गए थे। नाइट्रोजन कम्प्रेशन के स्टेशनरी डायफ्रेम में दो गाइड वैनों को विपरीत दिशा के लगा हुआ पाया गया।

इस प्लांट में इन दोषों के कारण वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने में लगभग 6 महीनों का विलम्ब होगा। इस विलम्ब से परियोजना के वित्त पोषण और विभागीय प्रभारों में लगभग 9 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) ज्यों ही दोष का पता चला, कम्पनी ने उपकरण के सप्लाईकर्ता के साथ मामला उठाया। डिजाइन में आवश्यक परिवर्धन किए जा रहे हैं और क्षतिग्रस्त उपकरण को बदला जा रहा है।

उड़ीसा में बिजली में कटौती से प्रभावित उद्योग

*138. **श्री अनादिचरण दास :** क्या **ऊर्जा मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा के राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 31 जनवरी, 1982 से लागू की गई बिजली की कटौती से कुल कितने मुख्य उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 20 नवम्बर, 1981 को राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लागू की गई बिजली की कटौती से कुछ अन्य उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन पर 20 नवम्बर, 1981 को लागू की गई बिजली की कटौती से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) लगभग 1 मेगावाट और उससे अधिक विद्युत का उपभोग करने वाले 22 उद्योगों पर 1.2.1982 से विद्युत कटौती लागू है।

(ख) उद्योगों के नाम संलग्न विवरण (उपाबन्ध) में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त 22 उद्योगों में से 10 उद्योगों पर पहले 20 नवम्बर, 1981 को विद्युत कटौती लगाई गई थी। इन उद्योगों के नाम भी संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन उद्योगों के नाम जिन पर 20.11.1981 तथा 1.2.1982 से विद्युत कटौती लागू थी

क्रम सं०	उद्योग का नाम	
1.	आर० एस० पी० राउरकेला	
2.	एफ० सी० आई० तलचेर	
3.	इन्डल हीराकुड	
4.	इन्डियन मेटल्स एण्ड फैरो एलायज लि० तेसवेल्ली	
5.	फैरो मेंगनिज संयंत्र रायगडा	इन 10 उद्योगों पर 20.11.1981 से विद्युत कटौती लागू थी।
6.	फैरो मेंगनिज संयंत्र जोडा	
7.	फैरो क्रम संयंत्र जयपुर रोड	
8.	जयश्री केमिकल्स लि०	
9.	ओ० पी० मिल्स कास्टिक सोडा	
10.	जे० के० पेपर मिल्स रायगडा	

क्रम सं०	उद्योग का नाम
11.	इण्यिन मेटल्स एण्ड कार्बाइड
12.	भास्कर टैक्सटाइल्स
13.	कलिंग वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी, धेनकनाल
14.	अल्युमि यम इण्डस्ट्रीज हीराकुड
15.	रिरोलिंग मिल्स, हीराकुड
16.	ओरियन्ट पेपर मिल्स
17.	टीटागढ़ पेपर मिल्स
18.	उत्कल मशीनरीज लि० कान्सहल
19.	बेलपहार रिप्रेक्टरीज
20.	कलिंग ट्यूब्स, चौद्वार
21.	उड़ीसा टैक्सटाइल्स मिल्स, चौद्वार
22.	उड़ीसा इंडस्ट्रीज, लाथीकेत

कनाट प्लेस में अनधिकृत भूमि पर पैट्रोल पम्प

*139. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के कनाट प्लेस क्षेत्र में प्रायः सभी पेट्रोल पम्प अनधिकृत भूमि पर बने हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समाचारपत्र उद्योग के लिए लागत-प्रभाव तथा लागत लाभ का अनुमान लगाना

*140. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्र उद्योग के लिए लागत प्रभाव तथा लागत लाभ का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की अब ऐसा करने की कोई इच्छा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ङ) इस प्रकार का कोई अध्ययन हाल में नहीं किया गया है। तथापि, प्रेस आयोग के विचारणीय विषयों में एक विषय "समाचारपत्र उद्योग की अर्थव्यवस्था, अखबारी कागज, मुद्रण मशीनरी और समाचारपत्रों के लिए अन्य निदेश" की जांच करने से सम्बन्धित है। आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 मार्च, 1982 तक है और आयोग की रिपोर्ट की उस तारीख तक उम्मीद है।

छठी योजना अवधि में पेट्रोलियम की खोज तथा उत्पादन

*141. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना अवधि में पेट्रोलियम की खोज तथा उसके उत्पादन को उच्चतम प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो उन तटवर्ती तथा तटदूर तेल क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां इस समय तेल की खोज का कार्य हो रहा है;

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के शेष भाग में किसी नए तेल क्षेत्र का संवेक्षण किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग वर्तमान में निम्नलिखित क्षेत्रों में तेल के लिए खोज तथा/या विकास व्यघन कार्य कर रहा है :—

तटीय :

गुजरात

आन्ध्र प्रदेश

असम

पश्चिम बंगाल

नागालैंड

त्रिपुरा

अपतटीय

बम्बई हाई, आर-12, बी-57, पी० एच०-9 तथा गोदावरी अपतटीय संरचनाएं।

व्यघन के अतिरिक्त, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान निकोबार, आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात में विभिन्न तटीय क्षेत्रों में तथा रतनागिरी-मंगलौर के अपतटीय पूर्वेक्षणों में तेल/गैस वाली संचनाओं का पता लगाने के लिए भू-अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण भी कर रहा है।

आयल इण्डिया लिमिटेड

आयल इण्डिया लिमिटेड असम में तेल का उत्पादन कर रहा है तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, महानदी तटीय एवं अपतटीय में व्यघन तथा भू-अन्वेषणात्मक सर्वेक्षणों दोनों के द्वारा तेल की अपनी खोज को जारी रख रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

तटीय क्षेत्रों में माही तथा ताप्ती नदियों के बीच काम्बे की खाड़ी, काम्बे बेसिन के उत्तरी भाग में पटान दबाव में, संकचर-वाडमेढ़ बेसिन, कच्छ तथा सौराष्ट्र बेसिन, घनसीरी घाटी, बागा पहाड़ी तराई क्षेत्र, कच्छार कोपीली घाटी, गारो तथा खासी पहाड़ियां, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कृष्णा-गोदावरी कावेरी, राजस्थान, गंगा घाटी तथा हिमालय की तराइयों के बीच पिछले क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की योजना है।

अपतटीय क्षेत्रों में, सौराष्ट्र आर्क, कच्छ शैल्क, अण्डमान तथा निकोबार शैल्फ, पाक की खाड़ी कृष्णा-गोदावरी, केरल लक्षद्वीप, मनार की खाड़ी, दक्षिण कारोमंडल, पलार बेसिन, पश्चिम बंगाल तथा कावेरी अपतटीय क्षेत्र इत्यादि में भू-कम्पीय सर्वेक्षण किये जाने की योजना है।

आयल इंडिया लिमिटेड

आयल इण्डिया लिमिटेड राजस्थान में तथा उत्तर-पूर्वी समुद्र तट से परे अन्वेषण कार्य करेगा। प्रथम दौर में वह भू-कम्पीय सर्वेक्षण करेगा। व्यघन कार्य तदन्तर में उपयुक्त स्थलों

पर किया जायेगा जबकि यह भू-कम्पीय सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा तथा उपयुक्त संरचनाओं को निदेशित करने के लिए विश्लेषण उपलब्ध होंगे ।

एशियाई खेलों के सम्बन्ध में दिल्ली में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की स्थापना

*142. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नवम्बर-दिसम्बर, 1982 में होने वाले एशियाई खेलों के सम्बन्ध में दिल्ली में विभिन्न आकार के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक एक्सचेंज में कितनी लाइनें होंगी;

(ग) ये एक्सचेंज कब और कहां स्थापित किये जाएंगे तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(घ) दिल्ली के विभिन्न मार्गों में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस अवधि के दौरान अन्य कौनसी दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, हां ।

(ख) एवं (ग) विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

(घ) एशियाड से पहले लगभग 1400 सीधी टेलीफोन लाइनें तथा 10,000 प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज एक्सटेंशन लाइनें देने की सम्भावना है ।

(ङ) इनके अतिरिक्त अन्य निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने की आशा है :—

स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन, अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक सुविधाएं, टेलेक्स पी० सी० ओ०, प्वाइंट-टू-प्वाइंट टेलिप्रिंटर लाइनें, टेलेक्स कनेक्शन, गैर एक्सचेंज नियंत्रण तारें, फोटो टेलीग्राम सुविधा, प्रसारण सर्किट, देश के भीतर तथा बाहर टेलीविजन के सीधे प्रसारण हेतु ट्रांशमीशन, विभिन्न स्टेडियमों एवं खेल गांव में तार एवं डाक सुविधाएं ।

विवरण

एशियाड 1982 हेतु स्थापित किए जाने वाले पी ए बी एक्स (इलैक्ट्रानिक) की सूची

क्रम सं०	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के किराएदार का नाम	स्थापित क्षमता	स्थान	अनुमानित लागत	पूरा करने का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	मै० एशियन होटल्स	1000 लाइनें	भीखाएजी-कामा प्लेस	40.00 लाख	ये जून, 1982 तक तैयार हो
2.	मै० ओवराय इन्टर कांटिनेंटल	1000 ,,	जाकिर हुसैन मार्ग	38.61 ,,	जाएंगे बशर्ते कि होटल भवन
3.	मै० इंडियन होटल्स कंप० लि०	800 ,,	सरदार पटेल मार्ग	35.53 ,,	का निर्माण कार्य पूरा हो
4.	मै० मौर्य शेराटन	900 ,,	सरदार पटेल मार्ग	29.90 ,,	जाये ।
5.	अशोक होटल	1000 ,,	चाण्क्यपुरी	36.82 ,,	,,
6.	इंटरनेशनल एअरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (आई० ए० ए० आई०)	800 ,,	दिल्ली हवाई अड्डा	35.53 ,,	,,
7.	होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया (होटल सैन्टौर)	700 ,,	न्यू इंटरनैशनल कैम्पस (पालम)	31.17 ,,	,,
8.	मै० दिल्ली आटोमोबाइल्स (भारत होटल)	800 ,,	बाराखंबा रोड़	35.53 ,,	,,

1	2	3	4	5	6
9.	मै० प्योर ड्रिंक्स प्रा० लि० (होटल मैरीडियन)	1000 लाईनें	विंडसर प्लेस (जनपथ)	40.00 ,,	ये जून, 1982 तक तैयार हो जायेंगे बशर्ते कि होटल भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाये।
10.	होटल कौटिल्य, आई० टी० डी० सी० (होटल सम्राट)	500 ,,	कौटिल्य मार्ग	24.76 ,,	
11.	मै० नार्दन इन्टरप्राइसिस कार्पोरेशन (पार्क होटल)	400 ,,	संसद मार्ग	20.86 ,,	,,
12.	मै० कास्मोपोलिटिन बिल्डर्स एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (सूर्य इन्टरनेशनल)	400 ,,	न्यू फ्रैंडस कालोनी	20.86 ,,	,,
13.	होटल सिद्धार्थ इन्टरनेशनल	300 ,,	वसन्त विहार	19.27 ,,	,,
14.	ओबराय मैड्न्स होटल	200 ,,	अलीपुर रोड	12.80 ,,	,,
15.	ताज महल होटल	600 ,,	मान सिंह रोड	25.14 ,,	,,
16.	खेल गांव सीरी फोर्ट	300 ,,	सीरी फोर्ट	19.27 ,,	,,

टिप्पणी ;—ये एक्सचेंज जून, 1982 तक चालू करने का कार्यक्रम है बशर्ते कि होटल भवन का निर्माण पूरा हो जाए।

आरा (बिहार) में जिला तारघर का निर्माण

*143. **प्रो० सत्यदेव सिंह : क्या संचार मन्त्री** आरा (बिहार) में जिला तारघर का शिलान्यास करने के समय विभागीय कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी किये जाने के बारे में 15 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासन को अब तक कहां तक कार्यान्वित किया गया है;

(ख) जिला तारघर, आरा (बिहार) का निर्माण कार्य सरकार द्वारा कब तक पूरा करा लिया जाएगा और इसके पूरे होने में विलम्ब होने के अब तक क्या कारण रहे हैं; और

(ग) क्या मजदूर संघों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी भवनों का निर्माण करने के सम्बन्ध में सरुकार के सामने कोई बाधाएं हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) किसी कर्मचारी के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि किसी भी कर्मचारी विशेष के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विभागीय तारघर के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वास्तुशिल्पीय व्यवहार्यता तथा स्थान की पर्याप्तता की ब्यौरेवार जांच करनी अपेक्षित होती है ।

(ग) इमारत का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में कोई अड़चन नहीं होगी ।

कोयले पर आधारित ईंधन संयंत्र

*144. **श्री नीरेन घोष : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कोयले पर आधारित अधिक से अधिक ईंधन संयंत्र बनाने की आवश्यकताओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रस्तावित संयंत्रों के लिए किन्हीं स्थलों का चयन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० एम० गनी खान चौधरी):

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने, अब तक, दो कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र लगाने के लिए मजूरी दे दी है—एक सिंगरेनी कोलफील्ड्स (आं० प्र०) के रामकृष्णपुर में और दूसरा कलकत्ता के समीप दानकुनी में। रामकृष्णपुर के संयंत्र को पहले ही चालू किया जा चुका है और दानकुनी परियोजना निर्माणाधीन है। कोयले की कम ताप कार्बनीकरण प्रौद्योगिकी से घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए धुंआ रहित ईंधन प्राप्त होता है और उद्योगों के लिए गैस भी प्राप्त होती है। इनके अलावा टार और कार्बो-कैमिकल्स जैसे महत्वपूर्ण उप-उत्पादों का भी उत्पादन होता है। ऐसे और संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर, परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर और साथ ही दानकुनी कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र के कार्य-परिणामों के आधार पर विचार किया जायेगा। दानकुनी संयंत्र भारत में अपनी क़िस्म का पहला संयंत्र है।

उपर्युक्त कम ताप कार्बनीकरण संयंत्रों के अलावा सरकार ने कोयले से धुंआ रहित ईंधन/संश्लिष्ट तेल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित पायलट संयंत्र/डिमांस्ट्रेशन संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है :—

(i) खास कुसुन्डा (भा० को० को० लि०) में कोयले से पेलेट कोक के उत्पादन के लिए डिमांस्ट्रेशन संयंत्र।

(ii) मुगमा (ई० को० लि०) में यंत्रीकृत साफ्ट कोक के लिए डिमांस्ट्रेशन संयंत्र।

(iii) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान में कोयले के हाइड्रोजनीकरण के लिए पायलट संयंत्र।

इन संयंत्रों में होने वाले उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर इन संयंत्रों के प्रस्तावों पर कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा।

केरल दूरसंचार प्रवेश परीक्षा के बारे में याचिका

1385. **श्री आर० के० महालगी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय डाक-तार विभाग के केरल दूरसंचार में प्रवेश परीक्षा के बारे में दिनांक 25 सितम्बर, 1981 की याचिका मिली है;

(ख) उपर्युक्त याचिका में क्या मांग की गई है;

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके विशेष कारण क्या हैं और ये निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। एक याचिका प्राप्त हुई है जिसकी तारीख 25.7.81 है न कि 25.9.81।

(ख) उन प्रार्थियों के परिणाम घोषित किए जाएं, जिन्होंने दिनांक 14.2.80 को लाइनमैन प्रशिक्षु भर्ती के लिये कन्नड़ भाषा में प्रवेश परीक्षा दी थी।

(ग) मौजूदा नियमों के अनुसार लाइनमैन प्रशिक्षु भर्ती के लिये प्रवेश परीक्षा स्थानीय भाषा अर्थात् मलयालम् में ली गई थी तथा प्रत्याशियों को दिये गये प्रश्न पत्र मलयालम् में थे परन्तु प्रार्थियों ने मलयालम् की बजाय कन्नड़ भाषा में उत्तर दिए। तथापि एक विशेष मामले के बतौर यह निर्णय लिया गया कि हालांकि ये उत्तर-पुस्तिकाए स्थानीय भाषा में नहीं थीं तो भी इनका मूल्यांकन किया जाए।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिराक गोरखपुरी के इलाज के लिए विशेष सहायता अनुदान

1386. **श्री भीकू राम जैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर श्री फिराक गोरखपुरी के इलाज के लिए विशेष सहायता अनुदान मंजूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) 5000/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, पश्चिम क्षेत्र में भर्ती

1387. **श्री अजय विश्वास : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिम क्षेत्र में कुछ क्लर्क एवं टाइपिस्टों की भर्ती करते समय कुछ अधिकारियों ने भारी कदाचार और पक्षपात किया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) मेहसाना और क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा में सहायक ग्रेड III की भर्ती में कथित अनियमितताओं के दो मामले तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के ध्यान में आये हैं ।

(ग) और (घ) पहले मामले पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभागीय रूप से जांच की जा रही है । दूसरे मामले पर आयोग द्वारा विभागीय जांच-पड़ताल आयोजित की गई थी । इसी बीच में सी० बी० आई० ने अहमदाबाद में जांच-पड़ताल आरम्भ कर दी, और इसलिए विभागीय कार्यवाही स्थगित कर दी गई ।

(ङ) पहले मामले के संबंध में आयोग द्वारा प्रायोजना पर की जा रही भर्ती को रोक दिया गया है । दूसरे मामले के संबंध में ओ० एन० जी० सी० द्वारा सी० बी० आई० की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

कृषकों को बिजली की सप्लाई

1388. **श्री सुभाष चान्द्र बोस अल्लूरो** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश भागों में कृषकों को प्रतिदिन केवल तीन घंटा बिजली सप्लाई मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो कृषकों की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं । विभिन्न राज्यों में कृषि उपभोक्ताओं को 5 घंटे या इससे अधिक समय विद्युत सप्लाई मिल रही है ।

(ख) यद्यपि देश में विद्युत की कमी वाले क्षेत्र हैं तथापि उद्योगों पर विद्युत कटौतियां लगाकर भी कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जाती है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कृषि उपभोक्ताओं को कम से कम 8 से 10 घंटे विद्युत सप्लाई की जाए ।

बिहार में पेट्रोल और डीजल पम्पों की मंजूरी

1389. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के शेष काल के दौरान सरकार ने बिहार राज्य के कितने पेट्रोल और डीजल पम्पों को मंजूर करने पर विचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के अनेक उप-मण्डलीय केन्द्रों में ऐसे कोई पम्प नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त उप-मण्डलीय केन्द्रों में पेट्रोल और डीजल पम्प खोलने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल आयोग द्वारा आयोजित किए गए एक राज्य-सर्वेक्षण के अनुसार, ऐसी संभावना है कि वर्ष 1982-83 से 1985-86 के दौरान बिहार में लगभग 135 रिटेल आउटलेटें (डीजल/मोटर स्प्रिट पम्प) का विकास किया जाएगा।

(ख) केवल चार उप-मण्डलीय केन्द्रों ने सूचित किया है कि उनके पास कोई रिटेल आउटलेट नहीं है।

(ग) मसोरही, हिल्सा, रोसेरा और सिकरांह।

(घ) और (ङ) रिटेल आउटलेट डीलरशिप स्थापित करने के लिए प्रथम तीन स्थानों का चयन कर लिया गया है, और ऐसी आशा है कि वे वर्ष 1983-84 तक स्थापित हो जायेगी।

संसद् सदस्यों का संविधान (हिंदी) का वितरण

1390. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संविधान के हिन्दी संस्करण की प्रति का अब तक संसद् सदस्यों में वितरण न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या लोक सभा के वर्तमान सत्र के दौरान सदस्यों में इसकी प्रतिलिपियों का वितरण संभव होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क), (ख) और (ग) भारत के संविधान का हिंदी में एक पुनरीक्षित और अद्यतन पाठ मुद्रण के अंतिम चरण में

है। इसके महत्व को देखते हुए इस बात की बहुत सावधानी बरतना आवश्यक है कि अंतिम पृष्ठ-प्रूफ सभी प्रकार से बिल्कुल ठीक हो। अतः यह ठीक ठीक बताना संभव नहीं है कि छपी हुई सामग्री जिस पर मुद्रण आदेश किया जाना है, विनिर्दिष्ट रूप से कब तक प्राप्त हो जाएगी।

तथापि, इस बात के सभी प्रयत्न किए जाते रहेंगे कि संविधान का अद्यतन हिंदी पाठ यथाशीघ्र प्रकाशित हो जाए।

राजस्थान नहर की बिजली उत्पादन के काम में लाने की योजना

1391. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर से सिंचाई सुविधाएं देने के अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने के बारे में योजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राजस्थान नहर के जल का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए करने हेतु राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने दो जल विद्युत स्कीमों का प्रस्ताव किया है। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

लोक सभा में 2.3.1982 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1391 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	लागत (लाख रु० में)	वर्तमान स्थिति
1.	अनूपगढ़ शाखा नहर परियोजना	9	650.70	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तथा बाद में योजना आयोग ने वर्ष 1980 में इस स्कीम की स्वीकृति दे दी है।
2.	सूरतगढ़ शाखा नहर परियोजना	3	301.22	सितम्बर, 1981 में प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

निर्वाचन आयोग के लिए बहुसदस्यता

1392. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग के बारे में, जो उसके विचाराधीन था, अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ग) क्या संसद् के चालू सत्र के दौरान इस बारे में कोई विधान लाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग के बारे में जो प्रस्ताव है उस पर मंत्रिमण्डल की निर्वाचन सुधार समिति इस विषय पर अन्य व्यापक प्रस्तावों के साथ-साथ विचार कर रही है। समिति द्वारा अनंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् इन प्रस्तावों पर राजनैतिक दलों के साथ और जहां आवश्यक होगा, राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाएगा, अतः इस प्रक्रम पर यह बताना संभव नहीं है कि प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिया जा सकेगा।

हल्दिया में उर्वरक संयत्र के चालू होने में बिलम्ब

1393. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आक्सीजन और नाइट्रोजन काम्प्रेसरों की कुछ खराबियों के कारण 14 अप्रैल, 1982 को चालू होने वाले हल्दिया उर्वरक संयंत्र के चालू होने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हल्दिया संयंत्र में कब से काम शुरू हो जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) आक्सीजन कम्प्रेशर के इन्टर-कूलर चैनल पार्टिशन, सेप्रेटर इन्टरनल, वाल्व प्लेट और फिलटन तथा गाइड रिंग प्रारंभ कार्यकलापों के दौरान खराब हो गये थे। नाइट्रोजन कम्प्रेशर के स्टेशनरी डावफ्रेम में दो गाइड वेन्स को उल्टी दिशा में लगा हुआ पाया गया था।

(ग) इन पर उपचारी कार्य प्रारंभ कर दिये गये हैं । संयंत्र द्वारा अब वाणिज्यिक उत्पादन लगभग अक्टूबर, 1982 तक प्रारंभ किये जाने की आशा है ।

फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य के बतौर संसद सदस्य की नियुक्ति

1394. **श्री निहाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति किस ढंग से होती है और इसके सदस्य की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता और अनुभव क्या है; और

(ख) क्या सरकार फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के बतौर ससद सदस्यों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने की कसौटी यह है कि वे वैयक्तिक योग्यता और उपयुक्तता के व्यक्ति होने चाहिएं और वे केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए कि वे जनता पर फिल्मों के प्रभाव को आंकने में अर्हक हो ।

संसद सदस्यों को फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विदेशी समाचारों को प्राप्त करने के आकाशवाणी के स्रोत

1395. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में काम करने वाले कितने समाचार संवाददाता हैं और उनके नाम क्या हैं जो आकाशवाणी के लिए काम करते हैं;

(ख) क्या यह आकाशवाणी को समाचार देने हेतु विदेशी संवाददाता पर्याप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो आकाशवाणी के पास विदेशी समाचार प्राप्त करने के अन्य स्रोत क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) इस समय आकाशवाणी के विदेशों में 3 नियमित पूर्णकालिक संवाददाता और 7 अंशकालिक संवाददाता हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(क) **नियमित संवाददाता :**

1. श्री ए० के० राय
2. श्री आर० सी० दे
3. श्री स्वामत घोष।

(ख) **अंशकालिक संवाददाता :**

1. श्री मेल्कोम सुभान
2. श्री आर० एस० मुकुद
3. श्री ए० बालु
4. श्री हरीश चन्दोला
5. श्री रमेश जौरा.
6. श्री पी० एन० लक्ष्मण
7. श्री कुल भूषण।

(ख) और (ग) आकाशवाणी अनन्य रूप से इन संवाददाताओं पर ही निर्भर नहीं है। इसके अन्य स्रोत समाचार एजेंसियों और इसकी अनुश्रवन यूनिट की रिपोर्टें हैं।

कर्नाटक में बिजली उत्पादन में धीमी प्रगति

1396. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से बहुत अधिक सहायता के बावजूद कर्नाटक में इस साल बिजली उत्पादन की प्रगति शिथिल रही और यह लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इससे ग्रामीण विद्युतीकरण पर और राज्य के पम्पसेटों को बिजली देने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक में स्थिति में सुधार लागे के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। ग्राम विद्युतीकरण निगम, राज्यों को ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता ही देता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन की प्रगति सन्तोषजनक रही है। वर्ष 1981-82 के दौरान 7.70 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जिसमें 4.10 करोड़ रुपये राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, 3.30 करोड़ रुपये

ग्राम विद्युतीकरण निगम की वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत और 0.30 करोड़ रुपये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित किये गए हैं। 870 गांवों का विद्युतीकरण करने और 18,040 सिंचाई पम्प सैटों/ट्यूब वैलों को ऊर्जित करने के समय की तुलना में अक्तूबर, 1981 के अन्त तक वास्तव में 440 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और 10,368 पम्प सैटों को ऊर्जित किया गया है। आशा की जाती है कि कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष में निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

(ग) कर्नाटक में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन में सुधार लाने के प्रयोजन से स्थिति की समीक्षा ग्राम विद्युतीकरण निगम, कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड और राज्य सरकार के बीच उच्च स्तरों पर की गई है।

भारतीय तेल निगम को लाभ

1397. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सभी सालों की तुलना में पिछले साल भारतीय तेल निगम द्वारा अर्जित लाभ की धनराशि अधिक थी;

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि के कारण कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ग) क्या सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के विचार से मूल्य ढांचे पर पुनर्विचार करने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) गत वर्षों के कर—पूर्व लाभ की तुलना में इण्डियन आयल कारपोरेशन (आई० ओ० सी०) का वर्ष 1980-81 में हुआ कर पूर्व लाभ अधिकतम नहीं था। तथापि वर्ष 1980-81 के दौरान कुछ नई प्रायोजनाओं के शुरू किए जाने के फलस्वरूप आई० ओ० सी० आयकर अधिनियम के अतर्गत कुछ राहतों को प्राप्त करने का पात्र बन गया जिसके कारण आई० ओ० सी० का कराधान के बाद लाभ गत वर्षों की तुलना में सबसे अधिक था।

(ख) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ताप संयन्त्रों को पूरा करने में सहायता के लिए ईरान की मांग

1398. **श्री के० प्रधानी :**

श्री मगन भाई बरोट : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार ने वहां दो ताप संयंत्रों को चालू करने में भारत से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो ईरान ने भारत के सामने उन दो तापघरों को चालू करने के बारे में क्या शर्तें रखी हैं;

(ग) क्या कोई भारतीय कम्पनी उस अपूर्ण काम को हाथ में लेने वाली है;

(घ) यदि नहीं तो क्या कोई सरकारी कम्पनी उस काम को हाथ में लेने पर विचार कर रही है; और

(ङ) ईरान के अनुरोध पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ईरान में ताप विद्युत संयन्त्रों को चालू करने में सहायता के लिए ईरान सरकार से भारत सरकार को कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा रोके गए बिल

1399. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **सचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक लघु उद्योग संगठन ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि इस समय जबकि उद्योग को राष्ट्रीयकृत बैंकों से पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने लगभग 1 करोड़ रुपये के बिलों को रोका हुआ है जिसके परिणामस्वरूप अनेक लघु उद्योग रुग्ण हो गए हैं या बन्द हो गए हैं;

(ख) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो पिछले एक साल के दौरान के बकाया भुगतानों के आंकड़े क्या हैं;

(ग) यह बड़ी धनराशि कब से लम्बित है;

(घ) क्या सरकार जब तक लम्बित बिलों की जांच नहीं हो जाती बंगलौर के लघु उद्योगों को उनके बिलों का कम से कम 50% और अवशेष का निर्धारित समय में भुगतान करके सहायता करने पर बिचार कर रही है; और

(ङ) यह कब से चालू होगा ?

सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कर्नाटक लघु उद्योग संघ से ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है जिसमें इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उनके बिलों का भुगतान नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई हो ।

(ख) और (ग) ऐसी कोई अदायगी नहीं है जो एक वर्ष से बकाया हो। फिर भी कुछ लघु उद्योगों का 53.66 लाख रुपया भुगतान के लिए नवम्बर, 1981 तथा जनवरी, 1982 से बकाया पड़ा है। इसके अलावा इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के आनुषंगिक कारखानों को 54.59 लाख रुपये का भुगतान जनवरी, 1982 से बकाया है।

(घ) और (ङ) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आनुषंगिक एककों और लघु उद्योगों से पेचीदा किस्म के एक सूक्ष्म घटक खरीदे जाते हैं जिन्हें अन्तिम रूप से स्वीकार करने के पहले सावधानी से जांचना जरूरी होता है। इस पर भी आनुषंगिक एककों तथा लघु उद्योगों द्वारा भेजे माल का सबूत लेकर लागत के 50% का भुगतान का प्रस्ताव विचाराधीन है।

कोल्हापुर जिले और कोंकण क्षेत्र में टेलीफोन सुविधाओं के लिए दूरसंचार केन्द्रों की स्थापना करना

1400. **प्रो० मधु दण्डवते :** (क) क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी उपयुक्त स्थान में दूर संचार केन्द्र लगाने का कोई प्रस्ताव है ताकि कोल्हापुर जिला और कोंकण क्षेत्र को टेलीविजन की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें;

(ख) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है जहां केन्द्र की स्थापना की जाएगी; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) भावी योजना में डाक-तार माइक्रोवेव लिंक की सहायता से दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए रत्नागिरि (हथ खम्बा) को चुना गया हैं। इस योजना का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

एन्टीबायोटिक्स फार्मूलेशन के मूल्यों में वृद्धि

1401. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो सालों के दौरान एम्पीसिलिन और कोलरम फिनेकोल जैसी दो एन्टीबायोटिक फार्मूलेशन्स के मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि हुई और इसके क्या कारण हैं और मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) सरकार ने उनको सस्ते दामों में उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लागू एम्पीसिलिन और क्लोरमफेनीकोल पर आधारित फार्मूलेशन के मूल्य में संशोधित के परिणामस्वरूप कुछ पैकों के मूल्य में वृद्धि और अन्य के मूल्य में कमी आई है।

(ख) और (ग) क्लोरमफेनीकल और एम्पीसिलिन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्यों में वृद्धि और कमी दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है जिसके लिए लीडर मूल्यों को अधिसूचित किया गया है । संबंधित बल्क औषधों, एक्सीपिएन्टों, पैकिंग सामग्रियों और औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अनुसार मार्क-अप के समायोजन में परिवर्तन के कारण मूल्यों में परिवर्तन आवश्यक था। उचित मूल्य पर एम्पीसिलिन और क्लोरमफेनीकल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश में इन दोनों औषधों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है।

विवरण

क्र. सं०	फार्मूलेशन का नाम	शक्ति	पैकट आकार	संशोधित मूल्य	संशोधित मूल्य	प्रतिशत वृद्धि (+) हानि (—)
1	2	3	4	5	6	7
1.	क्लोरमफेनीकल कैप/गोली	100 मि. ग्रा./ कैप/गोलियां	12 बोतल/ पत्ते	2.86	2.81	(—) 1.75
2.	क्लोरमफेनीकल कैप/गोली	250 मि. ग्रा./ कैप/गोली	12 बोतल/ पत्ते	4.15	4.73	(+) 13.98
3.	क्लोरमफेनीकल कैप/गोली	250 मि. ग्रा./ कैप/गोली	10 का	3.44	3.98	(+) 15.70
4.	क्लोरमफेनीकल कैप/गोली	250 मि. ग्रा./ कैप/गोली	100 की बोतल	32.47	40.95	(+) 26.12
5.	क्लोरमफेनीकल कैप/गोली	250 मि. ग्रा./ कैप/गोली	1000 की बोतल	286.18	377.25	(+) 18.00
6.	क्लोरमफेनीकल कैप/गोली	500 मि. ग्रा./ कैप/गोली	6 की	4.13	4.62	(+) 10.90

1	2	3	4	5	6	7
7.	क्लोरमफेनीकल कैप/गोली	500 मि. ग्रा./ कैप/गोली	12 की	7.22	7.80	(+)8.03
8.	क्लोरमफेनीकल कैप/गोली	500 मि. ग्रा./ कैप/गोली	100 की बोतल	51.34	61.44	(+)19.67
9.	क्लोरमफेनीकल सस्पेंशन/ सिरप (पामीटेट और स्टीरेट शामिल हैं)	125 मि. ग्रा./ 4. मि. लि.	60 मि. लिटर	4.62	6.74	(+)45.88
10.	क्लोरमफेनीकल सस्पेंशन/ सिरप	125 मि. ग्रा./ 4 मि. लिटर	450 मि. लिटर	27.29	43.69	(+)60.10
11.	एम्पीसिलिन एनहाइड्रस कैप्सूल	250 मि. ग्रा./ कैप.	4 का	6.74	5.98	(—) 11.28
12.	एम्पीसिलिन एनहाइड्रस कैप्सूल	250 मि. ग्रा./ कैप.	10 का	11.98	13.78	(+)15.03
13.	एम्पीसिलिन एनहाइड्रस कैप्सूल	500 मि. ग्रा./ कैप.	10 का	21.99	25.76	(+)17.14
14.	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल	250 मि. ग्रा./ कैप	4 का	6.18	5.42	(—)12.30

1	2	3	4	5	6	7
15.	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल	250 मि. ग्रा./ कैप.	16 का	21,86	19.74	(—)9,70
16.	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल	250 मि. ग्रा./ कैप.	100 का	113.60	110.04	(—)3.13
17.	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल	500 मि. ग्रा./ कैप.	4 का	11,07	9,30	(—)15,63
18.	एम्पीसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप्सूल	500 मि. ग्रा./ कैप.	8 का	15.55	18.74	(+)20.51
19.	एम्पीसिलिन एनहाइड्रस सिरप	125 मि. ग्रा./ 5 मि. लि.	40 मि. लिटर बोतल	4.58	6.58	(+)43.67
20.	एम्पीसिलिन एनहाइड्रस सिरप	125 मि. ग्रा./ 5 मि. लिटर	60 मि. लिटर बोतल	8.38	8.42	(+)0.48

आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग के श्री लंका यूनिट में पर्यवेक्षक के पद को भरा जाना

1402. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग के श्रीलंका यूनिट में पिछले कई सालों से पर्यवेक्षक का पद खाली है;

(ख) क्या इस पद को भरे जाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और इसके लिए कोई साक्षात्कार लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो साक्षात्कार किस तारीख को लिया गया और उसके क्या परिणाम निकले और आज तक इस पद के न भरे जाने के क्या परिणाम निकले और आज तक इस पद के न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पद के किस तारीख तक भरे जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) भूतकाल में दिए गए विज्ञापनों से ऐसे उम्मीदवार नहीं मिले जो भाषा सम्बन्धी निर्धारित अर्हताएं रखते हों। तथापि, दो ऐसे उम्मीदवारों का, जिन्होंने पिछले विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था, यद्यपि वे निर्धारित अर्हताएं नहीं रखते, अत्यधिक प्राथमिकता के आधार पर चयन को अन्तिम रूप देने के लिए इस समय भाषा संबंधी उनकी प्रवीणता सहित उनकी उपयुक्तता का आंकलन करने के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है।

अन्तर्राज्यीय विवाद को समाप्त करने के लिए बिजली के बंटवारे का नया फार्मूला

1403. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के बारे में बंटवारे को लेकर होने वाले अन्तर्राज्यीय विवाद को हल करने के लिए सरकार ने बिजली के बंटवारे के लिए कोई नया फार्मूला तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) जहां तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली के वितरण का सवाल है उससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर उत्तरी राज्यों के बीच वर्तमान बिजली वितरण की समस्याए इस फार्मूले से कहां तक हल हो जाएंगीं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जिन विद्युत स्कीमों के अन्तर्राज्यीय पहलू होते हैं उन स्कीमों से उत्पन्न की जाने वाली विद्युत के बंटवारे के बाबत सरकार ने कोई फार्मूला नहीं बनाया है।

तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र के सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत का आबंटन, निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर, किया जा रहा है :—

(1) 10 प्रतिशत क्षमता उस राज्य को आबंटित की जाती है जिसमें विद्युत केन्द्र स्थित है।

(2) 15 प्रतिशत क्षमता केन्द्र के पास गैर-आबंटित रहती है। यह विभिन्न लाभ प्राप्तकर्त्ता राज्यों को, विद्युत सप्लाई की स्थिति के अनुसार, अल्पकालीन आधार पर आबंटन किये जाने के लिए रहती है।

(3) शेष 75 प्रतिशत का आबंटन उस क्षेत्र के लाभ प्राप्तकर्त्ता राज्यों में निम्नलिखित दो बातों के आधार पर किया जाता है :

(क) गडगिल फार्मूले के अनुसार विभिन्न राज्यों को दी जा रही योजना सहायता।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई बिजली की खपत।

उपरोक्त बातों को बराबर-बराबर वजन दिया जाता है। वर्तमान परमाणु विद्युत केन्द्र से और केन्द्रीय क्षेत्र के जल विद्युत केन्द्रों से उत्पन्न विद्युत को आबंटित करने के बारे में कुछ निर्णय लिए गए हैं। तथापि, ये किसी निर्धारित फार्मूले पर आधारित नहीं हैं। केन्द्रीय क्षेत्र जल विद्युत केन्द्रों से उत्पन्न होने वाली विद्युत को आबंटित करने के लिए एक फार्मूले को स्वीकृति दे दी गई है। इसका स्वरूप करीब-करीब उसी प्रकार का है जो केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों सम्बन्धी फार्मूले का है, परन्तु जिस राज्य में परियोजना स्थित हो, उस राज्य को रायल्टी दिये जाने का प्रावधान भी इसमें है। तथापि, इस फार्मूले में कुछ संशोधन विचाराधीन हैं। जहां तक परमाणु विद्युत केन्द्रों से उत्पन्न विद्युत के आबंटन संबधी फार्मूले का प्रश्न है, सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(ग) लाभ प्राप्तकर्त्ता राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से विद्युत बांटने में किसी प्रकार की विशेष समस्याओं की परिकल्पना भारत सरकार ने नहीं की है। आबंटन सबंधी फार्मूले को लागू किए जाने से, लाभ प्राप्तकर्त्ता राज्यों को काफी समय पूर्व ही अपने हिस्से का पता चल जाएगा और वे तदनुसार ही अपने विद्युत कार्यक्रम की योजना बना लेंगे। बिजली की सप्लाई को पूरा करने में आने वाली किसी भी प्रकार की अल्पकालीन समस्याओं का यथासंभव समाधान केन्द्र के पास शेष रहे 15 प्रतिशत गैर आबंटित हिस्से में से किया जाएगा।

तिरुनिवेली और तूतीकोरिन में नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

1404. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1981 को तिरुनिवेली और तूतीकोरिन में नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने लोग थे;

(ख) सरकार नये कनेक्शन देने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची कब तक पूरी हो जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 31-12-1981 को प्रतीक्षा सूची :

तिरुनेलवेली : 257.

तूतीकोरिन : 389.

(ख) तूतीकोरिन में मौजूदा एक्सचेंज का 500 लाइनों से विस्तार किया जा रहा है तथा तिरुनेलवेली में एक नया स्वचल एक्सचेंज खोला जा रहा है।

(ग) जैसा कि भाग (ख) में निर्दिष्ट किया गया है, विस्तार कार्यक्रमों के पूरा हो जाने पर 1983-84 के अन्त तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज अधिकांश आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है।

लघु उद्योगों को सोडा ऐश की सप्लाई

1405. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडा ऐश के व्यापार पर कुछ कम्पनियों का एकाधिकार है और साबुन, कांच, डिटरजेंट अल्ट्रामैरीन ब्लू, केमिकल्स इत्यादि का उत्पादन करने वाले लघु उद्योगों को इसे प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है जिससे उनकी बेहतर निर्यात की सम्भावनाएं धूमिल हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यापार को अपने हाथ में लेकर लघु उद्योगों को इस सामग्री को नियंत्रित मूल्य में सप्लाई करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) इस समय देश में सोडा ऐश का निर्माण मै० टाटा कैमिकल्स लि०, मै० सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०, मै० ध्रांगधरा कैमिकल्स वर्क्स लि० और मै० उड़ीसा सीमेन्ट लि० (हरी फर्टिलाइजर्स) द्वारा किया जाता है। वर्ष 1978-79 और 1980 के प्रारम्भ में सोडा ऐश की कम आपूर्ति थी। सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप सोडा ऐश की उपलब्धता स्थिति बहुत सुधर गई है और अब सोडा ऐश बाजार में न्यूनाधिक निर्माताओं के मूल्यों के बराबर मूल्यों पर आसानी से उपलब्ध है।

सरकार द्वारा जनवरी, 1979 में जारी किए गये मार्ग दर्शनों के अन्तर्गत निर्माता सीधे ही बड़े, मध्यम और लघु क्षेत्र के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कम से कम उतनी मात्रा की सप्लाई कर रहे हैं जितनी मात्रा उनके द्वारा सामान्य सप्लाई वर्ष अर्थात कलैण्डर (वर्ष 1977) के दौरान प्राप्त की गई थी। ऐसी सीधी सप्लाई कुल उत्पादन का लगभग 86 प्रतिशत बैठती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में भडोंच स्थान पर गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करना

1406. **श्री छोटूभाई गामित :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने भडोंच में गैस पर आधारित तीसरे उर्वरक संयंत्र के लिए आवश्यक आशय पत्र के जारी किए जाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भडोंच के प्रस्तावित संयंत्र से प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड ने भरुच में गैस पर आधारित उर्वरक प्लांट लगाने के लिए औद्योगिकी लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र दिया है। गैस की कुल उपलब्धता, गुजरात और अन्य राज्यों के लिए उर्वरक की मांग और सप्लाई रुख और भरुच की तुलना में अन्य संभाव्य स्थानों पर प्लांट लगाने की सापेक्ष आर्थिकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। जिस हद तक स्वदेश में उर्वरक का उत्पादन होता है उस हद तक आयात को कम किया जाएगा जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

दिल्ली/नई दिल्ली में नए टेलीफोन एक्सचेंज

1407. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में अगले तीन वर्षों, अर्थात 1982, 1983 और 1984 के दौरान कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने हैं और कहां-कहां पर स्थापित किये जाने हैं;

(ख) प्रत्येक एक्सचेंज की टेलीफोन कनेक्शनों की क्षमता क्या होगी;

(ग) उपरोक्त अवधि में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने का अनुमान है; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि आबंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अगले तीन वर्षों के दौरान संस्थापित किये जाने वाले नए एक्सचेंजों का कार्यक्रम विवरण में दिया गया है।

(ख) एक्सचेंजों की जोड़े जाने वाली क्षमता विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान लगभग 75,000 कनेक्शन दिए जाने की संभावना है।

(घ) 1982-83 के बजट में 1646 लाख रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है। इसके बाद के वर्षों में अपेक्षित निधि की बाबत या कार्य की प्रगति को मद्देनजर रखते हुए की जायेगी।

विवरण

एक्सचेंज का नाम	दिल्ली में संस्थापित किए जाने वाले नए एक्सचेंज 1982-83		1983-84		1984-85	
	क्षमता	जोड़े जाने योग्य क्षमता	क्षमता	जोड़े जाने योग्य क्षमता	क्षमता	जोड़े जाने योग्य क्षमता
फरीदाबाद यूनिट-II	—	—	—	—	*1800	1692
चाणक्यपुरी-II	—	—	**10,000	9400	—	—
करोल बाग-III	**10,000	9400	—	—	@10,000	9400
किदवई भवन	—	—	—	—	@10,000	9400
नेहरू प्लेस	—	—	—	—	@10,000	9400
सेना भवन	—	—	—	—	@10,000	9400
शक्ति नगर	**10,000	9400	—	—	—	—
तीस हजारी	**10,000	9400	—	—	@10,000	9400
ईदगाह	**10,000	9400	—	—	@10,000	9400
शाहदरा	* 1,200	1128	—	—	—	—
योग :	41,200	38,728	10,000	9,400	61,800	60,092

*—स्ट्राउजर

**—आयातित क्रासबार

@—आयातित इलेक्ट्रानिक

पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युतीकृत किए गए गांव एवं कस्बे

1408. **डा० आर० रोथुआमा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मनीपुर, मेघालय, त्रिपुरा तथा नागालैण्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कितने गांवों, कस्बों का अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है;

(ख) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कितने गांवों का 1982-83 के दौरान विद्युतीकरण किया जाना है;

(ग) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के अधीन 1982-83 में कितनी धनराशि के आबंटन किए गए हैं अथवा किए जाने हैं; और

(घ) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक कितनी हाईडल/हाइड्रो बिजली परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं और डीज़ल इंजन लगाए गए हैं और इन राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों में कितनी योजनाएं चालू हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अक्तूबर, 1981 के अन्त तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ शासित राज्यों में विद्युतीकृत गांवों/शहरों की कुल संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य/संघ शासित राज्य	गांवों की कुल संख्या	अक्तूबर, 1981 के अंत तक विद्युतीकृत गांव	नगरों/शहरों की कुल संख्या	अक्तूबर, 1981 के अंत तक विद्युतीकृत नगर
मणिपुर	1949	334(*)	8	8
मेघालय	4583	765(**)	6	6
नागालैण्ड	960	408	3	3
त्रिपुरा	4727	1030	6	6
अरुणाचल प्रदेश	2973	366	4	4
मिजोरम	229	39	2	2

(*) 31-3-1981 की स्थिति के अनुसार।

(**) 30-9-1981 की स्थिति के अनुसार।

(ख) और (ग) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनायी जाती हैं तथा उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में

वर्ष 1982-83 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण का अनन्तिम कार्यक्रम, तथा सिफारिश किया गया वित्तीय आबंटन नीचे दिया गया है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिव्यय (लाख रुपये में)	गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य
मणिपुर	90.00	135
मेघालय	160.00	188
नागालैण्ड	132.00	45
त्रिपुरा	201.00	300
अरुणाचल प्रदेश	150.00	120
मिजोरम	100.00	29

(घ) विवरण उपाबन्ध में संलग्न है।

विवरण

31-1.1982 की स्थिति के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रतिष्ठापित तथा निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या (इनमें माइक्रो/लघु परियोजनाएं शामिल हैं) तथा प्रचालनाधीन डीजल इंजनों की प्रतिष्ठापित क्षमता दिखाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रचालनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या (इनमें माइक्रो/लघु परियोजनाएं शामिल हैं)	निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या (इनमें माइक्रो/लघु परियोजनाएं शामिल हैं)	प्रचालनाधीन डीजल इंजनों की प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	मिजोरम	—	—	6.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	9	2.40
3.	मणिपुर	1	1	9.81
4.	मेघालय	2	1	1.99
5.	त्रिपुरा	1	2	5.15
6.	नागालैण्ड	1	1	3.88

नई बम्बई के क्षेत्र को बम्बई टेलीफोन्स की स्थानीय प्रणाली में सम्मिलित किया जाना

1409. **श्री वी० एन० गाडगिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई बम्बई के क्षेत्र को बम्बई टेलीफोंस की स्थानीय प्रणाली के अन्तर्गत लेने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार बम्बई और नई दिल्ली के बीच आप्टीकल फाईबर केबल के द्वारा स्थायी चैनलों की व्यवस्था करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नई बम्बई में 1986 तक कम से कम 25,000 टेलीफोन तथा 5000 टेलेक्स लाईन के लिये इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। फिलहाल इस प्रकार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इन स्थानों के बीच सहध्रीय तथा सूक्ष्मतरंग साधनों के जरिए स्थायी सर्किट उपलब्ध है तथा उपग्रह साधन पर भी शीघ्र उपलब्ध हो सकेंगे।

(ग) जी, नहीं। फिलहाल, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जीवन रक्षक औषधियों का बाजार में उपलब्ध न होना

1410. **श्री डुमर लाल बैरा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी संख्या में जीवन रक्षक औषधियों कच्चे माल की कमी अथवा मूल्य वृद्धि के कारण बाजार में उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) क्या यह सच है कि निर्माताओं ने इन औषधियों का उत्पादन भी कम कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ताकि ये औषधियां बाजार में बिक्री के लिये उपलब्ध हो सकें।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) बाजार में औषधों की उपलब्धता की लगातार देखरेख की जाती है। हमारे बाजार में काफी बड़ी संख्या में ब्रांण्ड फार्मूलेशन हैं। कभी-कभी इनमें से कुछ की कुछ स्थानीय बाजारों में कम सप्लाई रहती है। इनमें से अधिकतर मामलों में या तो अन्य ब्राण्ड़ों के समान उत्पाद उपलब्ध रहते हैं या स्थानीय कमी कम समय के लिए ही रह पाती है। यह कभी-कभी

ही अपवाद रहता है और फिलहाल सिर्फ एक ही है, यानि इन्ट्रावल सोडियम इंजेक्शन। ऐसा लगता है कि इस औषध की उपलब्धता अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बल्क औषध की सप्लाई में कमी के कारण प्रभावित है।

80 महत्वपूर्ण बल्क औषधों के निर्माण की भी देखरेख की जाता है। ऐसे औषधों की बड़ी संख्या का उत्पादन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1981 के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि कुछ मामलों में उत्पादन में कमी आई है। उत्पादन में कमी बिजली कटौती, औद्योगिक अशांति, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की सीमित उपलब्धता और मांग में बाधा या शिफ्ट जो बेहतर और अधिक प्रभावी औषधों जैसे विभिन्न कारणों में होती है। सरकार समय-समय पर आवश्यक औषधों के स्वदेशी उत्पादन के रुख की समीक्षा करती है। मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच भी कमी को पूरा करने के लिये आयात की अनुमति दी जाती है। सरणीकृत एजेन्सियों के माध्यम से उसकी स्वदेशी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए आयात करती है। औद्योगिक अंशांति के मामले में मेरा मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत करता है।

आवश्यक औषधों और दवाइयों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियत किए गए मूल्य के विरुद्ध अभ्यावेदन के मामले में मेरा मंत्रालय मूल्य की समीक्षा करता है।

गुजरात डाक-तार परिमण्डल के लिये सलाहकार समितियां

1411. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार के गुजरात परिमंडल के लिये सलाहकार समितियां बना दी गई हैं और यदि हां, तो कब;

(ख) इन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या विपक्षी दलों के सदस्यों को भी इन समितियों में लिया गया है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछली समितियों में कुल कितने सदस्य थे और वर्तमान समितियों में कितने सदस्य है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गुजरात सर्किल के लिए डाक सलाहकार समिति का पुनर्गठन 1 जनवरी, 1982 से हुआ है।

गुजरात सर्किल के लिए दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन अभी तक नहीं किया जा सका है।

(ख) डाक सलाहकार समिति में विभिन्न हितों के व्यक्तियों का नामांकन राज्य सरकार की सिफारिशों और संसद सदस्यों का नामांकन संसदीय कार्य विभाग की सिफारिशों पर किया जाता है। डाक सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची विवरण में दी गई है।

(ग) गुजरात सर्किल की पिछली डाक सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या 15 थी तथा मौजूदा डाक सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या 13 है। गुजरात सर्किल के लिए मौजूदा डाक सलाहकार समिति में विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों का अभी नामांकन किया जाना है।

गुजरात राज्य की पिछली दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्यों की कुल संख्या 12 थी।

विवरण

वर्ष 1982-83 के लिए गुजरात सर्किल की डाक सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1. राज्य विधान सभा/परिषद का प्रतिनिधि	श्री कृष्णवादन धनसुखलाल, पांचीगढ़, एम० एल० ए०
2. राज्य सरकार का नामित व्यक्ति	1. श्री शशिकांत एच० पारिख संयुक्त सचिव, गुजरात सरकार, 2. कलेक्टर, दमन
3. राज्य सरकार का गैर-सरकारी नामित	प्रो० एन० टी० हिंगोरानी
4. ग्रामीण हितों का नामित	श्री दीपक भाई के० चौधरी
5. प्रेस का नामित	श्री अम्मा सेठ
6. व्यापार तथा वाणिज्य का नामित	1. अध्यक्ष, गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, अहमदाबाद, 2. अध्यक्ष, दक्षिण गुजरात वाणिज्य मंडल सूरत, 3. अध्यक्ष, केन्द्रीय गुजरात वाणिज्य मंडल बड़ौदा 4. अध्यक्ष, सौराष्ट्र वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, भावनगर
7. लघु उद्योगों का नामित	श्री मनुभाई पारिख अध्यक्ष, गुजरात लघु उद्योग फेडरेशन अहमदाबाद
8. संसद सदस्य	श्री वी० के० गाधवी, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री एम० हुसैन गोलंदाज, संसद सदस्य (राज्य सभा)

क्लोरेमफ़ेनिकोल पाउडर तथा एस्टर्स की मांग

1412. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लोरेमफेनीकोल पाउडर तथा उसके एस्टर्स की मांग की पूर्ति मूल अवस्था के दोनों निर्माताओं द्वारा पूरी की जा सकती है; और

(ख) सरकार लघु क्षेत्र के एककों से इस दिशा में क्या योगदान की आशा करती है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) क्लोरेमफेनीकोल का मूल स्तर से निर्माण करने वाले दो निर्माताओं को प्रदान की गई लाइसेंस-शुदा क्षमताएं इस समय समस्त मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं ।

(ख) देश की मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए छोटे मैपाने के यूनिटों द्वारा क्लोरमफेनीकोल पाउडर और पामीटेट का निर्माण जारी रखने की सम्भावना है ।

ये आवश्यक है कि देश इन महत्वपूर्ण औषधों का मूल स्तर से निर्माण करने के लिए पर्याप्त क्षमता स्थापित करे । अतः सरकार मूल स्तर से निर्माण को प्रोत्साहन देगी और मूल स्तर से निर्माण के लिए आयातित मध्यवर्तियों पर निर्भर करने वाले किसी भी एकक को परिवर्तित किये जाने का स्वागत करेगी ।

बिहार में किन्हीं डाक डिवीजनों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1413. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी डाक डिवीजनों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की पूरी सूची क्या है और उनमें से प्रत्येक में पिछले तीन वर्षों में कितने ट्रंक काल वास्तव में की गई;

(ख) उपरोक्त जिलों के कितने खण्ड मुख्यालयों में अभी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं हैं तथा उनमें कब तक ये लगाये जायेंगे; और

(ग) क्या शहरघाट तथा परसौनी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से मधुबनी के जिला मुख्यालयों में एक भी ट्रंक काल नहीं हो सका; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ईस्टर्न कोर्ट में काम कर रहे डाक-तार विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को 10 रु० मूल्य के कूपन दिया जाना

1414. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोर्ट में काम करने वाले डाक-तार विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को 19 जनवरी, 1982 को 10 रु० के मूल्य के कूपन दिए गए थे;

(ख) 19 जनवरी, 1982 को कर्मचारियों में क्या अन्य वस्तुएं वितरित की गई थी;

(ग) कर्मचारियों को 19 जनवरी, 1982 को कूपन, शराब, नकदी तथा अन्य सामान देने के लिए कितनी राशि व्यय की गई थी; और

(घ) यह राशि लेखों में किस प्रकार दिखाई गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यह सच है कि 19 जनवरी, 1982 को ईस्टर्न कोर्ट स्थित केन्द्रीय तार घर में ड्यूटी देने वाले उन अधिकांश डाक तार कर्मचारियों को 10 रुपये के कूपन दिए गए थे ताकि यातायात व्यवस्था ठप्प हो जाने की स्थिति में आवश्यक सेवाएं जारी रखने के लिए वे कैन्टीन से खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकें।

(ख) खाद्य पदार्थों के अलावा कैंटीन से अन्य कोई वस्तु कर्मचारियों को नहीं बांटी गई थी।

(ग) खाद्य पदार्थों हेतु प्रत्येक के लिए 10 रु० के कूपन जो केवल कैंटीन में इस्तेमाल किए जाने थे के अतिरिक्त कर्मचारियों को और कोई वस्तु नहीं उपलब्ध कराई गई थी। इस पर 21,740.00 रुपए व्यय हुए थे।

(घ) इस रकम को आकस्मिक व्यय के अन्तर्गत हिसाब में लिया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस० एन० कुमार के मामले का पुनरीक्षण

1415. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संवैधानिक न्यायपीठ के पांच न्यायाधीशों की इस इच्छा को देखते हुए कि सरकार को श्री एस० एन० कुमार के मामले का पुनरीक्षण करना चाहिए, श्री एस० एन० कुमार के मामले में कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) इस विषय की समीक्षा की जा रही है।

ज्वार-भाटा लहरों से बिजली के विकास का कार्यक्रम

1416. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ज्वार-भाटा लहरों से बिजली के विकास का अध्ययन तथा जांच करने का है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए किसी योजना पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम को निकट भविष्य में कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए अन्वेषण कार्य करने तथा अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक स्कीम स्वीकृत की है। अन्वेषण कार्य शुरू किए जा चुके हैं।

(ग) प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यों के लिए 218.38 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(घ) अन्वेषण सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य पांच वर्ष की अवधि में किए जाने का कार्यक्रम है। भारतीय सर्वेक्षण, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय डिजाइन संगठन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा कई अन्य संगठन इन अध्ययनों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में भाग लेंगे। अध्ययनों के सबंध में मार्गदर्शन करने मानीटरिंग करने तथा समन्वय करने के लिए सरकार ने एक तकनीकी समन्वय समिति का भी गठन किया है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण इस क्षेत्र में कुछ प्रारम्भिक भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करेगा।

कोयला खनन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

1417. **श्री दौलत राम सारन :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब के कारण लगभग सात कोयला खनन परियोजनाओं की लागत में लगभग 133 प्रतिशत वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और उनमें कितना विलम्ब हुआ है तथा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए मुख्य कारण क्या हैं और मूल अनुमानित लागत की तुलना में उनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब को कम से कम करने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं। सातों परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि जिन विभिन्न कारणों से हुई है वही कारण परियोजनाओं को लागू करने में विलम्ब के लिए भी जिम्मेदार हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1. भा. को. को. लि.	में	सुदामडीह
2. ,,	,,	मूनीडीह
3. ई. को. लि.	,,	चिनाकुरी
4. ,,	,,	धेमोमेन
5. से. को. लि.	,,	रामगढ़ ओ. का.
6. ,,	,,	झींगुरदा ओ. का.
7. वे. को. लि.	,,	राजगमर

देरी की अवधियां तीन से सोलह वर्ष तक रही हैं और कीमतों में .9% से 617% तक वृद्धि होने का पूर्व-अनुमान है। इन परियोजनाओं को लागू करने में विलम्ब के कारण मोटे तौर पर निम्नलिखित हैं :—

(i) समय पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब।

(ii) खानों के विकास के दौरान मिली कठिन भू-खनन स्थितियां और/या इन भंडारों पर काम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपलब्ध न होना।

(iii) संयंत्र और मशीनों का उपलब्ध न होना।

(ग) (i) संबंधित राज्य सरकारों का सहयोग मांगा गया है और कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता के लिए और कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए मंत्री स्तर तक वार्ता हुई हैं। इन सब के परिणामस्वरूप काफी सुधार हुआ है।

(ii) चुनींदा क्षेत्रों में विदेशी परामर्श सेवाएं और तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं और साध्यता रिपोर्टों में संशोधन किए जा रहे

हैं और उनमें आधुनिक खनन मानदण्ड और कठिन भू-खनन स्थितियों से निपटने की प्रणालियां सम्मिलित की जा रही हैं।

(iii) संयंत्र और मशीनरी खरीदने की प्रक्रियाओं को युक्तिपूर्ण बना दिया गया है; और

(iv) परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी का कार्य कोल इंडिया लि० और सहायक कम्पनियों के स्तर पर शुरू किया गया है। कोयला विभाग में भी इस उद्देश्य के लिए एक कक्ष स्थापित किया गया है।

जोगदा कोयला खानों में आग बुझाने की परियोजना

1418. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने झरिया की जोगदा कोयला खानों में पिछले 70 वर्षों से लगी आग को बुझाने के लिए 180 करोड़ रु० की परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) आग के कब तक बुझाये जाने की आशा है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जोगदा कोलियरी में पिछले 40 वर्षों से लगी हुई आग को बुझाने के लिए भारत कोकिंग कोल लि० ने जो परियोजना बनाई है उसकी लागत का अनुमान रु० 11.03 करोड़ रु० लगाया गया है।

(ख) आग बुझाने के लिए इस परियोजना के अधीन निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(i) ऊपरी मलवा और मिट्टी को सतह पर फैला कर।

(ii) बोर-छेदों से फ्लाई ऐश को गैलरियों में डालना।

(iii) बोर-छेदों से दबाव के जरिए पानी को अन्दर डालना।

(iv) गर्म कोयले को खोदकर बाहर निकालना।

(v) गर्म मलवे को ठंडा करना और खोद कर बाहर निकालना।

परियोजना में 2 शावेल, 20 डम्पर और 3 डोजर हैं। सतह को ढकने के बाद साढ़े तीन वर्षों तक आग पर निगरानी रखी जाएगी और इस अवधि के दौरान बोर-छेदों से हवा के

नमूने लिए जाएंगे और भूमिगत आग की स्थिति जानने के लिए उनका विश्लेषण किया जाएगा।

(ग) अब तक हुई प्रगति के आधार पर परियोजना के मार्च, 1983 तक पूरा हो जाने की आशा है।

उर्वरक संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में सुधार

1419. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक उद्योग में क्षमता का उपयोग 60 से 65 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाता।

(ख) क्या यह भी सच है कि उद्योग को नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब का भी सामना करना पड़ता है जिसके कारण परियोजना की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनमें विलम्ब का पता चला है और उनको शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) विभिन्न संयंत्रों के क्षमता उपयोग को बढ़ाने के लिये क्या विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं और इस बारे में यदि कोई कार्यक्रम तैयार किये गये हैं तो क्या ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1981-82 (अप्रैल 1981-जनवरी, 1982) के प्रथम दस महीनों के दौरान उर्वरक उद्योग का क्षमता उपयोग नाइट्रोजन के लिए 66.3 प्रतिशत और पी2 ओ5 के लिए 69.6 प्रतिशत है।

(ख) कुछ उर्वरक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है, जिसके परिणाम-स्वरूप मूल्य वृद्धि हो रही है और कार्यान्वयन की निर्धारित अवधि से पिछड़ने के कारण उर्वरकों का कम उत्पादन हो रहा है।

(ग) असम में अशान्त स्थिति के कारण नामरूप-III नामक कार्यान्वयनाधीन परियोजना में कार्य प्रारंभ होने में लगभग 12 महीने का विलम्ब हुआ है तथापि, अब इस परियोजना का निर्माण कार्य बगैर कठिनाई के चल रहा है।

इसके अतिरिक्त हल्दिया, ट्राम्बे 5 और भरुच प्लांटों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने में विलम्ब हो रहा है जो यांत्रिक रूप में पूरा है। सर्व प्रथम बिजली की पर्याप्त मात्रा की अनुपलब्धता और बाद में चालू करने के दौरान कुछ उपकरणों में पाई गई त्रुटि के कारण हल्दिया प्लांट में वाणिज्यिक उत्पादन रुक गया। भरुच प्लांट को चालू करने के दौरान यांत्रिक

समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और ट्राम्बे 5 प्लांट जल की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित है। इन प्लांटों में हो रही समस्याओं की ओर प्लांट प्राधिकारियों और सरकार का ध्यान आकृष्ट हो रहा है।

(घ) उर्वरक प्लांटों के क्षमता उपयोग में सुधार लाने के लिए प्लांट संचालन सुधार कार्यक्रम, कैप्टिव पावर जेनरेशन सुविधा लगाने और संतुलन उपकरणों को लगाने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

कोयला खनन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक की सहमति

1421. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व बैंक से ऐसा कोई संकेत प्राप्त हुआ है कि वह भारत में कोयला खनन परियोजनाओं का वित्त पोषण करने को सहमत है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स पुंज एंड सस को नई दिल्ली में भूमि के आवंटन की जांच

1422. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच समिति बनाने का है कि मैसर्स पुंज एण्ड संस को 1.33 करोड़ रुपये की कीमत पर कालकाजी, नई दिल्ली में 7 एकड़ भूमि का आवंटन किस प्रकार किया गया जबकि इस भूमि का बाजार मूल्य 6.5 करोड़ रुपये से ऊपर है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जबकि मैसर्स पुंज एंड संस (प्राईवेट) लिमिटेड को अभी तक कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है, जिस मूल्य की पेशकश पहले की गई थी वह दिल्ली में सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए विभाग द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार है।

दिल्ली की कोयले की मांग

1423. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए प्रति मास कितने कोयला बैगनों की जरूरत रहती है;

(ख) दिल्ली को पिछले 6 महीनों में प्रति मास कितने कोयला वैगनों की सप्लाई की गई;

(ग) क्या यह सप्लाई पर्याप्त है;

(घ) क्या इससे दिल्ली में कोयले की काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है; और

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी प्राधिकरण कौन है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) दिल्ली में साफ्ट कोक की जरूरत अक्टूबर से मार्च के दौरान 1200 वैगन प्रति माह और अप्रैल से सितम्बर के दौरान 800 वैगन प्रति माह होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) पिछले छः महीनों में सप्लाई इस प्रकार रही है :—

सितम्बर	693 वैगन
अक्टूबर	637 वैगत
नवम्बर	1020 ,,
दिसम्बर	1120 ,,
जनवरी	587 ,,
फरवरी	677 ,,

(ग) सितम्बर-दिसम्बर, 1981 में साफ्ट कोक की उपलब्धि में कुछ थोड़ी कमी रही थी।

(घ) चोर बाजारी की कोई घटना दिल्ली प्रशासन की जानकारी में नहीं आई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई विद्युत परियोजनाएं

1424. **श्री जयनारायण रौत** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्य बिजली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक दर्जन नई विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट पेश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने निम्नलिखित चार परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं :—

1. पालना लिगनाइट ताप विद्युत स्कीम (2×60 मेगावाट)
2. मंगरोल में दांई मुख्य नहर जल विद्युत परियोजना (3×2 मेगावाट),
3. माउंट आबू जल विद्युत परियोजना (2×1.25 मेगावाट),
4. सूरतगढ़ नहर मिनी जल विद्युत परियोजना (2×1.5 मेगावाट) ।

(ग) पालना लिग्नाइट ताप विद्युत स्कीम और दांई मुख्य नहर जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है ।

माउंट आबू जल विद्युत परियोजना की रिपोर्ट को जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में की गई है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा परियोजना प्राधिकारियों से है ।

सूरतगढ़ नहर मिनी जल विद्युत परियोजना की रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है ।

तापीय बिजली घरों में दैनिक हानियों की मात्रा

1425. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के तापीय बिजली घरों में 1976-77 से लेकर अब तक प्रत्येक बिजली घर में कितनी दैनिक हानि हुई;

(ख) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त उपायों से क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ताप विद्युत उत्पाद युनिटों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन, मेगावाट में उनकी उत्पादन क्षमता, मिलियन यूनिटों में उपलब्ध उत्पादन तथा संयंत्र भार अनुपात के रूप में लिया जाता है । उपलब्धता तथा संयंत्र भार अनुपात के बीच का अन्तर, आंशिक अनुपलब्धता तथा प्रणाली की मांग के कारण हुई हानि का सूचक होता है । उपलब्धता और 100 प्रतिशत के बीच जो अन्तर होता है वह अनुरक्षण और मरम्मत के कारण हुई ऊर्जा की हानि का सूचक है; इसे क्रमशः नियोजित बन्दी/जबरन बन्दी नाम दिया

जाता है। वर्ष 1976-77 से 1981-82 तक (अप्रैल से जनवरी, 1982 तक) की अवधि के दौरान ताप विद्युत कार्य-निष्पादन का केन्द्रवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है (विवरण I और II) (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3460/82)

(ख) ताप विद्युत केंद्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) संयंत्र और उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाने और समयबद्ध रूप में संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और इस कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केंद्र के प्राधिकारियों की सहायता करना;

(2) बंदी की अवधियों को कम करने के लिए, सुरक्षात्मक अनुरक्षा तकनीकें अपनाना;

(3) फुटकर पुर्जों की सप्लाई समय पर किये जाने की व्यवस्था करना।

(4) कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध करना;

(5) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, इन्स्ट्रमेंटेशन लिमिटेड कोटा और राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कृतिक बलों का गठन करना ताकि 200 मेगावाट/110 मेगावाट तथा 120 मेगावाट के यूनिटों की कमियों का पता लगाया जाय और इनका शीघ्र स्थिरीकरण करने और इनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाय;

(6) प्रचालन की पद्धतियों की मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरे तथा सलाह;

(7) विद्युत केंद्रों के इंजीनियरों को और प्रचालन व अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

(ग) अब तक उठाए कदमों के परिणामस्वरूप, देश में ताप विद्युत केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन जो अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान 43.6% था, बढ़कर अप्रैल, 1981 से जनवरी 1982 के दौरान 43.8% हो गया है।

पुनर्वास विभाग द्वारा दिये जाने वाले कार्य एवं परियोजनाएं

1426. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास विभाग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य पहले ही पूरे हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विभाग को इसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखा जायेगा; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधप्र गोमांगो) : (क) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आए विस्थापित व्यक्तियों, युगाण्डा, मोजाम्बिक, जैरे तथा वियतनाम से आए प्रत्यावासियों के पुनर्वास का कार्य पूरा होने और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासियों एवं वर्मा प्रत्यावासियों के पुनर्वास का कार्य लगभग पूरा हो जाने से पुनर्वास विभाग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य आंशिक रूप से पूरा हो गया है।

(ख) जी, हां। इस विभाग को जारी रखने का प्रस्ताव है जिसके कारण हैं : – (1) श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों के पुनर्वास का कार्य वर्तमान दशक के अन्त तक जारी रहने की संभावना है, (2) तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य भी जारी है, और (3) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का अवशिष्ट कार्य सीमित पैमाने पर चल रहा है।

काम के धीरे-2 कम होने के साथ, विभाग तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों की खंख्या उचित रूप में कम कर दी गई है/की जा रही है।

श्रीलंका से आए तमिल विस्थापितों का पुनर्वास

1427. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत और बंगला देश से आए शरणार्थियों को अधिकतम राज सहायता तथा उनके पुनर्वास की योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) क्या श्रीलंका से आए विस्थापितों को उनके पुनर्वास स्थान का निर्णय करने के लिए उन्हें एक भी मौका नहीं दिया गया और भारत सरकार ने उनके भाग्य का एकतरफा निर्णय करके पुनर्वास कार्यक्रम में उन्हें सब से नीचे प्राथमिकता दी है;

(ग) क्या यह सच है कि 5700 तमिल विस्थापितों को मंडपम कैम्प में एक कमरे वाले 475 हटमेंट में रखा गया है और इन कमरों में न तो पानी का प्रबन्ध है, न खिड़कियां हैं और न ही बिजली है; और

(घ) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) किसी भी समय श्रीलंका से आए 5700 प्रत्यावासी मंडपम शिविर में नहीं ठहराए गए। शिविर के सभी कमरों में उचित रोशनदानों तथा बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिविर में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी भी उपलब्ध है।

(घ) मंडपम शिविर एक मार्गस्थ शिविर है और प्रत्यावासियों को वहां ठहराने के पश्चात् दक्षिणी राज्यों में उनके पुनर्वास के लिए निश्चित किए गए स्थानों पर उन्हें भेज दिया जाता है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन

1428. **श्री आर० प्रभु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अनुच्छेद 21, 22 और 23 के अन्तर्गत 1980 में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऊपर भाग (क) में बताए गए कितने मामले ऐसे थे जिन पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं; और

(ग) इन मामलों का ब्यौरा क्या है और उन कम्पनियों के नाम, रखे गए प्रस्तावों का स्वरूप तथा इनमें कितनी पूंजीगत धनराशि शामिल है और यह मानने के क्या कारण हैं कि अधिनियम के उपबन्ध इन पर लागू नहीं होते हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) वर्ष 1980 की अवधि में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 184 आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये थे।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में विनिर्दिष्ट आवेदन पत्रों की संख्या में से 7 मामलों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्ध प्रयोज्य नहीं पाये गये।

(ग) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत वर्ष 1980 की अवधि में आवेदन-पत्रों में से आवेदन-पत्र, जिसमें यह पाया गया कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होते थे

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	किये गये प्रस्ताव की प्रकृति	पूंजी लागत	धारण के कारण कि अधिनियम लागत के उपबन्ध लागू नहीं होते थे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै० दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड	नये माल का विनिर्माण अर्थात् होशियारपुर, पंजाब में विद्यमान	50 लाख रु.	प्रस्ताव एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की

1	2	3	4	5
		उपक्रम में फाउन्ड्री रेसिन्स का 750 टन प्रतिवर्ष		धारा 21 की परिभाषा में भारी विस्तार का नहीं बनता था।
2.	मै० एमाइन्स एण्ड प्लास्टीसाइजर्स लि.	निम्नलिखित का विनिर्माण : (1) आक्सीजन का 1.00 मिलियन क्यूबिक मीटर, (2) एसेटोलीन गैस का 0.5 मिलियन क्यूबिक मीटर और (3) नाइट्रोजन का 0.5 मिलियन क्यूबिक मीटर	218.50 लाख रु.	कम्पनी को इथोनोलामाइंस और प्लास्टिसाइजर्स के विनिर्माण के लिये प्रमुख उपक्रम के रूप में पंजीकृत किया गया था। अत्यावश्यक प्रस्ताव नये मदों के उत्पादन से सम्बन्धित था जो उनसे भिन्न था जिसमें कम्पनी प्रमुख थी। इस प्रकार के मामलों में अधिनियम की धारा 21 या 22 के उपबन्ध प्रभावित नहीं होते हैं।
3.	मै० जूरी एग्रो कैमिकल्स लिमिटेड	12 करोड़ रु० का निवेश करके मै० नागार्जुन फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड का अधिग्रहण	कुछ नहीं	मै० नागार्जुन फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड जिसके शेयरों को खरीदने का प्रस्ताव किया गया था, वह अधिनियम की धारा 2(5) की परिभाषा में उपक्रम नहीं था और इस प्रकार से अधिनियम की धारा 23(4) के उपबन्ध कम्पनी के प्रस्ताव में लागू नहीं होते थे।
4.	मै० एनफील्ड इंडिया लिमिटेड	5 लाख रु० के निवेश करके मै० एनफिल्ड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के	कुछ नहीं	मै० एनफिल्ड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड जिसके शेयरों को खरीदने का प्रस्ताव

1	2	3	4	5
		शेयरों का अधिग्रहण		किया गया था, वह अधिनियम की धारा 2(5) की परिभाषा में उपक्रम नहीं था और इस प्रकार से अधिनियम की धारा 23(4) के उपबन्ध कम्पनी के प्रस्ताव में लागू नहीं होते थे।
5.	मै० इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	20 लाख रु० के निवेश करके मै० इक्यूमैंट सर्विस एण्ड मैन्टेनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड के शेयरों का अधिग्रहण	कुछ नहीं	मै० इक्यूमैंट सर्विस एण्ड मैंटेनेन्स कारपोरेशन लि० जिसके शेयरों को खरीदने का प्रस्ताव किया गया था वह अधिनियम की धारा 2(5) की परिभाषा में उपक्रम नहीं था और इस प्रकार से अधिनियम की धारा 23(4) के उपबन्ध कम्पनी के प्रस्ताव में लागू नहीं होते थे।
6.	मै० पीइको इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	18.3 मिलियन मीटर से 55 मिलियन मीटर प्रति वर्ष विशेष वैल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का विनिर्माण	70.7 लाख रु०	प्रस्ताव को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21(4) के अन्तर्गत मुक्त पाया गया।
7.	मै० उत्कल मशीनरी लिमिटेड	नये मद का विनिर्माण अर्थात् विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनरी के लिये विद्यमान सम्पूर्ण 12,000 रु० वार्षिक लाइसेंस क्षमता के अन्दर 200 टन की क्षमता के अन्दर 5 मै० डब्ल्यू तक हाईड्रोलिक डरबाइन्स	कुछ नहीं	विस्तार प्रस्ताव एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 की परिभाषा के अन्दर नहीं था।

पेंनिसिलीन संयंत्र का विस्तार

1429. **श्री राम कृष्ण (मोरे) :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 250-300 एम० एम० यू० पेंनिसिलीन का प्रतिवर्ष उत्पादन करने के लिए सरकार ने पेंनिसिलीन संयंत्र के विस्तार के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इससे प्राप्त अतिरिक्त पेंनिसिलीन को 6 ए० पी० ए० पेंनिसिलीन में बदलने के लिए उपयोग किया जाएगा जिसके लिए 4 करोड़ रुपये का अलग संयंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० पिम्परी में इस समय एक ही फरमेंटर चल रहा है और 11 से 12 फरमेंटर बन्द पड़े हैं जब कि सरकार को करोड़ों रुपये के 6 ए० पी० ए०/एम्पीसिलीन का आयात करना पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार ने कम्पनी को पेंनिसिलीन के उत्पादन में कटौती करने तथा बहुत मात्रा में 6 ए० पी० ए० के आयात की अनुमति दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने 105 एम० एम० यू० से 200 एम० एम० यू० के पोटेशियम पेंनिसिलीन जी० (प्रथम क्रिस्टल) उर्वरक का निर्माण करने और 5 टन से 30 टन तक पोटेशियम पेंनिसिलीन जी० पर आधारित एम्पीसिलिन की क्षमता में विस्तार के लिए क्रमश: 289.81 लाख रुपये और 313 लाख रुपये के परिव्यय से हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०) के विस्तार की मंजूरी दी है।

(ख) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०) के पास 4 छोटे फरमेंटर और 2 बड़े फरमेंटर हैं और 6 ए० पी० ए० प्लांट के चालू होने में विस्तार के कारण फिलहाल वे 2-3 फरमेन्टर ही चला रहे हैं जो एच० ए० एल० की अपनी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं और जिनका पहली बार विकास किया जा रहा है। 6 ए० पी० ए०/एम्पीसिलिन प्लांट जुलाई, 1981 में संचालन के लिए यांत्रिक रूप में तैयार था किन्तु अपेक्षित अतिरिक्त बिजली की अनुपलब्धता के कारण चालू नहीं किया जा सका। संचालन पूर्व परीक्षण पूरे हो गए हैं और प्लांट का चरणवार संचालन प्रारंभ हो गया है।

(ग) चूंकि देश में 6 ए० पी० ए० का निर्माण आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए परिसीमित आधार पर आयात की अनुमति दी गई है।

बिहार में खोले गए डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1430. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिलावार उन स्थानों की संख्या कितनी है जिनमें 1977-78 से 1981-82 के बीच डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) डाक-तार विभाग का हजारी बाग और गिरडीह जिलों के लिए 1977 से 1982 तक के कार्यक्रम का खपतवार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में डाकघर या डाकघर की शाखा खोली गई थी और यदि नहीं, तो बाकी स्थानों में ये कब तक खोल दिए जाएंगे; और

(घ) छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में गांवों के बीच की दूरियों को ध्यान में रखकर वहां डाक घर की दो शाखाएं खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि

1431. **श्री बाल कृष्ण वासनिक : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि के कार्यक्रम क्या हैं;

(ख) जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से 1981-82 में अस्थाई टेलीफोन कनेक्शनों सहित विभिन्न श्रेणियों में कितने कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) इस एक्सचेंज से वर्ष 1982 में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कितने टेलीफोन कनेक्शन देने की संभावना है; और

(घ) जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज में 30 अप्रैल, 1980 तक नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को नान-ओ० वाई० टी० सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत कब तक कनेक्शन मिलाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में विस्तार का कार्यक्रम नीचे दिया गया है :—

जनपथ-11 (32) 1982-83 - 1000 लाइनें।

1983-84—2000 लाइनें।

(ख) 1981-82 के दौरान चालू किए गए कुल टेलीफोन कनेक्शन नीचे दिए गए हैं :—

ओ० वाई० टी०—51; गैर-ओ० वाई० टी०—99,

विशेष 13; अस्थाई—77 कुल—240.

(ग) प्राथमिकता वाले मामलों के सिवाय मार्च, 1982 में कोई कनेक्शन देने की संभावना नहीं है।

(घ) उन्हें 1983-84 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है।

अखिल भारतीय डाक तार सांस्कृतिक प्रतियोगिता

1432. **डा० वसंत कुमार पंडित : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात कम्यूनिकेशन सर्किल ने दिसम्बर, 1981 में 27वीं अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया था;

(ख) इस समारोह पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई और इसमें से कितनी धनराशि डाक तार ने निदेशालय के अनुदान के रूप में दी तथा कितनी धनराशि सोवीनार के लिए विज्ञापन आदि जैसे स्रोतों से प्राप्त की गई;

(ग) क्या महाप्रबन्धक ने 6 अक्तूबर, 1981 को एक पत्र जारी करके डाक तार विभाग के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सरकारी तौर पर विज्ञापन/दान प्राप्त करने तथा एकत्रित की गई धनराशि पर 10 प्रतिशत कमीशन देने का निदेश दिया था;

(घ) क्या राजकोट, अहमदाबाद, बडौदा और सूरत के निदेशकों/प्रबन्धकों ने सरकारी निदेशों का पालन किया और जूनियर इंजीनियर के स्तर तक के सभी कर्मचारियों के लिए विज्ञापन प्राप्त करने हेतु न्यूनतम कोटा निर्धारित किया था; और

(ङ) सरकार उक्त सरकारी निदेशों को कहां तक न्योयोचित मानती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) अहमदाबाद में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय डाक-तार सांस्कृतिक प्रतियोगिता पर कुल 1,23,000 रुपये व्यय किए गए। डाक-तार निदेशालय द्वारा मंजूर किया गया, 78,000 रुपये का अनुदान भी इसमें शामिल है। विज्ञापनों से कुल 85,000 रुपये संग्रहीत हुए।

(ग) जी नहीं। परन्तु सचिव, खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, गुजरात सर्किल, अहमदाबाद ने स्मारिका हेतु विज्ञापन प्राप्त करने के लिए अपील की थी तथा विज्ञापन प्राप्त करने हेतु मानदेय के रूप में एवं परिवहन खर्चे के बतौर राजस्व का 10 प्रतिशत डाकतार कर्मचारियों को अदा किया गया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता। सचिव, डाकतार क्षेत्रीय खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, गुजरात सर्किल, अहमदाबाद द्वारा यह अपील गुजरात सर्किल में पोस्टमास्टर जनरल, महाप्रबन्धक टेलीफोन तथा सभी जिला प्रबंधक टेलीफोन निदेशक दूरसंचार/डाक सेवाएं मंडल इंजीनियर/

अधीक्षक डाकघर, वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, वरिष्ठ अधीक्षक तार परियात की गई थी। ऐसे विज्ञापनों को एकत्र करने के लिए कोई निम्नतम कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

(ङ) विज्ञापन विभागीय नीति के अनुसार स्वीकार किए गए थे । ऐसे अवसरों पर व्यय को अंशतः विभाग द्वारा किए गए अनुदान से पूरा किया गया था तथा अंशतः ऐसी स्मारिकाओं में प्रकाशित दत्त विज्ञापनों में हुई आय से पूरा किया गया ।

नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

1433. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है तथा ये कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार "डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम" सुविधा कुछ और अधिक स्थानों में भी उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उत्तर-प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) नए एक्सचेंज स्थापित करने से कितने प्रयोक्ता लाभान्वित होंगे ?

सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) 1982 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 350 नए छोटे स्वचल एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है । इन एक्सचेंजों का सही स्थान उपस्कर प्राप्त होन के समय मौजूदा मांग पर निर्भर करेगा ।

(ग) जी, हां । यातायात और लाभकारिता के आधार पर जिन क्षेत्रों में औचित्य पाया जाएगा वहां पर सीधी डायल सेवा प्रदान की जाएगी ।

(घ) तथा (ङ) छठी योजना के दौरान मिर्जापुर में सीधी डायल सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है ।

(च) 1982 के दौरान देश में प्रस्तावित नए एक्सचेंजों से लगभग 13,000 उपभोक्ता संभवतः लाभान्वित होंगे ।

आग से कोयले का नुकसान

1434. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्रों में लगी आग से अब तक अनुमानतः कितने कोयले का नुकसान हुआ है;

(ख) क्या सरकार आग रोकने तथा कोयले को बचाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) भारत कोकिंग कोल लि०, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० की खानों में जलने वाली आग के फलस्वरूप लगभग 30 मिलियन टन कोयला नष्ट हो गया है।

(ख) और (ग) बहुमूल्य कोककर कोयले का संरक्षण करने तथा आग के कारण होने वाले और नुकसान को बचाने की दृष्टि से, कोल इंडिया लि० ने आग से निपटने के लिए परियोजनाएं तैयार की हैं। इस समय निम्नलिखित चार अग्नि-शमन परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनकी लागत लगभग 36.84 करोड़ रुपए आने का अनुमान है :—

अग्नि-स्थल का नाम	आग शुरू होने का वर्ष	अनुमानित लागत
1-लोडना	1935	1795
2-जोगटा	1942	1183
3-राजापुर	1956	478
4-बरारी	1919	308
अग्नि के शमन का उपाय	1-खाई काटना, 2-धरातल को सील करना, 3-फ्लाई ऐश को फ्लश करना, 4-कूलिंग और डिगिंग।	

भा० को० को० लि० ने कुसुन्डा, फुलारीटांड, कारीजोरे, सुदामडीह-पाथरडीह, एना और एकारा कोलियरियों में 6 और अग्नि-शमन परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है।

भूमिगत आग को बचाने और सीमित रखने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए जा रहे हैं :—

(1) भूमिगत खानों में सही वेंटिलेशन रखना ताकि ऑटो-आक्सीडेशन के दौरान पैदा हुई गर्मी का छितराव सुनिश्चित हो सके।

(2) भूमिगत खनन स्थलों पर काम पैनल/डिस्ट्रिक्ट बनाकर इस प्रकार किया जाता है कि आग लगने की दशा में प्रभावित पैनल/डिस्ट्रिक्ट कोयला अलग रखा जा सके। इस प्रयोजन के लिए डीपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अलगाव, विराम-स्थलों और तैयारी विराम-स्थलों की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान भूमिगत अग्नि स्थलों के मामले में, इसे तुरन्त ही अलग कर दिया जाता है या पानी में डुबो दिया जाता है और इस बात पर कड़ी नजर रखी जाती है कि आग किसी भी ओर से फैलने न पाए।

(3) आवश्यकता के अनुसार निश्चित अवधि पर वायु का विश्लेषण।

धरातल पर लगी आग के मामले में, आग को अन्य क्षेत्रों से अलग करने के लिए खाइयां काट दी जाती हैं।

जब हालात के अनुसार जरूरी होता है तब आग को समाप्त करने के लिए मोटी सीमों तक में रेत-भराई का सहारा लिया जाता है।

ताप बिजली घरों की क्षमता का उपयोग

1435. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ताप बिजली घरों की कितनी क्षमता का उपयोग होता है;

1976-77 से अब तक संयंत्र-वार कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ;

(ख) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उपायों से अब तक प्राप्त परिणामों का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1976-77 से 1980-81 तक की अवधि के दौरान देश में न्यूक्लीय विद्युत संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्रों का प्रतिशत/क्षमता समुपयोजन नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	संयंत्र भार अनुपात (%)
1	2
1976-77	56
1977-78	50.8

1	2
1978-79	48.4
1979-80	45.0
1980-81	44.7
1981-82	45.5
(अप्रैल से दिसम्बर तक)	
जनवरी, 1982	48.1

क्षमता समुपयोजन का राज्य-वार ब्यौरा विवरण (उपाबन्ध-1) में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3461/82]

(ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में ह्रास की प्रवृत्ति रही है। सयंत्र भार अनुपात जो 1976-77 में 56 प्रतिशत था धीरे-धीरे कम होकर 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान लगभग 45 प्रतिशत रह गया है। तदनुसार, ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कई उपाए किए गए और किये जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) संयंत्र और उपस्कर में कमियों का पता लगाने और संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और इन कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों की सहायता; (2) सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना; (3) अतिरिक्त पुर्जों की समय पर सप्लाई किये जाने का प्रबन्ध करना; (4) अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की उचित मात्रा में सप्लाई का प्रबन्ध करना; (5) प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना; (6) प्रचालन प्रगति की मानीटरिंग करने तथा सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणकारी दलों के दौरे और (7) कमियों का पता लगाने और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए 200/210 मेगावाट की यूनिटों के लिए तथा 100/120 मेगावाट की यूनिटों के लिए कृतिम बलों का गठन करना।

(ग) अभी तक किए गए उपायों के परिणामस्वरूप अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान देश में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 45.8 प्रतिशत था। इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह संयंत्र भार अनुपात 43.6 प्रतिशत था। राज्यवार ब्यौरे विवरण (उपाबन्ध-11) में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3461/82]

1436. **श्री नरसिंह मकव** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्य कि देश के सभी समाचार पत्रों ने अपनी मर्जी से इ

(ख) यदि हां, तो इसके में वृद्धि के लिये उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण

(ग) क्या समाचार पत्रों खा था, और यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या नि

सूचना और प्रसारण मंत्रा : (क) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अ है।

(ख) मूल्य के निर्धारण र र्णय लिया जाना होता है। छपाई की लागत में वृ है।

(ग) जी, नहीं।

फरवरी, 1982 में पेरि बैठक

1437. **श्री कृष्ण प्रताप सि** रेंगे कि :

(क) क्या भारत-फ्रांस स , 1982 के प्रथम सप्ताह में पेरिस में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या र ऊर्जा क्षेत्र में सहायता के बारे में चर्चा हुई; अं

(ग) यदि हां, तो इस स

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य

(ख) और (ग) भारत- सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श नहीं किया गय में हुई भारत-फ्रांस उच्च स्तरीय ऊर्जा दल की बैठक ा और अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ था। ऊर्ज शष्ट प्रश्न पर इस बैठक में विचार-विमर्श नहीं किया

फिल्म बनाने में काले धन का प्रयोग

1438. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने फिल्म बनाने में काले धन का प्रयोग कम करने के बारे में वित्त मंत्रालय से बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मेक्सिको द्वारा पेट्रोलियम की सप्लाई

1439. **श्री एन० के० शेजवलकर** . क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेक्सिको से पेट्रोलियम की सप्लाई की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) वर्ष 1982 के लिए खनिज तेल की सप्लाई की बातचीत करने के लिए एक सरकारी शिष्टमंडल ने सितम्बर, 1981 में मेक्सिको का दौरा किया था । क्योंकि मिश्रित खनिज तेल का दिया गया प्रस्ताव हमारी शोधनशालाओं में प्रोसेस किये जाने के उपयुक्त नहीं था, इसलिए इस स्थिति में वर्ष 1982 में मेक्सिको से खनिज तेल की खरीद करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

टेलीफोन विभाग, कलकत्ता में भ्रष्टाचार

1440. **श्री नारायण चौबे :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टेलीफोन विभाग, कलकत्ता में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार इस विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करने और कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था ठीक करने के लिये क्या कदम उठा रही है; और

(घ) क्या सरकार ने कलकत्ता टेलीफोन की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए संगठित श्रमिकों के प्रतिनिधियों से मिलने का कभी प्रयास किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई प्रेस रिपोर्ट नहीं आई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) विभिन्न स्तरों पर सघ के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं ।

ताप बिजली उत्पादन के लिए मेझिया कोयला

1441. **श्री मुकुन्द मण्डल : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताप बिजली उत्पादन के लिए मेझिया (बांकुरा) के उपयोग के संबंध में भारतीय भूसर्वेक्षण की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बांकुरा जिले में एक ताप बिजली घर स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ताप विद्युत उत्पादन के लिए मेझिया के कोयले को उपयोग में लाने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए भारतीय भूसर्वेक्षण की रिपोर्ट पर विचार कोल इन्डिया लि० द्वारा किए गए पूर्वेक्षण की विस्तृत सूचना के साथ ही किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) मेझिया में (210-210 मेगावाट की तीन यूनिटों) का एक ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित करने संबंधी दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही है । निगम को अद्यतन परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि ताकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे सके ।

दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी

1442. **श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी का अगला संस्करण कब निकलने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : दिल्ली की अंग्रेजी तथा हिन्दी की टेलीफोन निर्देशिकाओं का प्रकाशन क्रमश: जुलाई, 1982 तथा दिसम्बर, 1982 में होने की संभावना है ।

काकिनाडा आंध्र प्रदेश में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

1443. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार का विचार काकिनाडा में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) काकीनाडा में उर्वरक प्लांट लगाने के लिए मैसर्स गोदावरी फर्टिलाइजर्स एन्ड कैमिकल्स लिमिटेड नामक कम्पनी के पक्ष में औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार जो इसका प्रवर्तक है से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव में 315,000 टन प्रतिवर्ष हाई अमोनियम फास्फेट के निर्माण करने की परिकल्पना की गई है । क्षेत्र में फास्फेटिक उर्वरकों की मांग की सप्लाई स्थिति और अन्य तकनीकी आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जा रही है ।

मेजिया के निकट बिजली घर

1444. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी-क्षेत्र के अन्तर्गत मेजिया के निकट गगाजलघाटी में एक 600 मेगावाट का बिजलीघर स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मेजिया में (210-210 मेगावाट की 3 यूनिटों वाले) एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में की जा रही है । निगम को अद्यतन परियोजना रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के पश्चात् निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, निवेश सम्बन्धी अनुमोदन के लिए कार्यवाही की जाएगी ।

विदेशी औषध कम्पनियां

1445. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो केवल फारम्यूलेशन तैयार करती हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उन विदेशी कम्पनियों (जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी साझ्य पूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है) के नाम जो सिर्फ औषध फार्मूलेशनों के निर्माण में लगी हैं नीचे दिए गए है : -

(1) मैसर्स अबोट लैब (इंडिया) लि०, बम्बई,

(2) मैसर्स सी. ई. फ्लफोर्ड (इंडिया) प्रा०, लि०, बम्बई,

(3) मैसर्स स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच (इंडिया) लि०, बंगलौर।'

निर्धनों को विधिक सहायता के मामले में प्रगति

1446. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : निर्धनों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के मामले में क्या प्रगति हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : सरकार ने तारीख 26 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना द्वारा विधिक सहायता की व्यापक स्कीमें तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए एक छोटी सी उच्च शक्ति प्राप्त समिति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में गठित की थी। उस समिति ने एक आदर्श स्कीम तैयार की है जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा पजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड स्थापित किए गए हैं। ये बोर्ड कार्य कर रहे हैं।

समिति एक त्रैमासिक विधिक सहायता संवाद-पत्र देश के विभिन्न भागों में विधिक सहायता कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति और समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सेवाएं उपलब्ध करने के सम्बन्ध में विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान के एक मंच के सम्बन्ध में जानकारी देने की दृष्टि से प्रकाशित करती है।

समिति की प्रेरणा पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड और आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ने विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया है जिनमें अनेक मामले स्थल पर ही सुलझा दिए गए थे।

विधिक सहायता स्कीम क्रियान्वयन समिति के सुझाव पर भारतीय विधिज्ञ परिषद, एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में "विधि और निर्धनता" को एक विषय के रूप में जोड़ने के लिए सहमत

हो गई है। इस विषय के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए एक उपसमिति गठित की गई है और समिति इस सामग्री को 1982-83 के शैक्षणिक सत्र के लिए समय से प्रकाशित करने का विचार रखती है।

तारीख 9 जुलाई, 1981 के संकल्प द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री डी० ए० देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति स्थापित की गई है और इस समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।

आकाशवाणी, अगरतला से पृथकतावादियों और समाज विरोधी तत्वों की कार्यवाहियों का प्रसारण

1447. **श्री बाजू वन रियान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी, अगरतला के कार्यकरण की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि आकाशवाणी, अगरतला पृथकतावादियों का अड्डा बन गया है और यहां से पृथकतावादियों के न्यूज बुलेटिनों और समाचारों का प्रसारण किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि अगरतला, आकाशवाणी से ऐसी कार्यवाहियों पर त्रिपुरा सरकार के विचारों का कभी प्रसारण नहीं किया जाता;

(घ) इस प्रकार के कार्यकरण के लिए आकाशवाणी, अगरतला के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि ऐसे कदम उठाने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। आरोप सही नहीं हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

टाटा समूह की कम्पनियां और उनकी परिसम्पत्तियां

1448. **श्री जी० एम० बनातवाला : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा समूह परिवार के सदस्यों के नियंत्रण/स्वामित्व में कितनी कम्पनियां हैं और उनके क्या नाम हैं;

(ख) प्रत्येक कम्पनी द्वारा, किस प्रकार का व्यापार किया जाता है;

(ग) प्रत्येक कम्पनी की 1980 के वित्तीय वर्ष से पूर्व के और वर्ष 1980-81 वर्ष सहित गत पांच वर्षों के दौरान परिसम्पत्ति क्या है;

(घ) क्या किसी वित्तीय संस्थान ने इन सभी कम्पनियों को ऋण दिया है अथवा इनमें पूंजी निवेश किया है, और यदि हां, तो क्या;

(ङ) टाटा समूह के व्यक्तियों द्वारा इनमें से प्रत्येक कम्पनी में लगाई गई शेयर पूंजी की कीमत क्या है और इन कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है; और

(च) क्या ये सभी कम्पनियां सरकार को समय पर अपने तुलन-पत्र पेश कर रही हैं और यदि नहीं, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और उस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क), (ख) तथा (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरणों के अनुसार 31-12-1980 तक टाटा से सम्बन्धित 39 उपक्रमों के नाम, प्रत्येक कम्पनी द्वारा किये जा रहे व्यापार की प्रकृति की बावत ब्यौरे एवं 1976, 1977, 1978, 1979 तथा 1980 के वर्षों में, प्रत्येक कम्पनी की कुल परिसम्पत्तियां, देते हुये विवरण पत्र (1) संलग्न है। 1981 के वर्ष की परिसम्पत्तियों पर सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अनेक कम्पनियों के तुलन-पत्र सरकार को प्रस्तुत करने के लिये, देय नहीं हुये हैं।

(घ) वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये अग्रिम धन, तथा किये गये निवेशों के ब्यौरे देते हुए विवरण-पत्र (2) संलग्न है।

(ङ) तथा (च) सूचना संग्रह की जा रही है व यथा समय सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विवरण (1)

क्रम सं०	टाटा के उपक्रम	व्यापार की प्रकृति	परिसम्पत्तियां (लाख रुपयों में)				
			1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदावाद एडवान्स मिल्स लिमिटेड	वस्त्र, धागा, इस्पात, पट्टियां	1739.1	1783.1	1783.06	2266.60	2442.55
2.	आंध्र वैलो पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	पावर, जनरेटर	2803.7	2962 0	3025.79	3778.75	4233.98
3.	एसोसियेटेड बीयरिंग कम्पनी लिमिटेड	वाल बोयरिंग, टेपर रोलर बीयरिंग, वस्त्र, मशीनरी पुर्जे	2027.1	1918 5	2040.39	2544.83	2974.73
4.	वेलपहार रिफ्रेक्टरोज लि०	रेफ्रेक्टरोज	1531.1	1763.4	1907.54	1970.31	1879.71
5.	सेन्ट्रल इण्डिया स्पिनिंग एण्ड मेन्यु० कम्पनी लिमिटेड	क्लोथ, यार्न, पेपर	1025.6	1233.1	1272.14	1477 82	1799.09
6.	कोरोमण्डल गारमेंट्स लि०	कपड़े	145.7	136.1	131.04	126.69	147.98
7.	क्रोसेन्ट आयरन एण्ड स्टील कारपोरेशन लिमिटेड	मशीनरी निर्माता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	396.63

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	सायनाइड पिगमेंट्स लि०	फेरस सल्फेट, लोहे का आक्साइडे	22.8	23.4	26.84	35.01	31.02
9.	फोरब्स फोरब्स कौम्पबैल एंड कम्पनी लि०	बिजली का सामान	791.3	939.4	1007.21	966.62	975.56
10.	फोरब्स शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड	परिवहन सेवाएं	लागू नहीं	लागू नहीं	26.58	64.14	48.32
11.	इण्डियन होटल्स कम्पनी लि०	होटल चलाना	1104.6	1243.6	1614.05	1884.02	1621.12
12.	इण्डियन ट्यूब कम्पनी लि०	स्टील ट्यूब्स	4502.1	5004.5	4594.56	5800.96	5875.02
13.	इण्डियन वेजीटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	वनस्पति, खाने के तेल, स्पार्क प्लो	345.2	449.1	653.71	721.88	818.40
14.	इण्डस्ट्रियल परफ्यूम्स लि०	सरोमेटिक रसायन, परफ्यूमरी कम्पाउंड	189.6	274.5	315.33	359.46	382.42
15.	इन्टरनेशनल फिशरोज लि०	मछली व्यापार	18.6	23.2	18.46	18.96	16.54
16.	की केमिकल इण्डस्ट्रीज लि० (पहले के डिस्टलरी इण्डस्ट्रीज लि० थी)	डिस्टिलरी	लागू नहीं	लागू नहीं	114.07	127.68	131.49
17.	लेक्मे लिमिटेड	कास्मैटिक	196.0	214.1	258.71	334.19	411.68

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	परपेक्ट एक्सट्रशन्स लि०	नियोजन	1.7	1.8	1.45	1.50	1.56
19.	शारदा लैथम विजनेस मशीन्स लिमिटेड	टाइपराइटर, कैलकुलेटर, जोड़ मशीन, डुप्लीकेटर, फालतू पुर्जे	लागू नहीं	लागू नहीं	2 81	8.91	12.99
20.	स्केपन्कीं इण्डिया बियरिंग कम्पनी लिमिटेड	बाल बीयरिंग व वस्त्र मशीनरी	461.5	272.8	332.35	373.79	292.35
21.	शोरी डुप्लीकेटर्स लि०	डुप्लीकेटिंग मशीन्स	77.7	79.7	71.76	61.46	53.98
22.	स्टील सिटी प्रेस लि०	मुद्रण तथा प्रकाशन	6.4	7.1	6.42	6.40	6.40
23.	स्टोवार्ट्स एण्ड लायड्स आफ इण्डिया लि०	फेब्रोकेटेड पाइप, पाइप का कार्य निर्माण	507.3	643.1	662.85	783.67	1124.19
24.	स्वदेशी मिल्स कम्पनी लि०	क्लोथ और यार्न	1538.5	1525.2	1604.60	1572.24	1645.29
25.	टाटा बरोज लि०	क्रम मुद्रक तथा हेन्डलर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	271.36	594.84
26.	टाटा केमिकल्स लि०	रासायन तथा नमक	442[illegible].4	5325.6	5296.23	5969.08	7099.10
27.	टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०	ट्रकों की चेन, बस तथा उनका ढांचा	2[illegible]099.1	23687.1	24628.32	28981.58	40023.23
28.	टाटा एक्सपोर्टस लि०	निर्यात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5008.12	5843.27
29.	टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	पावर जैनरेशन	2165.5	2329.2	2457.51	2823.55	3081.51

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	लोहा तथा इस्पात	31302.0	32989.9	32826.10	35213.47	39841.00
31.	टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड	साबुन, टायलेट सामान आदि	4436.8	4827.4	5636.34	5666.36	5290.07
32.	टाटा पावर कम्पनी लि०	पावर जैनरेशन	5109.4	5451.8	5683.86	6860.57	7545.79
33.	टाटा रोबिन्स फ्राशर लि०	इडलर रौलर, विब्राटिंग सक्रोन्स, सैक्शनल कन्वेयर तथा पुर्जे	725.4	760.9	869.40	1223.69	1665.55
34.	टाटा एस० एण्ड एल० सेल्ज लिमिटेड	वित्त	5.1	5.4	5.50	6.13	6.43
35.	टाटा संस लिमिटेड	नियोजन, तकनीकी परामर्श तथा कमीशन अभिकर्ता	2051.2	2165.9	2397.94	2608.90	2819.87
36.	टाटा उद्योग लि०	स्टील बेस तथा आयरन रौलर	670.2	660.2	683.84	775.74	837.85
37.	वोल्टाज लिमिटेड	रैफ्रीजरेशन	7900.6	8226.3	8254.73	10243.74	11997.19
38.	वोल्टाज इन्टरनेशनल लि०	तकनीकी सेवाएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नगण्य	6.73
39.	वान्डले साइड नेशनल कन्डक्टर्स लिमिटेड	इनामल्ड इन्सूलेटेड तार व पट्टी तथा सम्बन्धित सामान।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	221.37

विवरण-(2)

(लाख रुपयों में राशि)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	एल.आई.सी.	आई.डी.बी.आई.आई. आई. और आई.सी.आई.सी.आई.		यू.टी.आई.
			ऋण	निवेश	
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद एडवान्स मिल्स लि०	154.04	263.77	—	130.31
2.	आंध्रा वैली पावर सप्लाई कम्पनी लि०	232.53	(नीचे टिप्पण 4 देखिये)		320.75
3.	असोसियेटेड बोयरिंग कम्पनी लि०	12.95	66.22	—	—
4.	बेलपहाड़ रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड	50.85	71.53	—	—
5.	सेन्ट्रल इण्डिया स्पिनिंग वीविंग एण्ड मैन्यु० कम्पनी लिमिटेड	7.70	147.38	—	—
6.	फोरब्स फोरब्स कैम्पबैल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	30.00	—	—	—
7.	इण्डियन होटल्स कम्पनी लि०	50.00	50.55	2.07	75.00
8.	इण्डियन ट्यूब कम्पनी लि०	198.64	431.70	—	30.00
9.	इण्डियन वेजीटेबल प्रोडक्ट्स लि०	3.94	—	—	75.00
10.	स्टीवार्ड्स एण्ड लायड्स आफ इण्डिया लिमिटेड	11.16	—	—	—
11.	स्वदेशी मिल्स कम्पनी लिमिटेड	126.57	—	—	64.20
12.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड	240.84	278.31	—	263.94
13.	टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिस कम्पनी लिमिटेड	1559.94	853.92	88.32	831.07
14.	टाटा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	—	68.31	—	—
15.	टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लि०	674.89	(नीचे टिप्पण 4 देखिये)		224.49

1	2	3	4	5	6
16.	*टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	1866.47	1088.63	139.45	—
17	टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड	332.97	1.89	14.24	199.75
18.	टाटा पावर कम्पनी लि०	378.68	2437.56**	203.66**	482.00
19.	टाटा रोबिन फ्रैशर लि०	—	—	4.82	25.00
20.	टाटा योदोग्वा लिमिटेड	63.52	—	—	—
21.	वोल्टाज लिमिटेड	335.57	13.44	2.10	105 17
22.	वान्डलेसाइड नेशनल कन्डक्टर्स लिमिटेड	—	24.39	—	—

टिप्पणी—1. एल० आई० सी० द्वारा वित्तीय सहायता के आंकड़े 30.3.1981 तक ऋणों, ऋण-पत्रों, अधिमान और इक्यूटी शेयरों की बकाया राशि से सम्बद्ध हैं। आई० डी० बी० आई० आई० एफ० सी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० के अनुवर्ती आंकड़े 31.3.1981 तक ऋणों और निवेशों की बकाया राशि से सम्बद्ध हैं। यू० टी० आई० के मामले में, आंकड़े 28.2.81 तक निवेशों की बचनवद्धता और सावधिक जमाओं तथा वित्त, दी गई राशि को पूरा करने के विरोध में ऋण-पत्रों, अग्रिम जमाओं से सम्बद्ध हैं।

2. *150 लाख रु० की वित्तीय सहायता, जी० आई० सी० और उसकी सहायकों द्वारा मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को दी गई थी और यह राशि 30.6 80 तक बशर्त ऋणों तथा निजी रूप से दिए ऋणों से सम्बद्ध है।

3. प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट टाटा समूह की शेष कम्पनियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी।

4. **राशि में उपरोक्त क्रम संख्या 2 और 15 परकम्पनियों को दी गई अग्रिम राशि सम्मिलित है।

ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए त्रिमुखी नीति

1449. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने एक त्रिमुखी नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये कई उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :—

(1) सयंत्र और उपस्कर की कमियों को दूर करके, संयंत्र सुधार कार्यक्रम लागू करके, सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाकर, अपेक्षित गुणवत्ता वाले तथा कोयले की उचित मात्रा में सप्लाई की और अतिरिक्त पूंजी की सप्लाई की व्यवस्था करके देश में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन और क्षमता समुपयोजन में सुधार करने के लिये उठाए गए कदम;

(2) पर्याप्त निधियों की सुनिश्चित तथा चालू करने के कार्यक्रमों की मानीटरिंग के जरिए छठी योजना अवधि के दौरान प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में लगभग 20,000 मेगावाट तक की तेजी से वृद्धि करना;

(3) ऊर्जा के गैर-परम्परागत तथा नवीकरणीय स्रोतों का तेजी उपयोग; तथा

(4) साथ ही साथ अनुसंधान तथा विकास में तेजी लाकर ऊर्जा संरक्षण के उपायों का भी पता लगाया जा रहा है।

केन्द्रीय क्षेत्र में पुनः बिजली परियोजनाएं

1450. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय क्षेत्र में कितनी पन-बिजली परियोजनाएं हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, उनमें से प्रत्येक के लिए कितने धन का आबंटन किया गया है और उनमें अनुमानतः कितनी बिजली तैयार होगी; और

(ग) क्या इस संबंध में किसी विदेशी टेक्नालाजी का उपयोग किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लोकतक जल विद्युत परियोजना मणिपुर में सुरंग वेधन के लिए रोड हैडर किस्म की मशीनें (एलपाइन माइनर) और सुरंग खोदने के लिये नये आस्ट्रिअन तरीकों (एन० ए० टी० एम०) का इस्तेमाल करता रहा है।

हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-I के अन्वेषण के मामले में विदेशी सलाहकार अर्थात् कनाडा में मैसर्ज सर्वेयर, नेनीगर और सेनेकर्ट इन्क (एस०एन०सी०) की सुविज्ञता का लाभ लिया गया था।

विवरण

	परियोजना का नाम	चालू करने की निर्धारित तारीख	परियोजना की अनुमानित (निबल) लागत (लाख रु० में)	प्रतिष्ठापित क्षमता अनुमानित शक्यता	वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (जी० डब्ल्यू० एच०)
1.	लोकतक परियोजना (मणिपुर में)	दिसम्बर, 1982	9467.59	105 मेगावाट	448
2.	बैरा स्यूल परियोजना (हिमाचल प्रदेश में)	दिसम्बर, 1981*	13005.17	180 मेगावाट	920
3.	सलाल जल विद्युत परियोजना (जम्मू और कश्मीर में)	अगस्त, 1987 (पहला यूनिट)	44275.90	345 मेगावाट	2243
4.	कोपिली जल विद्युत परियोयना (असम और मेघालय की सीमा)	मार्च. 1982 (पहला यूनिट)	11800.00	150 मेगावाट	816
5.	कोइल कारो परियोजना (बिहार में)	परियोजना के सक्रिय निर्माण कार्य आरम्भ होने से आठ वर्ष	39183.00	710 मेगावाट	1658
6.	दुल हस्ती परियोजना (जम्मू और कश्मीर में)		16172.00	390 मेगावाट	1928
7.	धालेश्वरी	परियोजनाएं अन्वेषणाधीन हैं			
8.	धोलीगंगा				
9.	चमेरा-दो				

*यूनिट-1 और 2 परख के लिए मई, 1980 को चलाए गए थे, यूनिट 3 परख के लिए दिसम्बर, 1981 में चलाया गया था।

बिजली उत्पादन कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए केरल का सहायता का अनुरो

1451. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने बिजली उत्पादन के त्वरित कार्यक्रम के सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो अनुरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए विचार है और तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) वार्षि 1982-83 के विचार-विमर्श के संदर्भ में केरल सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के लि संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। इन पर योजना आयोग में विचार-विमर्श हुआ निष्पादित कार्य और आगामी वर्ष में व्यवहार्य कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न स्कीमों पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नये आप्रवासियों के पुनर्वास के लिए रा

1452. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने करेंगे कि :

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 1981 के दौरान आए नए आप्रवासियों के पुनर्व सरकार द्वारा कितनी धन राशि मंजूर की गई है और अब तक कितने व्यक्तियों क गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : पश्चिमी बाहर राज्यों में भूतपूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आए नए प्रवासियों के पुनर्व 1981 के दौरान 190.04 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान से आए पुराने प्रवासियों सहित, नए प्रवासियों के लिए दण्डकारण्य विक के लिए भी धनराशि मंजूर की गई है। चूंकि व्यय के अलग-अलग आंकड़े नहीं रख अतः दण्डकारण्य विकास योजना के लिए नए तथा पुराने प्रवासियों पर किए गए व्यय अलग नहीं दिखाया जा सकता है। अब तक बसाए गए नए प्रवासी परिवारों 67,976 है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रचार पर किया गया व्यय

1453. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करें

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कौन-कौन सी भाषाओं के किन-किन समाचार-पत्रों/अन्य पत्रों में विज्ञापन दिए गए;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उन संवाददाताओं के क्या नाम हैं जो समाचार-पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों के लिए उक्त निगम की नियमित डाक-सूची में हैं;

(ग) उक्त संगठन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष प्रचार पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का प्रचार नगरोन्मुखी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने पिछले तीन वर्षों (1978-81) के दौरान जिन दैनिक समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए उनके वर्षवार, भाषावार तथा राज्य-वार नाम उपाबन्ध-1 में विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रेस विज्ञप्तियां समाचार पत्रों को सीधे ही ऊर्जा मंत्रालय से संबद्ध सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से जारी की जाती हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों (1978-81) के दौरान प्रचार तथा जन-सम्पर्क पर हुआ व्यय निम्नानुसार है :—

वर्ष	राशि
1978-79	25563 रुपये
1979-80	49087 रुपये
1980-81	181577 रुपये

(घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम का प्रचार ग्रामोन्मुखी है।

तेनुघाट और कोयल कारो पन बिजली परियोजनाएं

1454. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार को तेनुघाट और कोयल कारो नामक दो बड़ी पन-बिजली परियोजनाओं की मंजूरी केन्द्रीय विद्युत आयोग द्वारा पांच वर्ष पूर्व दी गई थी और इस कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि का भी आबंटन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोइल कारो परियोजना को राज्य क्षेत्र में निर्माण किए जाने के लिए योजना आयोग ने 21-9-1976 को

स्वीकृति दी थी। तथापि, 1980 में परियोजना का निर्माण कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० को सौंपा गया था, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। इस परियोजना में विलम्ब होने का मुख्य कारण है, स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जाना जिसके कारण भूमि का अधिग्रहण करने में कठिनाइयां हुईं। परियोजना लगभग आठ वर्षों में पूरी हो जाने की आशा है।

तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना को योजना आयोग ने 1979 में स्वीकृति दी थी। 210-210 मेगावाट के दो यूनिट क्रमशः 1987-88 और 1988-89 में चालू होने की संभावना है। विद्युत केन्द्र के लिए भूमि का अधिग्रहण करने में विलम्ब होने और मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर देने में विलम्ब होने के कारण इस परियोजना को चालू करने में विलम्ब हुआ है।

पश्चिमी बंगाल में विस्थापितों के अधिकारों से संबंधित मामलों के अन्तिम रूप से निपटान का प्रस्ताव

1455. **श्री चित्त बसु : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल की (क) स्क्वएटर कालोनियों, (ख) सरकारी कालोनियों, (ग) प्रायोजित कालोनियों में बसे विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित मामलों का अन्तिम रूप से निपटान किए जाने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार के क्या विशिष्ट प्रस्ताव हैं; और

(ग) इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने पट्टे के मसौदे को अन्तिम रूप देने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें 99 वर्ष के पट्टे के लिए विस्तृत शर्तों का उल्लेख है।

(ग) अनधिवासी और सरकारी तथा सरकार द्वारा प्रायोजित पश्चिमी बंगाल की कालोनियों में बसाए गए विस्थापित व्यक्तियों की समस्याओं के प्रति भारत सरकार सचेत है। पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से पट्टे की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। परामर्श सम्बन्धी कार्यवाही के पूरा होते ही, इन शर्तों पर अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

श्रीलंका के साथ माइक्रोवेव सबंध

1456. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ हाल ही में माइक्रोवेव लिंक व्यवस्था शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है और क्या यह व्यय दोनों देशों द्वारा वहन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने भारत का अपने सभी पड़ौसी देशों के साथ संचार माध्यम उपलब्ध करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) इण्डो-श्रीलंका माइक्रोवेव लिंक पर भारत सरकार द्वारा अब तक किया गया व्यय 290.27 लाख रुपये है। भारत द्वारा सभी पारेषण उपस्कर पावर संयंत्र तथा टावर निःशुल्क सप्लाई किए गए। संस्थापना कार्य तथा टावर का स्थापन कार्य श्रीलंका प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया।

(ग) और (घ) भारत और उसके पड़ौसी देशों अर्थात बंगला देश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अल्प क्षमता के दूरसंचार सपर्क पहले से ही मौजूद हैं। तदनन्तर इनमें से प्रत्येक देश के साथ अधिक क्षमता के माइक्रोवेव। सहधुरीय संपर्क की योजना बनाई गई है। इण्डो-श्रीलंका और इण्डो-बंगलादेश माइक्रोवेव संपर्क पहले से ही चालू हैं।

निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के लिए निर्वाचन आयोग के सुझाव

1457. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के निर्वाचन आयोग संबंधी सुधारों के समय-समय पर प्राप्त हुए सुझाव क्या हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कब तक सुधार किए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन संबंधी सुधारों के बारे में निर्वाचन आयोग से विभिन्न अवसरों पर प्राप्त हुई ऐसी सिफारिशों के ब्यौरे जिनका निर्वाचन विधि के प्रायः सभी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है लोक सभा के तारीख 10 जून, 1980 के तारांकित प्रश्न सं० 227 और तारीख 2 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 221 के संबंध में सदन के पटल पर रखे जा चुके हैं। आयोग की कुछ सिफारिशों, लोक सभा एवं विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 1979-80 तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1977 खंड I के विषय में उसकी रिपोर्ट में भी दी गई थी। यह रिपोर्ट तारीख 23 दिसम्बर, 1980 को सदन के पटल पर रख दी गई थी। इस समय इन प्रस्तावों पर

निर्वाचन सुधारों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। समिति द्वारा इन प्रस्तावों पर अनंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् इन पर राजनैतिक दलों के साथ और जहां आवश्यक होगा राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाएगा। अतः अंतिम विनिश्चय करने में अभी कुछ समय और लगेगा और इस प्रक्रम पर यह बताना संभव नहीं है कि इन प्रस्तावों को अंतिम रूप कब दिया जा सकेगा।

उच्च न्यायालयों की न्यायपीठ स्थापित किए जाने के मानदण्ड

1458 **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में उच्च न्यायालयों के मुख्य कार्य स्थान से भिन्न अन्य स्थानों पर उच्च न्यायालयों की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए यदि सरकार द्वारा कोई मानदंड तय किए गए हैं तो वे क्या हैं; और

(ख) इस प्रकार की "न्यायपीठों" की स्थापना के संबंध में सरकार की कितनी मांगें प्राप्त हुई हैं अथवा सरकार की जानकारी में हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) न्यायपीठों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रस्तावों पर सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर विचार किया जाता है।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाले विवरण-I और II संलग्न हैं।

विवरण-I

(i) **केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना** :

राज्य सरकार ने त्रिवेंद्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव सितम्बर, 1971 में भेजा था। कुछ कानूनी परामर्श पूरा करने के लिए उन्हें जुलाई, 1973 में पत्र लिखा गया था। राज्य सरकार ने जून, 1978 में सूचित किया कि वह उस विषय पर अभी तक विचार कर रही है। उसके बाद उससे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ii) **मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना** :

राज्य सरकार ने मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव सितम्बर, 1977 में भेजा था। कुछ परामर्श किए जाने थे और उनको पूरा करने के पश्चात् तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने जुलाई, 1980 में फिर यह प्रस्ताव किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ मदुरै में स्थापित की जाए। इस विषय पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(iii) **बम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना** :

जनवरी, 1977 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने औरंगाबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार से कुछ परामर्श करने का अनुरोध

किया गया था। राज्य सरकार ने अप्रैल, 1978 में सुझाव दिया था कि बम्बई उच्च न्यायालय की दो न्यायपीठें स्थापित की जाएं जिनमें से एक औरंगाबाद में हो और दूसरी पुणे में हो। किन्तु, राज्य सरकार ने अपने तारीख 28 जनवरी, 1981 के पत्र में सूचित किया है कि एक स्थायी न्यायपीठ औरंगाबाद में स्थापित की जाए। इस विषय में भारत सरकार विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में एक सर्किट न्यायपीठ स्थापित कर दी है।

(iv) गोहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की अगरतला में स्थापना :

त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने यह अनुरोध किया है कि गोहाटी उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ अगरतला में स्थापित की जाए। गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 की धारा 31 (3) के अधीन व्यवस्थाएं की हैं जिनके अनुसार गौहाटी उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अगरतला में हर समय उपलब्ध रहता है। जब आवश्यक समझा जाता है, खण्ड न्यायपीठ का गठन किया जाता है। किन्तु, मुख्य मंत्री की इच्छा थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 की धारा 31 (2) के अधीन एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना की जाए। अगरतला में कार्यभार को देखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 31 (2) के अधीन स्थायी न्यायपीठ का औचित्य नहीं है।

(v) कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की हुबली धारवाड़ में स्थापना :

कर्नाटक सरकार ने हुबली धारवाड़ में एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव किया था। 15 सितम्बर, 1981 के पत्र के अनुसार इस विषय में राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी गई थी जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस विषय में आगे कार्रवाई राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर ही की जाएगी।

(vi) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना :

राज्य सरकार ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश के उन पश्चिमी जिलों के लिए जो गढ़वाल, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और कुमायूं के आयुक्त मंडलों में समाविष्ट हैं, एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए विधान तैयार किया जाए। उन्होंने प्रस्तावित न्यायपीठ के स्थान के बारे में विनिश्चय करने का भार भारत सरकार पर छोड़ दिया है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि वह इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार करके आवश्यक कार्रवाई करे। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए एक न्यायपीठ के गठन की मांग से उत्पन्न होने वाली सभी बातों पर और राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जसवन्त सिंह की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की है, इस विषय में आगे कार्रवाई आयोग की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी।

उपर्युक्त प्रस्तावों के अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि बम्बई उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ पणजी, गोवा में स्थापित करने के लिए संसद ने बम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमण और दीव पर अधिकारिता का विस्तारण) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया है। ऐसी न्यायपीठ कब से अपना कार्य प्रारम्भ करेगी उस तारीख का विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है।

विवरण-II

1. इलाहाबाद	पश्चिमी उत्तर प्रदेश/मेरठ, गोरखपुर, आगरा, बरेली, बुलन्दशहर आदि।
2. आन्ध्र प्रदेश	गुन्टूर, आंध्र प्रदेश के मध्य में अवस्थित दक्षिणी जिले।
3. बम्बई	औरंगाबाद, पुणे।
4. कलकत्ता	उत्तर बंगाल (सिलीगुड़ी), अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह।
5. गौहाटी	अगरतला।
6. गुजरात	राजकोट।
7. हिमाचल प्रदेश	मंडी, हमीरपुर।
8. कर्नाटक	हुबली या धारवाड़।
9. केरल	त्रिवेन्द्रम, कालीकट।
10. मध्य प्रदेश	भोपाल, रायपुर, रीवां।
11. मद्रास	मदुरै, कोयम्बटूर, कुड्डालोर।
12. पटना	पुर्णिया।
13. पंजाब और हरियाणा	अमृतसर।
14. उड़ीसा	संबलपुर।

टेलीफोन इंजीनियरों के स्थानान्तरण

1459. **श्री अजित बाग : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुशलता के नाम पर टेलीफोन इंजीनियरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में बड़े-पैमाने पर विशेषकर कलकत्ता से बम्बई राज्य में स्थानान्तरण किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कर्मचारियों जिनका स्थानान्तरण किया गया है के परिवारों के लिए समानता के आधार पर कल्याण कार्यों की व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो जिन कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है उनके परिवारों को बिना कोई सुविधा दिए बड़े पैमाने पर इस प्रकार के किये गये स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ?

सचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, परन्तु अधिकारियों का स्थानीय कार्यकाल पूरा होने के कारण स्थानांतरण की आवश्यकता हुई थी तथा ये स्थानांतरण सर्वथा अन्तर-राज्यीय आधार पर नहीं किए गए । अधिकारियों को यथासंभव उनके अपने राज्यों/क्षेत्र में रखा गया तथा जिन अधिकारियों को समायोजित नहीं किया जा सका उनको अन्य सर्कलों/राज्यों को स्थानांतरित किया गया ।

(ख), (ग) और (घ) स्थानांतरित कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य स्थानांतरण यात्रा भत्ता के हकदार हैं । वे आवास (बशर्ते कि उपलब्ध हों), चिकित्सा आदि जैसी सुविधाएं अपने नए स्थानों पर पाते रहने के भी हकदार हैं । उनकी सेवा की एक शर्त यह भी है कि उनका स्थानांतरण भारत भर में कहीं भी किया जा सकता है तथा लोक हित में स्थानांतरण अपरिहार्य होते हैं ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रशुल्क में वृद्धि

1460. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रशुल्क में वृद्धि, जो कि पिछले नौ महीनों में दूसरी बार की गई है, पर बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्डों ने अपना रोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दामोदर घाटी निगम को यह कहने का है कि वह प्रशुल्क में वृद्धि न करे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) बड़े पूंजीगत कार्यक्रमों की बढ़ी हुई वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने आन्तरिक साधन जुटाने के उद्देश्य से, दामोदर घाटी निगम को अपनी टैरिफ बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है ।

निगम की 22-1-1982 को हुई बैठक में, इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी ।

बिहार के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था, जबकि पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि ने अधिक ब्यौरे की मांग की थी । इस मामले पर निगम की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा ।

सबसे बड़े बीस औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियां, उत्पादन और लाभ

1461. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सबसे बड़े 20 औद्योगिक घरानों की गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल परिसम्पत्तियां, उत्पादन और लाभ क्या था;

(ख) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन पर इनमें से प्रत्येक का नियंत्रण है और वे किन उत्पादों का विपणन करती हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक औद्योगिक गृह द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पूर्व उनकी परिसम्पत्तियां कितनी थीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) अपेक्षित सूचना का उल्लेख करता हुआ विवरण पत्र (I) संलग्न किया जाता है।

(ख) तथा (ग) इन औद्योगिक घरानों में प्रत्येक के नियंत्रणाधीन काफी संख्या में कम्पनियां हैं और उनकी कुल संख्या 400 के लगभग हो सकती है। उनके द्वारा विनिर्मित और बाजार में बेचे गये विभिन्न उत्पादों की संख्या हजारों में है। अतः इस विशालकाय सूचना के संकलन, समाकलन और संगणना करने में अत्याधिक भारी प्रयास, समय और व्यय की आवश्यकता होगी। तथापि, यह सूचना कम्पनियों के मुद्रित वार्षिक लेखाओं में उपलब्ध हो सकती है।

(घ) विवरण पत्र (II) संलग्न किया जाता है।

विवरण–I

वर्ष 1980 में परिसम्पत्तियों के आधार पर श्रेणीबद्ध 20 बड़े औद्योगिक घरानों (31-12-80 तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण के अनुसार) का 1978, 1979 और 1980 में परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त और करपूर्व लाभ को प्रदर्शित करता हुआ विवरण-पत्र

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	औद्योगिक घराने का नाम	1978			1979			1980		
		परिसम्पत्तियां	व्यापारा-वर्त	करपूर्वलाभ	परिसम्पत्तियां	व्यापारा-वर्त	करपूर्वलाभ	परिसम्पत्तियां	व्यापारा-वर्त	करपूर्वलाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	टाटा	1102.11	1367.60	51.24	1309.38	1720.25	51.63	1538.97	1942.90	110.03
2.	बिड़ला	1171.15	1374.56	98.81	1309.99	1627.79	121.02	1431.99	1845.20	121.15
3.	मफतलाल	317.86	475.41	39.07	371.06	516.08	39.86	427.54	613.61	31.93
4.	जे० के० सिंघानिया	299.57	318.52	13.50	352.53	391.33	13.12	412.72	436.63	18.21
5.	थापर	244.06	367.15	20.24	291.01	442.46	24.41	348.06	405.59	28.40
6.	आई० सी० आई०	228.73	308.87	26.38	235.55	352.45	29.82	343.01	333.25	10.74
7.	साराभाई	129.09	211.07	5.18	249.52	334.27	17.53	317.94	441.45	17.70
8.	ए० सी० सी०	186.62	183.02	15.63	211.96	199.30	14.72	274.51	217.97	8.05
9.	बांगुर	220.86	341.13	13.27	244.20	372.97	14.71	264.33	397.57	21.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	लार्जन एण्ड टुब्रो	194.51	169.03	19.52	185.48	190.94	22.47	246.48	236.73	24.63
11.	श्रीराम	204.79	335.80	8.35	208 65	385.23	16.16	241.00	442.51	9.24
12.	किर्लोस्कर	176 25	199 10	3.11	191.91	229.46	12.35	220.37	313.77	24.29
13.	हिन्दुस्तान लीवर	157.15	370.20	28.32	187.80	423.41	32.75	219.30	469.49	31.37
14.	सिंधिया	202.81	92 60(–)	7.77	205.95	88.05(–)	9.85	212.84	112 49	5.37
15.	आयल इण्डिया	203.24	423.39	15.67	211 27	435.05	13.96	205.88	434 54	10.12
16.	मोदी	134.72	265.03	13.05	177.08	345.26	14.66	198.82	400.62	10.66
17.	टी० वी० एस० आयन्गार	135.23	184.69	15.53	164.77	211.23	20.04	188.64	252.17	25.11
18.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	137.18	139.65	5.85	165.58	181.16	14.47	180.03	256.41	18.54
19.	चौगुले	149.96	40.23(–)	2.73	172.59	43.26(–)	2.66	184.68	71.69(–)	2.24
20.	बजाज	123.08	171.21	12.57	168.61	211.86	14.35	179.26	249.00	19.93

विवरण-II

वर्ष 1980 में परिसम्पत्तियों के मूल्य के अनुसार श्रेणीबद्ध चोटी के 20 घरानों की वर्ष 1972 में परिसम्पत्तियों को दर्शाता विवरण-पत्र

क्रम संख्या	औद्योगिक घराने का नाम	परिसम्पत्तियां (करोड़ रु० में)
1.	टाटा	641 93
2.	बिड़ला	589.42
3.	मफतलाल	183.74
4.	जे० के० सिंघानिया	121.45
5.	थापर	136.16
6.	आई० सी० आई०	135.21
7.	साराभाई	84.44
8.	ए० सी० सी०	134.36
9.	बांगुर	125.26
10.	लार्जन एण्ड टुब्रो	79.03
11.	श्रीराम	120.77
12.	किर्लोस्कर	86.46
13.	हिन्दुस्तान लीवर	77.87
14.	सिन्धिया	107.73
15.	आयल इण्डिया	104.04
16.	मोदी	58.05
17.	टी० वी० एस० आयन्गार	50.97
18.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	58.49
19.	चौगुले	57.52
20.	बजाज	63.32

जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन और मांग

1462. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन और मांग क्या थी;

(ख) क्या यह सच है कि इस अवधि के दौरान जीवन रक्षक औषधियों की कमी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान देश में चुने हुए आवश्यक और महत्वपूर्ण औषधों (जिन्हें जीवन रक्षक माना जाता है) का उत्पादन और मांग संलग्न विवरण-पत्र में दर्शाए गए हैं ।

(ख) और (ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान देश के कुछ भागों से कुछ औषधों के विशिष्ट ब्राण्ड उत्पादों की कमी की सूचना मिली थी । तथापि इनके बदले समान किस्म की दवाइयां उपलब्ध थीं । इन कमियों के कारण हैं :—

(1) श्रमिक अशान्ति, (2) बिजली कटौती, (3) क्षमता रुकावट, (4) परिवहन समस्या, (5) कच्चे मामलों की सीमित उपलब्धता/अनुपलब्धता ।

इस संबंध में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान समय-समय पर विभिन्न तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के उत्तर में सदन को सूचना दी जाती रही है । उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 111 दिनांक 25.11.1980, 401, दिनांक 17.3.81, 24 दिनांक 24.11.1981 और 870 दिनांक 24.4.1981 अतारांकित प्रश्न सं० 394 दिनांक 18.8.1981, 262 दिनांक 18.8.1981, 1274 दिनांक 25.8.1981 और 317 दिनांक 23.2.1982.

विवरण

जीवन रक्षक औषधों की खपत/उत्पादन दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र० सं०	बल्क औषध का नाम	माप की इकाई	1980-81 और 1981-82 में अनुमानित मांग		1980-81, 1981-82 (दिसम्बर, 1981 तक) उत्पादन	
1	2	3	4	5	6	7
			1980-81	1981-82	1980-81	1981-82 (दिसम्बर, 81)
I.	एन्टीबायोटिक्स:					
1.	पेनिसिलिन	एम एमस्	440	560	336.51	257.58

1	2	3	4	5	6	7
2.	स्ट्रेप्टोमाइसीन	मीटन	330	363	227.33	188.41
3.	क्लोरमफेनी कोल पाउडर	,,	262	275	125.44	106.25
4.	क्लोरमफेनी कोल पालमिटेट	,,			1.50	—
5.	टेट्रासाइक्लीन एस. सी. एल.	,,	310	360	166.85	132.22
6.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन	,,	131	150	129.83	84.31
7.	एम्पोसिलिन ट्राइहाइड्रेट/ एनहाइड्रस	,,	105	120	43.32	55.19
8.	एरिथ्रोमाइसीन इस्टेट/स्टीरेट	,,	57	66	33.18	22.58
9.	डोक्सीसाइक्लीन	किग्रा.	7.700	8.500	2000.2	970
10.	जेन्टामाइसीन	,,	480	575	—	70
II.	**एन्टी टी. बी. ड्रग्स**					
1.	पी.ए.एस.एण्ड इसके लवण	मीटन	630	660	405.46	188.47
2.	आई. एन. एच.	,,	240	290	179.76	97.18
3.	थाइएसीटाजोल	,,	42	44	34.18	26.54
4.	एथाम्बुटोल एच. सी. एल.	,,	78	101	35.06	90.03
III.	**एन्टीमलेरियल्स**					
1.	क्लोरोक्वीन फास्फेट	,,	275	300	34.72	43.26
2.	अमोडियाक्वीन	,,	46	53	23.15	22.24
3.	क्वीनोन	किग्रा.	8.800	9.680	15,000.7	9,007
IV.	**एन्टी डायबेटिक्स**					
1.	इन्सुलिन	एमस्	1725	1985	1332.0	1381
2.	क्लोरप्रोपेमाइड	एमटी	23	26	25.96	12.87
3.	ग्लाइनक्लेमाइड	किग्रा.	575	660	730	470

1	2	3	4	5	6	7
V.	कार्डियो वेस्कुलर ड्रग					
1.	जेन्थीनोल निकोटिनेट	एमटी	16	19	10.14	11.72
2.	डाइगोक्सिन	वी. एस.	22	26	7.33	2.25
VI.	एनेस्थमेटिक्स					
1.	लिग्नोसीन/जाइलोसीन	किग्रा.	7.700	8,470	4000.58	29.00
VII.	एन्टीहेल्मेन्टिक्स					
1.	पिपराजाइन और इसके लवण	एमटी	265	290	122.39	7.55
VIII	एन्टी फिलटरियल्स					
1.	डी ई. सी. सीट्रेट	मीटन	33	36	27.92	25.97
IX.	एनटी लिब्रोटिक्स					
1.	डी. डी. एस. (डेपसोन)	एमटी	32	37	22.24	17.19

केन्द्रीय क्रय सगठन द्वारा किये गये क्रय

1463. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्रय संगठन द्वारा 1978, 1979, 1980 और 1981 के दौरान कुल कितनी राशि क्रय पर खर्च की गई;

(ख) इन चार वर्षों के दौरान कितनी राशि का बिजली का सामान खरीदा गया; और

(ग) कितनी खरीद के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1978-79 से 1981 तक की अवधि में, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की गई खरीदों का कुल मूल्य निम्नलिखित है :—

1978-79 989.45 करोड़ रु०

1979-80—1186.87 करोड़ रु०

1980-81—1490.46 करोड़ रु०

(ख) उपर्युक्त अवधि में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की गई बिजली के सामान की खरीदों का कुल मूल्य यह है : —

1978-79—17.25 करोड़ रु०

1979-80—23.00 करोड़ रु०

1980-81—30.62 करोड़ रु०

(ग) उपर्युक्त अवधि में जिन कुल खरीदों के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया, वे ये हैं :

1978-79 52 48 करोड़ रु०

1979-80—57.28 करोड़ रु०

1980-81 58.22 करोड़ रु०

टिप्पणी—1

क्रय आंकड़ों को वित्तीय वर्ष के अनुसार रखा जाता है और तदनुसार ब्यौरा दिया गया है।

टिप्पणी 2

भाग (ग) आयातित भंडार के जहाज तक निःशुल्क मूल्य का संकेत करता है।

केन्द्र-निदेशक, आकाशवाणी पटना को श्रमिक संघों द्वारा दिया गया ज्ञापन

1464. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठ श्रमिक संघों की राज्य आंदोलन समिति ने 21 जनवरी, 1982 को आकाशवाणी के पटना केन्द्र के सामने कर्मचारियों, श्रमिकों और पटना के नागरिकों के एक विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल केन्द्र-निदेशक से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) यह सच है कि आकाशवाणी के पटना केन्द्र के सामने 21-1-1982 को एक विरोध प्रदर्शन हुआ था।

(ख) जी, हां।

(ग) ज्ञापन में आकाशवाणी द्वारा तथा विशेषकर पटना केन्द्र द्वारा 19-1-82 के बन्द के बारे में किए गये कवरेज के प्रति विरोध प्रकट किया गया था और उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया था कि कवरेज पक्षपातपूर्ण था और वस्तुनिष्ठ नहीं था ।

(घ) उपरोक्त आरोप सही नहीं हैं । आकाशवाणी से 19-1-82 के बन्द को अपरान्ह 3-10 बजे तथा अपरान्ह 7-30 बजे के अपने प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में, समाचारों के प्रसार के सामान्य मानदण्डों अर्थात् वस्तुनिष्ठता, उचित रूप से तथा संतुलित ढंग से, के आधार पर पर्याप्त रूप से कवर किया था । इसके अलावा राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता द्वारा किए गए इस दावे को कि 19-1-82 को हड़ताल सफल थी और उनके इस वक्तव्य को कि सरकार ने हड़ताल की स्थिति की गलत तस्वीर प्रस्तुत की थी, को भी पटना केन्द्र के 20-1-1982 के सुबह के बुलेटिन में कवर किया गया था ।

सरकारी उपक्रमों में हानि और रक्षित बिजली संयंत्र की आवश्यकता

1465. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने संयंत्र चालू किए जाने से लेकर, बिजली की कमी के कारण कितना नुक्सान उठाना पड़ा है, संयंत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या रक्षित बिजली संयंत्र की आवश्यकता सरकार की जानकारी में अभी आई है अथवा कुछ समय पूर्व आई थी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हानियां विभिन्न कारणों से हुई हैं । विद्युत की कमी हानि के विभिन्न कारणों में से केवल एक कारण है । केवल विद्युत की ही कमी के कारण सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को हुई हानियों की मात्रा ठीक-ठीक बता सकना संभव नहीं है ।

(ख) आवश्यक उद्योगों के लिए केप्टिव विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता को सरकार ने हमेशा ही माना है । लगभग 3,000 मेगावाट की क्षमता के केप्टिव विद्युत संयंत्र विभिन्न उद्योगों में पहले ही प्रचालन में हैं ।

खाना पकाने की गैस की उत्पादन क्षमता

1466. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्वियन :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाना पकाने की गैस की उत्पादन क्षमता क्या थी और गैस का वास्तविक उत्पादन कितना था;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नए गैस कनेक्शन दिए गए; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1981 को गैस कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े थे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) शोधनशालाओं में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) की उत्पादन क्षमता समय-समय पर परिवर्तित होती है जोकि कूड थ्रूपूट, कूड मिक्स तथा गौण संसाधन सुविधाओं के प्रचालन पर निर्भर करती है । इस कारण इस सम्बन्ध में वर्षवार ब्यौरे दर्शाना सम्भव नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

(1000" मी० टनों में)

	1979-80	1980-81	1981-82 (अप्रैल 1981 से जनवरी 1982 तक)
शोधनशालाएं	406	366	348 5
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का उरान संयंत्र	—	—	52.4
योग	406	*366	400.9

*बरौनी शोधनशाला के बन्द होने के कारण कमी।

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस के कुल लगभग 10,48,000 गैस कनेक्शन जारी किये गये थे।

(ग) दिनांक 31.12.1981 की यथा स्थिति को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची में लगभग 40 लाख आवेदक दर्ज हैं।

राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा ध्वनि प्रदूषण

1467. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कैमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, चैम्बूर, बम्बई ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स चैम्बूर, बम्बई द्वारा लिए जा रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चैम्बूर, बम्बई के निवासियों ने विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो संयंत्र ध्वनि को कम करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) ट्राम्बे ।/प्लांट के प्लांट और उपकरण के चालू करने के दौरान कुछ ध्वनि प्रदूषण हुआ ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्लांट का संचालन कार्यकलाप पूरा हो गया है । प्लांट के संचालन के दौरान कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं हुआ ।

"ओन योर ओन टेलीफोन" (ओ० वाई० टी०) योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन

1468. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'ओन योर ओन टेलीफोन" योजना के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कनेक्शन के लिए अधिकतम प्रतीक्षा समय क्या है; और

(ग) कनेक्शनों के लिए पुराने पड़े आवेदनों के निपटान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ओ० वाई० टी० योजना के अन्तर्गत 31-12-1981 तक करीब 17,000 कनेक्शन दिये जा चुके हैं ।

(ख) प्रतीक्षा सूची की स्थिति विभिन्न एक्सचेंजों में वहां प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों की संख्या तथा विस्तार कार्यक्रम के आकार पर निर्भर करती है । ओ० वाई० टी० के अन्तर्गत औसत प्रतीक्षा अवधि दो से तीन वर्ष है जिसे छठी योजना की शेष अवधि में एक से दो वर्ष तक कम किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) वर्तमान एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है तथा नए एक्सचेंज खोले जा रहे हैं ।

महत्वपूर्ण क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के रक्षित विद्युत सयंत्र

1469. **श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महत्वपूर्ण क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों की सहायता करने के लिए कितने और किन-किन स्थानों पर तापीय विद्युत संयन्त्र स्थापित किये जाएंगे;

(ख) इन एककों में इस समय कितनी क्षमता का उपयोग होता है तथा प्रस्तावित रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के बाद कितनी क्षमता का उपयोग किए जाने की आशा है; तत्संबंधी संयंत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है; उनका संयंत्रवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषध कम्पनियों द्वारा औषधियों के उत्पादन में कटौती

1470. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक औषध कम्पनियों ने आवश्यक औषधियों के उत्पादन में कटौती की है और औषधियों की, विशेषकर, क्षय रोग रोधी दवाइयों, क्लोरयरफेंनीन कोल, सल्फा फेनेज़ोल, सल्फा सोमाइडीन, विटामिन डी-3 की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो औषधियों के उत्पादन में कटौती और कमियों के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) से (ग) अप्रैल, अक्टूबर, 1981 के दौरान पी० ए० एस० और आई० एन० एच० जैसी कुछ टी० वी० निरोधी औषधों का उत्पादन वर्ष, 1981 की तदनुसार अवधि की तुलना में कम हुआ है। जबकि इथमबूटोल जैसी अन्य टी० वी० निरोधी औषधों का उत्पादन बढ़ा है। पी० ए० एस० और आई० एन० एच० के उत्पादन में कमी का सम्बन्ध इथमबूटोन जैसी अधिक प्रभावी औषधों का वरीयता दिये जाने के कारण मांग में कमी से है। सल्फासोफिडाइन, सल्फाफिनाजोल और विटामिन डी-3 के मामले में औद्योगिक अशांति के कारण उत्पादन में कमी हुई है जो कि अब शांत हो गई है। क्लोरमफेनीकोल पाउडर के मूल्य स्तर से उत्पादन पर एल वेस नामक एक आयातित मध्यवर्ती से निर्मित क्लोरमफेनीकोल की आसान उपलब्धता के कारण प्रभाव पड़ा। सम्पूर्ण रूप से कोई कमी नहीं है।

उक्त अवधि के दौरान मलेरिया निरोधी, कोड निरोधी सल्फा औषधों जैसी अनेक औषधों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

उत्पादन पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है और जहां कहीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही करना अपेक्षित हो वहां उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। जहाँ मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है वहां आयात किया जाता है। आयात की अनुमति दी जाती है। जहां स्वदेशी उत्पादन से मांग अधिक है अथवा अधिक होने की आशा है वहां नये लाइसेंस दिये जाते हैं अथवा पंजीकृत किये जाते हैं।

साउथ कुजामा कोलियरी में खनिक का बेहोश हो जाना

1471. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत कोकिंग कोल लि० के अधीन साउथ कुजामा कोलियरी में 10 जनवरी, 1982 को कोई खनिक बेहोश हो गया था, क्योंकि पूरी कोलियारी में कार्बन मोनोक्साइड गैस फैल गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) साउथ कुजमा कोलियरी में 10-1-1982 को कोई भी खनिक बेहोश नहीं हुआ। परन्तु एक खनिक को 14-1-1982 को भूमिगत खान में उल्टी होनी शुरू हो गई थी और संदेह था कि यह कारबन मोनाक्साइड के जहर के कारण हुआ था। उसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में आवश्यक इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। उस समय खान में जो लोग काम कर रहे थे उन सब को—उक्त स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक लोगों को छोड़कर बाहर बुला लिया गया था।

(घ) सभी भूमिगत खनन स्थलों पर सांविधिक निरीक्षण कारबन मोनाक्साइड के परीक्षण के लिए निर्धारित औजारों की सहायता से किया जाता है और इस बात के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाती है कि खनिकों को तुरन्त बाहर निकाल लिया जाए और खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा कोयला खान बचाव केन्द्र के नियमों के अनुसार, जैसा आवश्यक हो उस रीति से, स्थिति से निपटा जाए।

मध्य प्रदेश में खानों के मुहानों पर कोयले का भारी स्टाक

1472. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोयला खानों के मुहानों पर कोयले का भारी स्टाक पड़ा हुआ है जिसे रेल वैगनों की कमी के कारण उठाया नहीं जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो मुहानों पर पड़े कोयले को उठाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) दिनांक 1-1-1982 की स्थिति के अनुसार, लगभग 2.50 मिलियन टन कोयला मध्य प्रदेश में कोयला खानों के खान मुहानों पर पड़ा हुआ था जो लगभग उतना ही था जितना दिनांक 1-1-1981 को था। वर्तमान उत्पादन स्तर के अनुसार यह मध्य प्रदेश की कोयला खानों का लगभग एक महीने का उत्पादन है। इतना स्टाक सामान्य समझा जाता है।

(ख) मध्य प्रदेश में वैगनों की सप्लाई और लदान में काफी सुधार हुआ है और इस वर्ष औसतन लदान का स्तर गत वर्ष के लदान से लगभग 140 वैगन प्रतिदिन अधिक है। एक ओर लदान में सुधार होने की आशा है तथा दूसरी ओर सड़क द्वारा ले जाने के लिए भी उतना कोयला दिया जाता है जितना रेल द्वारा ले जाने में कम रह जाता है। जिन खानों से कोयले की खुली बिक्री की जाती है वहां से भी सड़क द्वारा ले जाने के लिए कोयला दे दिया जाता है।

टेलीफोन प्रयोक्ताओं के टेलीफोन काम न करने के लिए उनको मुआवजा

1473. **श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई शहर में सैकड़ों ऐसे टेलीफोन हैं जिन्हें "डैड" (खराब) घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बम्बई के कौन-कौन से क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं;

(ग) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं को उनके टेलीफोन के काम न करने के लिए मुआवजा देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बम्बई टेलीफोन की टेलीफोन प्रणाली की शिकायतों की कुल संख्या के एक प्रतिशत के लगभग शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सामान्यतः इसकी एक चौथाई शिकायतें उन टेलीफोनों से संबंधित हैं जिनको "डैड" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी दोष को ठीक करने का औसत समय 16 घंटों के क्रम में है तथा दोषों को दूर करने की प्रगति को निरन्तर मानीटर किया जाता है।

(ख) दोष किसी विशेष क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) अहमदाबाद में एक पायलेट स्कीम परीक्षणाधीन है जिससे उन टेलीफोनों के मामले में छूट प्रदान करने पर विचार किया जाएगा जो एक तिमाही में 45 दिन अथवा उससे अधिक समय तक खराब रहते हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की मांग और पूर्ति

1474. **श्री चित्त महाटा :**

श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में तथा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में खाना पकाने की गैस देने के संबन्ध में मांग और पूर्ति की आज तक की स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस की मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार सभी को खाना पकाने की गैस कब तक प्रदान करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) मिट्टी का तेल, लकड़ी आदि जैसे वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, देश में एल० पी० जी० (कुकिंग गैस) की सही मांग बताना संभव नहीं है। 30.9.81 को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एल० पी० जी० उपभोक्ताओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) गत वर्षों में एल० पी० जी० की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण एल० पी० जी० कनेक्शन बड़े पैमाने पर नहीं दिये गये थे। देश में एल० पी० जी० की बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ तेल कम्पनियों ने नये गैस कनेक्शन देना पहले ही आरम्भ कर दिया है।

एल० पी० जी० उपलब्ध होने पर, एल० पी० जी० कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची के आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सम्पन्न किये जाने की संभावना है।

विवरण

30.9.81 को कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) के पंजीकृत उपभोक्ताओं के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम		उपभोक्ताओं की संख्या
1		2
1. जम्मू और काश्मीर	...	21,460
2. आन्ध्र प्रदेश	...	2,78,523
3. महाराष्ट्र	...	10,50,252
4. कर्नाटक	...	1,92,887
5. उड़ीसा	...	43.469
6. मध्य प्रदेश	...	1,94,075
7. गुजरात	...	3,80,551
8. राजस्थान	...	58,084
9. हरियाणा	...	62,988

1		2
10. असम*	---	44,757
11. हिमाचल प्रदेश	---	8,769
12. बिहार	---	1,19,013
13. केरल	---	68,823
14. पंजाब	---	59,943
15. तमिलनाडू**	---	2,91,884
16. उत्तर प्रदेश	---	3,10,893
17. पश्चिम बंगाल	---	2,03,960
18. चण्डीगढ़	---	28,548
19. गोवा	---	15,224
20. दिल्ली	---	3,57,635
	योग	37,91,748

*मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।

**पान्डिचेरी शामिल है।

राजस्थान में एल० पी० जी० (कुकिंग गैस) कनेक्शनों के जिला-वार ब्यौरे

जिले का नाम		कनेक्शनों की संख्या
1. जयपुर	---	23,015
2. अजमेर	---	7,775
3. जोधपुर	---	8,818
4. झुनझुन	---	3,612
5. उदयपुर	---	8,508
6. कोटा	---	9,619
	योग	61,347

बंगलौर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये पंजीकरण

1475. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में टेलीफोन लेने के लिए कितने व्यक्तियों और संस्थानों के आवेदन-पत्र (डिवीजन-वार) पंजीकृत हैं;

(ख) उनके पंजीकरण का महीना और वर्ष कौनसा है; और

(ग) इन सबको टेलीफोन कनेक्शन देने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) क्षेत्रवार सूचना नीचे दी गई है :—

एक्सचेंज का क्षेत्र		1-2-1982 को प्रतीक्षा सूची में आवेदनों की संख्या
सेन्ट्रल	...	600
ऊलसूर	...	912
कृष्णराजपुरम	...	85
शंकरपुरम	...	1077
जयनगर	...	1736
मालेश्वरम	...	998
राजाजी नगर	...	1854
पीन्या	...	259
प्रस्तावित नया शहर	...	649
	योग :	8170

अभी हाल ही में मंजूर किये गए 7,000 कनेक्शन इसमें शामिल नहीं हैं।

(ख) 8,170 आवेदकों में से प्रत्येक का रजिस्ट्रेशन महीना एवं वर्ष से संबन्धित सूचना की सूची बहुत बड़ी है जिसको यहां दे पाना असंभव है परन्तु बंगलौर के महाप्रबंधक टेलीफोन्स द्वारा रखे गए प्रतीक्षा सूची रजिस्टर में यह सूचना उपलब्ध है। तथापि, बंगलौर के विभिन्न एक्सचेंजों में निपटाए गए आवेदनों की अन्तिम तारीख आगे दी गई हैं :—

एक्सचेंज		जिस तारीख तक प्रतीक्षा सूची निपटा दी गई है
सेन्ट्रल	---	30-11-81
ऊलसूर	---	11-9-81
कृष्णराजपुरम	---	24-9-80
शंकरपुरम	---	15-2-80
जयनगर	---	30-1-78
मालेश्वरम	---	15-12-80
राजाजी नगर	---	30-9-77
पीन्या	---	1-5-79

(ग) अधिकांशतः मौजूदा आवेदनों को छठी योजना में निपटाने की संभावना है।

सूचना के क्षेत्र में भारत-इराक सहयोग

1476. **श्री आर० आर० भोले :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सूचना के क्षेत्र में भारत और इराक के बीच अधिक द्विपक्षीय सहयोग तथा वहां पर जनवरी, 1982 में हुई विशेषज्ञ स्तर की बैठक से सम्बद्ध मामलों पर भी अपने समकक्ष इराकी मंत्री से चर्चा करने हेतु जनवरी, 1982 में इराक की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी वार्ता का क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। सूचना और प्रसारण मंत्री ने सूचना और जन संपर्क माध्यमों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत करने के लिए 7 जनवरी से 12 जनवरी, 1982 तक इराक की यात्रा की थी।

(ख) रेडियो, टेलीविजन और सूचना के क्षेत्र में विस्तार से बातचीत हुई थी। इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देशों के बीच एक प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए जाएं जिसमें सूचना और जन संपर्क माध्यमों से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया जाए। दोनों देशों की समाचार एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की गति तेज करने की आवश्यकता पर तथा गुट-निरपेक्ष देशों के विशेषज्ञ दल की नई दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए तैयारियों पर भी बातचीत हुई थी। गुट-निरपेक्ष देशों के बीच सूचना के क्षेत्र में गतिविधियों से संबंधित मुद्दों और समस्याओं के प्रति सामान्य दृष्टिकोण की आवश्यकता को दोहराया गया था। इराक में भारतीय

फिल्मों के आयात के प्रश्न पर विचार किया गया था और इस बात पर सहमति हुई थी कि भारतीय फिल्मों की अवांछनीय तस्करी को रोकने के लिए गैर-सरकारी आयतक भारतीय फिल्मों का आयात राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से कर सकते हैं।

न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार

1477. **श्री संतोष मोहन देव :**

श्री एन० ई० होरो : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उनके वेतन की आय-कर से छूट देने पर भी विचार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) सरकार न्यायाधीशों के वेतन को आय-कर से छूट दिए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। यात्रा भत्ते को उदार बनाने, सरकार भत्ते में वृद्धि करने, छुट्टी के लिए नकद संदाय करने, प्रवहण भत्ते में वृद्धि करने तथा पेंशन के कतिपय फायदों के सबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं और इन पर विचार किया जा रहा है। यह बताना संभव नहीं है कि इन सुझावों पर कितने समय के भीतर कोई विनिश्चय कर लिया जाएगा।

स्टाफ आर्टिस्टों को सुविधाए

1478. **श्री टी० एस० नेगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाया जा रहा है ताकि वे पेंशन के हकदार हो सकें।

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टाफ आर्टिस्टों को और सुविधाएं देने तथा उनकी जल्दी-जल्दी पदोन्नति करने का जिससे उनकी विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया जा सके, भी प्रावधान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों, जो अनुबंधित कर्मचारी हैं, को वे अधिकांश सुविधाएं पहले ही मिल रही हैं जो केन्द्री-

सरकार के नियमित कर्मचारियों को मिलती हैं। किन्तु वे पेंशन के लाभों के पात्र नहीं हैं; तथापि, इस प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार करने के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है। इस प्रकार की योजना को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है और सरकार के आदेश उक्त योजना के अन्तिम रूप से स्वीकृत हो जाने के बाद जारी किए जाएंगे। उसके बाद, विशेषज्ञता के आधार पर आगे तरक्की के लिए जो सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं, उनमें वृद्धि हो सकेगी।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन

1479. **श्री जेवियर अराकल :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की व्यवस्था करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : विधि आयोग ने अपनी 77वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की सिफारिश की है। इस विषय पर राज्य सरकारों को उनसे विचार जानने के लिए लिखा गया है।

अखबारी कागज पर शुल्क

1480. **प्रो० रूप चंद पाल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एडिटर्स गिल्ड आफ इण्डिया से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें अनुरोध किया गया है कि अखबारी कागज पर शुल्क समाप्त किया जाए और उसे कम करके पहले की दरों पर किया जाए तथा समाचार-पत्रों के लिये पहले वाली रेल तथा डाक-तार दरें लागू करें;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सम्पादकों के अनुरोध को मानने से पहले सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समाचार पत्रों के मूल्यों में उसी अनुपात में कमी की जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

"आयल, गैस फाउंड इन कावेरी बेसिन" शीर्षक से समाचार

1481. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री के० टी० कोसलराम :

डा० स्वामी :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री राम विलास पासवान : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जनवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "आयल, गैस फाउण्ड इन कावेरी बेसिन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी जहाज, गेटिसबर्ग द्वारा कावेरी बेसिन के पाक जल-डमरू मध्य क्षेत्र में खोदे गये दूसरे कुएं में तेल तथा गैस के होने के संकेत मिले हैं; यदि हां, तो प्रत्येक की कुल अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस क्षेत्र में तेल का उपयोग करने हेतु शीघ्र उत्पादन व्यवस्था के लिए विदेशी पार्टियों से प्रस्ताव मांगे हैं और दो प्रस्ताव मिल भी चुके हैं;

(घ) क्या उत्पादन सुविधाओं का लक्ष्य प्रतिदिन एसोसियेटेड गैस के साथ 10,000 से 20,000 बैरल के बीच तेल का कार्य करने का है; और

(ङ) खुदाई कार्यों सहित इस बारे में अब तक कितना विकास हुआ है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) व्यधन के दौरान कावेरी बेसिन के पाक जलडमरू मध्य क्षेत्र में पी० एच० 9 संरचना में व्यधन किये गये दूसरे कूप में तेल एवं गैस का होना देखा गया है। वर्तमान में इस कूप में उत्पादन परीक्षण प्रगति पर है। खोज की व्यापारिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए कुछ और कूपों का व्यधन करना पड़ेगा।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पाक की खाड़ी/कावेरी बेसिन के लिए शीघ्र उत्पादन प्रणाली के लिए संकल्पना आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अग्रिम कार्यवाही की है। क्षेत्र के मूल्यांकन तथा व्यापारिक व्यवहार्यता के प्रमाणित हो जाने के पश्चात संकल्पना को अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा इसके आधार पर कार्य प्रदान करने के लिए संविदाएं आमंत्रित की जायेगीं।

(घ) इसको अन्तिम रूप तभी दिया जायेगा जबकि क्षेत्र के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो जायेगा।

(ङ) इस क्षेत्र में व्यधन के लिए तीन और स्थलों को जारी किया गया है जिन्हें कि क्रमानुसार लिया जायेगा ।

होटलों के लिए इलेक्ट्रानिक प्राइवेट आटोमेटिक बाक्स एक्सचेंजों का आयात

1482. **श्री एन० ई० होरो : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जो होटल बनाये जा रहे हैं अथवा जो एशियाई खेलों के लिए सुसज्जित किये जा रहे हैं उनके लिए कुछ इलेक्ट्रानिक प्राइवेट आटोमेटिक बाक्स एक्सचेंज (पी० ए० बी० एक्स) का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ ऐसे आटोमेटिक बाक्स एक्सचेंज (टेलीफोन) के निर्माण के सम्बन्ध में सुविधाएं प्रदान करने और इस बारे में भारी विदेशी मुद्रा की बचत करने की स्थिति में नहीं है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

(ग) पालघाट में विनिर्माण हेतु भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा इलेक्ट्रानिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (पी० ए० बी० एक्स०) विकसित किये जा रहे हैं । एशियाई खेलों की आवश्यकता को विशेष रूप से पूरा करने के लिए सीमित समय कार्यक्रम को देखते हुए आयात का सहारा लिया गया है ।

विवरण

एशियाड 1982 के लिए स्थापित किए जाने वाले पी० ए० बी० एक्स० (इलेक्ट्रानिक) की सूची

क्र० सं०	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के किरायेदार का नाम	इले० पी० ए० बी० एक्स० की स्थापित क्षमता	स्थान
1	2	3	4
1.	मै० एशियन होटल	1000 लाइनें	भीकाएजी कामा प्लेस
2.	मै० ओवराय इंटरकांटिनेंटल	1000 ,,	जाकिर हुसैन मार्ग
3.	मै० इण्डियन होटल कं० लि०	800 ,,	सरदार पटेल मार्ग

1	2	3		4
4.	मै० मोर्य शेराटन	900	लाइनें	सरदार पटेल मार्ग
5.	अशोक होटल	1000	,,	चाणक्यपुरी
6.	इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया (आई० ए० ए० आई०)	800	,,	दिल्ली एयर पोर्ट
7.	होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया (होटल सैन्टोर)	700	,,	न्यू इन्टरनेशल कैम्पस (पालल)
8.	मै० दिल्ली आटोमोबाइल्स (भारत होटल)	800	,,	बाराखम्बा रोड
9.	मै० प्योर ड्रिंक्स प्रा० लि० (होटल मैरिडियन)	1000	,,	विंडसर प्लेस (जनपथ)
10.	होटल कौटिल्स आई० टी० डी० सी० (होटल सम्राट)	500	,,	कौटिल्स मार्ग
11.	मै० नादर्न एन्टरप्राइजेज कार्पो० (पार्क होटल)	400	,,	संसद मार्ग
12.	मै० कास्मोपेलिटन बिल्डर्स एण्ड होटल प्रा० लि० (सूर्य इन्टरनेशनल)	400	,,	न्यू फ्रैंडस कालोनी
13.	होटल सिद्धार्थ इन्टरनेशनल	300	,,	वसन्त विहार
14.	ओबराय मेडन्स होटल	200	,,	अलीपुर रोड
15.	ताजमहल होटल	600	,,	मान सिंह रोड
16.	गेम्स विलेज सीरी फोर्ट	300	,,	सीरी फोर्ट

मध्य प्रदेश में कोरबा में जनरेटिंग सेटों का खराब हो जाना

1483. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोरबा, अमरकंटक और सतपुड़ा के तापीय विद्युत केन्द्रों में पांच जनरेटिंग सेटों के खराब हो जाने के कारण विद्युत उत्पादन में भारी कमी हो गई और इस कारण उद्योगों को विद्युत की सप्लाई रोक दी गई; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत प्सलाई की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश मुख्य रूप से, उत्पादन क्षमता अपर्याप्त होने के कारण विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। जनवरी, 1982 के अंतिम सप्ताह और फरवरी, 1982 के प्रथम सप्ताह की थोड़ी सी अवधि को छोड़कर, राज्य में अक्टूबर 1981 से विद्युत उत्पादन की स्थिति संतोषजनक रही है। 21 ताप विद्युत यूनिटों में से इस समय केवल 2 यूनिटों का वृहत मरम्मत कार्य किया जा रहा है और एक यूनिट की वार्षिक ओवरहालिंग की जा रही है। तथापि, मांग और पूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों पर 10 से 50 प्रतिशत तक की भिन्न-भिन्न मात्रा की मांग कटौतियां और 15 से 25 प्रतिशत की भिन्न-भिन्न मात्रा की ऊर्जा कटौतियां लगाई हैं। यह कहना उचित नहीं है कि उद्योगों को विद्युत सप्लाई रोक दी गई है।

(ख) चूंकि निकटवर्ती राज्य/प्रणालियां भी विद्युत की कमी का सामना कर रही हैं, मध्य प्रदेश को कोई सहायता देना संभव नहीं हुआ है। वर्ष 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार हो जाने की आशा है क्योंकि 420 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को चालू कर लिए जाने की संभावना है।

बंबई उच्च न्यायालय में लूटखसोट

1484. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंबई उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के चैंबर में हाल ही में लूटखसोट हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क), (ख), (ग) और (घ) बंबई उच्च न्यायालय के प्रोथो नोटरी और सीनियर मास्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थिति यह है कि बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के चैंबर में लूटखसोट नहीं हुई थी। न्यायालय ने यह सूचना भी दी है कि, 4-12-1981 को 1981 की रिट पिटीशन सं० 1104 में निर्णय न्यायमूर्ति श्री पी० बी० सावंत और न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता मनोहर द्वारा सुनाया गया था। इस रिट पिटीशन में राज्य सराकर और मुख्य न्यायाधिपति प्रत्यर्थी थे। शाम को देर से राज्य सरकार ने अत्यावश्यक रूप से एक अपील फाइल करने और अंतरिम आदेश प्राप्त करने का विनिश्चय किया था इसलिए उस निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों की आवश्यकता थी। न्यायमूर्ति श्री सावंत ने निर्णय की एक प्रति अपने एक सहयोगी को पढ़ने के लिए दी थी

और वह प्रति उस न्यायाधीश की सहमति से उसके चैंबर से ली गई थी। न्यायमूर्ति श्री सावंत का चैंबर भी यह देखने के लिए खोला गया था कि क्या निर्णय की कोई अतिरिक्त प्रति उस चैंबर में थी। उच्च न्यायालय ने यह भी सूचित किया है कि न्यायाधीशों के अनुरोध पर न्यायमूर्ति सावंत ने शिकायत को और उस शिकायत पर न्यायमूर्ति श्री डी० पी० मदन ने उस मामले में अनौपचारिक जांच की। उस जांच का परिणाम न्यायमूर्ति श्री मदन द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को सूचित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति श्री सावंत सहित किसी भी न्यायाधीश ने यह आवश्यक नहीं समझा कि उस संबंध में कोई कार्रवाई की जाए।

विद्युत केंद्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष सैल

1485. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने और नई क्षमता बनाने के लिए किसी नई योजना को क्रियान्वित करने हेतु कोई विशेष सैल बनाया है;

(ख) नई योजना पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) सुधार और नवीकरण योजनाएं क्रियान्वित किए जाने के बाद कौन-कौन से प्रमुख विद्युत केंद्रों का कार्यकरण सुधारेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विद्यमान विद्युत संयंत्रों की क्षमता का अधिनिर्धारण किये जाने के बाबत जांच की जा रही है। इस समय निम्नलिखित विद्युत केंद्रों पर, क्षमता अधिनिर्धारण संबंधी अध्ययन हाथ में लिए गए हैं।

(1) **जल विद्युत :**

भाखड़ा दायां तट
भाखड़ा बायां तट
शरावती
सुन्डाह सीरीज
उकाई
चिबरो
रिहन्द

(2) **ताप विद्युत :**

इन्द्रप्रस्थ
तलचेर
ओबरा
धुवारण
एन्नौर

इन प्रस्तावों की अनुमानित लागत इस विषय पर किए जाने वाले अध्ययन पूरे होने के पश्चात् ही उपलब्ध होगी ।

कर्नाटक में विद्युत संकट तथा काली नदी परियोजना के चौथे एकक को सहायता

1486. **श्री एम० बी० सिदनाल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में विद्युत के मामले में भारी संकट की जानकारी है जिससे बार-बार होने वाले विद्युत संकट के कारण राज्य को व्यापक बिजली कटौती और बिजली बन्द करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो रायचुर स्थित काली नदी तापीय विद्युत केंद्र के चौथे एकक को चालू करने, चल रही अन्य परियोजनाएं पूरी करने तथा दक्षिणी राज्यों के सहयोग से संयुक्त व्यापक कार्यक्रम तैयार करने में पहल करने में केंद्र का विचार कर्नाटक को कितनी सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कर्नाटक इस समय ऊर्जा की कमी का सामना कर रहा है । जनवरी, 1982 के दौरान 25 मि० यूनिट प्रतिदिन की मांग की तुलना में कर्नाटक में ऊर्जा की उपलब्धता 22 मि० यूनिट प्रतिदिन थी । मांग और उपलब्धता के बीच के इस अन्तर को पूरा करने के लिए राज्य ने उच्च वोल्टता उद्योगों पर 10 से 30 प्रतिशत तक की भिन्न भिन्न मात्रा की मांग कटौती तथा 10 से 33.33 प्रतिशत की भिन्न भिन्न मात्रा की ऊर्जा कटौती लागू की है । गत वर्ष फरवरी में विद्युत की कमी 14% थी जो इस वर्ष फरवरी में घट कर 12% रह गई है ।

(ख) और (ग) 135 मेगावाट की काली नदी यूनिट चार को 9 जनवरी, 1982 को रोटेट कर दिया गया है । 210-210 मेगावाट के दो यूनिटों वाले रायचुर ताप-विद्युत केंद्र की वर्ष 1984-85 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है । छठी योजना अवधि के दौरान कर्नाटक में जोड़ी जाने वाली कुल उत्पादन क्षमता 1195 मेगावाट होगी ।

अल्पकालिक उपाय के रूप में, आंध्र प्रदेश से प्रतिदिन लगभग 1.5 मि० यूनिट सहायता दिए जाने के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच द्विपक्षीय समझौते को अन्तिम रूप दे दिया गया है । यह सहायता आंध्र प्रदेश में ताप-विद्युत केंद्रों के कार्य-निष्पादन पर निर्भर होगी । कर्नाटक इस समय केरल और आंध्र प्रदेश से क्रमशः लगभग 1 मि० यूनिट प्रतिदिन, तथा 0.7 मि० यूनिट प्रतिदिन बिजली प्राप्त कर रहा है । कर्नाटक को रात्रि में अव्यस्ततम-अवधि के दौरान समय-समय पर महाराष्ट्र से भी सहायता मिल रही है । जून, 1982 में मानसून के आ जाने पर कर्नाटक में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार हो जाने की आशा है ।

छोटे समाचार पत्रों के संवाददाताओं पर समाज विरोधी तत्वों द्वारा हमला

1487. **श्रीमती माधुरी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाज-विरोधी तत्वों द्वारा परेशान किये जाने, आक्रमणों, हत्या और हमलों विशेषकर संवाददाताओं पर हमलों की बढ़ती हुई घटनाओं की जानकारी है;

(ख) पत्रकारों तथा समाचार-पत्रों के कार्यालयों पर परेशान करने तथा हमले की घटनायें रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) पत्रकारों और प्रेस की सम्पत्ति पर कथित आक्रमणों की यदा कदा रिपोर्टें समाचार पत्रों में छपती रही हैं।

(ख) और (ग) देश के वर्तमान कानून पत्रकारों और अन्य नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं। विशिष्ट रूप से पत्रकारों या प्रेस के लिए कोई विशेष उपबन्ध करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

दिल्ली में डाक तथा टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार

1488. **श्री एच० के० एल० भगत : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अगले दो वर्षों में डाक तथा टेलीफोन सुविधाओं के विस्तार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(1) **डाक** :

(i) दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में 22 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपयुक्त किरायों पर स्थान उपलब्ध हो जाएं जो कि फिलहाल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब कभी डाकघर खोलने हेतु जनता से मांग आती है इनकी जांच की जाती है तथा विभागीय मानदंडों के अनुरूप औचित्य ठहरने पर उक्त प्रतिबन्धों के अन्तर्गत डाकघर खोल दिये जाते हैं।

(ii) 1982-83 एवं 1983-84 वर्षों में प्रत्येक के दौरान दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के

लिये आने वाले दो वर्षों के दौरान कार्यभार के आधार पर और अधिक विभागेतर वितरण एजेंट नियुक्त किए जाने की आशा है।

(iii) राजधानी में डाक एवं वितरण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु 8 डाक वाहन अनुसूचियां प्रारम्भ करने की आशा है।

जहां तक उक्त योजना के 1983-84 के ग्रामीण भाग का संबंध है यह वार्षिक योजना 1983-84 में शामिल किए जाने की शर्त के अधीन है, जो कि उपयुक्त समय पर योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कराई जा सकती है।

2. **टेलीफोन :**

दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में 1982-83 के दौरान 47,300 तथा 1983-84 के दौरान 16,600 लाइनों के विस्तार का प्रस्ताव है। एक्सचेंज-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिल्ली के एक्सचेंजों का विस्तार कार्यक्रम :

क्रम सं०	एक्सचेंज	विस्तार 1982-83	कार्यक्रम 1983-84
1	2	3	4
1.	बहादुरगढ़	—	900 स्ट्रोजर
2.	बल्लभगढ़	—	1500 ,,
3.	छावनी	—	—
4.	चाणक्यपुरी	500 आई. टी. आई. क्रासबार	10,000* आयातित क्रासबार
5.	फरीदाबाद	—	1200 स्ट्रोजर
6.	हौजखास	1600	—
7.	जनकपुरी	—	—
8.	जनपथ	1000 आई. टी. आई. क्रासबार	2000 आई. टी. आई. क्रासबार
9.	करोल बाग	10,000 आयातित क्रासबार	—

1	2	3	4
10.	किदवई भवन	—	—
11.	नेहरू प्लेस	—	—
12.	सेना भवन	—	—
13.	शक्ति नगर	10,000* आयातित—क्रासवार	
14.	तीसहजारी	10000 ,,—	
15.	ईदगाह	10000 ,,	—
	यमुना पार क्षेत्र		
16.	गाजियाबाद	2000 आई. टी. आई. क्रासवार	—
17.	शाहदरा	1200 स्ट्रोजर	—
18.	शाहदरा पूर्व	1000 आई. टी. आई. क्रासवार	1000 आई. टी. आई. क्रासवार
	कुल :	47,300	16,600

टिप्पणी :—*आयातित एक्सचेंज ।

200 करोड़ रुपये से अधिक की आस्तियों वाली भारतीय कम्पनियां

1489. **श्री तारिक अनवर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कितनी भारतीय कम्पनियों की 200 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल आस्तियां हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 33 कम्पनियां थीं, जिन प्रत्येक की 31-3-1981 तक—दोनों ही केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र और निजी निगमित क्षेत्र में 200 करोड़ रु० और अधिक की आस्तियां थीं । इन 33 कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए जाते हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र :
1.	भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लि०
2.	भारत कुकिंग कोल कम्पनी लि०
3.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०
4.	सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि०
5.	कोल इंडिया लि०
6.	कुदरेमुख आयरन ओरे कं० लि०
7.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०
8.	हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लि०
9.	हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लि०
10.	हिन्दुस्तान कापर लि०
11.	नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०
12.	नैशनल फर्टीलाइजर्स लि०
13.	नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि०
14.	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि०
15.	हिन्दुस्तान अर्बन डवलपमैंट कारपोरेशन लि०
16.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
17.	राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि०
18.	वैस्टर्न कोल फील्ड्स लि०
19.	फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
20.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०
21.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि०
22.	इंडियन पैट्रोकेमीकल्स कारपोरेशन लि०
23.	नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड
24.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०

क्रम संख्या कम्पनी का नाम

25. ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०

26. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०

27. नैशनल हैंड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

निजी निगमित क्षेत्र :

28. गुजगात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर्स कंपनी लि०

29. सिंधिया स्टीम नैवागैशन कंपनी लि०

30. टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लि०

31. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०

32. एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज लि०

33. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमैन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ।

"माइक्रोवेव" पद्धति और "मल्टी चेनल" पद्धति

1490. **श्री सज्जन कुमार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 जनवरी, 1982 को केवल एक दिन के लिए ही देश के सभी दूरदर्शन केन्द्रों को "माइक्रोवेव" पद्धति और "एपल" से जोड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो इन दूरदर्शन केन्द्रों को स्थायी रूप से पद्धति के जरिये न जोड़ने के क्या कारण हैं ताकि लोग "मल्टी चेनल" पद्धति के ज़रिये अन्य दूरदर्शन केन्द्रों से भी कार्यक्रमों के प्रसारण को देखने की सुविधा उठा सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 26 जनवरी, 1982 को दिल्ली-बम्बई-मद्रास-बंगलौर-मसूरी, जलन्धर को माइक्रोवेव द्वारा; पुणे और अमृतसर को आफ एअरधारी और कलकत्तापिज को एपल द्वारा जोड़ा गया था।

(ख) एपल केवल एक प्रायोगिक उपग्रह है और इसका उपयोग एक वर्ष के इसके प्रत्याशित जीवन के दौरान विशेष अवसरों पर दूरदर्शन केन्द्रों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। माइक्रोवेव लिंक इस समय पहले ही निम्नानुसार उपलब्ध है :—

(1) दिल्ली-बम्बई-बंगलौर-मद्रास।

(2) दिल्ली-मसूरी।

निम्नलिखित मौजूदा दूरदर्शन केन्द्रों को डाक-तार द्वारा माइक्रोवेव लिंक द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव है :—

क्रम सं०	मार्ग	माइक्रोवेव मार्ग के मुकम्मल होने की लक्ष्य तिथि
1.	दिल्ली—लखनऊ—कलकत्ता	जून, 1982
2.	दिल्ली—कानपुर	जून, 1982
3.	दिल्ली जलन्धर श्रीनगर	जून, 1982
4.	बम्बई—पुणे	मई, 1982
5.	जलन्धर अमृतसर	जून, 1983
6.	दिल्ली—जयपुर	1984

इसके अलावा, छठी योजना अवधि के दौरान आसनसोल, मुर्शिदावाद, मदुरै, वाराणसी, विजयवाड़ा और पणजी में जो दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, उनको डाक-तार के माइक्रोवेव लिंक के साथ जोड़ा जाएगा ।

बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में तारघर और टेलीफोन केन्द्र खोलना

1491. **श्री त्रिलोक चन्द : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बुलंदशहर जिले में तारघर और टेलीफोन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इनके खोलने के प्रस्तावित स्थान कौन-कौन से हैं;

(ख) ये तारघर और टेलीफोन केन्द्र कब तक स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

प्रस्तावित स्थानों के नाम विवरण में दिए गये हैं ।

(ख) तारघर एवं टेलीफोन एक्सचेंज चालू योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर स्थापित किए जाएंगे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

तारघर एवं टेलीफोन एक्सचेंजों हेतु प्रस्तावित स्थान :

1. तार घर

सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त ताक तार घरों की सूची :

1. रामघाट 2. झझर 3. धनूरा 4. खलूर 5. परवाना 6. मालगढ़ 7. सरधा हवीवपुर 8. थपरवाला 9. हुवावाद 10. बानबोई 11. निसरुखा 12. गंगागढ़ 13. भैंसोली 14. जदोल 15. चितसोना 16. चंडोक 17. अहार 18. हाजीपुर 19. पिडरावल 20. मुमाई 21. कुराव 22. करोली बंगर 23. परसोल 24. तिलवेगम पुर 25. अहमदपुर चौराहा 26. धनौरी 27. केशवपुर 28. बेलसूरी 29. वारोली 30. मकरी 31. पवसेरा 32. खारुमोहनगर 33. वरहाना 34. बरोंडा 35. दयानतपुर 36. शेखपुर गोडवा 37. अमरगढ़ 38. औरंगावाद कासरे 39. बहसारा 40. बेलोन 41. विरोरा 42. चांदयाना 43. दौलतपुर खिर 44. गिरोरा 45. गंगरावली 46. संदौर 47. जएलन 48. खालौर (खावालोर) 49. लढाणा 50. मलकपुर 51. पालाकसेरे 52. रामपुर 53. साखणी 54. शेखूपुर 55. दोलतपुर 56. सतोहा 57. तलवार 58. उमरपुर 59. अहमद नगर 60. औरंगाबाद चादोक 61. भडीवा जेतरावाद 62. भूरु 63. बराल 64. बाशाहपुर 65. बरौली जसदेव पुर 66. चितौरा 67. ढाकली 68. गंनरोली बनवारीपुर 69. जालापुर 70. कचेसर 71. रावनी कटीरनगर 72. खेलिया कल्याणपुर 73. लाडपुर 74. मुडियाकापुर 75. महुद्दीन मुकलाना 76. नगलाबाल उर्फ बालक 77. मंगलौर 78. निर्माचयाना 79. पाबडरी 80. रिवादा 81. शाहपुर 82. देवराला 83. गोढ़ाणी 84. जहाँगीर पुर 85. नगलाखुसाल 86. सरोनपुर 87. तेकेरी 88. तेंवेराबुजुर्ग 89. विसारा 90. चपरोजा 91. चिपियाना बुजुर्ग 92. चिठेरा 93. घोडी वहेरा 94. गुम मणपुर 95, मिर्जापुर 96. सादुल्ला 97. सिकन्दराबाद (ग्रामीण) 98. तिलपता कारवास ।

II. टेलीफोन एक्सचेंज ।

1. नरोरा 2. मुवन बहादर नगर 3. जहांगोर पुर ।

दिल्ल में अच्छी किस्म के कोयले की कमी

1492. **श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्दी के मौसम के दौरान कोयले की अत्यधिक कमी है और भी थोड़ा सा कोयला उपलब्ध होता है वह धूल और पत्थर से भरा होता है और दिल्ली में कोयले के डिपुओं की भी कमी है;

(ख) यदि हां, तो अच्छी किस्म के कोयले की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए डिपुओं की जांच की गई थी कि वे अच्छी प्रकार का कोयला बेचें;

(घ) तत्काल ही कोयले की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) दिल्ली में कोयले की अत्यधिक कमी नहीं रही है। दिल्ली को सप्लाई किए गए कोयले की किस्म भी आमतौर पर संतोषजनक रही है।

(ग) दिल्ली प्रशासन कोयला डिपो की नियमित रूप से जांच करता है ताकि डिपो होल्डरों द्वारा उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की सही किस्म सुनिश्चित हो सके।

(घ) और (ङ) रेलवे दिल्ली को साफ्ट कोक पहुंचाने के काम को उच्च अग्रता प्रदान करती हैं। कोयला कंपनियां रेलवे के साथ परामर्श करके दिल्ली में उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए सभी प्रयास कर रही हैं।

कानपुर में टेलीफोन घोटाला

1493. **श्री मगनभाई बरोट :**

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने टेलीफोन विभाग द्वारा की गई करोड़ों रुपये मूल्य की जाली खरीदारियों के सम्बन्ध में कानपुर में व्यापक छापे मारे हैं;

(ख) संबद्ध राशि के बारे में सरकार के पास उपलब्ध प्रारम्भिक जानकारी क्या है और बोगस खरीदारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खरीदारियों में संबद्ध टेलीफोन विभाग के कौन-कौन अधिकारी हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कानपुर टेलीफोन जिला कानपुर के कार्यालय में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच के एक अंश के रूप में अग्रदाय लेखा तथा नकद खरीद के मामले में खयानत के आरोप के सिलसिले में कुछ तलाशियां ली हैं।

(ख) एवं (ग) मामले की अभी भी जांच चल रही है तथा रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

कोयला क्षेत्रों के मुहानों से कोयले की ढुलाई

1494. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान विभिन्न कोयला क्षेत्रों से कितने मीट्रिक टन कोयले की ढुलाई की गई;

(ख) 31 दिसम्बर, 1981 को कोयला क्षेत्रों के मुहानों में कोयले का कितना स्टाक उपलब्ध था;

(ग) देश में क्षेत्रवार आवश्यकता पर दूरवर्ती स्थानों को कोयला ढोने के लिये रेलवे द्वारा कितने वैगन आवंटित किये गये थे;

(घ) क्या कोयला अधिकारियों द्वारा रेलवे विभाग से खाली वैगन प्राप्त करने में कोई विलम्ब नोटिस दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है (विवरण-पत्र) जिसमें यह सूचनाएं दी गई हैं : कोयला कंपनियों द्वारा लदान के लिए रेलवे को किए गए प्रस्ताव जो वैगनों की अभीष्ट संख्या बताते हैं; रेलवे द्वारा वैगनों का आवंटन तथा वैगनों और मात्रा के अनुसार किया गया वास्तविक लदान। यह सूचना कोल इण्डिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० के सम्बन्ध में 1981 के लिए क्षेत्र-वार दी गई है।

(ख) दिनांक 1-1-1981 को एरिया-वार और कंपनीवार कोयला स्टाक विवरण दो में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) रेलवे ने कोयला कम्पनियों द्वारा बनाई गई अभीष्ट संख्या की तुलना में कम वैगन सप्लाई किए हैं। रेलवे के अनुसार यह कमी मुख्य रूप से परिचालन सम्बन्धी समस्याओं के कारण हुई हैं।

विवरण-एक

एरिया/क्षेत्र	कोयला कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत वैगन-माल/आवश्यकता (चार पहिओं वाले वैगन प्रतिदिन)	रेलवे द्वारा किया गया आवंटन (चार पहियों वाले वैगन/दिन	लदान	
			वैगनों में (चार पहियों वाले वैगन प्रतिदिन)	मिलियन टनों में पूरे वर्ष 1981
1	2	3	4	5
आसनसोल	2082	1840	1705	14.21
आदरा	210	152	132	1.10
जोड़ (ई. को. लि.)	2292	1992	1837	15.31

1	2	3	4	5
झरिया	1593	1149	965	8.04
आसनसोल	99	91	80	0.66
आदरा	575	533	445	3.71
वाशरियां) सी. सी. डब्ल्यू. ओ.)	638	551	511	4.26
कुल (भा. को. को. लि.)	2905	2324	2001	16.62
करणपुरा	1323	1207	1047	8.73
सिंगरेनी	669	563	549	4.59
तालचेर	86	69	67	0.56
गिडी	37	26	23	0.19
देहरी और अन्य	136	86	73	0.61
वाशरियां	504	405	378	3.15
जोड़ (से. को. लि.)	2755	2356	2137	17.81
सेन्ट्रल इण्डिया कोलफील्ड्स	1893	1680	1591	13.26
कान्हन	147	147	148	1.24
पेंच (बी. जी. और एन. जी.)	206	199	179	1.49
वर्धा	305	304	270	2.25
नागपुर	108	106	88	0.73
जोड़ (वे. को. लि.)	2659	2436	2276	18.96
आसाम	68	48	47	0.39
जोड़ कोल इण्डिया	10679	9156	8298	69.15
सिंगरेनी	1009	1097	965	8.28

विवरण-दो

कम्पनी/एरिया	दिनांक 1-1-1982 को खान मुहाना स्टाक मिलियन टनों में)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० :	
1. पाण्डवेश्वर	0.28
2. बंकोला	0.14
3. क्रेन्डा	0.33
4. कजोरा	0.27
5. कुनुस्टोरिया	0.23
6. सतग्राम	0.13
7. श्रीपुर	0.19
8. दिशेरगढ़	0.13
9. सालनपुर	0.68
10. मुगमा	0.55
11. संथाल परगना खानें	0.61
जोड़ (ई. को. लि.)	3.54
भारत कोकिंग कोल लि० :	
12. बरोरा	0.43
13. महुदा	0.07
14. गोविन्दपुर	0.61
15. कटरास	0-46
16. सिजुआ	0.59
17. कुसमुन्डा	0.48
18. चोंच पिक्टोरिया	0.38
19. भागाबाद	0.49
20. कुस्टोर	0.31
21. बस्ताकोला	0.42
22. लोडना	0.24
23. भोरा	0.10
24. सुदामडीह	0.09
25. मुनीडीह	0.01
जोड़ (भा को. को. लि.)	4.58

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० :

26. बरकाकाना	0.47
27. अरगदा	0.48
28. हजारीबाग	0.40
29. नार्थ करणपुरा	0.37
30. कठारा	0.72
31. कारगली	0.10
32. उड़ीसा	0 34
33. सिंगरौली	0.25
34. रामगढ़	0.31
35. कुजु	0.60
36. धोरी	0.53
जोड़ (से. को. लि.)	5.03

वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

37. वर्धा	0.07
38. नागपुर	0.15
39. पाथरखेरा	0.06
40. कान्हन	0.07
41. पेंच	0.08
42. कोरबा	0.52
43. सोहागपुर	0.55
44. चिरीमिरी	0.55
45. बैकुण्ठपुर	0.40
46. झागराखण्ड	0.16
47. ईब घाटी	4.03
जोड़ (वे. को. लि.)	2.64
48. असम	0.02
जोड़ कोल इंडिया लि०	16.41
49. सिंगरेनी	0.35

उड़ीसा में बिजली की कमी

1495. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि उड़ीसा में सूखे की गम्भीर स्थिति के कारण अब उड़ीसा में बिजली की भारी कमी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि हीराकुन्ड में अब बिजली का उत्पादन गत वर्ष 120 मेगावाट के स्थान पर घटकर प्रतिदिन 85 मेगावाट रह गया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उड़ीसा में बिजली का कुल दैनिक उत्पादन गत वर्ष 460 मेगावाट के स्थान पर घटकर 300 मेगावाट रह गया है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में बिजली की कमी पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बलिमेला और मचकुन्ड जलाशयों के अपवाह क्षेत्रों में वर्षा कम होने के परिणामस्वरूप इन जलाशयों का जलस्तर पिछले वर्ष के जलस्तर से कम है। इसके परिणामस्वरूप जल विद्युत उत्पादन कम हुआ, तथा परिणामत: विद्युत उपलब्धता में कमी आई। इस समय उड़ीसा में ऊर्जा उपलब्धता लगभग 8.9 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। इसी तुलना में आवश्यकता 10.4 मिलियन यूनिट-प्रतिदिन है।

(ख) फरवरी, 1982 में होराकुन्ड में औसत उत्पादन लगभग 2.3 मिलियन यूनिट प्रतिदिन/96 मेगावाट था। इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 2.84 मिलियन यूनिट प्रतिदिन/118 मेगावाट था।

(ग) फरवरी, 1982 में उड़ीसा में औसत दैनिक उत्पादन 370 मेगावाट था। इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 423 मेगावाट था।

(घ) उड़ीसा में बिजली सप्लाई की स्थिति में जून, 1982 में मानसून के आरम्भ होने पर सुधार होने की आशा है।

माउंट आबू में दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केंद्र की स्थापना करना

1496. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के प्रसिद्ध और अनूठे पर्यटक केन्द्र माउंट आबू में एक दूरदर्शन केन्द्र और एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) संशोधनों के अभाव और सापेक्ष प्राथमिकता के कारण, इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की वर्तमान में या निकट भविष्य में योजना नहीं बनाई गई है । तथापि, माऊंट आबू रात के समय आकाशवाणी, जोधपुर की सेवा परिधि के अन्दर आता है ।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में भर्ती

1497. **श्री दिगम्बर सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में मथुरा तेल शोधक कारखाने में कितने व्यक्ति भर्ती किये जायेंगे; और

(ख) पदों के किन वर्गों के लिए भर्ती की जायेगी और इनकी अलग-अलग संख्या क्या है और इन पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए निर्धारित अर्हतायें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 1982 के दौरान मथुरा शोधनशाला में लगभग 300 व्यक्तियों को भरती किया जायेगा ।

(ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

पदनाम	पदों की संख्या	निर्धारित योग्यताएं	निर्धारित अनुभव
1	2	3	4
आपरेटर (पी० एन्ड० यू०) ग्रेड 3	5	वैधुत/यांत्रिकी ट्रेड में आई० टी० आई० प्रमाणपत्र सहित दसवी कक्षा बायलर दक्षता प्रमाणपत्र धारकों को प्राथमिकता दी जायेगी	5 वर्ष
ग्रेड 4	4	नहीं	3 वर्ष
आपरेटर (उत्पादन) ग्रेड 3	13	प्रक्रिया उद्योग में अनुभव सहित रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र सहित बी. एस. सी.	3-5 वर्ष
ग्रेड 4	40	रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र में बी० एस० सी०	अधिमानतः प्रक्रिया उद्योग

1	2	3	4
रखरखाव टैक्नीशीयन वैद्युत			
ग्रेड 3	7	आई० टी० आई० प्रमाणपत्र सहित हाई स्कूल	5 वर्ष
ग्रेड 4	4	आई० टी० आई० प्रमाणपत्र सहित हाई स्कूल	3 वर्ष
यांत्रिकी (सामान्य, फिटिर, रोटरी उपकरण, रिगर इत्यादि-ग्रेड 3	18	सम्बन्धित ट्रेड में आई० आई० सहित हाई स्कूल	सम्बन्धित क्षेत्र में 5 वर्ष
ग्रेड 4	16	सम्बन्धित ट्रेड में आई० टी० आई० सहित हाई स्कूल	सम्बन्धित क्षेत्र में 3 वर्ष
इंस्ट्यूमेशन ग्रेड 2	14	भौतिक शास्त्र सहित बी० एस० सी० या इस्ट् प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रानिक्स/ रेडियों, डिप्लोमा इंजीनियरी में डिप्लोमा याइस्ट् में आई० टी० आई० प्रमाणपत्र सहित हाई स्कूल	डिप्लोमा धारकों के लिये 5 वर्ष या आई. टी. आई. प्रमाण पत्र धारकों के मामले में 8 वर्ष
ग्रेड 3-वही	16	वही	बी० एस० सी० या डिप्लोमा धारकों के लिये 3 वर्ष तथा आई. टी. आई. प्रमाण पत्र धारकों के लिये 5 वर्ष
लोको आपरेटर	6	अधिमानता दसवीं	5 वर्ष
कोर्क लिफ्ट आपरेटर	17	हैवी वाइकल ड्राविंग लाइसेंस सहित अधिमानतः दसवीं	3 वर्ष

1	2	3	4
लिपिक/टाईपिस्ट	5	अंग्रेजी टाईपराइटिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति सहित स्नातक	कार्यालय अनुभव अपेक्षित है
कनिष्ठ लेखा लिपिक	10	कॉमर्स में स्नातक	लेखों में अधिमानतः 2 वर्ष का अनुभव
श्रमिक ग्रेड 1	5	आई० टी० आई० सहित 8वीं श्रेणी पास	2/3 वर्ष | भूमि खोने वालों के मामले में छूट दी जा सकती है।
श्रमिक ग्रेड 2	40	दसवीं/इंटरमीडियेट	"
श्रमिक ग्रेड 3	80	8वीं श्रेणी पास	"

विभागेत्तर डाक घरों में टेलीफोन सुविधायें

1498. **श्री मनीराम बागड़ी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या सभी विभ.गेतर डाकघरों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने विभागेतर डाकघरों में अभी तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में माइक्रो पनबिजली विकास

1499. **श्री डी० पी० यादव :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में माइक्रो पनबिजली के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही क्या है;

(ख) इन लघु परियोजनाओं पर सम्बद्ध लागत का ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति में क्या सम्भाव्यता है;

(ग) क्या वर्तमान पंचवर्षीय योजनावधि में इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जाएगा; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सरकार माइक्रो जल विद्युत के विकास को अधिक महत्व देती है। यह ऐसा कार्य है जो उन राज्यों द्वारा हाथ में लिया जाना है जिनमें इस हेतु शक्यता उपलब्ध है और एक करोड़ रुपये से कम की लागत वाली माइक्रो जल विद्युत स्कीम के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सांविधिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तथापि ऊर्जा मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है कि इस बारे में राज्यों द्वारा मांगी जाने वाली तकनीकी सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य प्राधिकारियों को यह भी राय दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सिंचाई कार्यों के लिए बनाए जा रहे बांधों/नहरों से निकलने वाले जल का उपयोग करते हुए विद्युत का उत्पादन करने के लिए व्यवस्था की जाए।

माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं की प्रतिष्ठापित क्षमता की प्रति किलोवाट लागत भिन्न-भिन्न स्कीमों में भिन्न-भिन्न होती है और यह निर्माण कार्य की प्रकृति, स्थलाकृति, विकास की स्कीम आदि पर निर्भर करती है और वर्तमान में देश में सामान्यत: प्रतिष्ठापित क्षमता की प्रति किलोवाट लागत 10 हजार रुपये से 15 हजार रुपये के लगभग रही है।

राजस्थान उच्च न्यायालय में रिक्त पद

1500. **श्री अशोक गहलोत** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान उच्च न्यायालय में रिक्त पड़े हुए सात पदों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए 12 स्थायी न्यायाधीशों और 6 अपर न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। इस समय 10 स्थायी न्यायाधीश और 2 अपर न्यायाधीश पदासीन हैं। शेष स्थायी न्यायाधीशों के 2 पद और अपर न्यायाधीशों के पद भरे जाने हैं। स्थायी न्यायाधीश के 2 नए पद उस तारीख से सृजित किए गए हैं जिस तारीख को वे भरे जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में इन पदों के भरे जाने के लिए अपेक्षित प्रस्ताव राज्य प्राधिकारियों से अभी प्राप्त होने हैं।

राजस्थान के गांवों में बिजली के कनेक्शन

1501. **श्री चतुर्भुज** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: राजस्थान के कितने गांवों में 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुई छमाही में बिजली के कितने नये कनेक्शन मंजूर किए गए ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : अप्रैल से अक्टूबर, 1981 तक की अवधि को उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 325 नए गांव विद्युतीकृत किए गए हैं, जिनमें 5,685 सिंचाई पम्प सेटों/ट्यूबवैलों का ऊर्जन शामिल है।

जगदलपुर आकाशवाणी केन्द्र में हालवी में एनाउन्सर के पद के लिए आवेदन-पत्र

1502. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले में जमदलपुर आकाशवाणी केन्द्र के लिए हालवी में एनाउन्सर के एक पद की मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पद के लिये निर्धारित शिक्षा अर्हतायें क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस पद के लिये आवेदन पत्र स्नातकोत्तर अर्हताओं वाले व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या हालवी में स्नातकोत्तर शिक्षा वाला व्यक्ति प्राप्त करना कठिन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में टेलीफोन विभाग का कार्यकरण

1503. **श्री के० अर्जुन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु स्थित सेलम टेलीफोन विभाग के नक्शे पर एक उल्लेखनीय केन्द्र है लेकिन कर्मचारियों के प्रशिक्षित न होने और उनकी कम संख्या होने के कारण टेलीफोनों का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध टेलीफोनों की संख्या के अनुरूप नहीं है और इसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं को टेलीफोन विभाग से प्रतिदिन उलझना पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समस्या को हल करने लिये अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सेलम टेली-

फोन प्रणाली का कार्य निष्पादन संतोषजनक है तथा इस प्रणाली को चलाने एवं उसके अनुरक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिक नियुक्त किए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करने में कठिनाइयां

1504. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के वसूली कार्यालयों विशेषकर आर० के० पुरम, नई दिल्ली में जहां केवल एक खिड़की पर वसूली कार्य होता है, में बिजली का बिल जमा कराने में बहुत समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान के इन वसूली कार्यालयों में स्थिति सामान्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक को यह कहे जाने का विचार है कि वे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की अदायगी स्वीकार करें और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के रामकृष्ण पुरम कार्यालय में इस समय बिल की वसूली के लिए दो काउन्टर हैं। सामान्य तौर पर रामकृष्ण पुरम सहित दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के किसी भी बिल वसूली कार्यालय में बिल का भुगतान करने की प्रक्रिया में 30 से 40 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता।

विशेष भीड़-भाड़ होने पर, काम निपटाने के लिए, किसी विशेष रोकड़ कार्यालय में अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त किए जाने की व्यवस्था भी है।

(ग) इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। बिजली की खपत के प्रभारों को बैंकों के जरिए वसूल करने की जो प्रणाली पहले थी वह सुविधाजनक न पाए जाने पर समाप्त करनी पड़ी थी;

बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त लक्ष्य

1505. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता का, राज्यवार लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कौन सी बाधाएं हैं; और

(घ) चालू छठी योजनावधि के अन्त में देश में बिजली की कितनी कमी होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी पंच वर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्य विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कुछ परियोजनाएं नाजुक स्थिति में हैं और विभिन्न बाधाओं के कारण इनमें, निर्धारित समय से भी अधिक समय लग सकता है। कुछ मुख्य बाधाएं निम्नलिखित हैं :-

(1) संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब।

(2) कुछ राज्य बिजली बोर्डों में परियोजना प्रबन्ध के क्षेत्र में कमजोरी।

(3) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुछ राज्य विद्युत बोर्डों के पास निधियों की उपलब्धता सम्बन्धी कमी विशेष रूप से कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ऐसी स्थिति है।

(4) सीमेंट और कुछ इस्पात सेक्शनों की कमी।

उक्त बाधाओं पर काबू पाने के लिए और अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं का चालू होना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस स्थिति में यह संभव नहीं है कि योजना अवधि के अन्त तक परियोजनाओं के चालू करने में जो विलम्ब होने की संभावना है, उसका ठीक-ठीक निर्धारण किया जा सके।

(घ) यह अनुमान लगाया गया था कि योजना अवधि के अन्त में समस्त देश में मांग और सप्लाई में सन्तुलन होगा। तथापि, योजना अवधि के अन्त में बिजली की कमीवेशी किस विशिष्ट सीमा तक रहेगी उसका ठीक-ठीक निर्धारण इस समय नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास के स्वरूप पर निर्भर करेगा।

विवरण

छठी योजना में प्रतिष्ठापित क्षमता में राज्यवार बढ़ोतरी

1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	जल विद्युत	तापविद्युत/न्युक्लीय	जोड़
हरियाणा	174	280	454
हिमाचल प्रदेश	38	—	38
जम्मू और कश्मीर	—	—	—
पंजाब	462	210	672
उत्तर प्रदेश	282	1690	1972
चण्डीगढ़	—	—	—

1	2	3	4
दिल्ली	—	—	—
केन्द्रीय	60	1260+220	1540
उत्तरी क्षेत्र (जोड़) :	1292	3660+220	5172
पश्चिमी क्षेत्र :			
गुजरात	125	1050	1175
मध्य प्रदेश	108	1380	1488
महाराष्ट्र	224	2420	2644
केन्द्रीय	—	630	630
पश्चिमी क्षेत्र (जोड़) :	457	5480	5937
दक्षिणी क्षेत्र :			
आन्ध्र प्रदेश	885	210	1095
कर्नाटक	775	420	1195
केरल	125	—	125
तमिलनाडू	420	210	630
लक्षद्वीप	—	—	—
केन्द्रीय	—	1050+470	1520
दक्षिणी क्षेत्र (जोड़) :	2205	1890+470	4565
पूर्वी क्षेत्र :			
बिहार	65	660	725
उड़ीसा	340	220	560
पश्चिम बंगाल	58	1310	1368
दामोदर घाटी निगम	40	420	460
सिक्किम	—	—	—

1	2	3	4
अण्डमान और निकोबार	—	—	—
केन्द्रीय	—	210	210
पूर्वी क्षेत्र (जोड़) :	503	2820	3323
उत्तर पूर्वी क्षेत्र :			
असम	50	358	408
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
मणिपुर	—	—	—
मेघालय	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
नागालैंड	1	—	1
त्रिपुरा	5	—	5
केन्द्रीय/उत्तर-पूर्वी परिषद	255	—	255
उत्तर पूर्वी क्षेत्र (जोड़) :	311	358	669
अखिल भारत (जोड़) :	4768	14208+690	19666

विदेशी औषध कम्पनियों के औद्योगिक लाईसेंस के लंबित आवेदन पत्र

1506. **श्री के० मालन्ना : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तारीख तक विदेशी औषध कम्पनियों के औद्योगिक लाइसेंस के कुछ आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और इन आवेदन पत्रों का निपटान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उत्पाद का नाम, क्षमता आदि क्या है;

(ख) क्या इसी प्रकार के उत्पादों के लिए भारतीय कम्पनियों के कुछ आवेदन पत्र भी विचाराधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन आवेदन पत्रों का निपटान करने में विलम्ब से कुछ विदेशी औषध कम्पनियों को सहायता मिल रही है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बल्क औषधियों के उत्पादन की लागत

1507. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंचों पर चर्चा के लिये भिन्न-भिन्न बल्क औषधियों के उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिये क्या वर्गीकरण है और किसी विशेष फोरम में चर्चा करने के लिये कौन निर्णय करता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बल्क औषधियों का मूल्य निर्धारक करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और सरकार से संबद्ध मंचों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह किस प्रकार सुनिश्चित किया गया था कि मूल्यों का निर्धारक करने के लिये कोई भेदभाव नहीं किया गया था तथा इंडोमेथिसीन, फेनोथाइजीन, इरथोमाइसिन स्टेरेट, ग्रिसेआफ्लूल्वीन, थलवाल सल्फाथीजो, टेट्रासाइलीन और मेट्रानीडाजोल के मूल्य निर्धारक का पूरा ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बल्क औषधों के मूल्य निर्धारित करने के लिये सरकार द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) निर्माताओं के लागत आंकड़ों का अध्ययन करती है और औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मेरे मंत्रालयों को मूल्यों की सिफारिश करती है। बी. आई. सी. पी. की सिफारिशों की मंत्रालय द्वारा जांच पड़ताल की जाती है और इसके पश्चात उन्हें औषध उद्योग के लिये नीति और योजना समिति के सामने पेश किया जाता है। यह एक उच्च स्तरीय अन्य मंत्रालय समिति है और इससे सभी संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व है। पी. पी. सी. आई. डी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मूल्य पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री की अनुमति से निर्धारित किए जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इसी पद्धति का अनुसरण किया गया है।

(ग) प्रश्न के इस भाग में वर्णित औषधों से से निम्नलिखित औषधों के मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के प्रारम्भ होने के पश्चात निर्धारित किए गए हैं :—

क्र० सं०	औषध का नाम	निर्धारित किया गया मूल्य रु०/कि० ग्रा०
1.	इन्डोमेथासिन	918.70
2.	थाइलाइल सल्फाथियाजोल	200.40
3.	टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्साइड	729.68
4.	मेट्रोनिडाजोल	497.08

फेनोथिया जोल को औशध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में नहीं दर्शाया गया है, अतः यह मूल्य नियंत्रण औषध नहीं है। ग्रीस्योफुलवीन का मै० आई. डी. पी. एल. द्वारा देश में निर्माण अधिक समय तक नहीं किया गया अतः उसका आयात किया जाता है। जहां तक इरिथ्रोमाइसिन का सम्बन्ध है बी. आई. सी. पी. से प्राप्त सिफारिशों की मेरे मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। चूंकि बी. आई. सी. पी. की सिफारिशों की मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है और पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले उन पर नीति और योजना समिति द्वारा भी विचार किया जाता है, बहुस्तरीय कार्यवाही और पद्धति की समानता से यह सुनिश्चित हो जाता है कि मूल्य निर्धारण करने में कोई पक्षपात नहीं हुआ है।

आल इण्डिया लिमिटेड से इंजीनियरों का चले जाना

1508. **श्री वी० वी० देसाई :**

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों के बड़ी संख्या में चले जाने से सरकारी स्वामित्व वाले आयल इंडिया लिमिटेड, जो अपर आसाम में अशोधित तेल के उत्पादन कार्य में लगा हुआ है के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीनियर एक्जीक्यूटिव जुलियाजन स्थित आयल इंडिया के मुख्यालय को छोड़कर चले गये थे और वर्ष 1981 के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लगभग 109 इंजीनियरों ने भी इस संगठन को छोड़ दिया था और कुछ और इंजीनियर भी यहां से जाने वाले हैं;

(ग) इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियरों के चले जाने के मुख्य कारण क्या हैं और क्या इससे आसाम में तेल की संभावनाओं पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड को छोड़ने वाले इंजीनियरों और तकनीकी रूप से योग्य कार्मिकों की संख्या वर्ष 1981 के दौरान 38 थी और वर्ष 1982 (31.1.82) तक में केवल 6 थी।

(ग) छोड़ने का मुख्य कारण है कि नोकरियां विदेश में अधिक लाभप्रद हैं। इस प्रस्थान ने असम में तेल की संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं डाला है।

(घ) जबकि उनको रोकना संभव नहीं है जो त्याग-पत्र देना चाहते हैं, परन्तु इन रिक्तियों को प्रोन्नति माध्यम से, स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षणार्थियों और अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर लेने के साथ भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पाकिस्तान के साथ दूरसंचार के नए सम्पर्क

1509, **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के शीघ्र ही पाकिस्तान और कुछ अन्य पड़ौसी देशों के साथ दूरसंचार के नये सम्पर्क स्थापित होंगे;

(ख) यदि हां, तो कौन से देशों के साथ भारत के दूरसंचार सम्पर्क स्थापित होंगे; और

(ग) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तथा लंका के साथ दूरसंचार सम्पर्क आरम्भ हो चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) तथा (घ) भारत से बंगला देश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका को छोटे क्षमता के दूरसंचार सम्पर्क पहले से ही मौजूद है। बाद में इन देशों में से प्रत्येक के लिए बड़ी क्षमता के सूक्ष्मतरंगा सहधुरीय सम्पर्क की योजना बनाई गई। भारत में रामेश्वरम् तथा श्री लंका में कोलम्बों के बीच चौड़ी पट्टी सूक्ष्म तरंग सम्पर्क चालू हो गया है। भारत में अमृतसर तथा पाकिस्तान में लाहोर के बीच एक चौड़ी पट्टी केबुल सटपरीय प्रणाली की प्रायोजना आरंभ की गई है परन्तु प्रणाली अभी तक तैयार नहीं हुई है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उत्तरी ग्रिड से अधिक मात्रा में बिजली लिया जाना

1510. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० वी० एम० बी० और पंजाब हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश से बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान उत्तरी ग्रिड से अधिक मात्रा में बिजली लेना जारी रखे हुए है;

(ख) क्या जनवरी माह के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को उत्तरी राज्यों द्वारा चेतावनी दी गई थी कि वह अधिक मात्रा में बिजली लेना बंद कर दे;

(ग) क्या उत्तरी राज्यों द्वारा मंत्रालय को की गई बहुत सी शिकायतों के मामले का केन्द्र को पता है;

(घ) क्या मंत्रालय ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सलाह दी थी कि वह उत्तरी राज्यों पर निर्भर न रहे लेकिन इस संस्थान द्वारा अनुदेशों का उल्लंघन किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उत्तरी राज्यों द्वारा की गई शिकायतों पर केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उत्तरी राज्यों की इच्छा के विरुद्ध बिजली का भारी लोड लेने के क्या कारण थे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) दिल्ली की विद्युत की मांग सामान्यतः इन्द्रप्रस्थ केन्द्र तथा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के उत्पादन से पूरी की जाती है यदि कोई कमी रहती है, तो वह उत्तरी ग्रिड से पूरी की जाती है जिसमें भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड एक घटक है जनवरी, 1982 के दौरान दिल्ली से 9.14 मिलियन यूनिट निवल ऊर्जा भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड को दी गई । 1 फरवरी, 1982 (21 तारीख तक) के दौरान भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड को बदरपुर से 22.59 मिलियन यूनिट निवल ऊर्जा अन्तरित की गई । इस प्रकार, बदरपुर केन्द्र (दिल्ली) से भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड प्रणाली को वास्तव में अधिक विद्युत सप्लाई की गई है ।

दिल्ली की संशोधित मतदाता सूची में नामों का न होना

1511. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी सूचना मिली है कि निर्वाचन आयोग द्वारा हाल में प्रकाशित दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की संशोधित मतदाता सूची में अनेक पात्र मतदाताओं के नामों काउल्लेख नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सूची को ठीक कर दिया है और जो नाम सूची में नहीं थे, उन्हें उसमें शामिल कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पात्र मतदाताओं की सही सूची कब तक तैयार करके प्रकाशित कर दी जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 324 में यह उपबंध है कि निर्वाचक नामावलियां तैयार कराने का और निर्वाचकों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है । आयोग ने सूचित किया है कि कुछ समय पूर्व विभिन्न राजनीतिक दल आयोग से मिले थे और उन्होंने यह अनुरोध किया था कि दिल्ली में नई सेटलमेंट कालोनियों में सर्वेक्षण इस दृष्टि से कराया जाए कि उन क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों के नामों की प्रगणना निर्वाचक नामावलियों में की जा सके । निर्वाचक नामा-

वलियों का सरसरी तौर पर पुनरीक्षण 1982 में ही विया गया था और ये नई कालोनियां 1979 में दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में किए गए निर्वाचक नामावलियों के पिछले गहन पुनरीक्षण के पश्चात् ही अस्तित्व में आई थीं अतः आयोग ने यह सोचा कि इन कालोनियों का विशेष सर्वेक्षण पात्र व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक है और कि इस बात के लिए आग्रह न किया जाए कि वे व्यक्ति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों को अपने नाम सम्मिलित किए जाने के लिए विवहित प्ररूप में अलग-अलग आवेदन करें । तदनुसार, निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आफिसर को यह निदेश दिया कि वह निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार नई सेटलमेंट कालोनियों का विशेष सर्वेक्षण कराएं :

1.	नए क्षेत्रों में घर-घर जाकर प्रगणना करना और पांडुलिपि तैयार करना	12.2 1982 से 25·2.1982 तक
2.	संबधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों के कार्यालयों में और उस क्षेत्र में जहां प्रगणना की गई है, नामावलियों के प्ररूप का प्रकाशन ।	1.3.1982
3.	दावे और आपत्तियां करने की कालावधि	1.3.1982 से 8.3.1982 तक
4.	दावे और आपत्तियों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों द्वारा निपटारा, एकीकृत अनुपूरक नामावलियों की तैयारी	11.3.1982 से 18.3.1982
5.	अनुपूरक नामावलियों का मुद्रण और निर्वाचक नामावलियों का अंतिम रूप से प्रकाशन ।	25·31982

यह संभावना है कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां 25.3.1982 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएंगी ।

नाइलोन-रेशे के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्रदान करना

1512. **श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम और पत्ते क्या क्या हैं, जिन्होंने नाइलोन-रेशे के धागे का उत्पादन करने के लिए दिनांक 15 जनवरी, 1981 को या इससे पहले केन्द्रीय सरकार को अपने-अपने आवेदन-पत्र भेजे थे और उनके आवेदन-पत्रों को निपटारा नहीं किया गया है; और

(ख) इन आवेदन-पत्रों का निपटारा करने में अब तक किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) नायलोन फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसैंस प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं। जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती उससे पहले लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों के ब्यौरे प्रकाशित नहीं किये जाते।

सीधे टेलीफोन सर्किट से जुड़े हुए देश

1513. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के साथ सीधे टेलीफोन सर्किट से सम्पर्क कायम हो चुका है; और

(ख) वर्ष 1981-82 में किन-किन देशों के साथ सीधे टेलीफोन सर्किट से सम्पर्क कायम करने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नीचे लिखे देशों का भारत के साथ सीधा टेलीफोन सम्पर्क है : -

1. अफगानिस्तान
2. आस्ट्रेलिया
3. बहरीन
4. बंगलादेश
5. बेल्जियम
6. बर्मा
7. कनाडा
8. चीन
9. फ्रांस
10. जर्मनी (संघीय गणराज्य)
11. यूनान (ग्रीस)
12. हांगकांग
13. ईरान
14. ईराक
15. इटली
16. जापान
17. कोरिया
18. कुवैत
19. मलेशिया
20. नीदरलैंड
21. नाइजेरिया
22. ओमन
23. पाकिस्तान
24. फिलिपीन्स
25. कातार
26. रूमानिया
27. साऊदी अरब
28. सिंगापुर
29. स्पेन
30. श्रीलंका
31. स्विटजरलैंड
32. थाईलैंड
33. संयुक्त अरब अमीरात
34. ब्रिटेन
35. संयुक्त राज्य अमेरिका
36. सोवियत समाजवादी गणतंत्र
37. यमन (जनवादी गणतंत्र)
38. यूगोस्लाविया
39. जाम्बिया

(ख) तजानिया के साथ वर्ष 1981.82 में 32,550 रु० की लागत पर सीधा टेलीफोन संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्राकृतिक गैस के भंडार

1514. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के भंडार के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम अनुमान के अनुसार देश में प्राकृतिक गैस का कुल कितना भंडार है;

(ग) गत अनुमान कब लगाया गया था; और

(घ) प्राकृतिक गैस के उचित उपयोग के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिनांक 1-1-1981 की यथा स्थिति को प्राकृतिक गैस के प्रमाणित एवं निर्दिष्ट बकाया भण्डार लगभग 11 अरब घन मीटर के लगभग थे।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

तटीय

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का तटीय क्षेत्रों से सम्बद्ध तथा मुक्त गैस दोनों का उत्पादन गुजरात तथा असम राज्यों में स्थित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

गुजरात में, कुछ दबाव वाली गैस को छोड़कर जिसका को आन्तरिक रूप में उत्पादन प्रायोजनों के लिये प्रयोग किया जाता है, सम्बद्ध एवं उन्मुक्त गैस दोनों के लगभग सारे उत्पादन को विभिन्न उपभोक्ताओं को दिये जाने के लिये वचनबद्धता है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन कर रही छोटी अलग संरचनाओं को गैस के संग्रहण तथा एकत्र करने के लिए मुख्य उपभोग केन्द्रों से जोड़ने की एक योजना तैयार की गयी है तथा कार्यान्वयनाधीन हैं। अन्ततोमक कम दवाव वाली गैस को सम्पीड़ित करने की योजना है।

असम में तेल प्राकृतिक गैस आयोग की उपभोग योजना नीचे दर्शायी गयी है।

(1) चाय बगानों को सप्लाई की जा रही गैस	22,000 एम० सी० एम० डी०
(2) लकवा के निकट ए० एस० ई० बी० 3 × 15 मैगावाट थर्मल पावर संयंत्र के साथ ठेका (सप्लाई 2-4-81) से प्रारंभ की गयी है।	2,30,000 एस. सी. एम डी.

(3) गैली की स्थिति ए० एस० ई० बी० 3×3 मंगावाट मोबाइल जैनरेटिंग सेटों के लिए वचन बद्धता (सप्लाई 17-3-1981 से प्रारंभ की गयी है।	90,000 एस० सी० एम० डी०
(4) नामरूप उर्वरक संयंत्र की विस्तार यूनिट के तीसरे चरण के लिए डाऊट गैस। (1983-84 के दौरान गैस प्राप्त करने का अनुमान है)	4,50,000 एस०सी०एम०डी०
(5) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रों में उत्पादन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही गैस	35,000-एस० सी० एम० डी०

अपतटीय

सरकार की वर्तमान नीति यह है कि जहां तक व्यवहार्य है गैस का उर्वरकों, पेट्रोलियम रसायनों के उत्पादन के लिये फीड़ स्टाक के रूप में तथातरलीकृत पेट्रोलियम गैस इत्यादि के निष्कर्षण के लिये प्रयोग किया जाये। उस सीमा तक जब तक कि गैस का तत्काल इन प्रयोजनों के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता केवल अस्थायी आधार पर अस्थायी प्रबंधों के रूप में इसको अन्य प्रयोजनों जैसे कि पावर उत्पादन क लिये प्रयोग किया जा सकता है जब तक कि उर्वरक एवं पेट्रोलियम रसायन संयंत्र इसको पूरी तरह प्रयोग करने के लिये तैयार नहीं हो जाते हैं।

बम्बई हाई में उत्पादित संबद्ध गैस को उनान तक पम्प किया जाता है जहां कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के संयत्र में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के निष्कर्षण के पश्चात् लीन गैस, क्रमश. उर्वरक उत्पादन तथा पावर के उत्पादन के लिये राष्ट्रीय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड तथा टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी को सप्लाई की जाती है।

आयल इंडिया लिमिटेड

आयल इंडिया लिमिटेड की उपयोग योजना नीचे दी गयी है :

1. बाजार सप्लाई	सप्लाई की दर (घन लीटर/टिन)
1	2
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एच० एफ० सी० एल०) चरण 1 तथा 2	9,70,000
असम राज्य विद्युत बोर्ड	8,87,000
इंडियन आयल कारपोरेशन (असम तेल प्रभाग)	2,22,000

1	2	3	4
असम गैस कम्पनी (ए० जी० सी०)			55,000
असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड (ए० पी० एल०)			1,34,000
टिंगरी गैस ग्रिड (टी० जी० जी०)			55,000
मोरान गैस ग्रिड (एम० जी० जी०)			55,000
दुम दुमा गैस ग्रिड (डी० डी० जी० जी०)			1,38, 00
अन्य छोटे उपभोक्ता			19,000
			25,35,000
(2) आयल इंडिया लिमिटेड के अन्दर औद्योगिक प्रयोग			7,00,000
			32,35,000

(3) अन्य योजनाएं जिनके लिये गैस के लिए वचन बद्धता की गयी है।

	गैस की वचन बद्ध मात्रा प्रतिदिन घन लीटर में
1. नामरूप उर्वरक विस्तार प्रायोजना चरण 3	7,00,000
2. 1982 के प्रारंभ में चालू किया जाने वाला एल० पी० जी० संयंत्र	1,10,000
3. ए० एस० ई० बी० का मोबाइल गैस टर्बाइन	2,00,000
	10,10,000

विकलांग लोगों को रोजगार देने के लिए सार्वजनिक टेलीफोन केंद्रों का खोला जाना

1515. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सार्वजनिक पार्कों में विकलांग लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले हैं;

(ख) उन सार्वजनिक टेलीफोन केंद्रों में कुल कितने विकलांग लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1982 में विभिन्न राज्यों में कुछ और विकलांग लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये उपरोक्त स्थानों पर कुछ और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1981 के दौरान विभिन्न राज्यों में विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित कुल 978 सार्वजनिक टेलीफोन घर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों, अस्पतालों, सार्वजनिक उद्यानों तथा इसी तरह के स्थानों पर खोले गए हैं। राज्य वार वितरण संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) 978।

(ग) और (घ) जनवरी, 1982 के दौरान 124, सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए। ऐसे सार्वजनिक टेलीफोनों की उपयोगिता को देखते हुए, वर्ष 1982 की शेष अवधि के दौरान इस किस्म के और अधिक टेलीफोन घर खोले जाएंगे।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित राज्य वार सार्वजनिक टेलीफोनों को दर्शाने वाला विवरण जो कि 1981 के दौरान खोले गए

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	192
2.	बिहार	3
3.	गुजरात	95
4.	जम्मू व काश्मीर	3
5.	कर्नाटक	21
6.	केरल	81
7.	मध्य-प्रदेश	31

1		2
8.	महाराष्ट्र	154
9.	उत्तर पूर्वी दूरसंचार सर्किल (आसाम, मेघालय, अरूणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड एवं मणिपुर)	3
10.	उत्तर पश्चिमी दूरसंचार सर्किल (पंजाब, हरियाणा एव हिमाचल प्रदेश)	41
11,	उड़ीसा	8
12.	राजस्थान	22
13.	तमिलनाडु	237
14.	उत्तर-प्रदेश	25
15.	पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम	12
	केन्द्र शासित प्रदेश	
1.	दिल्ली	49
2.	चन्डीगढ़	1
		778

रसोई-गैस के नए कनेक्शन

1516. **श्री मोहनलाल पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1981 को रसोई गैस कनेक्शन पंजीकृत किए गए;

(ख) वर्ष 1981 के दौरान, राज्यवार रसोई-गैस के कितने नए कनेक्शन पंजीकृत किए गए;

(ग) वर्ष 1981 के दौरान राज्यवार रसोई-गैस के कितने नए केनेक्शन प्रदान पंजीकृत किए गए;

(घ) दिनांक 1 जनवरी, 1982 को कितने आवेदन विचाराधीन थे;

(ङ) क्या नए कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लोगों को वर्षों इन्तजार करना पड़ता है; और

(च) 31 दिसम्बर, 1980 तक पंजीकृत सभी लोगों को नए कनेक्शन देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) इस समय देश में कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) के पंजीकृत उपभोक्ता करीब 38 लाख हैं ।

(ख) सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है ।

(ग) फरवरी से अक्टूबर 1981 तक दिए गये एल० पी० जी० कनेक्शनों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं ।

(घ) 1.1.82 को एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए करीब 40 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे ।

(ङ) और (च) देश में एल० पी० जी० की उपलब्धता के बढ़ जाने से तेल कंपनियों ने पहले से ही एल० पी० जी० के नये कनेक्शन देना आरम्भ कर दिया है । कुकिंग गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची आगामी वर्षों में चरणवद्ध से रूप से सम्पन्न हो जाने की संभावना ।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	2207	13591	12583	7726	11157	9725	12935	8654	3300	81878
महाराष्ट्र	8887	20079	23634	20420	22780	22157	18528	18390	18900	173775
कर्नाटक	1865	10434	8051	7014	7774	7483	10523	8298	5100	75542
उड़ीसा	110	2080	770	1117	1035	1248	300	388	1000	8048
मध्य प्रदेश	1503	3575	2525	755	5141	8858	4009	7226	2818	36410
गुजरात	1882	3008	2258	1947	6071	9834	8246	9526	7046	49818
राजस्थान	1076	281	1125	647	1368	825	848	615	1240	8025
जम्मू और कश्मीर	400	400	600	300	200	—	—	100	300	2300
हरियाणा	737	251	144	129	2350	3147	983	1343	1074	10158
असम	49	3099	1254	1045	1203	1141	1221	156	200	9368
हिमाचल प्रदेश	4	1111	198	300	512	662	220	404	248	3659
बिहार	23	3391	1977	946	4642	3372	1106	463	750	16670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केरल	92	2344	1664	825	1278	1533	1509	1166	700	11111
पंजाब	188	279	340	112	1288	1451	409	771	533	5371
तमिलनाडु	880	19672	5553	2284	4663	19699	11385	8786	4133	77055
यू० पी०	2761	4537	4397	5327	6379	8096	3752	5011	4306	44569
पश्चिम बंगाल	52	10870	2173	5112	4202	3949	2522	1931	1100	31911
चण्डीगढ़	73	58	478	121	194	338	345	184	378	2169
गोआ	30	—	—	300	744	1000	700	300	300	3374
दिल्ली	132	2768	4052	9839	6373	6520	6118	7315	7620	51934
योग	24148	110828	73776	66266	83354	111038	85662	81027	61046	697145

मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है।

पांडिचेरी शामिल है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तट-दूर छिद्रण-कार्य

1517. **श्री मोहन लाल पटेल : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तट-दूर-छिद्रण कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान निम्नलिखित संरचनाओं में अन्वेषी व्यघन जारी रहा/आरम्भ किया गया था :—

1. वी-38
2. बम्बई हाई (कूप वी० एच-17)
3. आर०-16
4. आर०-17
5. पी० वाई०-1
6. पी० वाई०-3
7. के० आर० आई०-1
8. ए० एन०-2
9. के० जी०
10. जी०-2
11. एस० एम०-2
12. ए० एच०-1
13. जी०-1

कुल 14 अन्वेषी कूपों को खोदा गया और उनका परीक्षण किया गया था और 19 विकास कूपों को खोदा गया था।

(ख) उपर्युक्त 13 संरचनाओं में, 10 नई संरचनाएं हैं। इनमें से आर०-15, आर०-7, पी० वाई०-1, पी० वाई०-3, के० आर०आई०-1, ए०एन०-2 के०जी०, जी-2, एस० एम०-2, ए० एन०-1 नायक 10 नई संरचनाओं में से चार संरचनाओं में हाईड्रोकार्बन होने के संकेत मिले हैं। वे ये हैं :—

1. आर०-7
2. पी० वाई०-1
3. पी० वाई०-3
4. ए० एन०-1

हाइब्रिड माइक्रो-हाइड्रो एनर्जी सिस्टम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

1518. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में "हाइब्रिड माक्रो-हाइड्रो एनर्जी सिस्टम" के संबंध में कोई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत के ऊर्जा-विकल्पों के बारे में कोई विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसमें किन-किन लोगों ने भाग लिया, इस पर कितनी धनराशि खर्चा हुई और इस गोष्ठी का क्या लाभ हुआ ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्र की सम्पन्नता के लिये हाइब्रिड माइक्रो-हाइड्रो एनर्जी सिस्टम पर एक अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशाप 30 जनवरी, 1982 को नई दिल्ली में हुई थी। इसका आयोजन जल साधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र, रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था तथा विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा इसका सह-प्रायोजन किया गया था।

(ख) चूंकि हाईब्रिड माइक्रो-हाइड्रो एनर्जी सिस्टम का विकास रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है इसलिये इस वर्कशाप का आयोजन निम्नलिखित छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य के लिए किया गया था :-

1. 80 से 90 मीटर तक के शीर्ष का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश में जुब्बत परियोजना।
2. 40 मीटर के शीर्ष का उपयोग करते हुये हिमाचल प्रदेश में चक्की जाता।
3. 2 से 3 मीटर तक के शीर्ष का उपयोग करते हुये हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर पर ककरोई प्रपात।

तथापि, इन छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ सौर ऊर्जा तथा गोबर गैस जैसे ऊर्जा के नवीकरण प्रकार के अन्य स्रोतों के विकास की परिकल्पना भी की गई थी ताकि विभिन्न प्रणालियों से उत्पन्न की गई ऊर्जा का समन्वित प्रयोग ग्रामीण लोगों द्वारा किया जा सके।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अहमद नगर (महाराष्ट्र) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतिक्षा-सूची

1519. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमद नगर (महाराष्ट्र) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये अहमदनगर में दिनांक 1 फरवरी 1982 को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिये कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे;

(ख) वर्ष 1981 के दौरान उपरोक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में कितने-कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गये थे; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अहमदनगर की प्रतीक्षा सूची 1-2-1982 के अनुसार निम्न है :

ग्रामीण क्षेत्र	500
शहरी क्षेत्र	1079

(ख) 1981 में उपलब्ध कराये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या :

ग्रामीण क्षेत्र	496
शहरी क्षेत्र	226

(ग) उपस्कर तथा अन्य भण्डारों की उपलब्धता पर प्रतीक्षा सूची का उत्तरोत्तर निपटान कर दिया जायेगा ।

कोयला क्षेत्र के लिए ब्रिटेन द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता की पेशकश

1520. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन सरकार ने कोयला क्षेत्र के विकास के लिए उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1981 में जब यू०के० की प्रधान मंत्री भारत आई थीं, उस समय भारत और यू० के० के बीच एक "समझौता ज्ञापन" पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय कोयला उद्योग के विकास में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है :

1. धूसिक और असनापनी कोयला खानों के समेकित विकास के लिए साध्यता रिपोर्टें तैयार करना;
2. कोयला खानों में पंजीकृत लांगवाल खनन कार्यक्रम लागू करना;
3. तकनीकी कार्मिकों के लिए यू० के० और भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम;
4. यू० के० के कोयला क्षेत्र अनुदान के अधीन कोयला खनन के ऐसे अधुनातन उपकरण की सप्लाई जो भारत में उपलब्ध नहीं है।

तेल उत्पादक राज्यों के लिए रायल्टी का भुगतान

1521. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में तेल का उत्पादन होता है;

(ख) इन राज्यों को दी जाने वाली रायल्टी की दर क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि तेल का उत्पादन करने वाले राज्यों ने इन क्षेत्रों में उत्पादित कच्चे तेल की रायल्टी का पुनरीक्षण करने की मांग की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिये है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) गुजरात, असम और अरुणाचल प्रदेश में तेल का उत्पादन किया जाता है परन्तु राज्यों द्वारा नहीं।

(ख) दिनांक 1-4-1981 से 61/- रुपये प्रति मी० टन।

(ग) जी, हां। असम और गुजरात राज्य सरकारों द्वारा मुख्य तर्क यह दिया गया है कि दिनांक 11 जुलाई, 1981 से देशीय खनिज तेल के मूल्य में 305 रुपये प्रति मी० टन से 1182 रुपये प्रति मी० टन की वृद्धि होने के कारण, रायल्टी को संशोधित खनिज तेल मूल्य के 20% तक बढ़ा देनी चाहिये, यदि ऐसा नहीं तो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तक।

(घ) यह मामला विचाराधीन है।

भारतीय फिल्मों को विदेशों में लोकप्रिय बनाना

1522. **श्री के० प्रधानी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय फिल्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारत और अमरीका इस बात के संयुक्त प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय फिल्मों का अमरीका में वाणिज्यिक स्तर पर प्रदर्शन किया जाए और इसी प्रकार अमरीका की फिल्मों का भारत में;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1982-83 में अमरीका और भारत, दोनों देशों द्वारा कौन से संयुक्त कार्यक्रम शुरू किए जाने का विचार किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। शिक्षा और संस्कृति संबंधी भारत-अमरीका उप-आयोग के तत्वाधान में अमरीकनों को भारतीय सिनेमा की जानकारी कराने के लिए "फिल्म इंडिया 81" नामक एक कार्यक्रम न्यूयार्क में प्रस्तुत किया गया था। इस कार्यक्रम के दो विभागों को 1981 के मध्य से अमरीका के विभिन्न स्थानों पर भी दिखाया जा रहा है। एम. पी. ई. ए. ए. के माध्यम से अमरीका की फिल्में भी आयात की जा रही हैं।

(ग) और (घ) "फिल्म इंडिया 81" के उक्त दो विभागों को चालू वर्ष के दौरान अमरीका के 12 शहरों में दिखाया जाएगा। इस परियोजना के कारण अमरीका में उत्पन्न भारतीय फिल्मों के प्रति पर्याप्त जागरूकता का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा अमरीका में भारतीय फिल्मों के लिए स्थायी व्यावसायिक संभावनाओं का पता करने के लिए उपयुक्त अनुवर्ती उपाय शुरू किए गए हैं। भारत व्यावसायिक रिलीज के लिए अभिप्रेत फिल्मों के साथ अमरीका में विभिन्न फिल्म समारोहों में भी भाग लेता है। भारत का लोस ऐंजल्स फिल्म समारोह में भी भाग लेने का विचार है जो मार्च, 1982 में होने वाला फिल्म प्रदर्शन समारोह है। नियमित व्यावसायिक सर्किट के अतिरिक्त, कला, थियेटर, विश्वविद्यालय और टेलीविजन सर्किटों का भी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा पता किया जा रहा है।

फिल्म और प्रसारण सम्बन्धी भारत अमरीका संयुक्त समिति की 28, 29 जनवरी 1982 को नई दिल्ली में हुई पांचवीं बैठक में, फिल्मों के पारस्परिक आधार पर भारत और अमरीका में प्रदर्शनों का आयोजन करने की संभावनाओं पर बातचीत हुई थी। अमरीकी फिल्मों के प्रदर्शनों का आयोजन भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान किया जा सकता है और उस समारोह के बाद चुनी हुई अमरीकी फिल्में भारत के कुछ अन्य शहरों में भी दिखाई जा सकती हैं। इसके अलावा, दूरदर्शन, अमरीका यू दी आईज आफ एन इंडियन" और "एन

अमरीकन लुक्स एट इंडिया'' जैसी फिल्मों के साऊथ कारोलाईन एजुकेशन टेलीविजन के सहयोग से सह निर्माण पर विचार कर रहा है ।

कर्नाटक के जिला मुख्यालयों का बंगलौर से जोड़ना

1523. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के सभी जिला मुख्यालयों को टेलीफोन-सेवा द्वारा बंगलौर से जोड़ दिया गया है और यदि नहीं तो किस-किस जिला मुख्यालयों को अब तक नहीं जोड़ा गया है और इस काम को पूरा करने के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ख) क्या कर्नाटक में किसी स्थान पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करने की सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो यह केन्द्र कब और किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) सामान्य रूप से कर्नाटक राज्य में और विशेष रूप से बंगलौर में आर्डनरी तथा ओ. वाई. टी. श्रेणियों में टेलीफोन कनेक्शन लगाने सम्बन्धी कितने-कितने आवेदन पत्र इस समय विचाराधीन है और सरकार का इन सबको कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां । कर्नाटक के सभी जिला मुख्यालयों को ट्रंक टेलीफोनों के जरिए बंगलौर से जोड़ दिया गया है ।

(ख) जी हां । कर्नाटक राज्य में बंगलौर-गुलबर्गा, उड़िपि तथा रायचूर में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है । चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह कार्य प्रारम्भ किये जाने की आशा है ।

(ग) 1-2-82 को बकाया आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है ।

भारतीय उर्वरक निगम के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

1524. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान देश में भारतीय उर्वरक निगम को विभिन्न एककों के कर्मचारियों को, एकक-वार, समयोपरि भत्ते की कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ख) भारतीय उर्वरक निगम के एककों में समयोपरि भत्ते के भुगतान में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट उपाय किये हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1980-81 और अप्रैल 1981 से जनवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों/कार्यालयों के कर्मचारियों को भुगतान किया गया कुल समयोपरि भत्ता नीचे दिया गया है :—

एकक/प्रभाग/कार्यालय	रु०/लाख	
	समयोपरि भत्ते का भुगतान	
	1980-81 के दौरान	अप्रैल-जनवरी 1982 के दौरान
सिन्दरी	89.76	119.60
गोरखपुर	24.06	30.63
रामागुण्डम	37.74	45.27
तालचर	29.47	47.43
कोरबा	0.10	अनुपलब्ध
लखनऊ मार्केटिंग	0.95	1.00
हैदराबाद मार्केटिंग	0.05	0.10
इंडिस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स डिवीजन कलकत्ता	0.49	0.34
जोधपुर माइनिंग आर्गे	0.14	0.10
सेन्ट्रल आफिस	4.31	2.79
योग :	187.07	247.26

(ख) भारतीय उर्वरक निगम ने गैर तकनीकी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता बन्द कर दिया है और अति आवश्यक मामले में तकनीकी कर्मचारियों के लिये सीमित कर दिया है।

आकाशवाणी, नागपुर का कार्यक्रमों के शुरू होने का समय

1525. **श्री आर० के० महालगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, नागपुर के कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 6.40 बजे शुरू होते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के अन्य सभी केन्द्रों जैसे कि बम्बई, पुणे, संगली

आदि केन्द्रों के कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 6.00 बजे शुरू होते हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी, नागपुर में कोई ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें आकाशवाणी, नागपुर के कार्यक्रमों को सुबह 6·30 बजे की बजाए सुबह 6.00 बजे शुरू करने की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो कब तथा उक्त पत्रों में इस मांग के समर्थन में क्या-क्या कारण और आधार बताए गए हैं;

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(च) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो विलम्ब के क्या विशिष्ट कारण हैं और कब तक कार्यवाही किए जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) (क) जी, हां ।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में स्थित आकाशवाणी के आठ केन्द्रों में से केवल पुणे, सागली और बम्बई केन्द्र ही प्राथमिक चैनल पर अपने दैनिक कार्यक्रम प्रातः 5.55 बजे शुरू करते हैं ।

(ग) (घ) (ङ) और (च) समाचारपत्रों के स्तम्भों में और नागपुर केन्द्र को सम्बोधित पत्रों में इस आशय के सुझाव दिए गए हैं कि विदर्भ क्षेत्र के लोगों के हित में आकाशवाणी, नागपुर के दैनिक कार्यक्रम प्रातः 6.00 बजे शुरू किये जायें ताकि प्रथम अखिल भारतीय समाचार बुलेटिन और अधिक भक्ति संगीत कार्यक्रम उन्हें उपलब्ध हो सकें ।

अब दैनिक कार्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष से प्रातः 6 00 बजे शुरू करने का प्रस्ताव है ।

महाराष्ट्र के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति

1526. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाप्रबंधक दूरसंचार महाराष्ट्र बम्बई को संबंधित दिनांक 10 नवम्बर, 1981 के अपने पत्र सख्या 129/81/एफ/14213 द्वारा वीरभद्र चैम्बर आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री अकोला ने दूरसंचार सलाहकार समिति ने महाराष्ट्र सर्कल को प्रतिनिधित्व देने की मांग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि समिति में शामिल करने के लिए चैम्बर द्वारा पहले दो बार सुझाए गए नामों को प्राधिकारिगों के अस्वीकार कर दिया था ?

(ग) यदि हां तो उपरोक्त नामों को अस्वीकार करने के विशिष्ट कारण क्या थे; और

(घ) विभाग ने सलाहकार समिति की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित कर रखे हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां।

(ख) विदर्भ वाणिज्य मंडल द्वारा अनुशंसित नामों पर अन्य संगठनों से प्राप्त नामों के साथ विचार किया गया परन्तु उनको महाराष्ट्र सर्किल की दूरसंचार सलाहकार समिति के लिए अनुमोदित किया गया।

(ग) विदर्भ वाणिज्य मंडल अकोला को अकोला टेलीफोन सलाहकार समिति (टी० ए० सी०) में 31-3-76 तक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके पश्चात नीति के परिवर्तन होने के कारण अकोला टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया तथा 1978 में महाराष्ट्र राज्य हेतु एक तेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया गया। विदर्भ वाणिज्य मंडल द्वारा अनुशासित नामों पर व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के अन्य आठ संगठनों से प्राप्त नामों के साथ जुलाई 1978 और अभ्यथ 1981 में विचार किया गया। इस पक्ष को प्रतिनिधित्व देने के लिए केवल तीन स्थान हैं तथा विदर्भ वाणिज्य मंडल के प्रतिनिधित्व को मनोनीत नहीं किया गया।

(घ) दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समियियों में नामांकन, सरकार द्वारा दूरसंचार सर्किलों/टेलीफोन जिलों के अध्यक्षों संसदीय कार्य विभाग, तथा डाक तार निदेशालय और संचार मंत्रालय में सीधे प्राप्त अन्य नामों के द्वारा सिभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से प्राप्त नामों पर विचार करने के पश्चात किया जाता है। प्रत्येक सलाहकार समिति के लिए संगठनों की विभिन्न यूनिटों से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है ताकि विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न पक्षों को प्रतिनिधित्व दिया जा अके।

पेट्रोल और खाना पकाने की गैस के मूल्य

1527. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1979 से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक महीने में मोटर में प्रयोग होने वाले तेल (पेट्रोल) और खाना पकाने की गैस के मूल्य क्या-क्या थे; और

(ख) इस अवधि के दौरान मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) पेट्रोल तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गयी वृद्धि के कारण नीचे दिये गये हैं :—

(1) **दिनांक 17.8.1979 से प्रभावी मूल्य वृद्धि :**

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संस्थान (ओ० पी० ई० सी०) ने 1979 के लिये अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि घोषित की थी जिसको बाद में संशोधित कर अत्यधिक कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार आ पड़ा था।

घरेलू लागतों में कुछ बृद्धियों के कारण लगभग 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार भी उत्पन्न हो गया था। 1150 करोड़ रुपयों में से 280 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष उत्पाद शुल्कों में कमी के कारण प्राप्त किये गये थे तथा बकाया 870 करोड़ रुपये मूल्य वृद्धियों के रूप में उपभोक्ताओं पर डाल दिये गये थे।

(2) **दिनांक 8 6. 1980 से प्रभावी मूल्य वृद्धि :**

(1) आयतित खनिज तेल का मूल्य वर्ष 1979 की तीसरी तिमाही के 21 डालर/ वी० वी० एल (1255 रुपये प्रति मी० टन) से बढ़ कर वर्ष 1980 की दूसरी तिमाही में 32 डालर/ वी० वी० एल (1943 रुपये/मी० टन) हो गया था।

(2) वर्ष 1980 की दूसरी तिमाही में आयातित कमी वाले पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में ओसतन लगभग 35% की वृद्धि हुई।

(3) तेल उद्योग के रुपये भार में वृद्धियों के कारण इस प्रकार थे :

(क) बढ़ी हुई मांग को पुरा करने के लिए शोधनशालाओं के बिस्तार और बम्बई हाई खनिज तेल को परिवहन करने के लिए पाइपलाइनों की स्थापना के लिए निवेश लागत और संचालन लागतों में वृद्धि;

(ख) संचालन लागतों में रेल भाड़ा शिपिंग, बीमा और अन्य लागतों के कारण संचालन लागतों में वृद्धि।

(3) **13 1.1981 प्रभावी मूल्य वृद्धि :**

(1) जून, 1980 के 32 डालर/वी० वी० एल० की तुलना में आयातित खनिज तेल के मूल्य 36 डालर वी० वी० एल तक बढ़ गए थे।

(2) कमी वाले आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य लगभग 35% बढ़ गए थे।

(3) असम तेल नाकेबंदी ने पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को पैदा किया और सरकार को उनका आयात करने के लिए बाध्य किया।

(4) ईरान और ईराक से सप्लाई में अवरोध आने के कारण वर्ष 1980 की अन्तिम तिमाही में स्थल पर बाजार से मंहगी खरीददारियां की गई थीं।

(5) बम्बई हाई खनिअ तेल को परिवहन करने के लिए नई पाइपलाइनों पर किया गया व्यय सहित संचालन लागतों में वृद्धि ने तेल उद्योग पर रुपये का भार बढ़ा दिया।

(4) **11.7.1981 से प्रभावी मूल्य वृद्धि :**

बढ़े हुए तेल अन्वेषण और विकास कार्यक्रम की तीव्रगति से बढ़ती हुई लागतों, बकाया भुगतान पर निरन्तर भार जारी रहने के कारण और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग की वृद्धि को आधुनिक करने की आवश्यकता और उनके आर्थिक और कुशल प्रयोग को प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। परिणास स्वरूप यह बजट की कमी को कुछ सीमा तक पूरा करने में सहायता भी देगा।

विवरण

जुलाई, 1979 से दिसम्बर, 1981 तक मोटर तेल (पेट्रोल) तथा तेरलीकृत पेट्रोलियम गैस के मूल उच्चतम विक्रय मूल्य

(भण्डार स्थलों पर) बम्बई/कोयाली पर

उत्पाद	विक्रय यूनिट	जुलाई, 1979 से प्रभावी	17.8.1979 से प्रभावी	8.6.1980 से प्रभावी	13.1.1981 से प्रभावी	11.7.1981 से आज तक प्रभावी
1. मोटर स्पिरिट	83 कि. ली. ओक्टेन	3538.07	3888.07	4538.07	4908.07	5438 07
2. मोटर स्पिरिट	93 कि. ली. ओक्टेन	3693.48	4043.48	4693.48	5063.48	5593.48
3. एल. पी. जी. (घरेलू) पैक्ड	मी. टन.	1632.65	1965.98	1956.98	2300.98	2633.98
4. एल. पी. जी. औद्योगिक बल्क	मी. टन.	1926.98	2260.31	2260.31	2595.31	2928.31
5. एल. पी. जी. (औद्योगिक) पैक्ड	मी. टन.	—	—	2442.81	2777.81	3110.81

मिट्टी के तेल की खपत

1528. **श्री वीरभद्र सिंह : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरों के मुकाबले गांवों में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है; और

(ख) देश में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत खपत क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान देश में मिट्टी के तेल की प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय औसत खपत का अनुमान लगभग 8 लीटर का लगाया गया है। गांवों में शहरों की तुलना में मिट्टी के तेल की प्रतिव्यक्ति खपत के सम्बन्ध में पृथक् से सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है।

मिट्टी के तेल की कमी

1529. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० वी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जबकि मिट्टी के तेल का समग्र आबंटन इस विभाग द्वारा किया जाता है, परन्तु इस उत्पाद का राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वास्तविक वितरण करना संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्यों के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों के बीच इस उत्पाद के बराबर वितरण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहले से ही परामर्श दिया जा चुका है।

समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल की आबंटन की वर्तमान नीति यह है कि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान किये गए आबंटन/बिक्री पर 5 प्रतिशत की वृद्धि की छूट देने के पश्चात आबंटन किया जाता है। तथापि वर्ष 1980 के दौरान किये गए मिट्टी के तेल के आबंटन/बिक्री की अपेक्षा वर्ष 1981 के दौरान किये गये आबंठन/बिक्री में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य सरकारों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी की कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई-गैस के अनधिकृत कनेक्शन

1530. **श्री नवीन रवाणी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई —गैस के अनेक अनधिकृत कनेक्शन विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो समीप के नगरों में उन्हें दर्ज करवा कर नियमित करने के बारे में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि अनधिकृत कनेक्शनों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सिलैण्डर सप्लाई करने हेतु डीलर और एजेन्ट बहुत ऊंचे मूल्य वसूल कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए तथा ऐसे अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित कनेक्षन के रूप में दर्ज करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्तमान में तेल कम्पनियां केवल शहरी/अर्धशहरी क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) का विपणन कर रही है। किसी एक कस्बे शहर में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कडिस्ट्रीब्यूटरों के प्रचालन के क्षेत्रों को पूरी तरह निर्धारित किया गया हैं तथा उन्हें इस बात के निर्देश दिये गए हैं कि वह केवल अपने प्रचालनों के क्षेत्र में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के कनेइशन जारी करें। ग्रामीण क्षेत्रों में अनधिकृत तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शनों के विद्यमान होने के सम्बन्ध में कोई यिशेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उन अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो कि विद्यमाग डिस्ट्रीब्यूटरों के विपणन क्षेत्राधिकार से बाहर है।

(ग) और (घ) तेल कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के मामलों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गयी है। तथापि, तेल कम्पनियां अपने विपणन क्षेत्र से बाहर के उपभोक्साओं को अनधिकृत कनेक्शन जारी करने सहित अनाचारों को रोकने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां समय-समय पर जांच करती है।

भावनगर के समीप गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

1531. **श्री नवीन रवाणी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भावनगर के समीप गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा और परियोजना का काम कब तक शुरू हो जाने की आशा है ·

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्य नहीं उठता।

आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों हेतु सूचना का स्रोत

1532. **श्री नवीन रवाणी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के पास अच्छे साधन नहीं हैं और इसके पास अपने समाचार बुलेटिनों के लिए कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके पास शेष विश्व के समाचार प्राप्त करने के लिए केवल चार संवाददाता हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अपनी एजेंसियों के अलावा अन्य एजेंसियों से प्राप्त तोड़-मोड़ कर दिये गये समाचारों के ठीक करने के लिए आकाशवाणी क्या करती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) यह बात कि आकाशवाणी के पास अपने समाचार बुलेटिनों को पोषित करने के लिए तथा विश्व समाचारों को कवर करने के लिये अच्छे साधन नहीं हैं या उसका कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, सही नहीं है ।

आकाशवाणी के विदेशों में नियमित संवाददाताओं के 4 पद हैं और 7 अंशकालिक संवाददाता हैं । वे समाचार स्रोत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझे जाने वाले स्थानों से कार्य कर रहे हैं । इन संवाददाताओं के अतिरिक्त, आकाशवाणी अपनी मानिटरिंग यूनिटों से भी विस्तृत सूचना प्राप्त कर रही है ।

समाचार बुलेटिनों को संकलित और सम्पादित करते समय समाचार एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों में यदि कोई अपर्याप्तएं होती हैं तो उन पर विधिवत् ध्यान दिया जाता है उनको ठीक कर दिया जाता है ।

उर्वरक संयंत्रों द्वारा दिखाए गए लाभ/हानि

1533. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे उर्वरक संयंत्रों को हानि/लाभ को जानने के लिये कोई राज्यवार, सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इन उर्वरक संयंत्रों के क्या नाम हैं जो लाभ पर चल रहे हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के कुछ उर्वरक संयंत्रों द्वारा उठाये जा रहे घाटे के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है ।

(घ) यदि हां, तो इन उर्वरक संयंत्रों के क्या नाम हैं और इस तरह के उर्वरक संयंत्र किन-किन राज्यों में स्थित हैं;

(ङ) उनके घाटे के क्या कारण हैं; और

(च) इस बात के लिये उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं कि वे उर्वरक संयंत्र लाभ में चलें ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित उर्वरक कम्पनियों ने वर्ष 1980-81 के दौरान लाभ कमाया;

(i) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०

(ii) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०

(iii) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स टावणकौर लि०

(vi) पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०

(ग) जी, हां ।

(घ) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित उर्वरक कम्पनियों को वर्ष 19 0-81 के दौरान हानि हुई :—

(1) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०, इसके संयंत्र गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, सिन्दरी, बिहार, रामागुण्डम, आंध्र प्रदेश तालचर, उड़ीसा में हैं ।

(ii) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि०, इसके संयंत्र नाम रूप असम; बरोनी, बिहार; दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में है ।

(iii) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, इसके संयंत्र नंगल, पंजाब; भटिण्डा, पंजाब; पानीपत, हरियाणा में हैं ।

(iv) फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट) इंडिया लि० वह एक इंजीनियरिंग कम्पनी है और सिन्दरी, बिहार में स्थित है ।

(ङ) हानियों के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :– असम स्थिति के कारण फीडस्टाक की अनुपलब्धता के परिणाम स्वरूप कम क्षमता उपयोग, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई विद्युत कटौतियां, कोयले जैसे अन्य निवेशों की अनुपलब्धता और उपकरण समस्याएं तथा डिजाइन बाधाएं ।

(च) ज्यादातर राज्य सरकारों द्वारा विद्युत कटौती समाप्त कर दी गई है । उर्वरक संयंत्रों को फीडस्टाक और निदेशों की सप्लाई में अपेक्षित स्तर तक वृद्धि की गई है । संयंत्र संचालन विकास कार्यक्रमों, कठिनाई दूर करने की योजनाओं, और कैप्टिव पावर जनरेशन सुविधाओं की स्थापना आदि के माध्यम से अन्दरूनी बांधाओं को समाप्त करके क्षमता उपयोग को बढ़ाने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं ।

तेल की खोज के कार्य से संबद्ध विदेशी फर्मों के नाम

1534. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 2 अप्रैल, 1981 को उत्पादन में हिस्सा न लेने के आधार पर विदेशी फर्मों की भागीदारी हेतु की गई घोषणा के बाद से अब तक कौन-कौन सी विदेशी फर्में देश में तेल की खोज के कार्य से सम्बद्ध हुई हैं;

(ख) देश के उन तेल क्षेत्रों के क्या नाम है जहां वे विदेशी फर्में तेल की खोज के कार्य के सम्बद्ध की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रखी गई शर्तों और अब तक हुए कार्य के बारे में क्या ब्यौरा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शकर) : (क) और (ख) सौराष्ट्र अप-तट खण्ड 11 अमेरिका की एक तेल कंपनी मैसर्ज चेवरॉन को प्रदान करने का निर्णय किया गया है ।

(ग) इस कंपनी के साथ एक विस्तृत समझौते के लिये बातचीत अंतिम चरण में है। संविदा को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् तथा इस पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही खण्ड में खोज कार्य प्रारंभ किया जा सकता है ।

उड़ीसा में चल रही परियोजनाओं का पूरा होना

1535. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चल रही उन विद्युत परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष 1982-83 की समाप्ति तक पूरी कर देने का प्रस्ताव है;

(ख) इन विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या उपर्युक्त वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में कुछ नई विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) तलचेर ताप विद्युत परियोजना (2×110 मेगावाट)—यूनिट 5 और 6

(ख) तलचेर यूनिट-5 चालू होने की उन्नत अवस्था में है तथा इसको मार्च, 82 तक समकालित कर दिए जाने की आशा है।

तलचेर यूनिट-6 पर कार्य चल रहा है। बायलर उपस्कर के 5210 एम०टी० में से दिसम्बर, 1981 तक 3794 एम० टी० का उत्थापन किया जा चुका था। बायलर पर जलीय परीक्षण मार्च, 1982 में पूरे होने की संभावना है। टर्बो जेनरेटर के लगभग 35% भाग का उत्थापन किया जा चुका है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने अपर कोलाब जल वि० परि० विस्तार (80 मे० वाट) तथा हीराकुड जल वि० परि० चरण-तीन (37.5 मेगावाट) को 1982-83 में हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है।

निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता देने की व्यवस्था

1536. **श्री हरिहर सोरन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश के निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता देने की व्यवस्था कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह की विधिक सहायता देने के क्या मापदण्ड हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिय के कितने लोगों को इस तरह की विधिक सहायता दी गई; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय निर्धन व्यक्तियों को सीधे ही कोई विधिक सहायता नहीं देता है किंतु उसने व्यापक विधिक सहायता स्कीमें तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए तारीख 26 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक छोटी सी उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है। समिति ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक आदर्श स्कीम तैयार की है।

(ख) भगवती समिति द्वारा तैयार की गई आदर्श स्कीम में यह उपबंध है कि प्रत्येक ऐसा नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5000 रु० से अधिक नहीं है, निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र होगा। आय संबंधी यह परिसीमा उन विवादग्रस्त मामलों को लागू नहीं होगी जिनके पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति का है या महिला है या बालक है।

(ग) और (घ) इस संबंध में ब्यौरे तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं और राज्य सरकारों से जानकारी भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

सालबुटामोल के निर्माण हेतु मैसर्स ग्लैक्सो को लाइसेंस जारी किया जाना

1537. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लैक्सों कम्पनी ने दमारोधी औषधि सालबूटामोल का निर्माण करने और उसके फार्मूलेशनों के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाने हेतु कोई आवेदन पेश किया था;

(ख) क्या सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मैं ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इं०) लिमिटेड ने सालबुटामोल के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु 1973 में आवेदन किया था। उन्हें 1974 में कुछ शर्तों के साथ आशय पत्र जारी किया गया। एक शर्त के विरुद्ध अभ्यावेदन देने के बाद कम्पनी ने मार्च, 1980 में आशय पत्र की सभी शर्तों को अन्तिम रूप से मान लिया और आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने का भी अनुरोध किया। मामले को विचारार्थ मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा गया जो वैधता अवधि बढ़ाने और आशय पत्र को परिवर्तित करने पर सहमत नहीं हुई। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या मामले को फिर से मूल्यांकन समिति के समक्ष लाया जाए।

तमिलनाडु में पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव

1538. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तमिलनाडु में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ताप बिजली घरों हेतु तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव

1539. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में 210 मेगावाट के पांच ताप बिजली घर और 450 मेगावाट का एक अन्य बिजली घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किस तारीख अथवा तारीखों को ये प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ताप विद्युत केन्द्रों की प्रतिष्ठापना के लिए तमिलनाडु बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

स्कीम का नाम (क्षमता)	प्राप्ति की तारीख
1. उत्तर मद्रास ता. वि. के. (5×210 मे. वा.)	11-1-82
2. मेत्तूर ता. वि. के. विस्तार (2×210 मे. वा.)	5-1-82
3. तूतीकोरिन ता. वि. के. (स्टेज-III) (1×210+1×500 मे. वा.)	13-1-82
4. तमिलनाडु में गैस टर्बाइन केन्द्र (6×50 मे. वा.)	23-12-81

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दिए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि निवेशों को, यथा कोयले/तेल की उपलब्धता रेल परिवहन आदि को सम्बद्ध कर दिया जाए।

कुछ उद्योगों में ऐजेंसियों पर प्रतिबन्ध

1540. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनमें कम्पनी अधिनियम की धारा 294 ए. ए. के अन्तर्गत थोक बिक्री करने वाली एजेंसियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ख) यह प्रतिबन्ध कितनी अवधि के लिये लगाया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294 (कक) की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, एक मात्र बिक्रेता अभिकरण, का निम्नलिखित उद्योगों में निषेध किया गया है :—

क्रम संख्या	उद्योग का नाम	अवधि जिस तक अधिसूचना वर्तमान रूप से वैध है
1.	चीनी	4-9-1985
5.	वनस्पति	4-9-1985
3.	सीमेन्ट	17-9-1985
4.	कागज	17-9-1985
5.	भेषज (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में यथा परिभाषित "भेषज पुंज" "भेषज" तथा "संविन्यास" की प्रत्येक श्रेणी, जो निम्नांकित न हो,	17-4-1982
	(1) आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) अथवा यूनानी (तिब्बी) चिकित्सा प्रणालियों में सम्मिलित कोई वास्तविक निर्मित पदार्थ, अथवा,	
	(2) होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में सम्मिलित कोई निर्मित पदार्थ।	

एफ. पी. डी. आई. एल. द्वारा सिन्दरी से बडौदा स्थानान्तरित किये गये कर्मचारी

1541. **श्री ए. के. राय :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एफ. पी. डी. आई. एल. से कितने कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1982 तक सिन्दरी से बडौदा स्थानांतरित किया गया और इसके श्रेणीवार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बहुत से कर्मचारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरित किया गया जिससे उनमें आतंक एवं असंतोष पैदा हुआ;

(ग) बडौदा में एक पृथक कार्यालय बनाए रखने के लिए प्रतिमास हुए खर्चे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उसी कार्य को कम लागत पर सिन्दरी से ही किया जा सकता था, ब्यौरे सहित तथ्य क्या हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अतिरिक्त व्यय करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट) इंडिया लि० द्वारा 1 जनवरी, 1982 तक सिन्दरी से बडौदा स्थानांतरित किये गये कर्मचारियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है : —

समूह "क" पद वाले अधिकारी	—	100
समूस "ख" पद वाले अधिकारी	—	42
समूह "ग" पद वाले अधिकारी	—	25
योग :		167

(ख) जी, नहीं ।

(ग) बडौदा में पृथक कार्यालय बनाए रखने में औसत अतिरिक्त लागत लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति माह बैठती है ।

(घ) और (ङ) थाल और हाजिरा परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपने उत्तर दायित्वों का निष्पादन करने के सम्बन्ध में फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट) इंडिया लि० ने बडौदा में एक कार्यालय स्थापित किया ताकि कार्य को समय पर पूरा किया जा सके, जिसे सिन्दरी जैसे दूर के स्थान से करना सम्भव नहीं है और कर्मचारियों द्वारा खर्चीली यात्राओं की आवश्यकताओं से अतिरिक्त समय और धन लगेगा ।

नगरों में दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराना

1542. **श्री के० मालन्ना : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तार विभाग ने यह कहा था कि वह उन अनेक नगरों में दूरदर्शन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है, जहां इस समय ये सुविधाएं नहीं है बशर्ते कि दूरदर्शन विभाग इसकी मांग करे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नगरों के नामों का क्या ब्यौरा है जहां अभी तक इस तरह की सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं और इस समय डाक तथा तार विभाग की सूची में है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं । डाक तार विभाग दूरदर्शन अभिग्रहण सुविधा प्रदान नहीं करता । परन्तु दूरदर्शन विभाग की सुनिश्चित मांग प्राप्त होने पर कार्यक्रम प्रसारण के लिए सूक्ष्म तरंग चैनल प्रदान किए जाते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

झरिया और इसके आस-पास के क्षेत्र में विस्थापित लोगों का पुनर्वास

1543. **श्री राम विलास पासवान : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले का उत्पादन बढ़ाने की एक योजना के अनुसार 30,000 हैक्टेयर से अधिक भूमि को जिसमें लगभग समूचा झरिया नगर और इसके आस-पास की कई नगरीकृत बस्तियां आ जाती हैं, खनन क्षेत्र में तबदील किए जाने के लिए, अधिगृहीत किए जाने पर बिचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह बताएं कि उसके परिणामस्वरूप प्रभावित हुई जनजाति और किसानों सहित जनसंख्या का किस तरीके से पुनर्वास करने का सरकार का विचार है; और

(ग) योजना को कार्यान्वित करने में कितना समय लग जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) झरिया कोलफील्ड पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अनुसार सन् 2000 ईस्वी तक अपेक्षित कुल भूमि लगभग 30,000 हैक्टेयर है। इस भूमि की आवश्यकता इन कारणों से है—खनन ब्लाक, ओपेनकास्ट और भूमिगत दोनों, रिंग रोड रेलवे, नगर बस्तियां, बिजली सप्लाई आदि। कानून के अधीन यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया जाए उन्हें मुआवजा दिया जाए और उनके पुनर्वासन का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, भारत कोकिंग कोल लि० कुछ मानदंडों के आधार पर उन लोगों से कुछ को रोजगार देती रही हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

(ग) योजना को लागू करने का कार्य पहले ही चरणों में शुरू किया जा चुका है। कई परियोजनाएं—जो इस योजना का अभिन्न अंग हैं स्वीकृत की जा चुकी हैं और इन्हें लागू करने का काम हाथ में लिया जा चुका है। झरिया कोलफील्ड पुनर्गठन का काम सन् 2000 ईस्वी तक पूरा हो जाने का कार्यक्रम है।

थीन बांध

1544. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थीन बांध योजना को स्वीकृति देने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) विलम्ब के कारण परियोजना की मूल लागत की तुलना में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इसके वित्तपोषण में, इसमें भागीदार राज्यों और केन्द्र का हिस्सा कितना-कितना होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) हरियाणा और राजस्थान इस परियोजना से विद्युत के हिस्से का दावा कर रहे हैं। 3.10.1977 को हुई संबंधित मुख्य मंत्रियों की बैठक में, जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई थी, यह निर्णय लिया गया था कि पंजाब परियोजना को कार्यान्वित कर सकता है। अनिर्णीत मामलों की जांच अलग से की जाती थी। परियोजना की अनुमानित लागत 469 करोड़ रुपए है।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परियोजना पंजाब सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

पटना आकाशवाणी केन्द्र के निदेशक को ज्ञापन

1545. **श्री के० ए० राजन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य सहित ए० आई० टी० यू० सी० तथा सी० आई० टी० यू० के प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल 23 जनवरी, 1982 को पटना आकाशवाणी केन्द्र से मिला था और एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ज्ञापन में क्या-क्या मुद्दे उठाए गए थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) आकाशवाणी, पटना के केन्द्र निदेशक से 23 जनवरी, 1982 को कोई शिष्टमंडल नहीं मिला था। तथापि, इस प्रकार का एक शिष्टमंडल केन्द्र निदेशक से 21 जनवरी, 1982 को अवश्य मिला था और एक ज्ञापन दिया था।

(ख) ज्ञापन में आकाशवाणी द्वारा और विशेषकर पटना केन्द्र द्वारा 19-1-82 को बन्द के बारे में किए गए कवरेज के प्रति विरोध प्रकट किया था और उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि कवरेज पक्षपातपूर्ण था और वस्तुनिष्ठ नहीं था।

बंगला बन्द के दौरान अनुपस्थित डाक कर्मचारियों की सेवा में सेवा-व्यवधान

1546. **श्री के० ए० राजन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में उन सभी डाक-तार कर्मचारियों की सेवा में सेवा-व्यवधान कर दिया है जो 10 जनवरी को बंगला बंद के कारण अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित रहे;

(ख) इससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं;

झरिया और इसके आस-पास के क्षेत्र में विस्थापित लोगों का पुनर्वास

1543. **श्री राम विलास पासवान :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले का उत्पादन बढ़ाने की एक योजना के अनुसार 30,000 हैक्टेयर से अधिक भूमि को जिसमें लगभग समूचा झरिया नगर और इसके आस-पास की कई नगरीकृत बस्तियां आ जाती हैं, खनन क्षेत्र में तबदील किए जाने के लिए, अधिगृहीत किए जाने पर बिचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह बताएं कि उसके परिणामस्वरूप प्रभावित हुई जनजाति और किसानों सहित जनसंख्या का किस तरीके से पुनर्वास करने का सरकार का विचार है; और

(ग) योजना को कार्यान्वित करने में कितना समय लग जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) झरिया कोलफील्ड पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अनुसार सन् 2000 ईस्वी तक अपेक्षित कुल भूमि लगभग 30,000 हैक्टेयर है। इस भूमि की आवश्यकता इन कारणों से है—खनन ब्लाक, ओपेनकास्ट और भूमिगत दोनों, रिंग रोड रेलवे, नगर बस्तियां, बिजली सप्लाई आदि। कानून के अधीन यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया जाए उन्हें मुआवजा दिया जाए और उनके पुनर्वासन का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, भारत कोकिंग कोल लि० कुछ मानदंडों के आधार पर उन लोगों से कुछ को रोजगार देती रही हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

(ग) योजना को लागू करने का कार्य पहले ही चरणों में शुरू किया जा चुका है। कई परियोजनाएं—जो इस योजना का अभिन्न अंग हैं स्वीकृत की जा चुकी हैं और इन्हें लागू करने का काम हाथ में लिया जा चुका है। झरिया कोलफील्ड पुनर्गठन का काम सन् 2000 ईस्वी तक पूरा हो जाने का कार्यक्रम है।

थीन बांध

1544. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थीन बांध योजना को स्वीकृति देने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) विलम्ब के कारण परियोजना की मूल लागत की तुलना में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इसके वित्तपोषण में, इसमें भागीदार राज्यों और केन्द्र का हिस्सा कितना-कितना होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) हरियाणा और राजस्थान इस परियोजना से विद्युत के हिस्से का दावा कर रहे हैं। 3.10.1977 को हुई संबंधित मुख्य मंत्रियों की बैठक में, जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई थी, यह निर्णय लिया गया था कि पंजाब परियोजना को कार्यान्वित कर सकता है। अनिर्णीत मामलों की जांच अलग से की जाती थी। परियोजना की अनुमानित लागत 469 करोड़ रुपए है।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परियोजना पंजाब सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

पटना आकाशवाणी केन्द्र के निदेशक को ज्ञापन

1545. **श्री के० ए० राजन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य सहित ए० आई० टी० यू० सी० तथा सी० आई० टी० यू० के प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल 23 जनवरी, 1982 को पटना आकाशवाणी केन्द्र से मिला था और एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ज्ञापन में क्या-क्या मुद्दे उठाए गए थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) आकाशवाणी, पटना के केन्द्र निदेशक से 23 जनवरी, 1982 को कोई शिष्टमंडल नहीं मिला था। तथापि, इस प्रकार का एक शिष्टमंडल केन्द्र निदेशक से 21 जनवरी, 1982 को अवश्य मिला था और एक ज्ञापन दिया था।

(ख) ज्ञापन में आकाशवाणी द्वारा और विशेषकर पटना केन्द्र द्वारा 19-1-82 को बन्द के बारे में किए गए कवरेज के प्रति विरोध प्रकट किया था और उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि कवरेज पक्षपातपूर्ण था और वस्तुनिष्ठ नहीं था।

बंगला बन्द के दौरान अनुपस्थित डाक कर्मचारियों की सेवा में सेवा-व्यवधान

1546. **श्री के० ए० राजन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में उन सभी डाक-तार कर्मचारियों की सेवा में सेवा-व्यवधान कर दिया है जो 10 जनवरी को बंगला बंद के कारण अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित रहे;

(ख) इससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस पर पुनर्विचार करने और इन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही वापस लेने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भोपाल में एक ट्रंक आटो एक्सचेंज की स्थापना किया जाना

1547. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश में भोपाल में एक ट्रंक आटो एक्सचेंज स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नया ट्रंक आटो एक्सचेंज कब से कार्य करना शुरू कर देगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) भोपाल के लिए 1000 लाइनों का एक अंकीय एलेक्ट्रानिक ट्रंक आटो एक्सचेंज की योजना बनाई गई है ।

(ग) नया टी० ए० एक्स० चालू पंचवर्षीय योजना के अंत तक चालू हो जाने की संभावना है ।

टेलीफोन प्रणाली का दोषयुक्त कार्यकरण

1548. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में उन 37 और 38 के अंक (वी० आई० पी० लाइंस) से शुरू होने वाले एक्सचेंजों पर अधिक भार रहता है और टेलीफोन प्रणाली के अत्यंत खराब दोषयुक्त कार्य करने के बारे में प्रयोक्ताओं, सांसदों और अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा निरन्तर शिकायतें की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन दोषों को दूर करने के लिए डाक एवं तार विभाग क्या प्रभावी कदम उठा रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 37 तथा 38 एक्सचेंज अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य कर रहे हैं । इन एक्सचेंजों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक है तथा इनको निरंतर मानीटर किया जा रहा है । इन एक्सचेंजों में शिकायतों की संख्या दिल्ली टेलीफोन प्रणाली की औसत शिकायत से कम है ।

(ख) कार्य निष्पादन में और अधिक सुधार करने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) जंक्शन, प्राईमरी तथा सेकेण्ड्री केबलों का गैस दाबीकरण।

(ii) जहां केबल की गहराई कम है वहां अर्ध-नलिकाओं द्वारा भूमिगत केबलों को सुरक्षा प्रदान करना।

(iii) उपभोक्ता कार्यालय सहित टेलीफोन सस्थापन का निरीक्षण।

(iv) क्षेत्र में वितरण प्वाइंटों का पुनर्स्थापन।

(v) कापर हाउस वायरिंग की बजाय एल्यूमिनियम हाउस वायरिंग लगाना।

(vi) रात के समय एक्सचेंज उपस्करों की विशेष जांच।

डाक तार कर्मचारियों का स्थानान्तरण

1549. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानान्तरित किए गए डाक एवं तार कर्मचारियों ने जिन्हें बड़ी संख्या में एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किया गया है. अपने स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध कोई रोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त विरोध का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तरह के विरोध पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार इस आदेश पर पुनर्विचार करेगी;

(ङ) यदि हां, तो किस तरीके से; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। एक राज्य से दूसरे राज्य में बड़ी संख्या में स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(ग) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनूर में सुपर ताप बिजली घर

1550. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने मनूर, चन्द्राचलम रोड पर एक सुपर ताप बिजली घर की स्थापना किये जाने की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व भी यह सक्रिय रूप से विचाराधीन था; और

(ग) यदि हां, तो की गई कार्यवाही और उस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की व्यवहार्यता निर्धारित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जांच किए जा रहे स्थलों में से एक स्थल भद्राचलम के पास मानगुरु है।

डाक-तार विभाग द्वारा नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाना

1551. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **सचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में डाक-तार विभाग में जिलेवार, बिहार, उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को नैमित्तिक मजदूरों के रूप में लगाया गया है;

(ख) क्या दूसरे राज्यों से नैमित्तिक मजदूर लेना जरूरी था जबकि रोजगार केन्द्र में पंजीकृत वैसी ही श्रेणी के मजदूर उपलब्ध थे; और

(ग) उपर्युक्त नैमित्तिक मजदूरों में से कितने मजदूरों को नियमित किया गया है और कितनों को स्थाई किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

इजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1552. **श्री सोमजी भाई डामोर**: क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में 28 फरवरी, 1982 को ए, बी, सी और डी श्रेणी के पदों पर कुल कितने कर्मचारी थे;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में, अलग-अलग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में खाली पड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या, 22 फरवरी, 1982 को कितनी थी; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में 18.2.1982 की यथा-स्थिति निम्नलिखित रूप में स्थित है :—

	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
श्रेणी-ए	1845	59	7
श्रेणी-बी	551	34	—
श्रेणी-सी	658	71	5
श्रेणी-डी (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	92	17	3
	3146	181	15

(ग) 18.2.1982 की यथा स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों और रिक्त पदों की संख्या जिसमें आगे ले आयी गई रिक्तियां शामिल हैं, श्रेणीवार निम्नलिखित रूप में हैं :—

पदों की श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
'ए'	157	84
'बी'	58	37
'सी'	51	37
'डी'	—	1

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड विशेष कदम उठा रहा है। इसमें अन्य बातों के साथ अनुसूचित/जाति जनजातियों के पूर्व स्नातक इन्जीनियरिंग उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि को सम्बद्ध करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में सहायता देने वाली विभिन्न संबंधित एजेन्सियों के आवश्यकताओं के ब्यौरे भेजना शामिल है।

फर्टिलाइजर (योजना और विकास) इंडिया लि० का उपयोग और विस्तार

1553. **श्री ए० के० राय : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर (योजना और विकास) इंडिया लिमिटेड में एक जनवरी, 1982 को कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और अनुसंधान और डिजाइन दोनों अनुभागों को कितना कार्य सौंपा गया था;

(ख) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर (योजना और विकास) इंडिया लि० की विशेषता का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है और इस संगठन को कार्य न देने की कोशिश की जा रही है; और

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में फर्टिलाइजर (योजना और विकास) इंडिया लि० के किसी कार्य का विस्तार किये जाने की कोई योजना है, और यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट) इंडिया लि० में 1.1.1982 को कर्मचारियो की संख्या 3272 थी। उपलब्ध डिजाइन इंजीनियरिंग कर्मचारियों में से 62 प्रतिशत उन कार्यों में लगे हैं जिनसे इस समय कम्पनी को प्रत्यक्ष राजस्व की प्राप्ति होती है। शेष डिजाइन इंजीनियरिंग कर्मचारी सम्भावित आमदनी के लिये भावी कार्य प्राप्त करने से सम्बन्धित कार्यों में लगे हुये हैं। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कुछ कार्य अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित किया जाता और कुछ कार्य मूल अनुसंधान के रूप में एफ० पी० डी० आई० एल० द्वारा प्रारंभ किया जाता है।

(ख) जी नहीं। इस समय एफ पी. डी. आई. एल. नंगल में मेथानौल संयंत्र के अलावा थाल परियोजना, नामरूप-111, और हाजिरा में यूरिया संयंत्रों जैसी कुछ प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं में व्यस्त है। इसके अतिरिक्त उसने अनेक छोटे-छोटे कार्य भी प्राप्त किये हैं।

(ग) एफ. पी. डी आई. एल. में अमोनियां: यूरिया, फास्फोरिक एसिड, डिअमोनियम फास्फेट आदि जैसी विभिन्न उर्वरकों और मध्यवर्तियों का निर्माण करने हेतु इंजीनियरिंग संयंत्रों के लिये विभिन्न स्वामित्व वाली प्रोद्यौगिकीय प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त किया है कम्पनी अपने कार्यकलापों की सामग्री नियंत्रण, पेट्रो-रसायन आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में फैलाने का भी विचार कर रही है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एफ. पी. डी. आई. एल. द्वारा देख-रेख किये जाने वाले कार्य की मात्रा ऊपर बताये गये विशिष्ट क्षेत्र में उन इंजीनियरिंग कार्यों के आर्डरों पर निर्भर करती है जो वे अन्य गैर-सरकारी और सरकारी इंजीनियरिंग सगठनों से स्पर्धा में प्राप्त करेगा।

कुमाऊं और गढ़वाल में उपग्रह संचार प्रणाली सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराना

1554. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें उपग्रह संचार प्रणाली से लाभान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में कुमाऊं और गढ़वाल के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना उनके मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) लेह एवं ऐजवाल में कार्य पूरा किया जा चुका है तथा स्टेशन वाणिज्यिक प्रयोग के लिए चालू कर दिए गये हैं जबकि अगरतला, कोहिमा, इम्फाल, ईटानगर, गंगटोक तथा श्रीनगर में यह कार्य अभी प्रगति पर है।

(ख) उपग्रह संचार हेतु चमोली, उत्तरकाशी एवं श्रीनगर (गढ़वाल) में भू-स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय क्षेत्र से बिजली की सप्लाई

1555. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित सभी विद्युत अधिष्ठपनताओं से बिजली दी जाए;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को कितने मेगावाट बिजली सप्लाई की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 2000 मेगावाट की चरम क्षमता से विद्युत का आवंटन निम्नानुसार है :—

दिल्ली	:	150 मेगावाट
यू० पी०	:	850 मेगावाट
हरियाणा	:	200 मेगावाट
पंजाब	:	200 मेगावाट
राजस्थान	:	300 मेगावाट
अल्पकालिक आधार पर, अलग-अलग राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्र के पास रही आबंटित क्षमता	:	300 मेगावाट
जोड़	:	2,000 मेगावाट

छठी पंचवर्षीय योजना में नए टेलीफोन कनेक्शन देना

1556. **श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में मंत्रालय द्वारा कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने तथा कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या ग्रामीण तथा दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में वहां के लोगों की आकांक्षा के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए विभागीय मानदण्ड निर्धारित करने का निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित किया गया अधुनातन मानदण्ड क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

नए टेलीफोन कनेक्शन—13.30 लाख

नए टेलीफोन एक्सचेंज 3500.

(ख) और (ग) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने हेतु नीति को उदार बनाया गया है जैसा कि क्रमशः विवरण-एक और विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण–एक

ग्रामीण क्षेत्रों में नए टेलीफोन एक्सचेज खोलने के संबंध में नीति

डाक-तार विभाग के सामान्य नियमों के अंतर्गत, टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने हेतु परियोजनाएं केवल परियोजना के वित्तीय मूल्य निर्धारण को कार्यान्वित करने के पश्चात् ही स्वीकार की जाती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वार्षिक आवर्ती व्यय अनुमानित वार्षिक राजस्व से अधिक न हो। हालांकि, उपस्कर भण्डार और श्रम की बढ़ती हुई लागत के कारण यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्सचेंजों हेतु अत्यधिक संख्या में योजनाएं केवल प्रारंभिक अवस्था में ही नहीं अपितु पूर्णतया सज्जित क्षमता के पश्चात् भी अलाभकारी सिद्ध हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए 100 लाइनों तक की क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने/विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उदारीकृत नीति 1-4-1980 से अपनाई गई है : -

(i) प्रत्येक पृथक-पृथक परियोजना पर, यह दबाव डाले बिना कि वह लाभप्रद हो, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लाइनों की क्षमता तक के छोटे स्वचल एक्सचेंज खोले जा सकते हैं और उनका विस्तार किया जा सकता है। ऐसे एक्सचेंजों को खोलने और उनका विस्तार निजी तथा सार्वजनिक (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) टेलीफोन कनेक्शनों हेतु मांग द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

(ii) 10 लाइनों का एक एक्सचेंज खोला जा सकता है बशर्ते कि केन्द्रीय ग्राम की 5 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम अथवा ग्राम-समूह में ऐसे कनेक्शनों हेतु कम से कम 5 (पांच) टेलीफोनों की मांग हो परन्तु अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 35 प्रतिशत होना चाहिए। फिलहाल इस समय यह लागू नहीं है क्योंकि 10 लाइनों के छोटे स्वचल एक्सचेंज को अभी विकसित किया जा रहा है इसको कृपया नीचे पैरा (v) के सन्दर्भ में भी देखा जाए।

10. **सभी अन्य स्थान :**

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें :—

वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या घाटे के मामलों में किराये और गारंटी के आधार पर।

टिप्पणी : I (क) केवल आदिवासी क्षेत्रों के मामलों में किसी केन्द्रीय ग्राम से 10 किलोमीटर की अरीय दूरी के ग्राम समूहों को छोड़कर, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूहों की जनसंख्या पर। दो सार्वजनिक टेलीफोन घर उदारीकृत शर्तों के अधीन जिनमें से एक दूसरे से 10 कि० मी० की दूरी के भीतर सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोला जा सकता।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु केन्द्रीय ग्राम का पता लगाते समय निम्न प्रकार वरीयता दी जानी चाहिए :—

(i) जनजातीय, ब्लाक मुख्यालय।

(ii) वे स्थान जहां बड़े आकार के बहुउद्देश्य सहकारी समितियां हैं; तथा

(iii) स्थानीय जनजातीय विकास विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु अथवा गहन कृषि विभाग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के केन्द्र हेतु नियत किए स्थानों पर।

विवरण-दो

हानि के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन खोलने की नीति

स्थानों की श्रेणियां :

1. जिला मुख्यालय
2. उप मंडलीय मुख्यालय

3. तहसील मुख्यालय

4. उप तहसील मुख्यालय

5. ब्लाक मुख्यालय

6. ऐसे स्थान जिनकी जनसख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें :

हानि की चिन्ता किए बिना तथा राजस्व की शर्त के बिना सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने जाएंगे ।

7. वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें :

साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत तथा पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

8. **आम रास्ते से दूर के स्थान :**

(क) मौजूदा सार्वजनिक टेलीफोन से 40 किलोमीटर से बाहर (अरीय दूरी) होनी चाहिए ।

(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

9. **पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/विद्युत परियोजना स्थल/नगर**

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें :

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

(ii) 10 लाइनों के एक्सचेंज को बदला जा सकता है अथवा 25 लाइनों का एक नया एक्सचेंज स्थापित किया जा सकता है यदि केन्द्रीय ग्राम की 5 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम में अथवा ग्राम-समूह में ऐसे 10 कनेक्शनों हेतु मांग हो बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक राजस्व व्यय का कम से कम 40 प्रतिशत हो ।

(iv) 25 लाइनों का एक्सचेंज 50 लाइनों के एक्सचेंज में बदला जा सकता है जब मांग 23 तक पहुंच जाय और 50 लाइनों के एक्सचेंज का 100 लाइनों तक विस्तार किया जा सकता है जब मांग 46 तक पहुंच जाय बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का क्रमशः 60 और 70 प्रतिशत हो।

(v) सामान्य रूप में, नए स्टेशन में छोटे स्वचल एक्सचेंज की प्रारम्भिक क्षमता 10 लाइनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर भी, इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि 10 लाइनों के इलेक्ट्रोनिक एस० ए० एक्स० का विकास कार्य अभी चल रहा है तथा इस तारीख तक उपलब्ध सबसे छोटे एक्सचेंज 25 लाइनों की नाममात्र की क्षमता है। 25 लाइनों के एक्सचेंज को तब तक खोलने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि 10 लाइनों का एक्सचेंज आसानी से उपलब्ध नहीं होता, बशर्ते कि कम से कम 10 नियमित निजी और सार्वजनिक कनेक्शनों (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) की मांग हो।

उपरोक्त उदारीकृत नीति स्वचल एक्सचेंजों को खोलने विस्तार करने हेतु लागू है।

2. छोटे हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने के लिए कम से कम 5 आपरेटरों को नियुक्त करना पड़ेगा जो कि सप्ताह भर दिन रात सेवा प्रदान करेंगे। क्योंकि ऐसे छोटे हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने में काफी घाटा होता है अतः सामान्यतः 100 लाइनों से कम के हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने पर विचार नहीं किया जाता।

3. इस समय दूरसंचार सर्किलों के अध्यक्ष 25 लाइनों के उन छोटे स्वचल एक्सचेंजों को खोलने की योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं जहां कम से कम 10 प्रत्याशित उपभोक्ताओं ने 100 रुपये की निर्धारित अग्रिम जमा के साथ अपनी मांग पंजीकृत करा ली हो। इस उद्देश्य हेतु प्रत्याशित उपभोक्ता क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी फोन्स/तार से संपर्क करें।

4. ऐसे एक्सचेंजों को खोलने में किराये पर उचित भवन और एक्सचेंज उपस्कर, पावर संयंत्र, बैटरी, केबल, लाइन सामग्री आदि को प्राप्त करना सम्मिलित है। अतः एक बार योजना को मंजूरी दे देने के पश्चात एक्सचेंज को चालू करने में लगभग 24 महीने लग जाते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को आवंटित निधियों का उपयोग करना

1557. **श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दी गई पूरी धनराशि का उपयुक्त ढंग से उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र को बिजली दी जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मार्च, 1981 के अन्त तक 58 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के खाते में ये दर्ज हुए हैं। इसकी तुलना में ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उस दिन तक उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को कुल 103 31 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। 45 करोड़ की शेष राशि में 12 करोड़ रुपए की वह राशि शामिल है जो मार्च, 1981 में वितरित की गई थी और भंडार में पड़ी हुई निर्माण सामग्री की लागत शामिल है जिसका इस्तेमाल निर्माण कार्यों में किया जाएगा। सम्पन्न हुए निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने की रिपोर्ट जब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार कर ली जायेगी तब 31 मार्च, 1981 तक हुआ वास्तविक व्यय ऊपर बताये गये खर्चे से अधिक होने की संभावना है। ग्राम विद्युतीकरण निगम, निर्माणाधीन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन की मानीटरिंग नियमित रूप से करता रहा है ताकि उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायताओं का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) उत्तर प्रदेश में, 1,12,561 गांव हैं जिनमें से 38,577 गांवों को छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में विद्युतीकृत कर दिया गया था। यह संख्या 38 प्रतिशत ग्रामों के विद्युतीकरण को दर्शाती है। छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान, उत्तर प्रदेश में लगभग 33,000 और गांवों को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम है, जिसमें ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए जाने वाले 18,000 गांव शामिल हैं। आशा की जाती है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण की प्रतिशतता लगभग 63 प्रतिशत हो जाएगी।

उड़ीसा दूरदर्शन केन्द्र के कर्मचारियों की बहाली

1558. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा दूरदर्शन केन्द्रों के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवाएं पिछले तीन वर्षों में समाप्त कर दी गई;

(ख) उनकी सेवाएं समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनकी बहाली का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) शून्य।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

"सुपर" तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना करने में हुई प्रगति

1559. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "सुपर" तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई नई परियोजनाएं विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, उनकी अनुमानित लागत क्षमता क्या है तथा उनके स्थापना स्थल कौन-कौन से हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम निम्नलिखित सुपर ताप विद्युत स्थापित कर रहा है—उत्तर प्रदेश में सिंगरौली में (2000 मेगावाट), मध्य प्रदेश में कोरबा में (2100 मेगावाट), आन्ध्र प्रदेश में रामागुण्डम में (2100 मेगावाट) तथा पश्चिमी बंगाल में फरक्का में (जो 2100 मेगावाट के लिए आयोजित है और जिसमें से इस समय 1000 मेगावाट कार्यान्वित की जा रही है)। इन सुपर ताप विद्युत केन्द्रों को समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र का 210 मेगावाट का यूनिट सं० एक कार्यक्रम के अनुसार फरवरी, 1982 में समकालित किया जा चुका है।

(ख) दिसम्बर, 1980 में हुए भारत-सोवियत तकनीकी सहयोग समझौते में मध्य प्रदेश में वैधन में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए सोवियत सहायता की व्यवस्था है। व्यवहार्यता रिपोर्ट में 1110.42 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, 210-210 मेगावाट के छः यूनिटों से युक्त 1260 मेगावाट क्षमता तथा सम्बद्ध पारेषण लाइन की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना की गई है। उक्त राशि में सोवियत ऋण लगभग 300 करोड़ रुपए होने की संभावना है।

निलम्बित आवेदन पत्र

1560. **श्री आर० प्रभु** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम की धारा 21, 22 तथा 23 के अन्तर्गत कितने नोटिस तथा आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) वर्ष 1980 में उपर्युक्त धाराओं के अन्तर्गत कितने नोटिस तथा आवेदन पत्र निपटाए गए;

(ग) प्राप्त हुए आवेदन पत्रों/नोटिसों की तुलना में कम संख्या में आवेदन-पत्र/नोटिस निपटाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) भविष्य में आवेदन-पत्र/नोटिस शीघ्र निपटाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन धाराओं के अन्तर्गत आज की तारीख तक निलम्बित पड़े आवेदन-पत्रों/नोटिसों की संख्या क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) 1980 के वर्ष के मध्य, केन्द्रीय सरकार को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21, 22 तथा 23 के अन्तर्गत 194 नोटिस/आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 1980 के वर्ष में. 102 नोटिस/आवेदन-पत्र निपटा दिये गये थे।

(ग) तथा (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के दूरगामी उपलक्षणों युक्त एक आर्थिक कानून होने से, प्रस्तावों पर अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों से परामर्श करके, अनेक सम्बन्धित दृष्टिकोणों से गहराई से परीक्षा की जाती है। उन सभी प्रस्तावों, जिन्हें पूर्ण प्रक्रिया योग्य अपनाई जाने के पश्चात निपटान के लिए परिपक्व पाया गया था, पर 1980 के वर्ष में निर्णय दे दिये गये थे। मामलों को शीघ्रातिशीघ्र संभव समय के अन्दर निपटाये जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किये जा रहे हैं व किया जाना जारी रहेगा।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के पास, 24 फरवरी, 1982 को, प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अन्तर्गत 247 आवेदन-पत्र/नोटिस अनिर्णीत थे।

दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए बेहतर टेलीफोन सेवा

1561. **श्री के० मालन्ना :**

श्री चिन्तामणि जैना : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में उपभोक्तापों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक, अभिलेखों, केवल अभिलेखों के उचित रख-रखाव, बिल बनाने की जानकारी, निर्देशिका सम्बन्धी जानकारी इवेंट्री नियत्रण तथा वेतन बिल तैयार करने के लिए भी आन्तरिक कम्युटर केन्द्र स्थापित करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली टेलीफोन जिले के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत बाहरी संयंत्र जाल-कार्य को उन्नत बनाने के उपायों को कार्यान्वित करने हेतु दिल्ली में एक कार्यबल का गठन किया गया है। उक्त कार्यबल द्वारा निम्नलिखित काय किये गये हैं :—

(1) जंक्शन प्राथमिक तथा माध्यमिक केबुलों का गैस दाबीकरण।

(2) वितरण प्वाइन्टों की पुनः स्थापना।

(3) बहु मजिले भवनों का "ब्लाक-वायरिंग"।

(4) केबिनिटों तथा खम्बों में जम्परों की पुनः व्यवस्था करना।

(5) केबुल नलिकाओं का निर्माण कार्य बल द्वारा उपर्युक्त कार्य करने के अलावा सेवा में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :—

(1) अर्ध नलिकाओं द्वारा जहां कहीं केबुलों की गहराई कम है वहां भूमिगत केबुलों को सुरक्षा प्रदान करना।

(2) सभी केबुल जोड़ों का फ्लैश दाब परीक्षण तथा उचित कारीगरी के परीक्षण हेतु उनको बन्द करने से पूर्व केबुल खाइयों का भराव।

(3) टेलीफोन संस्थापनों के निरीक्षण को बढ़ाना जिसमें उपभोक्ताओं के परिसर भी शामिल हैं।

(4) रात्रि के दौरान एक्सचेंज उपस्करों का विशेष परीक्षण।

(5) अनुपस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतया प्रशिक्षित टेलीफोन प्रचालकों के आरखित पूल का गठन।

(6) निकट भविष्य में इलेक्ट्रानिक स्थानीय टी० ए० एक्स० एवं टेलेक्स एक्सचेंजों के सस्थापन हेतु आधुनिक तकनीक को प्रारम्भ किया गया है।

(7) टेलीफोन उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन हेतु ग्राहक सेवा केन्द्रों का गठन।

(8) बिलों को तैयार करने, केबिल अभिलेखों वाणिज्यिक अभिलेखों को तैयार करने तथा लाइन पर निर्देशिका सूचना उपलब्ध करने के लिए आन्तरिक कंप्यूटर की संस्थापना।

(ग) जी हां। सरकार ने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के चार महानगरीय टेलीफोन जिलों में स्थानीय टेलीफोन प्रणाली के सुधार हेतु आन्तरिक कंप्यूटर प्रणाली की संस्थापना को मंजूर कर लिया है जिनका कार्य-क्षेत्र निम्न प्रकार से है :—

(1) टेलीफोन बिलों को तैयार करना तथा जमा नियंत्रण।

(2) टेलीफोन निर्देशिका का संकलन तथा उसका मुद्रण।

(3) केबुल तथा वाणिज्यिक अभिलेख।

(4) इन्वेंट्री नियंत्रण।

वेतन बिलों को कंप्यूटर द्वारा तैयार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कच्चे तेल का आयात

1562. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 में आयातित कच्चे तेल की मात्रा कितनी है;

(ख) कच्चे तेल की हमारी वार्षिक मांग कितनी है; और

(ग) देश में अधिक तेल का उत्पादन करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि हम तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें और विदेशी मुद्रा की बचत कर सकें ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 के दौरान अशोधित तेल की आयात की गई मात्रा नीचे दी गयी है :—

वर्ष	अशोधित तेल आयात
	(वास्तविक प्राप्तियां) मात्रा (मि० मी० टनों में)
1979	15.38
1980	15.98
1981*	15.55

*अस्थाई

(ख) अशोधित तेल की आवश्यकता वर्ष प्रतिवर्ष परिवर्तित होती है जो उपलब्ध शोधन क्षमता और साथ ही साथ पेट्रोलियम उत्पादों को मांग पर निर्भर करती है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार देश में वर्ष 1982 में शोधन के लिये लगभग 35.3 मि० मी० टन अशोधित तेल की कुल आवश्यकता होगी।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग के संरक्षण के लिये कदम उठाने के अलावा, देशी अशोधित तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कई उपाय किये गये हैं जैसे कि देशी अशोधित तेल के उत्पादन को तीव्र करने के कार्यक्रम, विद्यमान रुग्ण कूपों की मरम्मत, कई वृद्धिशील प्रति प्राप्ति विधियों का कार्यान्वयन। जबकि इनसे अशोधित तेल आयात करने की कुल आवश्यकता में कमी होगी, इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि की दर और साथ ही साथ पहले से खोजे गये क्षेत्रों तथा भविष्य में खोजे जाने वाले क्षेत्रों से उत्पादित देशी अशोधित तेल के उत्पादन के प्राप्त वास्तविक स्तर पर निर्भर करेगी।

औषध फर्मों की अतिरिक्त क्षमता को नियमित करना

1563. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-4-1980 को सभी फार्माड्रग्स की लाइसेंसीकृत अधिष्ठापित औद्योगिक क्षमता क्या और भारतीय फर्मों तथा राष्ट्रीय फर्मों के बारे में अलग-अलग आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई फर्में अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं, यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक फर्म द्वारा कितनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने अक्तूबर 1981 में यह घोषणा की थी कि नई औषधि नीति के अन्तर्गत ड्रग फार्मों फर्मों की अतिरिक्त क्षमता को नियमित कर दिया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो कितनी औषध फर्मों ने अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पत्र दे दिया है, ऐसी फर्मों की सूची क्या है तथा प्रत्येक की अतिरिक्त क्षमता क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसे कितने आवेदन पत्रों पर निर्णय ले लिये हैं और प्रत्येक फर्म की कितनी अतिरिक्त क्षमता को नियमित कर दिया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) संगठित क्षेत्र में औषध और भेषज यूनिटों द्वारा दो हजार से अधिक बल्क औषधों और हजारों फार्मूलेशनों का निर्माण किया जाता है। अनेक औद्योगिक अनुमतियों में या तो क्षमताएं दर्शाई नहीं गई हैं या मिश्रित तरीके से दर्शाई गई हैं। मदवार लाइसेंसीकृत/स्थापित क्षमताओं के ब्यौरे एकत्र करने और उनके संकलन में किये जाने वाले प्रयास और उस पर लगने वाले समय की तुलना प्राप्त होने वाले परिणाम लाभदायक नहीं होंगे।

(ख), (ग) और (घ) सरकार को पता है कि कुछ फर्में लाइसेंसशुदा क्षमताओं से अधिक उत्पाद औषधों और भेषजों का उत्पादन कर रही हैं। अधिक उत्पादन की घटनाएं सिर्फ औषध और भेषज उद्योग में ही नहीं हैं। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सरकार दिनांक 29-8-1980 और 17-10-1981 के प्रेस नोट्स में दिये गये कुछ मापदण्डों के साथ औषध और भेषज उपयोग सहित कुछ चुनीदा उद्योगों में दिनांक 4-9-1980 को अधिक/स्थापित क्षमताओं को विनियमित करने/मान्यता देने का निर्णय किया है। औषध और भेषज उद्योग के संगठित क्षेत्र की 62 कम्पनियों नें दिनांक 29-8-1980 के प्रेस नोट के अधीन आवेदन किया है। इन कंपनियों की एक सूची संलग्न है। विनियमित की गई अधिक मात्राओं का पता इन आवेदनों पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात ही चलेगा।

(ङ) मै० एसोसियेटिक कैपस्यूल्स लि० नामक एक कम्पनी के मामले में प्रतिवर्ष 1400 मिलिलन सल्फा तक एम्पटी हाई जिलेटिन कैप्स्यूल्स का निर्माण करने के लिए दावा की गई अधिक क्षमता को मान्यता देने के लिये अन्तिम निर्णय ले लिया है उनके औद्योगिक लाइसेंस पर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने और उसे अधिप्रमाणित प्रेषित करने के लिए उसे औद्योगिक विकास विभाग को भेजा गया है। 8 आवेदन पत्रों के मामले में अधिक स्थापित क्षमताओं को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

1980 की नीति के अधीन आवेदन करने वाली कम्पनियों की सूची

भारतीय क्षेत्र :

1. एलवर्ट डेविस लि.
2. एसोसिएटेड कैप्सूल्स प्रा. लि.
3. एल्मिविक कैमिकल्स वर्क्स प्रा. लि.
4. एंग्लो फ्रेंच ड्रग कंपनी (ईस्टर्न) लि.
5. बोहिनूर नील लि.
6. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.
7. बायोलोजीकल इवेन्स लि.
8. केडिला लेबोरेटरीज लि.
9. कैमिकल इंडस्ट्रीज एण्ड फार्मा, लेबोरेटरीज लि.
10. धुफर इन्टर फ्रान लि.
11. डे मेडिकल स्टोर्स (एम. एफ. जी.) प्रा. लि.
12. डाबर (डा. एस. के. बरमन) प्रा. लि.
13. ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि.
14. फेयरडील कारपोरेशन प्रा. लि.
15. जर्मन रेमीडीज लि.
16. ज्योफरी मेनर्स एण्ड कंपनी लि
17. हमदर्द (वाकफ) लेबोरेटरीज (आई.)
18. इन्डो-फार्मा फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स प्रा. लि.
19. आई. डी. एल. (एम. आई. टी.) लेब. लि.
20. जे. एल. मोरीशन, सन एण्ड जोन्स इंडिया लि.
21. निकोलस लेबोरेटरीज
22. ओरियन्ट फार्मा. प्रा. लि.
23. फार्मास्यूटिकल्स कैप्स्यूल्स लैब.
24. रपटाक्स ब्रीट एण्ड कंपनी प्रा. लि.
25. रेनबेक्स लेबर, लि.
26. रोकिट एण्ड कोलमन आफ इण्डिया लि.

27. सर्ले इण्डिया लि.
28. थेमिस फार्मास्यूटिकल्स
29. थेमिस कैमिकल्स लि.
30. साराभाई एम. कैमिकल्स
31. सीबाबुल लि.
32. रुसल फार्मास्यूटिकल्स लि.
33. छोगुल एण्ड कम्पनी (हिन्द) प्रा. लि.
34. रेलिस इण्डिया लि.
35. एबुल प्रोडक्ट्स लि.
36. साराभाई कैमिकल्स
37. सुरहिद गेगी लि.
38. स्टेन्डर्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.
39. सिनवायोटिक्स लि.

फेरा :

40. ई. यर्क (आई.) लि.
41. वेथ लेब. लि.
42. यूनी-सेन्क्या लि.
43. ब्रट्स कंपनी (आई.) लि.
44. स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेन्च (आई.) लि.
45. मर्क शार्प एण्ड डोम आफ इण्डिया लि.
46. अवोट लेव (आई.) लि.
47. मे एण्ड बेकर लि.
48. रोचे प्रोडक्ट्स लि.
49. पार्क डेविस (आई.) लि.
50. रिर्चेडसन हिन्दुस्तान लि.
51. वारनर हिन्दुस्तान लि.
52. बरोह वेलकम एण्ड कम्पनी (आई.) लि.
53. जोनसन एण्ड जोनसन आफ इण्डिया लि.

54. आर्गेनन इण्डिया लि.

एम. आर. टी. पी /एफ. ई. आर. ए.

55. फाइजर लि.

56. सायनेमिड (आई) लि.

57. होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि.

58. एलकली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.

59. वेयर (आई.) लि.

60. सीबा वेगी आफ इण्डिया लि.

61. ग्लेक्सो लेव. (आई.) लि.

62. सेन्डोज (आई.) लि.

मध्य प्रदेश में नाइट्रोजन पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करना

1564. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले दो वर्षों में मध्य प्रदेश में नाइट्रोजन पर आधारित एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थलों की जांच कर ली गई है और स्थापना के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) क्या सरकार मध्य प्रदेश के पिछड़े अथवा कम विकसित जिलों में संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(घ) कुल निवेश, उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता, औद्योगिक ढांचे की अनुसूची, विदेशी सहयोग, यदि कोई हो, तथा इसके कार्यकरण संबंधी लक्ष्य के बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैस पर आधारित 6 नाईट्रोजनयुक्त उर्वरक प्लांटों पर कार्य प्रारंभ करने का विचार है। इनमें से एक प्लांट मध्य प्रदेश में लगाया जायेगा। इन प्लांटों के उपयुक्त स्थलों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त स्थल चयन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मध्य प्रदेश में लगाये जाने वाले उर्वरक प्लांट के सही स्थल पर तभी निर्णय लिया जायेगा जब सरकार रिपोर्ट का मूल्यांकन पूरा कर लेगी।

(घ) निवेश, क्षमता, वित्त पोषण की प्रक्रिया, कार्यान्वियन की निर्धारित तिथि आदि जैसे ब्यौरे को तभी अन्तिम रूप दिया जायेगा, जब सरकार द्वारा प्लांट के सही स्थल पर निर्णय ले लिया जाए।

वैधान "सुपर" तापीय विद्युत परियोजना तथा सोवियत रूस से सहयोग

1565. **डा० वसंत कुमार पण्डित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण वैधान "सुपर" तापीय विद्युत परियोजना को सुनियोजित निवेश सूची में अड़चनें होने के कारण विलम्बित किया जाएगा;

(ख) क्या इस परियोजना सम्बन्धी भारत-रूस प्रोतोकोल में वैधान के लिए 5,400 लाख रूबल की ऋण सहायता के बारे में बताया गया है;

(ग) क्या इसके प्राधिकारियों ने भारत सरकार को सूचित किया है कि ट्रबो-जनरेशन सेटों तथा बायलरों के माध्यम से केवल 3,000 लाख रूबल की ऋण सहायता दी जाएगी और किसी भी अन्य संयंत्र तथा उपकरण के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए नियोजित कुल निवेश कितना है, भारत-रूस सहायता में प्रत्येक का अंश कितना है, सरकारी निवेश बोर्ड की भागीदार कितनी है तथा योजना आयोग से प्राप्त होने वाली धन राशि कितनी है; और

(ङ) वर्ष 1985-86 में 200 मेगावाट के प्रथम एकक के चालू होने में वित्तीय सीमाओं के कारण अग्रेत्तर विलम्ब से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) दिसम्बर, 1980 के भारत-सोवियत तकनीकी सहयोग समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ, समझौते में बताई गई परियोजनाओं के लिए सोवियत सहायता से वित्त-व्यवस्था के हेतु 520 मिलियन रूबल के एक ऋण की व्यवस्था है। इनमें, सिंगरौली क्षेत्र के निगाई ब्लाक की खानों पर आधारित एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करना शामिल है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में वैधान में विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के चरण-एक की लागत 1110.42 करोड़ रुपए होगी। इस चरण में 1260 मेगावाट (6 × 210 मेगावाट) क्षमता का और सम्बद्ध पारेषण लाइनों का निर्माण शामिल है। दिसम्बर, 1980 के भारत-सोवियत तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत इस परियोजना के सोवियत सप्लाई वाले भाग की वित्त व्यवस्था के लिए सोवियत संघ ने 400 मिलियन रूबल (300 करोड़) तक का ऋण उपलब्ध कराए जाने के बारे में सूचित किया है। व्यवहार्यता-रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और निवेश संबंधी निर्णय के लिए इस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

क्षेत्रीय भाषा की फीचर फिल्मों का निर्यात

1566. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाओं में (i) भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा (ii) सरकारी सहायता अथवा माध्यम से तैयार की गई फीचर फीलमें अन्य देशों को निर्यात की गई हैं;

(ख) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में निर्यात की गई हैं, प्रत्येक कितने मूल्य की कुल कितनी फिल्में तथा उनका निर्यात किन-किन देशों को किया मया है;

(ग) उपर्युक्त फिल्मों में से कितनी फिल्में सरकारी माध्यम द्वारा अथवा वित्तीय सहायता से अथवा फिल्म डिवीजन आदि द्वारा बनाई गई हैं; और

(घ) क्षेत्रीय भाषाओं की भारतीय फिल्मों की विदेशों में अधिक लोकप्रिय तथा सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) उपरिउल्लिखित में से, 1979-80 के दौरान 9 फिल्में और 1980-81 के दौरान 9 फिल्में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड बम्बई द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से बनाई गई थीं। फिल्म प्रभाग फीचर फिल्मों के निर्माण को वित्तपोषित नहीं करता।

(घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के फिल्म बार-बार भाग ले करके, अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के प्रतियोगी और अन्य विभागों में भारतीय फिल्मों की प्रविष्टि प्रायोजित करके, खरीददारों को भारत में आमंत्रित करके और विदेशों में प्रचार सामग्री, आदि भेज करके प्रादेशिक भाषाओं की भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देता है।

विवरण

कैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा पास किए गए शिपिंग बिलों के आधार पर 1979-80 और 1980-81 के दौरान निर्यात की गई प्रत्येक भाषा की फीचर फिल्मों की कुल संख्या

	1979-80		1980-81	
भाषा	फिल्मों की संख्या	लागत (लाख रु० में)	फिल्मों की संख्या	लागत (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
मलयान	128	61.18	112	81.26
तमिल	200	90.29	256	141.98

1	2	3	4	5
गुजराती	38	13.35	11	4.97
पंजाबी	16	6.71	11	5.07
बंगला	4	1.40	24	3.49
तेलुगु	9	1-17	22	5.09
कन्नड़	6	1.48	3	3.11
मराठी	—	—	1	0.09
भोजपुरी	—	—	1	0.26
हिन्दी	1338	1039.06	1288	1262.11
	1739	1214.64	1729	1507.43

विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जर्मनी से सहयोग

1567. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जर्मनी से सहयोग प्राप्त करने पर बल दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मनी के सहयोग से नए विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या जर्मनी द्वारा दिए गए सहयोग का पूरा लाभ नहीं उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) इस देश में विद्युत स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी पहले से ही नीचे दिखाए गए अनुसार सहायता प्रदान कर रहा है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	सहायता की राशि
1.	नेवेली दूसरा विद्युत केन्द्र (630 मेगावाट)	डी० एम० 176 मिलियन (इसमें खनन कार्य शामिल है)
2.	ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र (500 मेगावाट)	डी० एम० 85 मिलियन

फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के प्राधिकारियों ने निम्नलिखित मामलों में भी वचन दिए हैं परन्तु विशिष्ट समझौतों पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं :--

1. सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (500-500 मेगावाट के दो टर्बो जेनरेटिंग सेट)

2. कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र (500 मेगावाट का एक टर्बो जेनरेटिंग सेट)

500-500 मेगावाट के पांच टर्बो जेनरेटिंग सेटों के समावेशन के लिए भी फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है (तीन रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए तथा दो कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए) । इनके बारे में अभी तक कोई वचन नहीं दिया गया है ।

कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर तथा विशेषज्ञों की सेवाएं देकर भी फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी ने विद्युत विकास कार्यक्रम में तकनीकी सहायता प्रदान की है ।

नए डाक डिवीजनों के सर्जन का प्रस्ताव

1568. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक टेलीफोन घर सुविधाओं की स्थापना करने पर शाखा डाक घरों का दर्जा बढ़ा कर ई० डी० एस० ओ० करने के मानकों का पुनरीक्षण करने के कारण नए डाक डिवीजनों का सृजन करने के सभी प्रस्ताव निलम्बित रखे गये हैं; और

(ख) पुनरीक्षण करने सम्बन्धी समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और समिति से अपनी रिपोर्ट किस तारीख तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) डाक-तार बोर्ड में उप महानिदेशक अथवा समकक्ष स्तर के पांच अधिकारियों से अध्ययन दल का गठन किया जाता है । अध्ययन दल मई, 1981 में गठित हुआ था । अभी तक इसने कुछ अंतरिम सिफारिशें भेजी हैं । इसकी अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाने की संभावना है ।

घुमारवीन तथा बिलासपुर के बीच टेलीफोन सम्पर्क

1569. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० टी० सी० सी० ने हिमाचल प्रदेश में घुमारवीन तथा बिलासपुर के बीच टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किये जाने की स्वीकृति दे दी है जिसे पहले विद्युत समान्तरवाद के कारण रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की किस तारीख को स्वीकृति दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को किस तारीख तक स्वीकृति दिए जाते की संभावना है तथा यह परियोजना समिति को पहली बार कब भेजी गई थी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रायोजना मंडल इंजीनियर तार को यह 17.11.81 को भेजी गई थी तथा इस समय पी० टी० सी० सी० पावर दूरसंचार समन्वय समिति द्वारा इसकी जांच की जा रही है । पी० टी० सी० सी० की सिफारिश शीघ्र प्राप्त हो जाने की संभावना है ।

तेल की बचत करने के लिए अधिकारियों द्वारा घोड़ों पर दौरे किए जाने का सुझाव

1570. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोल की बचत करने के लिए अपने फील्ड अधिकारियों को घोड़ों पर सवारी कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने अपने अधिकारियों (पुलिस, राजस्व, विकास तथा वन विभागों) को घोड़ों की सवारी से दौरे करने के लिए प्रोत्साहित किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई हाई तथा कावेरी तट के दूसरे कुओं में हाईड्रोजन पाया जाना

1571. **श्री चिंतामणि जेना** :

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्राधिकारियों ने बम्बई हाई तथा कावेरी तट दूर के पूर्व में नई संरचनाओं बी-57 के दूसरे कुओं में हाईड्रो-कार्बन के पाए जाने की पुष्टि की है; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे तेल का प्रोसेस करने के लिए इन दो संरचनाओं में शीघ्र उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए सरकार के कार्यक्रम के बारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) कावेरी अपतटीय क्षेत्र में अर्थात पाक की खाड़ी में एक अन्य कूप में परीक्षण उत्पादन किया जा रहा है और बम्बई हाई की बी-57 संरचना में एक तीसरा मूल्यांकन कूप खोदा जा रहा है। बी-57 के दूसरे कूप ने हाईड्रो-कार्बन के पाये जाने की पुष्टि की है।

वसूल किये जाने वाले तेल भंडारों को अभी निश्चित किया जाना है जिसके लिए मूल्यांकन कूप खोदे जा रहे हैं।

तथापि, प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग शीघ्र उत्पादन प्रणालियों का आयोजन कर रहा है। पाक की खाड़ी के लिए शीघ्र उत्पादन प्रणालियों के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये हैं। जिसमें उसने शीघ्र उत्पादन प्रणालियों के लिए विचार आमंत्रित किये हैं। क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहर्यक का मूल्यांकन और निर्धारण करने के पश्चात्, विचार-धाराओं को अन्तिम रूप दिया जाएगा और टैंडर जारी किये जायेंगे।

रूस के फिल्म प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई वार्ता

1572. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के एक फिल्मी प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मण्डल के साथ क्या वार्ता हुई तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) बातचीत श्री जवाहर लाल नहरू पर फीचर लम्बाई की डाकुमेंट्री फिल्म के सह-निर्माण के बारे में हुई थी। बातचीत के आधार पर इस फिल्म के सह-निर्माण के लिये एक प्रारंभिक करार किया गया है।

नवजीवन ट्रस्ट को "गांधी" फिल्म के निर्माता (प्रोड्यूसर) द्वारा किया गया भुगतान

1573. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "गांधी" फिल्म के इण्डो-ब्रिटिश फिल्म निर्माता को नवजीवन ट्रस्ट को 3 लाख रुपये देने का आदेश दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद ने महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई सामग्री तथा उनके भाषणों पर प्रतिलिप्यधिकार के रूप में 1 करोड़ रुपये की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो नवजीवन ट्रस्ट को मध्यस्थ की नियुक्ति किए बिना 3 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए आदेश देने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(क), (ख) और (ग) यह पता चला है कि नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद ने इण्डो-ब्रिटिश फिल्म्स लिमिटेड के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया था। मुकदमे को अन्ततः पक्षों द्वारा आपस में निपटा लिया गया था और इण्डो-ब्रिटिश फिल्म्स ने ट्रस्ट की कापी-राइट सामग्री, यदि कोई हो, के उपयोग के लिए 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था। भारत सरकार इस विवाद में पक्षकार नहीं थी।

आकाशवाणी केन्द्रों पर शास्त्रीय संगीत

1574. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत के प्रसारण के लिये कितने प्रतिशत समय दिया जाता है और हिन्दुस्तानी संगीत तथा कर्नाटक संगीत को पृथक-पृथक कितना समय दिया जाता है; और

(ख) क्या सभी स्टेशनों से प्रातः तथा सायं के समय निश्चित समय पर प्रतिदिन शास्त्रीय संगीत के रिकार्ड बजाना संभव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले शास्त्रीय संगीत की प्रतिशतता लगभग 13% है। हिन्दुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की प्रतिशतता के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते, क्योंकि उनके प्रसारण का अनुपात क्षेत्र में प्रचलित संगीत की विशिष्ट पद्धति तथा श्रोताओं की रुचि के आधार पर कार्यक्रम आवश्यकताओं, उपलब्ध प्रतिभा, आदि पर निर्भर करते हुए एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर भिन्न-भिन्न होता है।

(ख) नियत प्वाइंट चार्ट के उपबन्धों के अनुसार आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा सुबह और शाम को विशिष्ट समय पर शास्त्रीय संगीत के रिकार्ड पहले से ही बजाये जा रहे हैं।

दिल्ली के निकट 1000 मेगावाट का सुपर ताप बिजली केन्द्र

1575. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट 1000 मेगावाट का एक सुपर ताप बिजली केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उसके लिए अब तक क्या प्रबन्ध किए गए हैं;

(ग) देश में इस समय कितने ताप बिजली केन्द्र हैं और क्या ऐसे कुछ केन्द्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी स्थापित करने का विचार है ताकि वहां ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को सफल किया जा सके; और

(घ) उत्तर प्रदेश के सभी गांवों का विद्युतीकरण करने के लिये सरकार के पास क्या कार्यक्रम हैं और उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली क्षेत्र में बड़ा ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कर रहा है।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र का सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सिंगरौली में है।

(घ) आशा है कि मार्च, 1982 तक उत्तर प्रदेश में 46,372 गांव विद्युतीकृत हो जाएंगे तथा 66,189 गांव विद्युतीकृत करने के लिये शेष रह जाएंगे। ग्राम विद्युतीकरण कार्य की वर्तमान तथा भावी गति के अनुसार यह संभावना है कि उत्तर प्रदेश के सभी गांव 1994-95 तक विद्युतीकृत हो जाएंगे।

बड़े व्यापार गृहों द्वारा पैदा की गई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

1576. **श्री हरीश कुमार गंगवार :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार गृहों ने अपना माल बेचने के लिए अपने ही निजी वितरक/एजेन्ट/स्टाकिस्ट आदि नियुक्त कर लिये हैं;

(ख) क्या इसी तरह की शर्तों पर लोगों द्वारा इन चीजों की मांग किये जाने पर वे अपना माल बेचने से इन्कार कर देते हैं जिससे कि धन के कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो जाने और व्यापार में एकाधिकार पैदा हो जाने में सहायता मिलती है जिसके फलस्वरूप एकाधिकार

तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया की धाराओं का उल्लंघन होने के साथ-साथ मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति बढ़ती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सही स्थिति क्या है और इसके ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कार्य प्रणाली अपनाई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार को जानकारी है कि एकाधिकार/बड़े घरानों से संबंधित उपक्रमों को सम्मिलित करके बहुत से उपक्रमों द्वारा बहुत सी सामग्रियों और सेवाओं के लिए उनके माध्यम से अपनी सामग्रियों को बिक्री हेतु अपने वितरक/अभिकर्ता/स्टाकिस्ट नियुक्त किये हैं।

(ख) से (घ) जब अन्यों द्वारा मांग की जाती है तो उन्हीं शर्तों एवं अनुबन्धों पर अपनी सामग्रियों की बिक्री के लिये उपक्रमों द्वारा जो उनके वितरक/अभिकर्त्ता/स्टाकिस्ट नहीं हैं बेचने से इन्कार करना वास्तव में हमेशा अवरोधक/एकाधिकार व्यापार व्यवहार प्रथा, जिसका एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत जैसा परिभाषित किया गया है, का गठन नहीं करता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या बिक्री से इन्कार करना अवरोधक व्यापारिक व्यवहार होगा, जिसमें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग जांच करके उचित आदेशों को पारित कर सकता है। अपनी स्वयं के द्वारा बिक्री से इन्कार करना एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत निषिद्ध नहीं है।

बिजली इंजीनियरिंग

1577. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारा देश बिजली उत्पादन हेतु अब भी इंजीनियरिंग विज्ञान पर निर्भर करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिजली इंजीनियरिंग में आत्म निर्भर होने के लिये सरकार के पास क्या-क्या प्रस्ताव हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। विद्युत उत्पादन विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को बिजली में बदलने की एक प्रोद्यौगिक प्रक्रिया है तथा, तदनुसार, इसे अपने विकास के लिए इंजीनियरी विज्ञान पर निर्भर करना पड़ता है।

(ग) इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं के जरिये देश ने विद्युत इंजीनियरी में आत्म निर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया है। विद्युत उपस्करों के निर्माण के मामले में अधिकांश

विद्युत उपस्करों के लिए स्वदेशी निर्माण क्षमता का सृजन कर लिया है। तथापि गुण-दोषों के आधार पर चयन करके आयात किया जाता है। विद्युत केन्द्रों के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के मामले में भारत में पर्याप्त इंजीनियरी विशेषज्ञता उपलब्ध है।

समाचार पत्रों के मूल्यों में कमी

1578. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के वितरण को बढ़ाने के लिए सरकार समाचार पत्रों के मालिकों को विशेषतः सरकारी विज्ञापनों का लाभ देकर, समाचार पत्रों के मूल्यों में कमी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपनी प्रसार संख्या में वृद्धि करने के उपयुक्त तौर-तरीकों पर विचार करना समाचार पत्रों के प्रतिष्ठानों का ही काम है।

गत तीन वर्षों के दौरान ढूंढे गये कोयला क्षेत्र

1579. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में ऐसे कितने क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां कोयला प्राप्त है; और

(ख) यह क्षेत्र कहां-कहां स्थित और प्रत्येक क्षेत्र में कितनी मात्रा में कोयला मिलने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में 15 कोयला क्षेत्रों में 138.18 मि० टन प्रमाणित भंडार और 1424.40 मि० टन निर्दिष्ट भंडार का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार ज्ञात कोयला क्षेत्रों के नाम और इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में कोयले की अनुमानित मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कोयला क्षेत्र का नाम	भंडार मि० टनों में	
	प्रमाणित	निर्दिष्ट
1	2	3
1. गोदावरी घाटी कोलफील्ड, आदिलाबाद और वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश (रामकृष्ण पुर, मानुगुरु, भपाल-पल्ली-चेलपुर रामगुण्डम सेक्टर)	15.71	—
2. झरिया कोयला क्षेत्र, जिला धनवाद-बिहार (चन्द्रपुर सैक्टर)	—	32.00
3. नार्थ करनपुरा कोलफील्ड, जिला हजारी बाग, बिहार (टन्डवा सैक्टर)	—	100.00
4. सहरजूरी कोयला क्षेत्र, जिला संथाल परगना, बिहार (तुलसीढाबर सैक्टर)	—	250.00
5. राजमहल कोयला क्षेत्र, जिला संथाल परगना (उत्तरी विस्तार और राजमहल घाट सैक्टर)	—	100.00
6. वेस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र, जिला हजारी बाग, बिहार (कोटरे-बंसतपुर और परेज सैक्टर)	22.90	—
7. विश्रामपुर कोयला क्षेत्र, जिला सरगुजा मध्य प्रदेश (सोनगारा सैक्टर)	0.65	15.67
8. हसदो-अरंड-कोयला क्षेत्र, जिला विलासपुर, मध्य प्रदेश (नोगरा-छोटिया और तारा सैक्टर)	10.66	73.73
9. जोहिल्ला घाटी कोयला क्षेत्र, जिला शहडोल म० प्रदेश (वीरसिंह पुर-पाली सैक्टर)	0.23	4.85

1	2	3
10. कोरबा कोयला क्षेत्र, जिला बिलासपुर मध्य प्रदेश (कुसमुन्डा सैक्टर)	12.39	—
11. मन्द-रायगड़ कोयला क्षेत्र, जिला-रायगढ़ मध्य प्रदेश (धर्मजयगढ़ सैक्टर)	11.25	230.00
12. सिंगरौली कोयला क्षेत्र, जिला सीधी, मध्य प्रदेश (मोहेर-अमोलोरी सैक्टर)	3.80	—
13. सोहागपुर कोयला क्षेत्र, जिला शहडोल, म० प्र० (बिजुरी-राजनगर सैक्टर)	9.62	—
14. इब-घाटी कोयला क्षेत्र, जिला सम्बलपुर उड़ीसा (कुसरारोई सैक्टर)	—	133.13
15. रानीगंज कोयला क्षेत्र, जिला बर्दवान और जिला धनवाद, पश्चिम बंगाल और बिहार (अन्डाल-दक्षिण खांडा, तमला दुवचूरिया बेगुनिया-पुलटू, कालीपहाड़-निमचा-सियरसोल-कठगोरी बजारी-सोनेपुर-सियरसोल-बजारी-सोनेपुर–सियरसोल–रानीगंज--कजोरा सैक्टर)	50.97	485.02
योग :	138.18	1424.40

बिजली घरों में कोयले का दुरुपयोग

1580. **श्री निहाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ बिजली घरों में कोयले को काला बाजार में बेचे जाने तथा अन्य दुरुपयोग की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो उन बिजली घरों के क्या नाम हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन बिजली घरों में कोयले की चोरी आदि को रोकने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा वेन्जीन का उत्पादन

*1581. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने 1.55 टन वेन्जीन के उत्पादन के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत सरकार ने उक्त प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार उक्त परियोजना को कब स्वीकृति देने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) वेन्जीन के उत्पादन पर कोचीन शोधनशाला द्वारा प्रस्तुत की गई सम्भवता रिपोर्ट की जांच आरम्भ कर दी गई है।

फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ० ए० सी० टी०) का विशाखन

1582. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ० ए० सी० टी०) के विशाखन के लिए कोई विशेष अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष अध्ययन दल की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन सिफारिशों पर एफ० ए० सी० टी० तथा भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्टा) के उद्योगमंडल यूनिट के कार्य-कलापों के सभी सम्भावित विकल्पों या उनके विविधिकरण पर विचार करने और एक व्यवहार्य समाधान का सुझाव देने हेतु अप्रैल, 1978 में एक समूह नियुक्त किया गया था।

(ख) समूह के मुख्य निष्कर्ष हैं कि पुराने संयंत्र को नवीनकरण के पश्चात भी चलाना लाभप्रद नहीं है और मेथनौल, सोडा ऐश आदि जैसी मदों का निर्माण करने के प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से आकर्षक नहीं है। फीडस्टाक के रूप में नेप्था पर आधारित एक बड़े नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयत्र की स्थापना का प्रस्तव फीडस्टाक नीति के अनुरूप नहीं है और सबसे अच्छा व्यवहार्य समाधान प्रतिवर्ष 50,000 टन का कैप्रोलेक्टस संयंत्र की स्थापना करना है।

(ग) उद्योगमंडल में प्रतिवर्ष 50,000 टन की क्षमता वाली कैप्रोलेक्टस परियोजना की स्थापना करने के प्रस्ताव पर निवेश निर्णय के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

ट्रावनकोर टिटानियम प्रोडक्ट्स लि० की अधिष्ठापित क्षमता

1583. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रावनकोर टिटानियम प्रोडक्ट्स लि० में अधिष्ठापित क्षमतानुसार उत्पादन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या क्षमतानुसार उत्पादन करने का कोई प्रयास अथवा योजना है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) केरल सरकार ने सूचित किया है कि मै० ट्रावनकोर टिटानियम प्रोडक्ट्स लि० की स्थापित क्षमता का कुछ सन्तुलनकारी उपकरणों और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समान टिटानियम डाइ-आक्साइड के सटाइल ग्रेड का निर्माण करने के लिए यथोचित प्रौद्योगिकी के अभाव में पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) केरल सरकार ने यह भी सूचित किया है कि अपेक्षित सन्तुलनकारी उपकरणों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें धीरे स्थापित किया जा रहा है। टिटानियम डाई-आक्साइड के सटाइल ग्रेड के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी अद्यतन बनाने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

भोपाल के मण्डीदीप क्षेत्र के लिए तार सुविधाएं

1584. **श्री राम अवध :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल के मण्डीदीप क्षेत्र के, जहां अनेक महत्वपूर्ण उद्योग हैं तथा भारी जनसंख्या है, डाक घर में तार की सुविधा प्रदान नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मण्डीदीप के डाकघर में तुरन्त ही तार की तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) मंडीदीप डाकघर में फोनोकाम प्रणाली पर तार सुविधा पहले से ही मौजूद हैं। मोर्स तार प्रणाली शीघ्र ही प्रारम्भ की जा रही है।

दूरदर्शन के कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण

1585. **श्री राम अवध** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए मलेशिया तथा अन्य देशों में भेजता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 के दौरान इन कर्मचारियों को किन-किन पाठ्यक्रमों के लिए तथा किन-किन देशों को भेजने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) जिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए 1982 के दौरान दूरदर्शन के कर्मचारियों को विदेशों में भेजे जाने का प्रस्ताव है वे निम्नलिखित हैं : –

(1) बुनियादी एनीमेशन प्रविधियों पर क्षेत्रीय वर्कशाप 10 मई से 4 जून, 1982 तक ए० आई० बी० डी०, कुआलाम्बपुर, मलेशिया में।

(2) जनसंख्या संचार पर क्षेत्रीय पाठ्यक्रम—5 अप्रैल से 7 मई, 1982 तक ए० आई० बी० डी०, कुआलाबम्पुर, मलेशिया में।

(3) साइप्रस ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा निसेशिया में आयोजित प्रोडक्शन आपरेशनल कोर्स।

(4) दूरदर्शन समाचार आदान-प्रदान पाठ्यक्रम—17 मई से 11 जून, 1982 तक ए० आई० बी० डी०,कुआलालम्पुर, मलेशिया में।

इसके अलावा, दूरदर्शन के कर्मचारियों को एशियाई खेल, 1985 के संबंध में भी विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजने का प्रस्ताव है।

अशोधित तेल के मामले में आत्मनिर्भरता

1586. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान कुल कितनी मात्रा में अशोधित तेल आयात किया गया; और

(ख) इस मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1981 के दौरान लगभग 15.55 मिलियन मी० टन अशोधित तेल का आयात किया गया।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदमों के अतिरिक्त, देशीय अशोधित तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए खनिज तेल उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ाना, वर्तमान रुग्ण कूपों की मरम्मत करना, कुछ बढ़ी वसूली तकनीकियों को कार्यान्वित करने जैसे अनेक उपाय किए गये हैं। जबकि ये अशोधित तेल की कुल आवश्यकता को कम कर देंगे, परन्तु इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना पेट्रोलियम उत्पादों की मांग की वृद्धि दर और इसके साथ-साथ पहले से ही खोजे गए क्षेत्रों और उन नए क्षेत्रों से जिनको निकट भविष्य में खोजा जाएगा, से प्राप्त देशीय अशोधित तेल के वास्तविक उत्पादन स्तर पर निर्भर करेगा।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन निवेश तथा कम्पनियों के विस्तार के लिए प्रस्ताव

1587. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन कम्पनियों में निवेश तथा उनके विस्तार की प्रक्रिया को अधिक लचीली बनाने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव इस समय विचार के किस चरण में है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के संशोधनों पर समग्र रूप से, उसके सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इन निर्णयों के होते ही आवश्यक कानून बनाया जायेगा।

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दे

1588. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार राजनैतिक दलों को कम्पनियों द्वारा चन्दे दिये जाने की वर्तमान नीति का पुनर्विलोकन करने और इस बारे में कोई निश्चित नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. ए. रहीम) : (क) तथा (ख) कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा दिये जाने के कानूनी आधार का इस समय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(क) में उपबन्ध है। निगमित क्षेत्र से सम्बन्धित कई अन्य विषयों सहित यह मामला, कम्पनी अधिनियम के संशोधनों के लिये उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) के सुझावों के संदर्भ में अब सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

तालचेर उर्वरक संयंत्र को हुई हानि

1589. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर उर्वरक संयंत्र में वर्ष 1980 में उत्पादन शुरू हो जाने के बाद से वहां कितने उत्पादन की तथा कितने मूल्य की हानि हो चुकी है; और

(ख) उक्त हानि को कम से कम करने तथा संयंत्र के कार्यकरण में कुशलता बढ़ाने के प्रयोजन से सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : नवम्बर, 1980 से जनवरी, 1982 के दौरान लक्ष्यों की तुलना में नाइट्रोजन के उत्पादन में लगभग 80,000 टन की हानि हुई। इस अवधि के दौरान तालचेर यूनिट को लगभग 53.41 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि हुई।

(ख) संयंत्र की समस्याओं पर काबू पाने के लिए उपचारी कार्यवाही की जा रही है। कच्ची गैस के पाइपों और कच्ची गैस के कूलरों के जंग और रुकावट से बचाने के लिये जंगीय गैस (नाइट्रस गैस) को हटाने के लिए सुविधाएं प्रारम्भ की गई हैं। क्षतिग्रस्त उपकरणों/संघटकों को बदल दिया गया है। सप्लाई किए गए कोयले की क़िस्म में सुधार करने का मामला कोयले के सप्लाईकर्त्ता मै० सेन्ट्रल कोलरीज के साथ उठाया गया है। उर्वरक संयंत्रों को सप्लाई किये गये कोयले की किस्म में सुधार करने के लिए एक लाभप्रदता संयंत्र की संस्थापना करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

इस संयंत्र का गहन सर्वेक्षण करने, कमियों का पता लगाने और उपचारी उपायों का सुझाव देने हेतु एक तकनीकी अध्ययन समूह नियुक्त किया गया है।

सरकारी उपक्रमों द्वारा प्रचार पर खर्च की गई राशि

1590. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन चल रहे सरकारी उपक्रमों तथा उन एककों के अध्यक्षों के एकक-वार नाम क्या हैं;

(ख) इन एककों द्वारा विज्ञापनों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उपयोग में लाये गये दैनिक समाचार पत्रों तथा आवश्यक पत्रिकाओं के एकक-वार तथा भाषावार नाम क्या हैं तथा खर्च की गई राशि का एकक-वार तथा वर्षवार ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इन एककों द्वारा वर्ष 1982-8 के लिए प्रचारार्थ नियोजित की गई राशि का एकक-वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल की खोज के लिये प्रयास करने वाली विदेशी तेल कम्पनियां

1591. **श्री कृपा सिंधु भोई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों को भूगर्भीय तथा अन्य प्रकार के सर्वेक्षणों के माध्यम से तेल की खोज करने तथा चुने गए तेल क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिये समूचे महाद्वीप पट्टी में तट-दूर खण्डों में पुनः प्रयास करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन तेल कम्पनियों ने अपनी रुचि दिखाई हैं;

(ग) प्रयासों के पहले दौर के लिये कितनी राशि नियत की गई है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बोलियों के प्रथम दौर में सौराष्ट्र अपतट खण्ड 11 अमेरिका की एक तेल कम्पनी मैसर्ज चेवरोन को प्रदान करने का निर्णय किया गया है। इस कम्पनी के साथ एक विस्तृत समझौते के लिए बातचीत अन्तिम चरण में है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिये कच्चा तेल

1592. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल्द ही उत्पादन आरम्भ करने वाले मथुरा तेल शोधक कारखाने की आवश्यकता पूरी करने हेतु विदेशों से सही किस्म का कच्चा तेल प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई हाई का बहुत भारी कच्चा तेल सर्दी के मौसम में मथुरा रिफाइनरी को पाइपों के द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। जब कि कच्चा तेल पाइप लाइनों में चिपक सकता है;

(ग) यदि हां, तो सर्दी के मौसम में इन कारखानों को किस किस्म के कच्चे तेल की जरूरत पड़ेगी; और

(घ) उक्त कच्चा तेल प्राप्त करने में कितनी सफलता मिली है और यह किन-किन शर्तों पर तथा कहां-कहां से प्राप्त होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) मथुरा तेल शोधक कारखाने को 50% बम्बई, हाई को 50% आयातित खनिज तेलों को प्रोसेस करने के लिए तैयार किया गया है। सर्दी के महीनों में उच्च प्रवाह बिन्दु वाले बम्बई हाई खनिज तेल की परिवहन समस्या का अध्ययन इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है जिसने इस प्रयोजन के लिए विदेशी परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। इस अध्ययन के परिणाम शीघ्र ही उपलब्ध होने की संभावना है।

शीतकाल के दौरान शोधन शाला की खनिज तेल की आवश्यकताओं का अनुमान लगभग 2 मिलियन मी० टन का लगाया गया है। देश की शोधन शालाओं की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खनिज तेल के आयात के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है। वर्ष 1982 के लिए की गई व्यवस्थाओं में मथुरा तेल शोधक कारखाने की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के जीवन पर चलचित्र

1593. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ एक सांस्कृतिक करार के अधीन भारत तथा सोवियत संघ द्वारा मिलकर पडित जवाहर लाल नेहरू पर एक चलचित्र बनाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और उक्त करार के अधीन अन्य कौन-कौन से चलचित्र बनाए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : जवाहर लाल नेहरू पर फीचर लम्बाई की डाकुमेंट्री फिल्म के सहनिर्माण के लिये अक्तूबर, 1981 में भारतीय और सोवियत पक्षों के बीच एक प्रारम्भिक करार हुआ है। तथापि, फिल्म को किसी भी सांस्कृतिक विनियम करार के अन्तर्गत सह-निर्मीत नहीं किया जा रहा है।

(ख) इस उद्यम को प्राप्त करने हेतु एक आवश्यक कदम के रूप में स्क्रिप्ट को विकसित और अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करार के अन्तर्गत और किसी फिल्म का सह-निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों द्वारा जल-ताप बिजली के बटवारे के लिए सूत्र

1594. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री अर्जुन सेठी :

श्री एम० गोपाल रेड्डी : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादित बिजली को विभिन्न राज्यों में वितरित करने के लिए कोई तीन सूत्र तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सूत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रक्रिया से राज्यों को किस प्रकार अब से अधिक बिजली मिल सकेगी तथा उक्त प्रक्रिया कब से प्रभावी होंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत के आबंटन के लिए अपनाया गया सामान्य फार्मूला निम्नानुसार है :—

(1) 10 प्रतिशत क्षमता उस राज्य को आबंटित की जाती है जिसमें विद्युत केन्द्र स्थित है।

(2) 15 प्रतिशत क्षमता केन्द्र के पास गैर आबंटित रहती है। यह विभिन्न लाभ प्राप्त राज्यों को विद्युत सप्लाई की स्थिति के अनुसार अल्पकालीन आधार पर आबंटन किए जाने के लिए रहती है।

(3) शेष 75 प्रतिशत का आबंटन उस क्षेत्र के लाभ प्राप्त कर्ता राज्यों में निम्नलिखित दो बातों के आधार पर किया जाता है :—

(क) गाडगिल फार्मूले के अनुसार विभिन्न राज्यों को दी जा रही योजना सहायता।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान हुई विद्युत की खपत।

उपरोक्त बातों को बराबर-बराबर वजन दिया जाता है।

जहां तक केन्द्रीय जल विद्युत परियोजनाओं से आबंटन का प्रश्न है बटवारे के लिए एक फार्मूला स्वीकृत कर दिया गया था। इसका स्वरूप करीब-करीब उसी प्रकार है जो कि केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों सम्बन्धी फार्मूले का है परन्तु जिस राज्य में परियोजना स्थित हो उस राज्य को रायल्टी देने का प्रावधान भी इसमें है। तथापि, इस फार्मूले में कुछ संशोधन विचाराधीन हैं।

जहां तक परमाणु विद्युत क्षेत्रों से उत्पन्न विद्युत के आबंटन का सम्बन्ध है इन परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत के आबंटन के बारे में अपनाए जाने वाले फार्मूला के बारे में सरकार ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(ग) ताप विद्युत के लिए फार्मूला 1976 में तैयार किया गया था। तथापि, उक्त फार्मूले के आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को जिस विद्युत का आबंटन किया जाना है उस विद्युत का उत्पादन अभी होना है। वर्तमान में निर्माणाधीन विभिन्न सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं से राज्यों को मिलने वाले हिस्से संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न ताप विद्युत परियोजनाओं में हिस्से

1. सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र : (उत्तरी क्षेत्र)

स्वीकृत क्षमता 2000 मे. वा. (चरण-I 600 मे. वा.)
(चरण-II 1400 मे. वा.)

हिस्से :

राज्य	राज्यों के अपने-अपने हिस्से
उत्तर प्रदेश	850
दिल्ली	150
हरियाणा	200
पंजाब	200
राजस्थान	300
गैर आवंटित	300
	2000

2. कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र : (पश्चिमी क्षेत्र)

स्वीकृत क्षमता 2100 मे. वा. (चरण-I)

राज्य	राज्यों के अपने-अपने हिस्से 2100 मे. वा. चरण
गुजरात	360
महाराष्ट्र	610
मध्य प्रदेश	610
गोआ	210
गैर आवंटित	310
	2100

3. रामागुन्डम एस. टी. पी. एस. (दक्षिणी क्षेत्र)
स्वीकृत क्षमता 2100 मे. वा. (चरण-I)

राज्य	राज्यों के अपने-अपने हिस्से (मेगावाट)	
आन्ध्र प्रदेश	595	अनन्तिम
तमिलनाडु	485	
कर्नाटक	355	
केरल	255	
गोआ	100	
गैर आबंटित	310	
	2100	

4. फरक्का एस. टी. पी. एस. : (पूर्वी क्षेत्र)
स्वीकृता क्षमता 600 मे. वा. (चरण-I, सोपान-I)

हिस्से :

राज्य	राज्यों के अपने-अपने हिस्से 600 मे. वा. चरण (मे. वा.)
पश्चिमी बंगाल	205
बिहार	135
उड़ीसा	75
दामोदर घाटी निगम	90
सिक्किम	5
गैर आबंटित	90
	600

5. नेवेली दूसरा माइन कट (दक्षिणी क्षेत्र)
स्वीकृत क्षमता 630 मेगावाट

हिस्से :

राज्य	राज्यों के अपने-अपने हिस्से 630 मे. वा. चरण (मे. वा.)
आन्ध्र प्रदेश	97
कर्नाटक	84
केरल	63
तमिलनाडु	176
पाण्डिचेरी	65
नेवेली लिग्नाइट निगम	50
गैर आबंटित	95
	630

कर्नाटक द्वारा माइक्रो हाइडल प्लान्ट स्थापित किया जाना

1595. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार का विचार राज्य की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए राज्य में मिनी तथा माइक्रो हाइडल प्लांट स्थापित करने का है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उनकी स्थापना हेतु स्थानों का चयन करने अथवा इन परियोजनाओं का ब्यौरा तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय तथा तकनीकी दोनों ही प्रकार की सहायता मांगी है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने क्या सहायता दी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) माधवमंत्री एनीकट (1.5 मेगावाट) के० आर० सागर बांध के नीचे नहर (1.5 मेगावाट) और शिव समुद्रम (250 किलोवाट) स्थल के तीन माइक्रो जल विद्युत संयंत्रों को निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रतिष्ठापित किये जाने के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव को छोड़कर इस राज्य में मिनी और माइक्रो जल विद्युत संयंत्रों को प्रतिष्ठापित करने के लिए राज्य प्राधिकारियों से कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) राज्य में जल विद्युत शक्यता के विकास के लिए राज्य प्राधिकारियों को आवश्यक तकनीकी सहायता केन्द्रीय सरकार ने हमेशा ही दी है। चूंकि इन स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, अतः वित्तीय भार राज्य की संबंधित एजेन्सियों को ही वहन करना पड़ेगा।

न्यूजपेपर्स एण्ड पब्लिकेशन्ज लिमिटेड, पटना

1596. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजपेपर्स एण्ड पब्लिकेशन्स लिमिटेड, पटना के विरुद्ध कम्पनी कानून (बैंच) पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के समक्ष कोई याचिका दायर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान् जी। मै० न्यूजपेपर्स एण्ड पब्लिकेशन्स लिमिटेड, पटना के विरुद्ध श्री द्वारिका झा द्वारा दिनांक 26-12-1981 को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 185 के अन्तर्गत एक याचिका, कम्पनी विधि, बोर्ड, खण्डपीठ, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के समक्ष दायर की गई है।

(ख) खण्डपीठ के समक्ष ऊपर कथित याचिका, कम्पनी की अन्ततः इस दृष्टि से असाधारण बैठक करने के लिये, इसके निर्देशन प्राप्त करने के लिये दायर की गई है कि उसमें कम्पनी के वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को हटाये जाने एवं उसके हटाये जाने पर हुये रिक्त पद, यदि कोई हो, समेत, विद्यमान रिक्त पदों पर नवीन निदेशकों की नियुक्ति, के लिये विचार किया जा सके। याचिका पर पटना में 3-2-1982 को सुनवाई की गई थी, एवं यह पक्षों की सहमति से साथ-साथ इस निर्देशन सहित स्थगित कर दी गई थी कि याचिका की प्रति कम्पनी के सभी हिस्सेधारियों को भेजी जाय। याचिका पर निर्णय, पक्षों की सुनवाई किये जाने के पश्चात्, किया जायेगा।

राष्ट्रीय दूरदर्शन व्यवस्था के लिए सूक्ष्म तरंग चैनल

1597. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार विभाग ने सूक्ष्म तरंग चैनल का कार्य आरम्भ करने का कोई निर्णय किया है जिससे राष्ट्रीय दूरदर्शन व्यवस्था को सुविधा हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित उपकरणों का ब्यौरा क्या है तथा उनका मूल्य क्या है तथा क्या इन उपकरणों का आयात किया गया है और यदि हां, तो उनके रख-रखाव, शुल्क आदि की तैयारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन नगरों के नाम का ब्यौरा क्या है जिन्हें सूक्ष्म तरंग चैनलों के माध्यम से दूरदर्शन व्यवस्था के साथ जोड़ा जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, जिन स्थानों पर दूरदर्शन विभाग से ऐसी सुविधा के लिए सुनिश्चित मांग प्राप्त होती है वहां डाक-तार विभाग कार्यवाई कर रहा है।

(ख) और (ग) अभी तक स्वीकृत प्रायोजनाओं के संबंध में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :—

दूरदर्शन धारक सूक्ष्म तरंग चैनल	उपस्कर की प्राक्कलित लागत (लाख रुपयों में)
1. मद्रास-बम्बई	227.36
2. बम्बई-पूना	80.64
3. बम्बई-दिल्ली-कलकत्ता	501.09
4. दिल्ली-श्रीनगर	127.11
5. जालधर-अमृतसर	36.82

सूक्ष्म तरंग रेडियो उपस्कर आयात किए जा रहे हैं। सहधुरीय दूरदर्शन छोटे सम्पर्कों के लिए उपस्कर देशीय स्रोतों से प्राप्त किए जा रहे हैं। उपस्कर का अनुरक्षण डाक-तार विभाग द्वारा किया जाता है तथा दूरदर्शन विभाग इसके लिए किराया देता है। उपर्युक्त प्रायोजनाओं के अन्तर्गत निम्न नगर आते हैं : —

कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, जालंधर, श्रीनगर, अमृतसर, बम्बई, पुणे, पणजिम, बंगलूर और मद्रास।

कुकिंग गैस के कनेक्शन

1598. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों की राज्यवार संख्या और नाम क्या हैं जिनमें चालू वर्ष में तथा आगामी वर्ष में सरकार द्वारा कुकिंग गैस उपलब्ध कराई जायेगी;

(ख) इस वर्ष नियुक्त किये गये अथवा नियुक्त किये जाने वाले व्यापारियों के नाम क्या हैं तथा उनकी नियुक्ति किये जाने वाले व्यापारियों के नाम क्या हैं तथा उनकी नियुक्ति के आधार क्या हैं; और

(ग) इस कार्य का निपटान करने वाली समिति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा संलग्न विवरण में दिये गये राज्यवार ब्यौरों के अनुसार 1981-82 और 1982-83 की अपनी योजनाओं के प्रति देश के विभिन्न भागों में करीब 780 एल० पी० जी० की वितरण-एजेन्सियों की स्थापना किये जाने की आशा है। जब तक एक विशेष राज्य (राज्यों) के लिए इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है, देश में सभी स्थलों के नामों का संकलन करने में बड़ा समय लगेगा और ऐसा करना विचाराधीन उद्देश्यों के सम्भवतः अनुरूप न हो।

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा डीलरों की नियुक्तियां आवश्यक क्षेत्रीय जांच पड़ताल किये जाने के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए गठित समितियों की सिफारिशों पर निर्धारित मार्गदर्शन-सिद्धान्तों के अनुसार की जाती हैं। इस वर्ष के दौरान पहले से ही दिये गये चयन के ब्यौरे शीघ्र उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि चयन नियमित रूप से हो रहे हैं।

(ग) साधारण वर्ष के अन्तर्गत डीलरों के चयन के लिए चयन समिति में सम्बन्धित कम्पनी का एक प्रतिनिधि और अन्य दो तेल कम्पनियों का एक-एक प्रतिनिधि होता है। आरक्षित वर्गों के अधीन डीलरों के चयन समिति में सरकार से भी एक प्रतिनिधि लिया जायेगा। तथापि, 1-10-1981 को जारी किये गये विज्ञापनों के प्रति आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के चयन के लिए चयन समिति में एक प्रतिनिधि जो उप-सचिव स्तर से कम के पद का नहीं होना चाहिए, शामिल किया जायेगा।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	एल० पी० जी० डीलरशिप्स के खोले जाने वाले प्रस्तावों की संख्या	
		1981-82	1982-83
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	40
2.	बिहार	20	20
3.	गुजरात	22	30
4.	हरियाणा	12	17
5.	हिमाचल प्रदेश	4	8
6.	जम्मू और काश्मीर	—	8
7.	कर्नाटक	24	21
8.	केरल	10	22
9.	मध्य प्रदेश	32	17
10.	महाराष्ट्र	45	28
11.	उड़ीसा	15	10
12.	पंजाब	28	19
13.	राजस्थान	33	14
14.	तमिलनाडू	25	46
15.	उत्तर प्रदेश	65	47
16.	पश्चिम बंगाल	11	26
17.	दिल्ली	4	13
18.	चंडीगढ़	1	3
19.	गोवा, दमन और द्वीप	4	3
20.	पांडिचेरी	—	2
21.	उत्तर पूर्वी राज्य	—	18
		368	412

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग पर खर्च तथा मामलों पर प्रति मामला लागत

1590. श्री आर० प्रभु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के रख-रखाव पर वर्ष 2976-77 से 1980-81 के दौरान कितनी राशि खर्च की;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21, 22, 23 तथा 27 के अधीन कितने मामले निपटाये गये तथा इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन कितनी जांच कराई गई; और

(ग) प्रत्येक आवेदन/संदर्भ को निपटाने पर प्रति मामला कितनी लागत आई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार द्वारा 1976-77 से 1980-81 तक के वित्तीय वर्षों में, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग पर किये गये व्यय की राशि निम्न प्रकार है :—

1976-77	11,27,000 रु०
1977-78	14,42,000 रु०
1978-79	12,98, 859 रु०
1979-80	15,24,296 रु०
1980-81	15,37,442 रु०

(ख) आयोग द्वारा 1976-77 से 1980-81 के वित्तीय वर्षों के मध्य, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21, 22, 23 व 27 के अन्तर्गत निपटाये गये संदर्भ तथा इस अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत संस्थापित जांच निम्न प्रकार है : -

वर्ष	धारा 21	धारा 22	धारा 23	धारा 27	धारा 10 के अंतर्गत संस्थापित जांचों की संख्या
1976-77	—	5	—	—	91
1977-78	1	—	—	—	36
1978-79	1	1	—	—	34
1979-80	1	2	—	—	27
1980-81	1	—	—	—	42

(ग) व्यवहारतः प्रत्येक आवेदन-पत्र/संदर्भ को निपटाने पर प्रति मामला लागत का निर्धारण तथा अभिभाजन करना संभव नहीं है। यह जाचों की प्रकृति, निपटाने के लिये आयोग द्वारा लिया गया समय, तथा प्रत्येक ऐसे अन्य कारकों, जो प्रत्येक मामले में विभिन्न होते हैं, पर निर्भर करता है।

उड़ीसा में विद्युतीकृत गांव

1600. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विद्युतीकरण के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रम की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा जिला-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है;

(ख) इस राज्य में वर्ष 1982-83 के दौरान जिला-वार शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के अंतर्गत योजनावार कितने गांवों को लाभ पहुंचेगा; और

(ग) अब तक इस राज्य में विद्युतीकृत किए जा चुके गांवों की संख्या तथा उनका प्रतिशत कितना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कुल गांवों की जिलेवार संख्या के और गत तीन वर्षों अर्थात 1978-81 के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या के ब्यौरे उपाबंध में विवरण में दिए गए हैं। जिलेवार कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बनाया जाता है और इसलिए इस कार्यक्रम के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बनाई जाती हैं और उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। नई स्कीमें बनाने के लिए क्षेत्रों का चुनाव तथा वर्ष 1982-83 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों के संबंध में निर्णय उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिया जायेगा। जहां तक ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का संबंध है उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण निगम के सामान्य कार्यक्रम और संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के दौरान 1119 गाँवों को विद्युतीकृत करने का अनन्तिम कार्यक्रम है।

(ग) उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, उड़ीसा के 46,992 गांवों में से राज्य में अक्टूबर, 1981 के अन्त तक 18,892 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार राज्य में 40.2% गांव विद्युतीकृत हो गये हैं।

विवरण

उड़ीसा के प्रत्येक जिले में कुल गांवों की संख्या, 31.3.1978 के अन्त तक विद्युतीकृत किये गए गांवों की संख्या, 1978-81 की अवधि के दौरान हुई वर्ष-वार प्रगति और मार्च, 1981 के अन्त तक की प्रगामी प्रगति आदि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	गांवों की कुल सं०	31.3.78 को स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की संख्या	विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या			31.3.81 तक विद्युतीकृत किए गांवों की प्रगामी प्रगति	31.3.81 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशतता
				1978-79 के दौरान	1979-80 के दौरान	1980-81 के दौरान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बालासोर	3,812	1,533	163	222	187	2,105	55.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	बोलनगीर	2,523	823	87	142	92	1,144	45.2
3.	कटक	6,027	2,989	285	328	174	3,776	62.7
4.	धेनकनाल	2,606	981	60	22	58	1,121	43.0
5.	गंजाम	4,223	1,414	63	137	82	1,696	40.2
6.	कालाहांडी	2,653	298	36	64	124	522	19.7
7.	क्योंझर	2,009	624	24	47	76	771	38.4
8.	कोरापुट	5,683	663	178	153	194	1,188	20.9
9.	मयूरभंज	3,712	916	51	90	200	1,257	33.9
10.	फूलबानी	4,397	22[illegible]	64	128	89	501	[illegible]1,4
11.	सम्बलपुर	3,390	1,215	93	81	101	1,490	44.0
12.	पुरी	4,336	1,710	261	216	163	2,350	54.2
13.	सुन्दरगढ़	1,621	775	42	33	33	883	54.5
	जोड़	46,992	14,161	1,407	1,663	1,57	318,804	40.0

तापीय बिजली घरों की क्षमता का उपयोग

1601. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री के० मालन्ना : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तापीय बिजली घरों द्वारा अपने 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है तथा तत्सम्बन्धी संयंत्र-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने क्षमता के उपयोगों का 50 प्रतिशत से आगे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये हैं; और

(ग) ऐसे उपायों के क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1981-82 (अप्रैल से दिसम्बर, 1981) के दौरान 20 ताप विद्युत केन्द्रों का प्रचालन 50 प्रतिशत के समुपयोग स्तर से अधिक पर हो रहा है। संयंत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश के सभी ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों के कार्य निष्पादन में और सुधार लाने के लिए, विभिन्न क्षमता ग्रुपों ने समस्याओं का पता लगा लिया है। 200/210

मेगावाट के यूनिटों में उपचारी उपाय किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, इन यूनिटों के कार्य-निष्पादन में भी सुधार हुआ है। इसी प्रकार निम्न क्षमता वाले अन्य यूनिटों के लिये भी योजनाएं बनाई जा रही हैं और उपचारी उपाय किए जा रहे हैं। 200 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले विद्युत केन्द्रों में सुधार कूपों की स्थापना की गई है। शेष केन्द्रों में भी सुधार कक्षों की स्थापना किये जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आशा की जाती है कि उक्त उपायों के परिणामस्वरूप, ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र क्षमता समुपयोजन में आगामी वर्षों में और भी सुधार आएगा।

विवरण

वर्ष 1981-82 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 50 प्रतिशत क्षमता समुपयोजन स्तर से अधिक पर चलने वाले ताप विद्युत केन्द्र

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अप्रैल-दिसम्बर 81 के दौरान संयंत्र भार अनुपात
1.	इन्द्र प्रस्थ केन्द्र	282.5	50.04
2.	रेणुसागर	125.0	97.70
3.	धुवारण	534	68.2
4.	उकई (200 मेगावाट यूनिटों को छोड़कर)	240	52.6
5.	अहमदाबाद बिजली कम्पनी (साबरमती सहित)	302.5	58.8
6.	सतपुड़ा (200 मेगावाट यूनिटों को छोड़कर)	312.5	62.8
7.	कोरबा चरण-II (4 × 50 मेगावाट)	200	50.4
8.	अमरकंटक	300	61.5
9.	नासिक (2 × 140 मेगावाट)	280	64.4
10.	कोराडी	680	58.6
11.	भुसावल	272.5	50.3
12.	ट्रम्बे	330	79.5
13.	रामागुण्डम-बी	62.5	52.4
14.	विजयवाड़ा	420	68.7
15.	नेवेली	600	61.8
16.	दुर्गापुर	250	54.20
17.	बोकारो	227.5	56.1
18.	बन्डेल	320	54.8
19.	सी० ई० एस० सी०	328	56.1
20.	नामरूप	111.5	52.7
21.	बदरपुर (यूनिटों 1-3)	300	5

राजस्थान में संगीत तथा नाटक प्रभाग की स्थापना

1602. **श्री मूल चन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संगीत तथा नाटक प्रभाग के कितने केन्द्र हैं और ऐसे स्थापित करने के निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक केन्द्र पर सरकार कितनी धनराशि खर्च करती है और इसकी उपयोगिता क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें इस प्रभाग के केन्द्र नहीं हैं और राजस्थान में ऐसे केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है और अब तक वहां ऐसे केन्द्र न खोलने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली स्थित गीत और नाटक प्रभाग के मुख्यालय के अतिरिक्त इसके आठ क्षेत्रीय केन्द्र हैं पुणे, भोपाल, मद्रास, गोहाटी, लखनऊ, चण्डीगढ़, कलकत्ता और दिल्ली में तथा 11 उपकेन्द्र – शिमला, दरभंगा, पटना, नैनीताल, इम्फाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, श्रीनगर, जोधपुर, बंगलौर और रांची में हैं।

अन्दरूनी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने की कार्यक्रम आवश्यकता को देखते हुए देश को आठ जोनों में बांटा गया है और कार्यक्रमों को सशस्त्र सैनिक मनोरंजन स्कन्ध की 9 मंडलियों, 6 विभागीय मंडलियों और लगभग 400 पंजीकृत निजी पार्टियों के माध्यम से सारे देश में आयोजित किया जाता है। प्रभाग के केन्द्र की स्थापना करने के लिए कार्यक्रम आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता सहित विभिन्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

(ख) गीत और नाटक प्रभाग का कुल व्यय लगभग 1.70 करोड़ रुपए है तथा उपकेन्द्रों सहित क्षेत्रीय केन्द्र का व्यय कवर किए जाने वाले क्षेत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है और यह 6 लाख रुपए से 80 लाख रुपये के बीच होता है। प्रभाग शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लोगों में सामाजिक-आर्थिक महत्व के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक आदर्शों, आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जीवन्त मनोरंजन तथा ध्वनि व प्रकाश के माध्यमों का उपयोग करता है।

(ग) जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रभाग का केन्द्र नहीं हैं वे हैं—अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, नागालैंड, केरल, सिक्किम, त्रिपुरा, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, पांडिचेरी, लक्षद्वीप तथा मिनीकाय और गोआ।

राजस्थान में जोधपुर में पहले से ही एक उप-केन्द्र है। राजस्थान में कोई अतिरिक्त केन्द्र स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरीन समिति का प्रतिवेदन

1603. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :**

श्री हरीश कुमार गंगवार :

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री चित्त बसु : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : दूर संचार सम्बन्धी सरीन समिति की कौन सी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और उनकी क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : समिति ने कुल 434 सिफारिशें की हैं । सिफारिशों के सारांश की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है । कुछ सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं । अभी भी कुछ सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

1604. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शुरू की गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उसके लिए प्रत्येक राज्य में योजनावार और वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में राज्यवार और योजनावार इन योजनाओं की क्रियान्विति में गत तीन वर्षों में मिली सफलता का ब्यौरा क्या है और इन राज्यों में राज्यवार और जिलावार कितने-कितने गांवों में बिजली लगाई गई; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए इन दो राज्यों में शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इनके लिए राज्यवार और योजनावार कितनी राशि रखी गई और इन राज्यों में राज्यवार, वर्षवार और जिलावार कितने-कितने और कितने प्रतिशत गांवों में बिजली लगाई जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाई और उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं । ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में गत तीन वर्षों (1978-81) के दौरान स्वीकृत की गई स्कीमों, स्कीमों के लिए स्वीकृत की गई राशि और सितम्बर, 1981 के अन्त तक इन स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या का स्कीम-वार, वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3462/82]

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए निधियों के आबंटन और गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्यों के अनन्तिम ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपये)

राज्य	स्कीम के अन्तर्गत परिव्यय का प्रावधान			कुल गांवों के विद्युतीकरण परिव्यय का लक्ष्य	
	सामान्य विकास कार्यक्रम	ग्राम विद्युतीकरण निगम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		
पश्चिम बंगाल	0.30	12.97	3.25	16.52	2000
उड़ीसा	3.00	6.81	4.34	14.15	1250
			विद्युतीकरण के लिए जिलों/गांवों के चयन के संबंध में निर्णय संबंधित राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिया जायेगा।		

बम्बई उच्च न्यायालय का महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री को न्यासों के लिए धनराशि एकत्रित करने के मामलों में दोषी करार देना

1505. **प्रो० मधु दंडवते :**

श्रीमती प्रमिला दंडवते :

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को देखा है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को उनके द्वारा सृजित न्यासों के लिए सीमेंट के तदर्थ कोटे को बेचकर धनराशि एकत्र करने के लिए अभ्यारोपित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय में कितने न्यासों का उल्लेख किया गया है;

(ग) प्रत्येक न्यास द्वारा कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(घ) क्या उच्च न्यायालय ने इन न्यासों के कार्यकलाप पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार से आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन

1606. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित संशोधन कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को समग्र रूप से प्राप्त करने की दृष्टि से, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कुछ उपबन्धों के संशोधन सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं । निर्णय कर लिये जाने पर यथाशीघ्र आवश्यक विधायी कार्यवाही की जायेगी ।

एक तथा दो बैंड के रेडियो सेटों के लिए पहले ही अदा कर दिए गए लायसेंस शुल्क को वापस किए जाने के बारे में अभ्यावेदन

1607. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्ट मास्टर जनरल (वायरलैस), महाराष्ट्र सर्कल बम्बई को नागपुर रेडियो लायसेंस होल्डर्स संगठन की ओर से, एक तथा दो बैण्ड के रेडियो सेटों पर अदा किए जा चुके लायसेंस शुल्क की वापस अदायगी के बारे में दिनांक 12-4-81 का अभ्यावेदन तथा 12-7-1981 का एक स्मरण-पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां । नागपुर के श्री एस० डी० दहाले से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) पोस्ट मास्टर जनरल ने अभ्यावेदन भेजने वाले को 20.8.81 को यह सूचित किया कि इस विषय से सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत पहले ही जमा किए गए लाइसेंस शुल्क को लौटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

दरेकासा, सलेकासा तालुका जिला भण्डारा (महाराष्ट्र) में टेलीफोन लाइन तथा पब्लिक काल आफिस के बारे में अभ्यावेदन

1608. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाप्रबंधक, दूरसंचार, महाराष्ट्र सर्कल बम्बई को दरेकासा, सलेकासा तालुका, जिला भण्डारा (महाराष्ट्र) में टेलीफोन लाईन तथा पब्लिक काल का आफिस के बारे में दिनांक 21 अक्तूबर, 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) इन मांगों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही/निर्णय नहीं किया गया है तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं और उन पर निर्णय/कार्यवाही कब तक किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) भण्डारा जिले के दरेकासा नामक स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव लाभकारी नहीं है । विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार घाटे को नजर अंदान नहीं किया जा सकता है । तथापि, यदि कोई इच्छुक पार्टी अथवा राज्य सरकार विभाग को होने वाले घाटे को पूरा करने का वचन दे तो किराया तथा गारंटी की शर्तों के आधार पर यह सुविधा प्रदान की जा सकती है ।

रजिस्ट्रेशन फीस मनीआर्डर आदि के प्रभारों में वृद्धि

1609. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**

श्री नारायण चौबे :

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :

श्री अर्जुन सेठी :

श्री एन० ई० होरो :

श्री चित्त महाटा :

श्री टी० आर० शमन्ना :

प्रो० मधु दण्डवते :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस, मनीआर्डर और कुछ अन्य डाक तथा दूर संचार फोनोग्राम और टेलेक्सोग्राम सेवाओं आदि के प्रभारों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) संसद के बजट सत्र के अवसर पर यह वृद्धि करने के विशेष आधार क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त सेवाओं के प्रयोक्ताओं को दी जाने वाली प्रस्तावित अतिरिक्त सुविधायें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हाँ ।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) दूरसंचार सेवाओं के आधुनिकीकरण/विस्तार सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से दरों में वृद्धि करना आवश्यक था । भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 तथा भारतीय तार अधिनियम 1885 के अंतर्गत सरकार आवश्यकतानुसार इन मदों की दरों में वृद्धि कर सकती है ।

(घ) आशा है कि वित्तीय स्रोतों में सुधार होने से गुणवत्ता एवं मात्रा की दृष्टि से बेहतर सेवा उपलब्ध की जा सकती है ।

विवरण

अनुबंध

मद का नाम		संशोधित दरें	
1		2	
1. रजिस्ट्रेशन फीस		रजिस्ट्रेशन फीसमें संशोधन करके 2.75 रु० प्रति मद कर दी गई है ।	
2. मनीआर्डर कमीशन		प्रत्येक 10 रुपये या उसके अंश हेतु—30 पैसे	
3. तार :			
श्रेणी	वसूली योग्य 10 शब्दों तक	वसूली योग्य 10 शब्दों से अधिक	
		पहले 10 शब्द	वसूली योग्य पहले 10 शब्दों के बाद प्रत्येक अतिरिक्त शब्द
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
एसप्रेस	6.00	6.00	1 रुपया
सामान्य	3.00	3.00	0.50
4. स्कोसोरोग्राम फीस :		दो रुपये	
5. टेलीसोग्राम फीस		दो रुपये	

1	2
6. टेलैक्स:	
(i) टेलीप्रिंटर एक्सचेंज (टेलेक्स) से 5 कि० मी० (स्थानीय क्षेत्र) की परिधि में टर्मिनल टर्मिनल टेलीप्रिंटर मशीन हेतु किराए सहित टेलेक्स उपभोक्ता की लाइन के लिए।	4500 रुपये प्रति वर्ष
(ii) टेलैक्स उपभोक्ता की लाइन हेतु जब टेलीप्रिंटर एक्सचेंज (टेलैक्स) से 5 कि० मी० (स्थानीय क्षेत्र) की परिधि के भीतर उपभोक्ता द्वारा स्वयं टेलीप्रिंटर मशीन उपलब्ध कराई जाए।	900 रुपये प्रति वर्ष
7. टेलीप्रिंटर मशीन हेतु शुल्क (टेलीप्रिंटर सर्किट में प्रयोग होने वाले)	3500 रु० प्रति वर्ष
8. टेलीफोन:	
(क) मापित दर प्रणाली	
संशोधित दरें :	

		द्वैमासिक किराए एवं काल फीस दरें		
	किराया	दो महीनों में निःशुल्क काल यूनिटों की संख्या	निःशुल्क कालों से अधिक की गई प्रति काल यूनिट की फीस	
			201 से 300 कालों तक	300 कालों से अधिक
1	2	3	4	5
1. 10,000 लाइनों से कम एक्सचेंज प्रणाली	रु० 125	200	40 पैसे	50 पैसे
2. 10,000 लाइनों से अधिक परन्तु 30,000 लाइनों से कम एक्सचेंज प्रणाली	रु० 150	200	40 पैसे	50 पैसे

1	2	3	4	5
3. 30,000 लाइनों से अधिक परन्तु 1,00,000 लाइनों से कम एक्सचेंज प्रणाली	रु० 125	200	40 पैसे	50 पैसे
4. 1,00,00 लाइन एवं अधिक की एक्सचेंज प्रणाली	रु० 200	200	40 पैसे	50 पैसे

(ख) समान दर प्रणाली :

	संशोधित दरें	
	वार्षिक	द्विमासिक
(i) 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाले 100 अथवा अधिक लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंज	900 रु०	150 रु०
(ii) 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाले 100 लाइनों से कम क्षमता वाले एक्सचेंज	750 रु०	125 रु०
(iii) सीमित समय तक सेवा प्रदान करने वाले हस्तचल एक्सचेंज	600 रु०	100 रु०

9. विभागीय एक्सचेंज से अस्थायी कनेक्शन :

1 से 10 दिन तक	—	90 रुपये
11 से 30 दिन तक	—	180 रुपये
31 से 60 दिन तक	—	270 रुपये

10. रंगीन टेलीफोन उपस्कर हेतु प्रति उपस्कर 60 रुपये एक रंगीन टेलीफोन के बदले दूसरा रंगीन टेलीफोन लगाने के लिए 30 रुपये का अतिरिक्त शुल्क समाप्त कर दिया गया है। परन्तु एम्प्लीफोन (कम सुनने वाले व्यक्ति हेतु टेलीफोन उपस्कर) हेतु अतिरिक्त शुल्क 32 रुपये प्रति वर्ष तथा 3 रुपये प्रतिमाह की दर से वसूल किया जाएगा।

(वार्षिक किराए में कोई संशोधन नहीं है।)

एच० आर० ओ० आर० एम० एस० 'डी०' डिवीजन के स्टाफ की संयुक्त कार्यवाही समिति से ज्ञापन

1610, **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक तथा तार विभाग की रेलवे डाक सेवा में सार्वजनिक डाक को जानबूझ कर रोके जाने के बारे में एच० आर० ओ० आर० एम० एस० डी० डिवीजन की संयुक्त कार्यवाही समिति से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ज्ञापन में उठाये गये मुद्दों की सरकार द्वारा जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसमें दिये गये सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) संभवतया किस तारीख तक कार्यवाही की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (योगेन्द्र मकवाना) (क) रेल डाक सेवा 'डी०' डिवीजन के स्टाफ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने इंटाई सैक्शनों से कुछ कार्य स्टेशनरी मेल कार्यालयों में अंतरण के बारे में विरोध प्रकट किया है। उन्होंने स्टाफ का बारी-बारी से स्थानांतरण का भी विरोध प्रकट किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रस्तुत ज्ञापन में स्टाफ ने सेक्शनों से मेल कार्यालयों में अंतरित की गई डाक को पूर्वस्थिति में लाने की मांग की है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पोस्टमास्टर जनरल द्वारा डाक कार्यालयों तथा सेक्शनों के कार्यभार एवं डाक व्यवस्थाओं की नियमित अंतराल पर सामान्य पुनरीक्षा की जाती है। रनिंग सैक्शनों में स्थान, लाइन आदि की भारी कमी है अतः सेवा के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए पोस्टमास्टर जनरल ने छंटाई सैक्शनों से कुछ कार्य को स्टेशनरी डाक कार्यालयों, जिनमें अच्छी सुविधाएं तथा अधिक स्थान है, में अंतरित करने के आदेश किए हैं। यह दलील दी गई है कि सैक्शनों के कार्य अंतरण के कारण कुछ विलम्ब हो सकता है। विभिन्न अन्य पहलुओं एवं व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए इसकी हमेशा जांच की जाती है। ज्ञापन में स्टाफ का बारी-बारी से अंतरण करने के सम्बन्ध में उठाए गए मुद्दे के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि पोस्टमास्टर जनरल द्वारा ऐसा निर्णय डाक तार बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बारी-बारी से स्थानांतरण व्यापक लोक हित में होने के कारण इनको लागू करना आवश्यक है ताकि कर्मचारियों को अधिक कार्यालयों के कार्यों का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो सके तथा एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहने के कारण कर्मचारियों द्वारा अपने निहित स्वार्थ की स्थिति उत्पन्न न की जा सके।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आरम्भ किया गया ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

1611. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में वर्षवार आरंभ किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक राज्यवार और जिलावार कितने गांव विद्युतीकृत किए गए; कुल गांवों की तुलना में विद्युतीकृत गांव कितने प्रतिशत हैं; और

(ख) इन राज्यों में वर्ष 1982-83 के दौरान राज्यवार आरम्भ किये जा रहे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले तीन वर्ष 1978-81 के दौरान उत्तरी तथा उत्तर पुर्वी क्षेत्र के राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा विवरण-1 के विवरण में किया गया है। जिलेवार कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार किया जाता है और इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, जम्मू और काश्मीर तथा मणिपुर को छोड़कर उत्तरी तथा उत्तर-पुर्वी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य/संघ शासित राज्य में जिले-वार हुई प्रगति विवरुण-II के विवरणों में संलग्न है। जम्मू और काश्मीर तथा मणिपुर की मार्च, 1981 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3463/82]

(ख) वर्ष 2982-83 के दौरान उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में ग्राम-विद्युतीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा विवरण-III के विवरण में दिया गया है। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

1612. **श्री राम स्वरूप राम :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का साबुन, टुथपेस्ट आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर भारी नियंत्रण है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी कम्पनियों के भारी नियत्रण को कम करने के लिये, इस बात को सुनिश्चित करने हेतु कि किसी कम्पनी का एकाधिकार न हो, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में उपबन्ध किये गये हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो हिन्दुस्तान लीवर के भारी नियंत्रण को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) साबुनों तथा सिन्थैटिक डिटरजेन्ट्स के निर्माण में, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनी मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का, इन सामानों के क्षेत्र में कुल उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत भाग है।

(ख) तथा (ग) विस्तार अथवा नवीन उपक्रमों की स्थापना के प्रस्तावों की बाबत, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्ध उन कम्पनियों पर लागू होते हैं, जिनका इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित हो, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड इसी प्रकार की कम्पनी है। इस प्रकार के घरानों के सारवान विस्तार अथवा नवीन उपक्रमों की स्थापना के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा, इस अधिनियम के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों, जिनमें निर्धारित है कि आर्थिक प्रणाली का संचालन, जनहित के विरुद्ध, आर्थिक शक्ति के संकेद्रम की ओर अग्रेसित न करे, को दृष्टि में रखते हुये सम्बन्धित आधार-सामग्री के सापेक्ष में सतत परीक्षा की जाती है।

कोयले का भंडार

1613. **श्री अजीत कुमार शाहा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जिलेवार और राज्यवार कोयला जमा करने के स्थानों और कोयला डीलरों के चयन का तरीका क्या है;

(ख) ऐसे कोयला भंडारों से कितना कोयला दिया गया और उनमें वितरित किया गया;

(ग) घरेलू उपभोग के लिए उपलब्ध कोयले की स्थिति और अधिक मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) कोयले के फुटकर विक्रेताओं द्वारा यदि इस बारे में कोई शिकायतें की गई हैं तो वे क्या हैं और इस संबंध में उनकी भविष्य में क्या भूमिका रहेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) और (ख) कोयला और साफ्ट कोक के वितरण के लिए टाल खोलने के स्थानों का चयन उस क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा टाल खोलने के लिए उपयुक्त स्थान की उपलब्धि के आधार पर किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड टाल चलाने के लिए कोई डीलर नहीं नियुक्त करता फिर भी, साफ्ट कोक के ट्रक/रेलवे वैगनों में लदान करने और उनसे माल उतारने के लिए कुछ हैंडलिंग एजेन्ट नियुक्त किए जाते हैं। इन डम्प आपरेटरों का चयन एक

कमेटी द्वारा छानबीन हो जाने के बाद और कोयला कम्पनी की सामान्य नीति के अनुसार टेंडर आमंत्रित कर लेने के बाद ही किया जाता है। इस समय पश्चिम बंगाल में 13 टाल चल रहे हैं। जप्रैल 1981 से जनवरी, 1982 तक की अवधि में इन टालों से की गई कुल बिक्री के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

स्टाक यार्ड का नाम	अप्रैल, 1981-जनवरी, 1982 की अवधि के दौरान बिक्री
	टन
1. सोनार	148564 साफ्ट कोक
2. चेत्तार	65555 ,,
3. उल्टा डंगा	32420 ,,
4. होनल	29081 ,,
5. शिवपुर-I	16208 ,,
6. शिवपुर-II	43341 ,,
7. मिदनापोर	5595 साफ्ट कोक 2021 कोयला
8. मालदा	1871 साफ्ट कोक 284 कोयला
9. कृष्णानगर	634 कोयला
10. बेहरामपुर	12 साफ्ट कोक 691 कोयला
11. सिलीगुड़ी	801 साफ्ट कोक 12630 कोयला
12. बारकपुर	1045 साफ्ट कोक
13. वर्दवान	— इस स्टाक यार्ड में 2210 टन कोयले का स्टाक रुका हुआ है।

राजस्थान में तापीय विद्युत संयंत्र

1614. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में तापीय विद्युत संयंत्रों की क्रय अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने पूरे राज्य में तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ग) क्या कोटा तापीय विद्युत संयंत्र के चरण-एक और चरण-दो तथा अन्य इकाइयों की स्थापना कर दी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) इस समय राजस्थान में कोई बड़ा ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। तथापि, राज्य में विभिन्न स्थानों पर छोटे ताप विद्युत यूनिट हैं, जिनकी प्रतिष्ठापित क्षमता (अनिर्धागित क्षमता) 20 मेगावाट है।

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 125 मेगावाट है।

(ख) पालना में मिगनाइट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र के लिए, जिसमें 60-60 मेगावाट के दो यूनिट होंगे, यह परियोजना रिपोर्ट राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसे तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है।

राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया है कि भावी विद्युत केन्द्रों के लिए अन्वेषण कार्य प्रगति पर है।

(ग) कोटा ताप विद्युत परियोजना का प्रथम चरण, जिसमें 110-110 मेगावाट के दो यूनिट हैं, क्रियान्वयनाधीन है। पहला यूनिट जून, 1982 में तथा दूसरा यूनिट नवम्बर, 1982 में चालू किए जाने की आशा है। दूसरा चरण अक्तूबर, 1980 में स्वीकृत किया गया था तथा इसके दो यूनिट 1985-86 में चालू किये जाने की सम्भावना है।

क्लोरीनेटेड पैराफिन का निर्यात

1615. **श्री के० ए० राजन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन पेट्रोकैमिकल कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा के एल० ए० बी० संयंत्र से एक उप उत्पाद हैवी नार्मल पैराफिन पर आधारित क्लोरीनेटेड पैराफिन का निर्यात करने की सम्भावना पर विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) इण्डियन पेट्रो-केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के उत्पादों में से हैवी नार्मल पैराफिन (एच० एन० पी०) नामक एक उत्पाद को क्लोरीनेटेड पैराफिन का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीनेटेड पैराफिन के निर्यात पर इस समय कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा हुआ है।

अखबारी कागज का आयात

1616. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें अखबारी कागज का आयात करना पड़ता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया और किस दर पर आयात किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान आयातित अखबारी कागज के मूल्य 85 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि वृद्धि के कारण भारत का समाचार पत्र उद्योग जल्दी ही एक रुग्ण उद्योग बन जायेगा; और

(ङ) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए क्या भारत सरकार इस उद्योग को बचाने के लिए समाचार-पत्र उद्योग को कुछ राहत देने के बारे में विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख)	1978-79	—	2,33,000 मीट्रिक टन
	1979-80	—	3,12,000 मीट्रिक टन
	1980-81	—	3,06,000 मीट्रिक टन
	1981-82 (जनवरी, 1982 तक)		2,84,443 मीट्रिक टन

आयातित अखबारी कागज की दर एक कान्ट्रक्ट से दूसरे कान्ट्रेक्ट की कम-ज्यादा और भिन्न-भिन्न होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

———

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं यह बात जोर देकर कह रहा हूं कि 21 दिसम्बर को मैंने भूतपूर्व विधि मंत्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी थी । (**व्यवधान**) मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए क्योंकि मामला दबाया नहीं जा सकता है ।

(**व्यवधान**)

कृपया अध्यक्ष को परेशान मत कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपको दिया नहीं था प्रोफेसर साहब ?

प्रो० मधु दण्डवते : यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं । भूतपूर्व विधि मन्त्री महोदय द्वारा मुझे एक नोट दिया गया है । (**व्यवधान**) इस पर चर्चा प्रकोष्ठ चैम्बर में नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह सार्वजनिक मामला है । कृपया मेरी बात सुनिए । यह सार्वजनिक मामला है । यह तो संविधान में निर्धारित सिद्धान्तों, मानदण्डों और विधि मन्त्री महोदय द्वारा अपनाए गए मार्ग के मध्य संघर्ष का मामला है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्रीमान जी, मैं अपने निर्णय पर ही अटल रहूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिये । महोदय, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि विशेषाधिकार को दबाकर रख दिया गया हो । मुझे आपको यह तो बताने दो कि वस्तुस्थिति क्या है, मुझे प्राप्त क्या हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, वह पूर्वोदाहरणों के अनुसार ही कह रहा हूं ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : चर्चा के बिना नहीं ।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : आपकी स्मृति को ताजा करने के लिए आपके सूचनार्थ मैं पूर्वोदाहरण उद्धृत करूंगा । महोदय, मुद्दा क्या है ? आप कृपया समझने का प्रयास कीजिए, आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि आपके सचिवालय ने क्या किया है । आपके सचिवालय ने मेरे पास भूतपूर्व विधि मन्त्री महोदय द्वारा तैयार किया हुआ एक टिप्पण भेजा है । इससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । महोदय, वह गृह मन्त्रालय को उद्धृत कर रहे हैं । परन्तु गृह मन्त्रालय गलत सूचना दे रहा है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे आकर मिलिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह चुनाव आयोग के पत्र का खण्डन करता है और संविधान के प्रतिकूल है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या आप इस विशेषाधिकार के मामले को उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ? बिगत में जब कभी भी आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव रद्द किया था तो आपने सदैव उसके कारण बताए थे कि विशेषाधिकार के मामले को क्यों रद्द किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं उठता। कोई कारण नहीं बताए जाते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु स्थिति क्या है ? भविष्य में मार्गदर्शन के लिए यह बात मुझे पता चलनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : कम से कम उन्हें अनुमति तो दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : कम से कम हमें भविष्य में मार्गदर्शन के लिए तो पता चलना ही चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ विचार-विमर्श करूंगा। आपको यह मार्गदर्शन मिल सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : प्रकोष्ठ (चैम्बर) में मार्गदर्शन करने का क्या उपयोग है ? यह कोई निजी मामला नहीं है। यह तो सार्वजनिक विषय के बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव है; निजी नहीं। मैं प्रकोष्ठ में नहीं आ सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप उन्हें अपनी बात क्यों नहीं कहने देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रकोष्ठ (चैम्बर) निजी नहीं है यह आप ही का है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यह दूरगामी परिणामों वाला एक गम्भीर मामला है। विधि मंत्री महोदय ने संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : चुनाव आयोग ने सरकारी पत्र द्वारा उनका खण्डन किया है। गृह मन्त्रालय का कार्यवाही-सारांश मेरे पास है ··

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : पुलिस बल को इस प्रकार वहां नहीं भेजा जा सकता है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय। मैं टस से मस नहीं हूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप कम से कम इसके कारण नहीं बता सकते कि विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : विधि मन्त्री महोदय के वक्तव्य में गलत सूचना दी गई है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय ने जब कभी भी विशेषाधिकार की सूचना अस्वीकृत की है, उनके द्वारा सदैव इस आशय का वक्तव्य दिया गया है कि उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

अब पत्र सभा-पटल पर रखे जायेंगे।

श्री पी० शिव शंकर।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इन्जीनियरिंग एण्ड टूल्स, मद्रास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण तथा ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नकथित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 3410/82]

(ख) (एक) इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी सहायक कम्पनी अर्थात बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता और इसकी सहायक कम्पनी, अर्थात बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 3411/82]

(ग) (एक) बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3412/82]

(3) (एक) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स, मद्रास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स, मद्रास के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3413/82]

(5) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3414/82]

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : मैंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हमने एडर्जोनमेंट मोशन दिया है, दिल्ली के हस्पताल में नर्क बन रहा है, रोगी मर रहे हैं ···

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये आप, मैं आप से बात करूंगा।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : दो एयर इण्डिया बोईंग विमानों को ईंधन में कमी होने के कारण उतारना पड़ा। विमान गिर सकते थे और यात्री मर सकते थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुन क्यों नहीं सकते ? आप सुनते क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : जब मकालू के तार काटे गए तो होम मिनिस्टर एकदम अपने सदन में बयान देने के लिए। यह सीवर में पानी कैसे मिल गया···

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप हमारी सुनते नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात कह रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने कहा ही नहीं तो आप कहेंगे कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : जो आप कह रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैंने कहा है, यह मेरे विचाराधीन है। मैं इसे अब सुबह लूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। इसी कारण मैं एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए अनुमति दे रहा हूं। मैं यही कुछ कह रहा हूं। आप सुनते ही नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर बैलट में मेरा नाम नहीं आया तो ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : बंगला देश स्थित भारतीय उच्चायुक्त का अपमान किया गया है। (व्यवधान)। यह एक गम्भीर मामला है जिसके परिणाम भी गम्भीर ही होंगे। मैंने इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

(व्यवधान)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उर्वरकों की सप्लायी सम्बन्धी अधिसूचना

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 601(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 16 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें 1 अगस्त, 1981 से 31 जनवरी, 1982 तक की अवधि में विभिन्न राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्डों को उर्वरकों के स्वदेशी निर्माताओं द्वारा की जाने वाली उर्वरक की सप्लाई दर्शायी गयी है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3415/82]

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है कि कल से नार्थ एवेन्यू में कोई भी टेलीफोन काम नहीं कर रहा है। आप इस बारे में सरकार से स्टेटमेंट दिलवाइये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उत्तर प्राप्त कर लिया है और मैं कार्यवाही कर चुका हूं।

भारतीय तार-यंत्र अधिनियम 1885 के अन्तर्गत जारी 10 अक्तूबर, 1981 की अधिसूचना का शुद्धि पत्र

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं भारतीय तार-यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1441 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 10 अक्तूबर, 1981 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 920 के अंग्रेजी संस्करण का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3416/82]

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या 78/82-सीमा-शुल्क और 79/82-सीमा-शुल्क जो दिनांक 1 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो इथीलीन डिक्लोराइड को पोली विनाइल क्लोराइड रेसिन्स के निर्माण के लिए भारत में आयात करते समय उस पर उद्ग्रहणीय समस्त मूल, अतिरिक्त तथा सहायक सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में हैं।

(2) अधिसूचना संख्या 80/82-सीमा-शुल्क 81/82-सीमा-शुल्क जो दिनांक 1 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो डेडवर्नट मेगनेसाइट की मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क और सहायक सीमा-शुल्क से 30 अप्रैल, 1983 तक छूट देने के बारे में हैं।

(3) अधिसूचना संख्या 82/82 सीमा-शुल्क, जो दिनांक 1 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 241/81 का अधिलंघन किया गया है और मूल सीमा-शुल्क की प्रभावी दर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत निर्धारित की गई है तथा कच्चे लोहे पर अतिरिक्त शुल्क से छूट जारी रखी गई है।

(4) अधिसूचना संख्या 83/82-सीमा-शुल्क, जो दिनांक 1 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो कच्चे लोहे पर सहायक शुल्क की वर्तमान छूट को जारी रखने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3411/82]

(व्यवधान)

राष्ट्रपति से संदेश

अध्यक्ष महोदय : मैं राष्ट्रपति से प्राप्त दिनांक 1 मार्च, 1982 के निम्नलिखित सन्देश की सूचना लोक सभा को देता हूं :—

"मैंने 18 फरवरी, 1982 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था उसके लिये लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर); मैं जानना चाहता हूं कि क्या विदेश मंत्री से बंगलादेश स्थित भारतीय उच्चायुक्त के अपमानित किये जाने के बारे में वक्तव्य देने के लिये कह दिया गया है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) इसका मुल्क के मुफाद से सम्बन्ध है। आप इस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : जो भी इम्पार्टेन्ट बात होती है, उस पर विचार होता है। लेकिन एक ही दिन में सारी बातें नहीं हो सकतीं।

(व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पश्चिम बंगाल में शिक्षित युवाओं को रोजगार देने हेतु छोटे सिनेमाघरों के निर्माण के लिए सुविधायें देने की आवश्यकता

श्री सत्यगोपाल मिश्र : (तामलुक) : पश्चिम बंगाल में (बेरोजगारी बढ़ रही है और वहां लोगों की प्रतिभा के अनुसार लाभप्रद कार्यों के लिये नये अवसरों की व्यवस्था करने की सख्त जरूरत है। इस राज्य में कुछ प्रतिभा सम्पन्न नौजवान अपनी सृजनशील शक्ति का उपयोग फिल्मों के उत्पादन के लिये करना चाहेंगे, जिसमें रोजगार की बहुत सम्भावनायें हैं। दुर्भाग्यवश इस प्रकार के सृजनात्मक साहसिक कार्य में रुकावट आ जाती है क्योंकि इसके उपयोग के लिये पर्याप्त रास्ता नहीं होता। इस राज्य के अधिकतर सिनेमाघरों पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण है जो स्थानीय प्रतीभा से बनी फिल्मों की अपेक्षा बम्बई से आयी फिल्मों को ही पसंद करते हैं। समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि 500 से अनधिक बैठने की क्षमता वाले छोटे-छोटे सिनेमाघर बनाये जायें। अनेक नौजवान ऐसे सिनेमाघर बनाना चाहेंगे, बशर्ते कि उन्हें रियायती दर पर बैंक से मिलने वाले वित्त सहित छोटे उद्योगों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें भी ऐसे सिनेमा बनाने के लिये दी जायें। इस सम्बन्ध में, मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में उद्योग मंत्रालय को अभ्यावेदन भेजे हैं। लेकिन प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच पुनः की जाये और सिनेमाघरों के निर्माण के कार्य को एक निर्धारित सीमा तक छोटे उद्योगों जैसा कार्य माना जाये।

मेरी मांग है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सभा में एक वक्तव्य दें।

(दो) मिर्जापुर, बनारस और इलाहाबाद जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के भूमिहीन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद में विन्ध्य पर्वत के दक्षिण के पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां समय से वर्षा न होने के कारण आंशिक सूखे की स्थिति है, खेतिहर मजदूरों, आदिवासियों, हरिजनों के लिए रोजगार का अभाव हो गया है। रोजगार न मिलने के कारण इन क्षेत्रों के कई हजार लोग जीविका की तलाश में

गांव छोड़कर दर-दर भटक रहे हैं। उनके लिए परिवार का भरण-पोषण कठिन हो गया है। मिर्जापुर में हलिया, लालगंज, मड़िहान, घोरावल, राबर्ट्सगंज, नगवा, चतरा, पोपन आदि ब्लाक, बनारस में चौगढ़ बरिया ब्लाक, इलाहाबाद में मांडा, कोरांव ब्लाक में तत्काल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बंधियों, नहरों, सड़कों, पुल-पुलियों, स्कूल भवनों आदि का निर्माण-कार्य तेजी से प्रारंभ कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे उक्त क्षेत्र के ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिल सके तथा साथ-साथ उपयोगी निर्माण-कार्य भी सम्पन्न हो सकें। अन्यथा उक्त क्षेत्रों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। आशा है सरकार कदम उठायेगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(तीन) वनस्पति घी के मूल्य में लगातार वृद्धि

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं :—

उपभोक्ता वस्तुओं में वनस्पति घी के मूल्यों में चिन्ताजनक वृद्धि होती जा रही है। इस समय मूल्य सूचक ग्राफ निरन्तर ही बढ़ रहा है। अभी हाल ही में 24 रु० प्रति टीन वृद्धि और हुई। इससे आम जनता के दैनिक प्रयोग में चिकनाई का स्थान रुखाई लेती जा रही है।

सरकार को आम उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए वनस्पति उद्योगों को चेतावनी देनी चाहिए कि वह मूल्यों में कमी लावें। आज स्थिति यह है कि आयातित तेल जो राज्य व्यापार निगम के द्वारा वनस्पति उद्योगों को वितरित किया जाता था अब कम हो गया है। इससे भी वनस्पति उद्योगों पर से सरकार का नियन्त्रण कम हुआ है। मूल्य वृद्धि का कारण जमाखोरी भी है। कई व्यक्ति कृत्रिम अभाव पैदा करने के लिए वनस्पति तेल को दबा लेते हैं। ऐसे जमाखोरों से सरकार शक्ति से निपटे। सरकार को खाद्य तेलों का बफर स्टाक भी बनाना चाहिए। अच्छी फसल होने पर तथा आयात करके जिससे अच्छी फसल न होने पर भी नियन्त्रण रखा जा सकता है। वितरण प्रणाली को भी पुनः सक्षम बनाने की आवश्यकता है ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

(चार) ईद-उल-जुहा से पूर्व हज-यात्रियों के सऊदी अरब में प्रवेश पर सऊदी सरकार द्वारा लगाई गई पाबन्दी

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : सऊदी अरब सरकार ने ईद-उल-जुहा से पहले हज तीर्थयात्रियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इससे विश्व भर के बहुत से मुसलमानों को, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, भावना को ठेस पहुंची है। इस्लाम में पैगम्बर की पवित्र भूमि में रमजान का एक महीना बिताना बहुत पवित्र माना जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता

हूं कि इस मामले को सऊदी अरब सरकार के साथ उठाकर उन्हें रमजान से पहले तीर्थ यात्रियों को प्रवेश देने के लिये राजी करे।

बहुत सारे मुसलमान रमजान से पहले वहां तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। यदि सऊदी अरब सरकार द्वारा लगायी गयी पाबंदी जारी रही तो वे वहां रमजान बिताने के लिए नहीं जा सकेंगे। इस बात की आशंका है कि हज तीर्थयात्रियों के पास थोड़ा समय होने के कारण उनकी संख्या बहुत कम होगी क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पहले की संख्या के बराबर तीर्थ यात्री सऊदी अरब नहीं भेजे जा सकते। अतः सरकार के लिये अधिक जहाजों का प्रबन्ध करना जरूरी होगा ताकि पहले के बराबर यात्री उधर जा सकें। इस समय हज तीर्थ यात्रियों के लिये केवल दो जहाजों का उपयोग किया जा रहा है। अब इसके लिये अधिक जहाजों की आवश्यकता होगी। समुद्री जहाजों के अलावा बहुत से यात्री हवाई सेवा द्वारा भेजने पड़ेंगे।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि हज तीर्थ यात्रियों की संख्या में सऊदी अरब सरकार द्वारा लगायी गयी पाबंदी के कारण कमी न आने पाये। पहले की संख्या के बराबर तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब भेजने के लिये आवश्यक व्यवस्था की जाये।

(पांच) भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के महाराष्ट्र राज्य को स्थानान्तरित किए गए इंजीनियरों की वरिष्ठता बनाये रखने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : श्रीमान, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को राज्यों में उनके द्वारा पहले धारण किए गए पद पर नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया था। दुर्भाग्य से भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के इंजीनियरों के मामले में, उन लोगों को जिनकी भूतपूर्व हैदराबाद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के रूप में भर्ती की गई थी, वरीयता तथा पदोन्नति से वंचित किया गया। इन इंजीनियरों ने भारतीय उच्चतम न्यायालय में 1968 की रिट याचिका संख्या 112-114 दायर की जिसमें 29 सितम्बर, 1968 को उनके पक्ष में निर्णय दिया गया। उच्चतम न्यायालय के उनके पक्ष में निर्णय के बावजूद इन इंजीनियरों को अपनी शिकायतें दूर कराने में सफलता नहीं मिली है।

केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देना चाहिए कि जिन इंजीनियरों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के कारण उनके राज्य में स्थानान्तरित किया गया है उनके साथ न्याय करें।

(छः) वर्ष 1982 में दशहरा तथा दीवाली की छुट्टियों की तिथियों में असंगति को समाप्त करने की आवश्यकता

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : कुछ क्षतिज तथा नक्षत्रों के असामान्य रूप से एक तरफ जमा होने से पैदा हुई अनिश्चितताओं पर वर्ष 1982 में रोचक चर्चा हुई। एक ऐसी

घटना ने विचित्र अनियमितता पैदा कर दी है। 19 वर्ष बाद तारों की स्थिति के कारण दशहरा और दीपावली की सही तारीखों के बारे में भारी विवाद उठ खड़ा हुआ है। केन्द्रीय सरकार पंचांग पत्र के अनुसार भारत सरकार ने 27 सितम्बर और 16 अक्तूबर को दशहरा और दीपावली के त्योहारों के लिए अवकाश घोषित किया है। यह बात भली प्रकार विदित है। कुछ वर्ष पूर्व भारतीय पंचांग सुधार समिति द्वारा तैयार किए गए भारतीय खगोलीय जंत्री को कोई नहीं मानता और न ही उसे सयाना और निरायना गणनाओं के मामले में मूलभूत मतभेदों के कारण सार्वजनिक मान्यता मिली है। इस मामले पर विवाद इस शताब्दी के प्रारम्भ से 70 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है। यह विवाद लोकमान्य तिलक के समय भी विद्यमान था जिन्होंने तिलक पंचांग को लोकप्रिय बनाने की चेष्टा की है।

पिछले वर्ष अहमदाबाद में देश भर के 200 से अधिक प्रसिद्ध ज्योतिषियों, शंकराचार्यों के प्रतिनिधियों, धर्म-शास्त्रियों और पंडितों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि 27 अक्तूबर और 15 नवम्बर दशहरा तथा दीपावली पर्वों के लिए सही तारीखें हैं। वेद-शाला संगठन के तत्वाधान में अहमदाबाद में अखिल भारतीय ज्योतिषियों और पंडितों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय को गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने स्वीकार कर लिया है।

इसलिए यदि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती तथा इन त्योहारों की तारीखों को बदलती नहीं तो दिल्ली तथा कुछ उत्तरी राज्य दशहरा और दीपावली भिन्न-2 तारीखों को मनायेंगे तथा देश में दो दशहरा तथा दो दीपावली मनाये जायेंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले का समाधान यथा संभव शीघ्र किया जाये तथा असमानता को दूर किया जाये। यह निर्णय धर्म-शास्त्रीय विचारों के अनुरूप होना चाहिए तथा इसे नक्षत्रीय गणना प्रणाली के अन्तर्गत न लिया जाए क्योंकि यह सही हो अथवा गलत इसे आम जनता, ज्योतिषयों, शकराचार्यों तथा धर्म शास्त्रियों का समर्थन प्राप्त नहीं है। इस बारे में संसद में सरकार के निर्णय की शीघ्र घोषणा किया जाना आवश्यक है।

(सात) **डेरी बोर्ड और डेरी निगम का पुनर्गठन करने की आवश्यकता**

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : पिछले तीन वर्षों में एक तरफा विकास तथा डेरी विकास परियोजनाओं के बारे में गम्भीर बातों का पता चला है। भारी मात्रा में धन के दूसरे कामों में लगाये जाने के बहुत से समाचार मिले हैं जिससे देश में दुग्ध उत्पादन को भारी धक्का लगा है। डेरी उपकरणों का भारी मात्रा में आयात भी किया गया है। श्वेत-क्रान्ति-एक के अन्तर्गत एक राज्य गुजरात को 21 करोड़ रुपये दिये गये हैं जबकि चार महत्वपूर्ण राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को मिला कर लगभग 20 करोड़ रुपए दिये गये हैं। इसके बावजूद गुजरात में दुग्ध उत्पादन में पूर्ण विफलता हुई है। श्वेत क्रान्ति-दो योजना के अन्तर्गत इस असमानता में और वृद्धि हो रही है क्योंकि सरकार इन क्रिया-कलापों को रोकने में विफल रही है। इस कारण डेरी बोर्ड तथा डेरी निगम का पूरी तरह पुनर्गठन किया जाना

चाहिए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। अतः सरकार को स्थिति को सुधारने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

(आठ) महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोआ में चलने वाले मछली पकड़ने के छोटे जलपोतों के लिए डीजल पर उत्पाद शुल्क में छूट की आवश्यकता

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोआ के मछुए सरकार के समक्ष अपनी शिकायतें रखने के लिए दिल्ली आये हैं। प्रधान मंत्री ने उनसे मिलकर उनका ज्ञापन लेना स्वीकार कर लिया है। इससे पूर्व मछुए कृषि मंत्री को अपनी शिकायतें बता चुके हैं।

उन्होंने डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने से डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि से मछली पकड़ने के कार्यों में होने वाली कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया है कि बड़े-बड़े ट्रालरों के मामलों में, जिनमें 150 अश्व शक्ति की क्षमता के इन्जन लगे हैं, केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना के आधार पर डीजल पर उत्पादन शुल्क की पूरी छूट दी गई है जबकि कम अश्व शक्ति वाली यंत्रीकृत नौकाओं वाले गरीब मछुओं को ऐसी छूट नहीं दी गई है। मछुओं ने मांग की है कि उन्हें भी शुल्क से छूट तथा पर्याप्त राज-सहायता दी जानी चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार मछुओं की वैध मांगों पर एक वक्तव्य दे।

श्री रबीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन उठाये गये इस मामले में चाहता हूं कि आप हस्तक्षेप करें। आम तौर पर सरकार कार्यवाही करने में काफी समय लेती है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप सरकार को लिखें तथा उन्हें अपनी बात बतायें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : परन्तु यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है जिसका प्रभाव गरीब मछुओं के जीवन, काम और आय पर पड़ता है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार से शीघ्र तथा अनुकूल कार्यवाही करने के लिए कहें।

(नौ) किसानों को गुड़ के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एतद द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन 'गुड़' की कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस वर्ष अप्रत्याशित रूप से गुड़ की कीमतें गिर रही हैं, जिससे सामान्य किसानों, विशेषकर छोटे किसानों की दशा बड़ी चिन्ताजनक हो गई है। गुड़ ऐसा उत्पादन है, जिससे छोटे किसान कुछ नकदी आय कर लेते हैं लेकिन इस वर्ष सारा गुड़-गोबर हो रहा है। पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है कि देश की उन्नति किसानों की उन्नति से सम्बद्ध है। सम्भवतः

सरकार इस गलत धारणा को विस्मृत नहीं कर पा रही है कि कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत मिलने से बड़े किसानों को ही लाभ होता है। छोटा किसान उत्पादन-प्राप्त होने के तत्काल पश्चात उसे विक्रय कर देता है जबकि बड़े किसान कुछ समय तक प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा समर्थित तथा लाभकारी मूल्य से छोटे किसानों को लाभ मिल जाता है। उन अधिकांश क्षेत्रों में, जहां चीनी मिलें नहीं हैं, किसान गन्ना उत्पादन करके गुड़ बनाते हैं। सरकार की कोई गुड़ नीति न होने के कारण तथा गुड़ मूल्य की उपेक्षा के कारण किसानों की गाढ़ी कमाई की लूट हो रही है और उनकी अपनी परिस्थितियों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है।

इस वर्ष गुड़ का मूल्य इस समय बहुत गिर गया है तथा दिन प्रति-दिन गिरता जा रहा है। कहीं-कहीं पर एक रुपया किलोग्राम की दर से बिकने की स्थिति में आ गया है। यदि सरकार तत्काल इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं करती और किसानों के हित में मूल्यों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में आवश्यक सुधार एवं हस्तक्षेप नहीं करती तो किसानों की स्थिति अधिक दयनीय हो जायेगी। गुड़ को गन्ना अनुत्पादक तथा उपभोक्ता क्षेत्रों में ले जाने के लिए आवश्यक परिवहन एवं रेल वैगनों की व्यवस्था, कृत्रिम अधिक-आपूर्ति तथा कम मांग, बैंक अग्रिम आदि कठिनाइयों के निराकरण का प्रयास सरकार द्वारा होना चाहिए।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से साग्रह अनुरोध करूंगा कि वे गुड़ उत्पादकों की समस्याओं की ओर तत्काल गंभीरता पूर्वक ध्यान दें और उन्हें गुड़ का समुचित लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में आवश्यक प्रयास करें।

बजट (रेल) 1982-83 सामान्य चर्चा—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रेल बजट पर आगे चर्चा करते हैं। श्री जमीलुर्रहमान, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं। आप अपने भाषण के लिए चार मिनट और ले सकते हैं। छह मिनट आप पहले ले चुके हैं।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : महोदय, मेरा सम्बन्ध अति पिछड़े क्षेत्र से है।

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक का संबंध है।

श्री जमीलुर्रहमान : मुहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, कल तिनसुखिया मेल के बारे में कह रहा था। उसकी हालत बड़ी रद्दी है और उसमें कुछ सुधार आना चाहिए। अगर आप को इत्तिफाक से उस गाड़ी में चलने का मौका मिले, तो आप को बाथरूम में जाने में बड़ी कठिनाई होगी। उस गाड़ी में बैठने से आप को पता चलेगा कि उसमें कितनी कठिनाई होती है। इसी तरह से बरौनी से जोगबनी वाली जो ट्रेन है और चाहे वह प्रयाग वाली ट्रेन हो या दूसरी कोई ट्रेन हो, उनकी हालत बहुत खराब है और उसमें अगर आप कुछ सुधार करेंगे तो अच्छी बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रहमान, आप अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करें। यदि सभी सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो मंत्री महोदय स्वीकारात्मक अथवा अस्वीकारात्मक उत्तर दे सकेंगे। आप पूरे भारत के बारे में न बोलें। केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ही बोलें।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं जनरल बातों के बारे में बोलूंगा। 2 मिनट इसमें खत्म हो गये हैं. इसलिए 2 मिनट का मुझे और समय दीजिए।

जी० आर० पी० वगैरह के बारे में बातें हो चुकी हैं। जो एक्सीडेंट्स की बात कही गई है, वह ठीक है और मैं भी मानता हूं कि एक्सीडेंट्स हुए हैं लेकिन इनके पीछे कई रीजन्स हैं।

पहला तो यह है कि मेन्टीनेन्स आफ ट्रैक्ट और मेन्टीनेन्स आफ कोचेज जो होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। मेन्टीनेन्स आफ ट्रैक्ट और कोचेज में खराबी यह आ गयी है कि जहां पर गुड्स ट्रेन में 50 टन सामान लोड करते थे, उस को अब बढ़ाकर 55 टन कर दिया गया है। ऐसा करने से डिब्बे भी खराब हुए हैं और ट्रैक्ट का भी नुकसान हुआ है। यह ठीक है कि ऐसा करने से लोडिंग के फीगर्स बढ़ गये हैं लेकिन ट्रैक्स का कितना नुकसान हुआ है और डिब्बों का कितना नुकसान हुआ है, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि वर्कशाप की मेन्टीनेन्स अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जिस से ट्रैक्ट पर गाड़ी ठीक से चलें।

एक मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जहां और बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं वहां आप सारी रेलवेज का एक ही आल इंडिया सर्विस कमीशन बनाइये। आपके आई० ए० एस. आई. पी. एस और आई. एफ. एस. का एक ही कमीशन है फिर आपका एक कमीशन क्यों नहीं हो सकता। आप क्लास वन, क्लास टू और थ्री सभी का एक ही रेलवे सर्विस कमीशन बनाइये। अब क्या होता है कि आपके जो अलग-अलग रेलवे सर्विस कमीशन हैं, असम रेलवे सर्विस कमीशन हैं वे सब अपने-अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं। इसमें करप्शन का हंगामा जो है वह तो होता ही, वह किसी से छिपी बात नहीं है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक आल इंडिया सर्विस कमीशन बनाइये ताकि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो।

अलाटमेंट आफ वेगंस के बारे में अखबारों में काफी आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस पर कड़ी निगाह रखें। छोटे ट्रेडर को वेगन्स मिलने चाहिए, बड़े-बड़े ट्रेडर्स तो वेगंस ले जा ही रहे हैं। आप छोटे-छोटे ट्रेडर्स को अलाटमेंट आफ वेगंस ज्यादा करें ताकि उनका रोजगार और धंधा आगे चले।

आपके जोन्स में वर्क लोड बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जोंस को बढ़ाइये। इससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन एफीशियेन्ट होगा। आप बरौनी, जोगबनी, कटिहार,

सिलीगुडी और सहर्षा को मिलाकर एक जोन बनाइये। इससे उस पिछड़े इलाके में काम और अच्छा होगा और वह काफी आगे बढ़ेगा।

पीछे बुरे दिन हम लोगों ने भी देखे हैं और रेलवे के वर्कर्स ने भी देखे हैं। जब रेलवे में स्ट्राइक हुई थी तो आपके जो वर्कर्स लोयल थे उन वर्कर्स का विक्टिमाइजेशन हो रहा है। यह विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपके कटिहार, किशनगंज और सिलीगुडी पर वर्कस का विक्टिमाइजेशन सबसे ज्यादा है। मेहरबानी करके इस पर गौर फरमाइये।

ब्रिटिश टाइम में अगर किसी को सजा देनी होती थी तो उसको कालेपानी भेज दिया जाता था। आजकल आपके रेलवे में भी अगर किसी को सजा देनी होती है तो उस अफसर को एन० एफ० जोन में भेज दिया जाता है। आपके कटिहार और सिलीगुडी बहुत इम्पोर्ट जंकशंस हैं। वहां पर आप अच्छे अफसरों को भेजिये। आप इस बात की भी इंक्वायरी कराइये कि वहां एक-एक अफसर लखपति और न जाने क्या-क्या हो गया है। इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए।

आप सी० आर० पी० और आर० पी० एफ० एक्ट में तब्दीली कीजिए। आप ला एण्ड आर्डर के लिए सी० आर० पी० पर भरोसा किये हुए हैं। सी० आर० पी० आपके नियंत्रण में नहीं है। आप आर० पी० एफ० एक्ट में तब्दीली करके उसमें एक ला एण्ड आर्डर विंग बनाइये और एक इन्वेस्टीगेशन विंग बनाइये। इस तरह से आपकी रेलों का काम बहुत अच्छी तरह से चलेगा।

मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। आप क्यों नहीं लोन फ्लोट करते हैं। प्लानिंग कमीशन में तो बहुत बुरा हाल है। वहां लोग एयर कंडीशण्ड कमरों में बैठते हैं। उनको मालूम नहीं कि बेकवर्ड स्टेट्स की क्या हालत है, उनके गरीब लोगों की क्या हालत है। आप लोन फ्लोट कीजिए जिस तरह से दूसरे लोग फ्लोट करते हैं। आपके पास भी पैसा आयेगा और उसे आप रेलवे के डवलपमेंट में लगाइये। आपको भी उस पर इन्ट्रेस्ट देना होगा जैसा कि दूसरे देते हैं। इस मामले पर भी आप गौर कीजिए यह मेरी गुजारिश है।

आपके एक अफसर के बारे में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उस अफसर के हक में फैसला दिया। आपके रेलवे के अफसर इस फैसले के अमल के बारे में डिवाइडिड हैं। बजाय इसके कि हाई कोर्ट के जस्टिश के फैलने पर अमल किया जाए आप एक पब्लिक लिटिगेंट की तरह लड़ने जाते हैं।

आप न लड़िये। किससे लड़ेंगे? अपने एंप्लाई से लड़ेंगे? आपने सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा कर दिया है, यह नाइंसाफी है। मैं गुजारिश करूंगा कि इस मुकदमे को वापिस लीजिए और हाई-कोर्ट के फैसले को अमल में लाइए और उनका ड्यू शेयर दीजिए।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि आप भी बहुत ट्रायल-पीरियड से गुजरे हैं, मामला मुसलमानों की बहाली का है। वर्ष 1971 से 1977 तक सदन में बहुत बातें आई हैं। उस वक्त

मरहूम ललित बाबू ने कहा था कि मैं जोनल वाइज कमेटी बनाऊंगा और जो मुसलमानों की हकतलफी हो रही है उसको दूर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं हर 6 महीने में रिपोर्ट रखूंगा। अब मेहरबानी करके इस बारे में कुछ कीजिए। हमारी नेता का सेक्युलरिज्म में विश्वास है। वे चाहती हैं कि हरिजन, आदिवासियों, कमजोर वर्ग के लोगों, मुसलमानों आदि सबका भला हो। मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूं कि आप बताइए कि क्लास-वन में कितने मुसलमान अफसर हैं, क्लास-टू में कितने मुसलमान अफसर हैं, क्लास-थ्री में कितने मुसलमान हैं ? इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसी फीलिंग न हो कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम सारे लोग देश की बैक-बोन हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप खुले जहन के आदमी हैं, 1971 से मैं आपको जानता हूं। आपकी कड़ी निगाह इस ओर जानी चाहिए। आप देखिए कि हरिजनों, आदिवाशियों, बैकवर्ड लोगों और मुसलमानों को उनके हक मिलने चाहिएं।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जोगबनी, जो कि नेपाल बार्डर पर इंटरनेशनल लाइन है, इंटरनेशनल स्टेशन है, वहां से कटिहार 103 किलोमीटर है। मोहतरम त्रिपाठी जी के समय मैंने यह सवाल उठाया था और उनकी बहुत मेहरबानी हुई थी। उन्होंने डी० एस० ओ० श्रीवास्तव को आर्डर दिया कि सर्वे कराओ कि क्या हो सकता है। उस समय इस लाइन के कन्वर्शन पर 7 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। उसके बाद श्री पांडे जी तशरीफ लाए। अब सुना है कि 15-16 करोड़ का खर्चा है। इस कार्य के हो जाने से पिलफरेज रुक जाएगी और लोगों में मेलजोल बढ़ेगा, लोग एक-दूसरे के खयालात को समझ सकेंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इससे 3 करोड़ 8 लाख की आपको इनकम होती है और 4-5 लाख रुपया आप इसके मेंटिनेंस पर कुल खर्च करते हैं। वायेबल लाइन है और इंटरनेशनल बार्डर का सवाल है। मैं एक बात और कह दूं कि यह लाइफ लाइन है। डिफेंस के परपज से इसका ब्राडगेज होना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका सर्वे नहीं रोका होगा, यदि गल्ती से रोक दिया गया है तो मैं पुरजोर अपील करता हूं कि इसका सर्वे कराकर कटिहार से जोगबनी को जोड़िए।

लास्ट बट नाट दी लीस्ट, मैं अपनी कांस्टीट्युऐंसी पर आता हूं। किशनगंज बहुत पुराना है, आप देख लीजिए। अभी भारत-बंद के दिन मैं वहां पर मौजूद था और पार्टी के आदेश से एक हफ्ते से वहां पर कयाम किये हुए था। वहां कुछ लोग केटेगरीवाइज यूनियन बनाए हुए हैं। पहले से बात चल रही है कि वन इंडस्ट्री-वन यूनियन। आप इसे लागू कीजिए। इससे आपकी परेशानी भी कम होगी। हम लोग कम्मिटेड हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। कैटेगरीवाइज यूनियन होनी चाहिएं। हम, हमारी पार्टी और हमारे नेता गरीबों की खिदमत करने के लिए कमिटेड हैं। वहां कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं, कुछ आफिसर्स हैं कटिहार में जो लायल वर्कर्ज को तंग कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं। सिर्फ वही लोग हैं जो पूरे असम को गाड़ियां ले जाते हैं। वहां मैं गाड़ियों को रोक दूं तो सारा असम कट आफ हो जाएगा। कितने ही अर्से से असम में हंगामा हो रहा है। असम को हम सारी चीजें दे रहे हैं। असम मुल्क का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि वहां चीजें हम दें।

लेकिन नाट एट दी कास्ट आफ किशनगंज, नाट एट दी कास्ट आफ बिहार ऐसा नहीं होना चाहिये । इस चीज को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है । आप किशनगंज की जो दुर्गति हो रही है उसको देखें । लायल वर्कर्ज का वहां विक्टिमाइजेशन हो रहा है । अगर ऐसा होता रहा तो मैं कहे देता हूं कि कम से कम मैं एक अदना सा वहां का नुमाइंदा इस चीज को बरदाश्त नहीं करूंगा । अफसरों को वहां मनमानी नहीं करने दूंगा । लायल वर्कर्ज जिन्होंने गाड़ी के चक्के को जाम नहीं होने दिया, उसको चलाए रखा, अपनी जान पर खेलकर भी गाड़ियों को चालू रखा, उनका अगर विक्टिमाइजेशन होगा तो मैं इसको बरदाश्त करने वाला नहीं हूं । मैं यह भी जानता हूं कि आप भी इसको बरदाश्त नहीं करेंगे, कोई साथी हमारा इसको बरदाश्त नहीं कर सकता है ।

रेल मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह निहायत मुनासिब है । उनको कुछ और पैसा मिलना चाहिये । प्लानिंग कमिशन जो ठंडे कमरों में बैठ कर कटौतियां कर देती है, इसको हम बरदाश्त नहीं करेंगे । मैं सजैशन देता हूं कि आप पैसा लेने का कोई तरीका निकालिये । लोन फ्लोट कराइये । आपको सौ, दो सौ, तीन सौ करोड़ मिल सकता है । इससे रेलों की बढ़ोतरी होगी । रेलवे बोर्ड के लोग अच्छा काम कर रहे हैं । उनको गालियां देने से काम नहीं चलेगा । उनको हिम्मत से काम करना चाहिये । उनकी हिम्मत बढ़ाई जानी चाहिये । उनमें कोई त्रुटि है कमी है तो हम बन्द कमरे में बैठ कर उस कमी को उनको बता सकते हैं । सारा रेलवे बोर्ड खराब है, ऐसी बात नहीं है । जो खराब काम कर रहे हैं उनको हम बरदाश्त नहीं करेंगे । अगर सभी खराब होते तो इतना गुड्ज ट्रैफिक कैसे बढ़ता, इतनी इनकम कैसे बढ़ती । एंटी सोशल लोगों के लिए ये लोग जरूर खराब हैं । जो चक्का जाम करना चाहते हैं उनके साथ इनको और ज्यादा सख्त होना चाहिये । पूरी कौम और मुल्क के साथ किसी को मजाक करने नहीं दिया जा सकता है । इसका हमने निश्चय कर लिया है, इसका हमने फैसला कर लिया है ।

मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया है । इस बजट की मैं पुरजोर ताईद करता हूं । मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के एम्प्लायमेंट के मसले को आप गम्भीरतापूर्वक लें, उस पर सोचें ।

श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामा राव (राजामुंदरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री श्री सेठी, उनके मंत्रालय के अन्य सहयोगियों तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को इस वर्ष अच्छा रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं । अपने बजट भाषण में मंत्री महोदय ने कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही हैं । उन्होंने भूलों और कमियों को स्वीकार किया है तथा यह भी बताया है कि वह वास्तव में कितना कार्य कर पायेंगे । वास्तव में उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट बात कही है । इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । अपने तरीके से मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

पृष्ठ 2 पर उन्होंने यात्री सेवाओं का उल्लेख किया है । निस्संदेह यात्री सेवा कुछ सीमा तक ठीक है, परन्तु पूरी तरह नहीं । यात्रियों को दी जाने वाली सेवा अवश्य ही उच्च स्तर की होनी चाहिए तथा यात्रा करने वाली जनता को संतोष होना चाहिए । जैसी कि आज

स्थिति है, रेल यात्रा में भारी जोखिम है। एक समय लोग विमान यात्रा से डरते थे क्योंकि विमान किसी भी समय गिर सकता था। परन्तु आज स्थिति भिन्न है। आज लोग रेल यात्रा से भयभीत हैं क्योंकि रेल पटरी से उतर सकती है जिससे मृत्यु हो सकती है अथवा रेलों में डाका पड़ सकता है इत्यादि। अतः इन दोनों पहलुओं पर भली प्रकार ध्यान दिया जाना चाहिए। वास्तव में इसके लिए मैं रेल मंत्री को दोष नहीं देता। इन्जन तथा डिब्बे आदि सभी पुराने पड़ गये हैं। जब तक इनको बदला नहीं जाता है या उनकी मरम्मत नहीं की जाती है, अथवा उन्हें अद्यतन नहीं बनाया जाता है, तब तक स्थिति से निपटना रेलवे के लिए असम्भव है।

रेलवे सुरक्षा बल को भी उतनी ही शक्तियां दी जानी चाहियें जितनी कि राज्य पुलिस के पास हैं। राज्य सरकार की पुलिस से यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखने की आशा की जाती है, परन्तु मेरे विचार से वे इतना ध्यान दे नहीं रहे हैं। यदि रेलवे सुरक्षा बल को अधिक शक्तियां दी जाएं तो सम्भवतया वे और अधिक अच्छे ढंग से यात्रियों की सुरक्षा कर सकते है। यदि आवश्यक हो तो अधिनियम बनाया जाए और उनको अधिक शक्तियां दी जाएं।

यह सच है कि गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ होती है। परन्तु उससे तब तक छुटकारा नहीं पाया जा सकता है जब तक कि आप और गाड़ियां नहीं चलाते हैं। यदि आप अधिक रेल गाड़ियां चला भी दें तो भी जब तक प्लेटफार्मों को सुधार कर उन्हें अद्यतन रूप नहीं दिया जाता है तब तक और अधिक लम्बे मार्ग की गाड़ियां चलाना मुश्किल होगा।

अभी भी लम्बी दूरी की और तीव्र गति से चलने वाली रेल गाड़ियां हैं, परन्तु वे नाम की ही हैं, क्योंकि वे कभी भी समय पर मंजिल पर नहीं पहुंच पाती हैं। आपातकाल के दौरान जिस समयनिष्ठा का पूर्णतया पालन किया जाता था, अब कहीं दिखाई ही नहीं देता है। सच तो यह है कि गाड़ियां कभी-कभार ही देरी से पहुंचती थीं और गाड़ियों में यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती थी। आज न केवल गाड़ियों में असुरक्षा है; परन्तु वे बड़ी देर से भी चलती हैं जो कि मिनटों की नहीं घन्टों की होती है। तमिलनाडु एक्सप्रेस, के. के. एक्सप्रेस, आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस, गोदावरी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां भी अपनी मंजिल पर एक घंन्टे से कम देरी से नहीं पहुंचती हैं। यदि आप एक मास के आंकड़े एकत्र करें तो आप पायेंगे कि एक महीने में मुश्किल से ही ये गाड़ियां कुछ ही दिन समय पर अपने गन्तव्य स्थल पर पहुंच पाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दुर्घटनाओं से तो अच्छा है कि देरी से ही पहुंचा जाए।

श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामा राव : वह तो ठीक है। लेकिन वह उनकी गलती से तो नहीं होतीं। वित्त मन्त्रालय को रेलवे के सहायतार्थ आगे आना चाहिए। योजना आयोग को भी और अधिक उदार तथा दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनना चाहिये क्योंकि पुरानी रेल-गाड़ियां अधिक वैगनस या डब्बे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देंगे।

इसके बाद मैं मन्त्री महोदय का ध्यान खान-पान सेवा की ओर दिलाना चाहता हूं। रेलवे की भोजन व्यवस्था अच्छी नहीं है। दूसरे कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों में यह व्यवस्था बहुत ही खराब है। मुझे आशा है कि वे इसका और अच्छा ध्यान रखेंगे। जनता को इस बात की परवाह नहीं होती है कि आया खान-पान सेवा निजी ठेकेदार के हाथ में है या स्वयं रेलवे के। परन्तु जनता यह चाहती है कि उन्हें अच्छा खाना मिलना चाहिये।

'1982 उत्पादन-वृद्धि वर्ष' घोषित किया गया है। कारखानों और उद्योगों को अधिकाधिक उत्पादन बढ़ाना चाहिये, परन्तु उत्पादन बढ़ता भी है तो जब तक उसे गन्तव्य स्थल तक नहीं पहुंचाया जाता है जो कि अधिकांशतः रेलवे करती है, तब तक उससे कोई लाभ नहीं होगा। अतः जब तक माल को गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या में वैगन नहीं और समय पर माल नहीं पहुंचेगा, कारखानों में अधिक उत्पादन करने से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। अतः मेरा निवेदन है कि उत्पादन-वृद्धि वर्ष में, अधिक वैगन दिये जाएं और वे भी समय पर। उदाहरणस्वरूप, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्यात होगा और उन्हें बन्दरगाहों तक ले जाना पड़ेगा। जब तक वैगन ठीक समय पर नहीं मिलते हैं और माल को बन्दरगाहों तक समय पर नहीं भेज दिया जाता है जलयान अनिश्चित काल तो वहां पर प्रतीक्षा कर नहीं सकते हैं और उससे उत्पादन-वृद्धि वर्ष का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

अब मैं अपने ही चुनाव क्षेत्र राजमुन्द्री की बात करता हूं जो कि एक महत्वपूर्ण व्यापार-केन्द्र है। इस स्टेशन का निर्माण एक सदी से भी अधिक समय पहले हुआ था या कम से कम 60 वर्ष पूर्व और आज तक यह उसी स्थिति में है। कम से कम गत चार वर्षों से तो मैं प्रति वर्ष यह मांग करता आ रहा हूं कि इस स्टेशन को सुधारा जाए। क्योंकि प्रत्येक यात्री गाड़ी में यात्री डिब्बे बढ़ाये जाने की आम मांग है, अधिकांश महत्वपूर्ण गाड़ियों में कई-कई यात्री डिब्बे होते हैं। ऐसी ही एक यात्री रेलगाड़ी है गोदावरी एक्सप्रेस। इसका परिणाम यह निकला है कि सारी गाड़ी को स्थान देने में यह प्लेटफार्म अपर्याप्त है और कुछ यात्री डिब्बे प्लेटफार्म से बाहर ही रहते हैं। यात्रा करने वाली जनता के लिए यह बड़ी ही असुविधाजनक स्थिति है, विशेषकर बरसात के मौसम में चूंकि केवल एक तिहाई या एक-चौथाई प्लेटफार्म ही ढकाई में आता है, अतः गाड़ी में बैठने से पूर्व यात्री पूरी तरह भीग जाते हैं। मैं स्वयं भी कई बार भीग चुका हूं क्योंकि, आरक्षित डिब्बा अन्त में जुड़ा होता है। गाड़ी में चढ़ने के बाद मुझे अपनी पोशाक बदलनी पड़ती थी। यद्यपि यह मांग मैं लगातार करता आ रहा हूं कि पूरे प्लेटफार्म पर छत लगाई जाये, परन्तु अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है।

मैं यह अनुभव करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जितना कि दिया जाना चाहिये था उदाहरणस्वरूप, राजमुन्द्री स्टेशन से तीन-चौथाई जिला लाभ उठाता है। राजमुन्द्री तालुक को छोड़कर, रामचन्द्रपुरम, अमालापुरम, राजोल, कोठापेटा, कोरूकुण्डा और मम्मीडीवारम भी इसके अन्तर्गत ही पड़ते हैं। इन सभी स्थानों से यात्री आकर राजमुन्द्री स्टेशन से ही गाड़ी पकड़ते हैं। जब तक मद्रास-हावड़ा मेल और हावड़ा-मद्रास मेल तथा गोदावरी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियों में पर्याप्त मात्रा में स्थान उपलब्ध नहीं होते हैं,

राजमुन्द्री जैसे मध्यवर्ती स्टेशनों पर गाड़ी पकड़ना यात्रियों के लिए मुश्किल हो जायेगा। अतः मेरा निवेदन है कि राजमुन्द्री से महत्वपूर्ण गाड़ियों में और अधिक स्थान प्रदान किया जाना चाहिये जिससे कि यात्रा करने वाली जनता को अधिक असुविधा न हो।

कुछ वर्ष पूर्व जबकि श्री बूटासिह रेल मन्त्रालय में थे, मेरे कहने पर उन्होंने हावड़ा-मेल में दो सीटें बढ़ाई थीं। जब तक सीटों की संख्या में और वृद्धि नहीं की जाती, हम 15 दिन या उससे अधिक पूर्व सूचना देते हैं तो भी हमें महत्वपूर्ण गाड़ियों में स्थान नहीं मिलता इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं कहूंगा कि राजमुन्द्री स्टेशन की ओर रेल मन्त्रालय को अधिक ध्यान देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि इस पहलू पर विचार किया जायेगा और इस स्टेशन से यात्रियों को अधिक सुविधा दी जायेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : महोदय, जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है भारत सरकार की नीतियों में कई परिवर्तन आए हैं। पहली बात तो यह है कि सार्वजनिक उपयोगी सेवा को तिलांजलि देकर वाणिज्यिक उपक्रम वित्तीय प्रणाली को थोपा जा रहा है। सरकार विश्व-बैंक के समक्ष झुक गई है और उनके दबाव में आ गई है। रेल मन्त्री महोदय श्री केदार पाण्डेय ने यह तथ्य उस समय स्वीकार किया था जब वह रेलवे की अनुदानों की पूरक मांगों पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। भारत में पूंजीवादी योजना की यह घोर असफलता है।

इस प्रक्रिया में, मालभाड़ा-मूलक मनोविज्ञान लागू किया गया है. जिसमें यात्रियों और मालभाड़ा-यातायात दोनों की ही परिकल्पना को पीछे छोड़ दिया गया है। इसका परिणाम यह निकला है कि एक ओर तो गाड़ियां देरी में पहुंच रही हैं और उनमें बहुत भीड़ होती है, जिनमें तथा कथित प्रतिष्ठाजनक सवारी गाड़ियां भी हैं और दूसरी ओर दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। आगरा में, दक्षिण-एक्सप्रैस की हुई दुर्घटना के लिए चालक को दोषी हर किसी ने ठहराया था। दुर्भाग्य से वह जीवित नहीं बचा और वह अपना बचाव नहीं कर सकता है। परन्तु क्या रेलवे मन्त्री महोदय इस बात का उत्तर देंगे कि जब एक 'सुपरफास्ट ट्रेन' विलम्ब से पहुंच रही थी और उसके लिए लाइन-क्लीयर पहले ही दे दी गई थी तो उसके आते हुए मालगाड़ी को बाहर आने की अनुमति कैसे दे दी गई? क्या यह 'मालभाड़ा-मूलक मनोविज्ञान' का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? यह बताया गया है कि रेलवे-बोर्ड के चैयरमैन श्री गुजराल वहां आगरे में उपस्थित थे, और प्रत्येक कर्मचारी को यही शिकायत थी कि इसमें महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम का उल्लंघन हुआ है। ससाचार-पत्रों में कुहरे की भी बात कही गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुहरे का सिग्नल दिया गया था या नहीं? क्या यह आम प्रथा नहीं है कि सुपर-फास्ट ट्रेन को तभी लाइन क्लीयर सिगनल दिया जाए जबकि स्टेशन उसके लेने के लिए तैयार हो, मेरे विचार से यदि चालक खतरे के सिगनल से भी आगे निकल गया था तो भी उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि मालगाड़ी को दिए गये सिगनल को गलती से उसने अपने लिए सिगनल समझ लिया होगा क्योंकि उसने समझा होगा वह एक सुपरफास्ट ट्रेन चला रहा है जो कि देरी से चल रही है और उसे आवश्यक-लाइन क्लीयर दे दी गई है।

इस दुर्घटना के बारे में मेरा अन्तिम प्रश्न यह है, जब दुर्घटना हुई थी तो चालक को काम करते कितना समय हो गया था ?

हर कोई यह जानता है कि 1967 से लोको रनिंग स्टाफ कार्य-घण्टों में कमी की मांग करता आ रहा है। आई० एल० ओ० ने भी इसकी सिफारिश की थी। अन्तर्देशीय परिवहन समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी और लोको-रनिंग स्टाफ ने एक आन्दोलन भी चलाया था। आन्दोलन चलने पर एक बार नहीं, दो बार, 1973 में यह समझौता हुआ था, जो कि लोक सभा की कार्यवाही का भी एक भाग है एक 13 अगस्त, 1973 को हुआ था और दूसरा 30 नवम्बर, 1973 को। एक बार फिर 1973 में ही एक और समझौता किया गया था अर्थात् 23 दिसम्बर, 1973 को। इन सभी समझौतों का उल्लंघन, किया गया। एक बार फिर 23 मार्च, 1979 को एक और समझौता किया गया परन्तु 3-4-1981 को जारी किये गये एक परिपत्र द्वारा सरकार इन पूर्ववर्ती सभी समझौतों से मुकर गई।

लोको-रनिंग स्टाफ एसोसियेसन ने यह शिकायत की है कि 'रोजगार के घण्टे विनियम' एक भेदमूलक संविधि है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौता संख्या-1 का उल्लंघन होता है जिसका सरकार ने अनुसमर्थन किया है और रेल कर्मचारियों को छोड़कर सभी औद्योगिक कामगारों के मामले में इसे कार्यान्वित किया गया है। इस्पात, कोयला, ऊर्जा आदि जैसे बहुत से उद्योगों में निरन्तर प्रक्रिया जारी है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि ऐसे विनाशकारी परिणामों के साथ रेलवे कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अलीपुर दूर जंक्शन के चालक देवनाथ का क्या हुआ जिसे लगातार 41 घण्टे तक कार्य करने के लिए बाध्य किया गया और जो गौहाटी पहुंचने पर इंजिन से उतरते समय गिर पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसे जीवन भर तक के लिए अधरंग ने दबोच लिया और वह अभी भी कष्ट भोग रहा है।

रेलवे बोर्ड के चैयरमैन श्री गुजराल ने मद्रास में हुई एक बैठक में, एक अन्य मामले में स्वयं यह स्वीकार किया कि एक दुर्घटना में चालक लगातार 40 घन्टे तक काम करता रहा। 3-4-1981 के परिपत्र का परिणाम सह है कि यह वस्तुस्थिति बनी हुई है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारारेल-प्रशासन की बार-बार ताड़ना के बावजूद, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप माल यातायात की गति को बनाए रखने के लिए, बन्धन टूटे हुए बैगनों का प्रायः पता लग जाने के पश्चात् भी उन्हें मालगाड़ी से अलग नहीं किया जाता है।

मैं दक्षिणी मंडल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी किये गये एक पत्र में से उद्धृत करना चाहूंगा।

जैसा कि मेरे पिछले वर्ष के भाषण में कहा गया था, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और इसी के कारण दुर्घटनायें हो रही हैं।

श्री बी० पी० शास्त्री ने दक्षिणी रेलवे के महा प्रबन्धक, मद्रास को लिखे गये अपने पत्र में कहा है :—

"दूसरी दुर्घटना भी, जिसकी रिपोर्ट आपके कार्यालय पत्र में की गयी है, एक सीधी मालगाड़ी से सम्बन्धित है। जलारपेटाई में एक दूसरी गाड़ी को पार कराते समय यह गाड़ी कुछ डिब्बों के साथ पाई गई जिनके स्प्रिंग टूटे हुए थे। यह गाड़ी आगे चलती गई और निरीक्षण कर्मचारियों का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं गया। पालघाट प्रभाग में दानिशपेट के स्थान पर यह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिससे अनुमानतः 8.59 लाख रु० की रेल परिसम्पत्तियों की हानि हुई तथा 36 घटे से अधिक तक यातायात रुका रहा। रिपोर्ट से पता चला है कि गाड़ी के कर्मीदल ने जलाटपेटाई में स्टेशन कर्मचारियों तथा गाड़ी निरीक्षक कर्मचारियों से खराबियों को दूर करने का निवेदन किया परन्तु उनको इस तर्क पर मना कर दिया गया कि उन्हें इस आशय के सख्त अनुदेश हैं कि किन्हीं परिस्थितियों में सीधी माल गाड़ियों को न रोका जाये ..."

इस प्रकार सभी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

माननीय मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि तीसरे तथा चौथे संगणक जनरेटर की स्थापना विश्व बैंक के दबाव से की जा रही है। इसका शिक्षित बेरोजगारों पर क्या परिणाम होंगे। भविष्य में इससे कितना सर्वनाश होगा। अब हर वर्ष रेलवे में रोजगार की सम्भावनायें कम होती जा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार 2.6 लाख रेल कर्मचारी फालतू हो जायेंगे। बहुत से लोको शेड्स हैं। इन लोको शेड्स को इसलिए बन्द किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने भाप इंजनों के स्थान पर डीजल तथा बिजली के इंजिन लगाने की नीति अपनायी है। लोको सेड्स के कर्मचारी फालतू हो जायेंगे।

लोको शेडों तथा लोको कार्यशालाओं जामापुर जैसी बड़ी-बड़ी कार्यशालाओं—के स्थायी कर्मचारी फालतू हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मैं जामापुर गया था। यह सूचना दी गयी थी कि एक समय वहां पर 22,000 कर्मचारी थे। अब वहां पर 9,000 कर्मचारी हैं। केवल स्थायी कर्मचारी ही फालतू नहीं होंगे बल्कि कोयले तथा राख का कार्य करने वाले श्रमिक भी फालतू हो जायेंगे। कोयले तथा राख का कार्य करने वाले मजदूर भी दस से पन्द्रह वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इन श्रमिकों का क्या होगा? कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये। इसके स्थान पर कोई दूसरा प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

मैं दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेना चाहते हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : लगभग आधा घंटा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा सध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बजट (रेल), 1982-83—सामान्य चर्चा जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य अपना भाषण जारी करें। आपको बीस मिनट और दिये जाते हैं। श्रीमती सुशीला गोपालन् का नाम भी दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं बीस मिनट में ही समाप्त कर दूगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वह उन निर्माण कार्यों के संबंध में है जो कि रेलवे में पिछले तीन दशकों से किये जा रहे हैं। पटरियों का नवीनीकरण तथा नयी पटरियों का निर्माण आदि का कार्य रेलवे के इंजीनियर कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। गैंगमैन तथा इंजीनियर कर्मचारियों को इन निर्माण कार्यों में लगाया गया था। परन्तु प्रणाली ही बदल गई है। यह परिवर्तन भी विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेशों पर किया गया है। ये निर्माण कार्य मितव्ययता के नाम पर व्यक्तिगत ठेकेदारों को सौंपे गए हैं। क्या इससे रेल सुरक्षा दुर्बल नहीं हो जायेगी ?

पिछले बजट भाषण के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री श्री केदार पांडे ने हमें बतलाया था कि सेवा निवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा में की गई वृद्धि को समाप्त करके उन्होंने रेल कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त किया है।

परन्तु छहः महीने के अन्दर-अन्दर ही यह नीति भी बदल दी गवी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की सेवावधि बढ़ाई गई क्योंकि यह भी भारत सरकार पर विश्व बैंक द्वारा लगाई गई 18 शर्तों में से एक शर्त थी।

हम अपने देश में पूंजीवादी योजना के राजस्व को देखें। रेल मंत्रालय ने योजना आयोग द्वारा आबंटित किए गए धन से भी अधिक मांग की है। योजना आयोग ने डिब्बों के बेड़े का तथा 49 कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करने तथा 3090 लाख टन माल के परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने, 14,000 किलोमीटर रास्तों का नवीनीकरण करने तथा चार पहियों के एककों में 1 लाख माल डिब्बों को प्राप्त करने के दो उद्देश्यों के लिए 5,100 करोड़ रु० आबंटित किये हैं। 1980-81 में पूंजी खर्च 762 करोड़ रु० था। 1981-82 में यह 1,150 करोड़ रु० था। 1982-83 में चालू मूल्य स्तर पर 1,137 करोड़ रु० का खर्च निर्धारित किया गया है जबकि आंकड़े 1979-80 के मूल्य स्तर पर निर्धारित किये गए थे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि शेष छठी योजना के अनुरूप छठी योजना के पहले तीन वर्षों में वास्तविक संसाधन बहुत कम हो गये हैं तथा अगले दो वर्षों में भी यही होगा। अतः 1 लाख माल डिब्बे बढ़ाने का रेलवे का कार्यक्रम सम्भव नहीं हो सकेगा। योजना अवधि के दौरान 1 लाख माल डिब्बे प्राप्त करने के बजाय केवल 70,000 माल डिब्बे ही प्राप्त किये जा सकते हैं।

रेल मन्त्री ने स्वीकार किया है कि लगभग 14,000 किलोमीटर लम्बी पटरियों के नवीनीकरण की आवश्यकता है। परन्तु इस कार्य में काफी बाधा पड़ेगी।

पुराने रेलवे भंडारों के पुनर्वास को वर्षों से उपेक्षित किया जा रहा है। 1964-65 से नये माल डिब्बे प्राप्त करने के कार्य को भी बहुत कम कर दिया है सरकार ने एकाधिकारियों तथा बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उन्हें सभी प्रकार की छूटें दी हैं और रेल मन्त्री कहते हैं कि आज स्थिति यह है कि लगभग 13,000 किलोमीटर पटरियों के पुनः नवीनीकरण की आवश्यकता है और 4,470 माल डिब्बों में से लगभग 3,150 बहुत ही पुराने हो गये हैं तथा सभी भाप के इंजनों को बदला जाना है।

रेल मन्त्री ने पुलों के बारे में कुछ नहीं कहा है। परिणाम स्पष्ट हैं। रेल मन्त्री सबसे अधिक माल भाड़े का दावा कर सके हैं।

रेल मन्त्री ने वर्ष 1980-81 में मृतकों तथा घायलों की संख्या में भी रिकार्ड कायम किया है। 611 रिकार्ड आंकड़े हैं जो कि वर्ष 1976-77 की तुलना में 30% अधिक हैं।

मैंने वर्ष 1976-77 को आधार वर्ष माना है क्योंकि सत्ताधारी दल ने इसे 'गतिशील वर्ष' का नाम दिया है।

डिब्बों तथा इंजिनों के नुकसान की कीमत के सम्बन्ध में 7,05 करोड़ रु० का रिकार्ड नुकसान हुआ है जो वर्ष 1976-77 के आंकड़ों की तुलना में 273-4% अधिक है।

स्थायी मार्गों की हुई हानि में भी रेलवे ने 6.57 करोड़ रु० का रिकार्ड कायम किया है जो कि वर्ष 1976-77 की तुलना में 465.7% अधिक है।

उसी प्रकार से संचार में बाधाओं के सम्बन्ध में रेल मन्त्री ने 14.035 घंटे का रिकार्ड कायम किया है जोकि 1976-77 के आंकड़ों की तुलना में 84.3% अधिक हैं।

हमारे रेल मंत्री ने दो अन्य क्षेत्रों में भी रिकार्ड कायम किया है अर्थात् रेलवे के सामानों, तथा बुक किये गये परेषणों के सम्बन्ध में। पहले के सम्बन्ध में यह 1.52 करोड़ रु० का या वर्ष 1976-77 की तुलना में 298% अधिक का रिकार्ड कायम किया है तथा बुक किये गये परेषणों की चोरी के सम्बन्ध में 5.29 करोड़ रु० जो वर्ष 1976-77 की तुलना में 3437% अधिक हैं।

यह रेल विभाग द्वारा कायम किया गया रिकार्ड है। इसकी पटरियां, पुल तथा डिब्बे सुरक्षित नहीं हैं। यात्रियों की जानें सुरक्षित नहीं हैं। रेलवे की स्वयं की सम्पत्तियां सुरक्षित नहीं हैं।

आपको यह निश्चय नहीं है कि आप अपने गन्तव्य स्थान तक पहुचेंगे भी कि नहीं या कितनी देर में। व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर सकता कि उसकी यह अन्तिम यात्रा होगी। परन्तु लोग लाचारी से आ जा रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो उनकी पहुंच में हो।

बेरोजगारी के बढ़ जाने से लोग रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं । बढ़ती हुई आर्थिक गति विधियों से भी रेल यात्राओं में वृद्धि हो गयी है ।

रेल मंत्री ने हमें यात्री मूलक मनोविज्ञान को त्याग देने की सलाह दी है ।

अब हमें 1982-83 के बजट प्रस्तावों को देखना चाहिए । यह बजट किश्तों में है । हम नहीं जानते वर्ष के बीच में वे दुबारा 300 करोड़ रु० का प्रस्ताव रख सकते हैं जैसा हमने गत वर्ष देखा है ।

यहां पर 261.45 करोड़ रु० तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है । रेल मंत्रालय ने दो वर्ष के अन्दर-अन्दर कुल 1,142 करोड़ रु० के किराये भाड़े की वृद्धि की है । यह अधिकतम वृद्धि है ।

देश के आम लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की मदों पर दी जाने वाली छूटों को जो भारतीय रेलों पर परम्परागत रूप से सामाजिक भार थीं, इस वर्ष समाप्त कर दिया गया है । ये मदें—खाद्यान्न, कोयला, चारा, खाद्य नमक, फल तथा सब्जियां, जलाने वाली लकड़ी तथा चारकोल, पशुधन, तिलहन आदि हैं । इन सब मदों पर पहले से जो राजसहायता दी जा रही थी, वह हटा ली गई है । इस प्रकार इन सब वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे । तथा आम जनता का जीवन और अधिक दयनीय हो जायेगा । रेलवे का प्रयोग करने वालों के लिये एक वर्ष में ही लगभग 600 करोड़ रु० का अतिरिक्त भार होगा ।

उच्च श्रेणी से लम्बी दूरी वाली यात्रा के लिए किराये में और निम्न श्रेणी से यात्रा के किराये में बहुत अधिक विसंगतियां हैं । नई दिल्ली से मद्रास तक वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा के किराये में 5% से कम वृद्धि होगी जबकि साधारण द्वितीय श्रेणी में यात्रा के मामले में 20% की वृद्धि होगी । साधारण द्वितीय श्रेणी में कम दूरी वाली यात्रा के मामले में अतिरिक्त भार 23% के लगभग होगा तथा उसी श्रेणी के मामले में न्यूनतम किराये में 40% वृद्धि होगी अर्थात किराया 50 पैसे से बढ़कर 70 पैसे हो जायेगा ।

यहां तक कि इस बार बच्चों को भी छूट नहीं दी गयी है । उन्होंने बच्चों की आयु सीमा पुनः तीन वर्ष कर दी है । अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाने के प्रमाण के रूप में बच्चों को पांच वर्ष तक की यह छूट दी गई थी । क्या मात्र राजस्व कमाने के लिए ही इस छूट को वापिस ले लेना चाहिए ? एक बार की गई सरकारी कार्यवाही की कुछ महत्ता होनी चाहिए । लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे रेल मंत्री इसे कोई महत्व नहीं देते । उन्हें बच्चों का भी कोई ध्यान नहीं है जो कि देश की दौलत हैं । क्या हमारी रेलवे प्रणाली इतनी विस्तृत नहीं कि हमारे देश के छोटे बच्चों को इतनी छूट भी दे सके ।

रेलवे बोर्ड ने दावा किया है कि उसने बिजली गृहों को सारा कोयला दिया है । लेकिन रेलवे अपने ही लोको-शेड को कोयला देने में समर्थ क्यों नहीं रही हैं । क्या यह सच नहीं कोयले की कमी के कारण 600 यात्री गाड़ियां रद्द कर दी गयीं थीं ? राष्ट्रीय ग्रिड में रेलवे का

एकमात्र पावर हाऊस कोयले की निरन्तर कमी के कारण अपनी निर्धारित क्षमता की 50 प्रतिशत बिजली भी पैदा नहीं कर सकता। हो सकता है कि समेकित संचालन से पावर हाऊस को कोयला, स्टील संयंत्रों को खनिज पदार्थ तथा संबंधित वस्तुएं कारखानों को भेजने में कुछ सुधार हुआ है लेकिन इससे मूल्य रेखा में प्रभावशाली कमी नहीं आई है। क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करने का प्रयत्न कीजिए।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : उन्होंने 2 बजकर पांच मिनट पर ही शुरू किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले 10 मिनट खत्म कर चुके थे।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं 2 बजकर 15 मिनट तक बोलूंगा ···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं 10 मिनट श्रीमती सुशीला गोपालन को देना चाहता हूं।

श्री समर मुकर्जी : फिर भी वह 5 मिनट का समय और लेने के हकदार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर श्रीमती सुशीला गोपालन को सिर्फ 5 मिनट ही मिलेंगे।

श्री समर मुकर्जी : उन्होंने 2 बजकर 5 मिनट पर शुरू किया।

श्री बसुदेव आचार्य : मध्यम और लघु उद्योगों को माल डिब्बे थोड़ी-थोड़ी संख्या में मिलने के कारण उन्हें अपनी आवश्यकता को ट्रकों द्वारा मंगवाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

अब मैं औद्योगिक संबंधों पर बात करूंगा। इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि पूरे वर्ष मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे गए हैं। जब इंजन चालकों ने आंदोलन शुरू किया था तब इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि जब वे अपना आंदोलन वापिस ले लेंगे, सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और वे उनके साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे। उन्होंने अपने आंदोलन को वापिस ले लिया, उसे समाप्त कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। यहां तक कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालयके आदेशों तथा उच्च न्यायालय के कई आदेशों का भी सम्मान नहीं किया। मेरे एक सहयोगी ने जो कि मध्याह्न भोजन से पूर्व बोले थे, केकई इसका उल्लेख किया है कि किस तरह से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के आदेशों का सम्मान नहीं किया गया। ये सभी अंतर्विभागीय स्थानान्तरण, 14/2 के अंतर्गत उत्पीड़न, आवश्यक सेवा निवृत्ति ये सभी गैर-कानूनी हैं। उनके संबंध में, रेल मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील की। केंटीन कर्मचारियों के संबंध में आपने क्या किया है ? सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि भारतीय रेलवे के सभी सांविधिक या गैर-सांविधिक केंटीन कर्मचारियों के साथ रेलवे कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ की गई अपील को

अस्वीकार कर दिया। छः महीने के बाद रेलवे बोर्ड ने उनके साथ रेलवे कर्मचारियों के समान व्यवहार करने का आदेश जारी किया लेकिन न तो उनके वेतनमानों का निर्धारण किया गया है और न अन्य लाभों का विवरण ही दिया गया है। केवल सांविधिक और दिल्ली की गैर-सांविधिक कैंटीनों, जिन्होंने याचिका दी थी, पर ही यह आदेश लागू किया गया और अधिकांश रेलवे कैंटीन कर्मचारियों के साथ रेलवे कर्मचारियों की भांति व्यवहार नहीं किया गया। क्या आप चाहते हैं कि अन्य रेलवे कैंटीन कर्मचारी भी समान अधिकार और समान लाभ प्राप्त करने के लिए न्यायालय जाएं? मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि यह मैत्री पूर्ण और शांतिपूर्ण सबंध बनाये रखा जाये।

हाल ही में बहुत सी डिवीजनों में कुछ अत्याचार हुए हैं। 35 कर्मचारियों के विरुद्ध बड़े दण्ड वाले आरोप-पत्र जारी किए गए हैं। उनमें से 9 कर्मचारियों को अपनी रक्षा की सुविधा दिए बिना बहुत कम पूछताछ करके ही हटा दिया गया है। सीतारामपुर में पूर्वी रेलवे पर लोको-क्लीनरों को उच्च पदों पर काम करने के लिए बाध्य किया गया। कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण धरना दिया और एक कर्मचारी को 14/2 के अन्तर्गत निकाल दिया गया और कटिहार में एक कर्मचारी का एकता कार्यवाही में भाग लेने के कारण स्थानान्तरण कर दिया गया। आप जानते ही हैं कि 19 जनवरी को रेलवे कर्मचारियों ने एकता कार्यवाही में भाग लिया था, हड़ताल में नहीं। उन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया। कटिहार उत्तर सीमान्त रेलवे में है। चार कर्मचारियों को 14/2 के अंतर्गत निकाल दिया गया। दक्षिण पूर्वी रेलवे में टाटानगर में आवश्यक सेवाएं अधिनियम' के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए 10 कर्मचारियों को 'कारण दिखाओ' नोटिस दिये गये। इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे रेलवे कर्मचारियों में बहुत असंतोष फैला हुआ है।

अब, मैं एक ऐसे मजाक के साथ अपनी बात खत्म करता हूं जो कि आम लोगों के विचारों पर प्रकाश डालेगा। एक आदमी रेल-पटरी पर लेटा हुआ था। पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने उससे पूछा आप क्या कर रहे हैं'? उस आदमी ने कहा कि 'वह आत्महत्या करना चाहता है।' राहगीर ने कहा आपको निराश होना बहुत पड़ेगा क्योंकि गाड़ी कई घंटे तक नहीं आएगी। यदि आप अवश्य ही मरना चाहते हैं तो आप किसी रेल डिब्बे में बैठ जाइए, दुर्घटना में आपकी मौत निश्चित है।' यह दृष्टिकोण है। यह एक निर्मम मजाक हो सकता है लेकिन हमारे देश के आम आदमी की यही राय है।

धन्यवाद।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : महोदय, वह हमारी रेलों में सबसे अधिक यात्रा करते हैं और उन्होंने क्या मजाक बनाया है।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह (राजनन्दगांव) : बजट की प्रशंसा करते हुए और मांगों से सहमति व्यक्त करते हुए मैं और मध्य प्रदेश के अन्य संसद सदस्य अपने मन्त्री महोदय से बहुत आशा रखते हैं क्योंकि पहली बार रेलवे मंत्री मध्य प्रदेश से बनाए गए हैं।

बार-बार यह अफवाह फैलती है कि सरकार रेलवे बोर्ड को समाप्त करने का विचार कर रही है। अब यह वक्तव्य बार-बार और हर सत्र में दिया गया है और इस बारे में बहुत सी गलतफहमी है कि रेलवे बोर्ड क्या सोच रहा है और वास्तव में जिला स्तर पर क्या हो रहा है? अतः सबसे पहले मैं सुझाव दूंगा कि एक समिति को इस बात की जांच करके यह पता लगाना चाहिए कि क्या रेलवे बोर्ड का कार्य करना बहुत आवश्यक है अथवा नहीं और यदि आवश्यक है तो उसे एक ही बार हमेशा के लिए निर्णय ले लेना चाहिए क्योंकि वे जानते हैं हम इस समय क्या कह रहे हैं और यदि हम बोर्ड के विरुद्ध बोल रहे हैं तो प्रश्न यह है कि क्या इसे अमल में लाया जायेगा या नहीं।

मुझे जो बात बहुत महत्वपूर्ण लगी वह यह कि: आरक्षण काउंटर पर, गाड़ियों में चलने वाले कर्मचारियों में और सबसे अधिक, रेक्स के आवंटन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है? मैं एक घटना के बारे में जानता हूं, जिसके बारे में मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा था, जबकि एक जीवन-रक्षक औषधि के निर्माता रेक चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। बाद में हमने प्रश्नों के उत्तर में सुना कि रेलवे बोर्ड के सभापति और मंत्रालय द्वारा बहुत से रेक दिए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है लेकिन जीवन-रक्षक औषधियां भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मैं नहीं जानता कि क्या आज तक उन्हें कोई रेक प्राप्त हुआ या नहीं। यह बात भी है कि राज्य सरकारें कुछ प्राथमिकताओं की सिफारिश करती हैं। लेकिन उत्तर हमेशा नकारात्मक मिलता है। कोल इंडिया के साथ भी यही घटना हुई है। मुझे एक मामले की जानकारी है जिसमें कोयले का डम्प खोला गया था और राज्य सरकार ने रेक देने की सिफारिश की थी लेकिन रेलवे बोर्ड ने यह लिखा कि वह कोल इण्डिया के कोटे में से ही दिया जायेगा। यदि कोई विभाग जो लोगों की सहायता के लिए है और जिसका पूरा नियंत्रण है क्या उसे यह कहना चाहिए कि तुम रेक दूसरों से ले लो। फिर अन्य विभाग जनता की सहायता कैसे कर सकते हैं?

महोदय, मैं अनुरक्षण पर अधिक जोर देना चाहता हूं। बिलासपुर जिला में भँवर टंक में एक दुर्घटना हुई थी। मुझे दुर्घटना के बाद वहां जाने का मौका मिला। मुझे बताया गया कि पीछे से आ रहे गाड़ी का कोल रेक यात्री गाड़ी से जा टकराया। ड्राईवर गाड़ी से नीचे आया और कहा कि ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनसे सीधे आगे बढ़ने के लिए कहा गया।

गाड़ियों में बहुत से बिना टिकट यात्री गाड़ियों से उतरने का प्रयत्न करते हैं। वे वैक्युअम पाइपों को तोड़कर खोल लेते हैं जिससे गाड़ी अपने आप रुक जाती है। मैं चाहता हूं कि बिना टिकट यात्रा सभी मार्गों पर, भले वह मुख्य मार्ग हो अथवा मार्ग, रोकी जानी चाहिए। अन्यथा यही कुछ होना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय प्रथम अथवा दूसरी श्रेणी के डिब्बे में चढ़ जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही सब हो रहा है। यदि मंत्री महोदय जी० टी० एक्सप्रेस से दिल्ली से भोपाल जायें, तो वे यात्रियों को बाहर कारीडोर में बैठे हुए पायेंगे। इन बातों को रोका जाना चाहिए। आपने

अधिभार बढ़ा दिया है। मुझे बताया गया है कि इन एक्सप्रेस गाड़ियों से एकत्रित किया गया अधिशुल्क कंडक्टरों और अन्य लोगों के पास ही जाता है। समस्या यह है कि जब कोई यात्रा करता है तो आप पीने के पानी जैसी न्यूनतम सुविधा भी उसे नहीं देते जिसकी अपेक्षा यात्री करते हैं। जब हम प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते हैं वहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता। यदि हम कंडक्टर से कहते हैं तो वह कहता है कि हमें पानी किसी अन्य स्टेशन से मिलेगा। मैं आपसे इसकी व्यवस्था करने का निवेदन करता हूं कि बोर्ड अथवा सरकार को बड़ी सख्ती से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रियों को कम से कम यह सुविधा तो प्रदान की जाए।

(व्यवधान)

अब खान पान पर आते हैं। रेलवे के पास खान-पान की व्यवस्था केवल कुछ ही स्थानों पर है जहां यात्रियों को भोजन दिया जाता है। उदाहरण के लिए, रात्रि का भोजन शाम को ही दे दिया जाता है। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। यह देने से पहले आपको कम से कम स्टेशन और समय तो देखना चाहिए। ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जिनमें हमें ऐसे स्थानों पर और ऐसे समय पर भोजन मिलता है जब लोग नहीं चाहते। यहां तक हालत है कि जो भोजन दिया जाता है वह मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। मैंने बहुत बार डी० एस० ई० को शिकायत की है। अब यह कहा गया है कि इसमें सुधार किया जा रहा है।

आपकी सुपर फास्ट गाड़ियां बहुत स्थानों पर चलती हैं। इसके अतिरिक्त मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां भी हैं। उदाहरण के लिए, गीतांजली एक्सप्रेस बम्बई से हावड़ा तक चल रही है। गीतांजली एक्सप्रेस में बर्थ दुर्ग और रायपुर में दी जाती हैं और वहां राजनंद गांव और डूंगरपुर के लिए [1]अप और [2]डाउन मेल गाड़ियां हैं। वहां केवल दो मिनट दिए जाते हैं। इतने कम समय में वहां यात्रियों के लिए ठीक कम्पार्टमैंट की खोज करना कैसे संभव है मैं नहीं समझता किसी के लिए यह संभव है कि वह इतने कम समय में चढ़ने के लिए कंडक्टर से बर्थ का पता ले। मैं चाहता हूं कि इस संबध में कुछ किया जाना चाहिए।

हावड़ा से अहमदाबाद के बीच प्रतिदिन एक एक्सप्रेस गाड़ी चलती है। मैं यह सुझाव दूंगा कि इस गाड़ी को नागपुर तक बढ़ा दिया जाए। वहां से आपको अन्य स्थानों के लिए गाड़ियां मिलती हैं। यदि आप इसे दैनिक या द्वि-सप्ताहिक या हर तीसरे दिन की कर दें, जैसी भी आपको सुविधा हो, तो अच्छा होगा।

मुझे यह भी बताया गया है मैं निश्चित नहीं हूं, कि दिल्ली से भोपाल तक एक गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है। मेरा सुझाव है कि आप इसे इटारसी से चलायें। क्योंकि यह ऐसा जंक्शन है जो बम्बई लाइन को जोड़ता है, इसमें दिल्ली से इटारसी तक की लाइन भी आ जाएगी। वहां बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी जोकि भोपाल में उपलब्ध नहीं हैं। एक और गाड़ी 'छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस' भी है जो छत्तीसगढ़ से चलती है लेकिन उसमें डाइनिंग कार नहीं है। इससे बहुत समस्या है। अब मुझे कहा गया है कि इसे स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन अभी वह

लगाई नहीं गई है। उसमें रेल डाक सेवा बोगी भी नहीं है। सीट आरक्षण का पुन: आवंटन किया जाना चाहिए। ये गाड़ियां महाराष्ट्र में कुछ हाल्टों पर तो रुकती हैं लेकिन आप उन्हें मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं रोकते। मुझे आशा है, इस पर विचार किया जाएगा। हावड़ा अहमदाबाद गाड़ी के लिए भी बड़ी मांग है और मुझे आशा है यह रोज चलेगी।

महोदय, स्टील एक्सप्रेस को भिलाई अथवा दुर्ग तक बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि इसके अन्तर्गत सभी स्टील संयंत्र आ जाएं। तत्पश्चात् लोको शेड के बारे में एक और छोटा सा प्रश्न है जो कि मेरे पूर्व वक्ता द्वारा उठाया जा चुका है। डूंगरगढ़ में ऐसा एक लोको शेड है। डूंगरगढ़ से पटरी में 15 किलोमीटर तक खड़ी चढ़ाई है। लोको शेड को डीजल रख रखाव बेस में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि वे डीजल रख-रखाव अड्डे में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तब वे लोग जो पहले ही नियुक्त हैं उन्हें पुन: नियुक्त किया जा सकता है अन्यथा उस क्षेत्र में कोई भी नहीं रहेगा।

अन्त में, महोदय, रेलवे प्राधिकरणों को स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्राधिकरणों, विधान सभा के सदस्यों तथा संसद सदस्यों के साथ संबंध रखने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। जब भी वे सहयोग चाहते हैं हम उन्हें देते हैं लेकिन जब हमें सहयोग की आवश्यकता होती है वे परवाह ही नहीं करते। वे सिर्फ यह कहते हैं कि वे रेलवे बोर्ड की बात सुनेंगे। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सब बातों पर विचार करेंगे और हमारी मांगों को स्वीकार करेंगे।

***श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** (तिरूनेलवेली) : अपने दल दि द्रविड भुनेज कढ़गम, की ओर से मैं रेल मंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया 1982-83 के रेल बजट पर कुछ कहना चाहता हूं।

अपने बजट प्रस्तावों के माध्यम से श्री सेठी ने यात्री किराया बढ़ाकर 172.60 करोड़ रुपए तथा भाड़े बढ़ाकर 88.85 करोड़ रुपए अतिरिक्त ससाधन प्राप्त करने का प्रयास किया है। पिछले दिसम्बर 1981 में भूतपूर्व रेल मंत्री श्री केदार पांडे ने भाड़े की दरों में 320 करोड़ रुपए की वृद्धि की थी। तीन महीनों में भाड़े में वृद्धि से 408.85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। खेद की बात यह है कि अनाज, दालों, उर्वरकों, चीनी, खाद्य तेलों, फलों, सब्जियों और नमक आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं पर भाड़ा बढ़ाया गया है जिसके फलस्वरूप इन आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि हमारे नए रेल मंत्री को जनसाधारण की प्रशंसा मिलेगी अथवा धिक्कार, जिन्हें इन प्राथमिक वस्तुओं के लिए अधिक दाम देने पड़ेंगे।

1982-83 में रेलवे विकास में 1,137 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस रकम में से 568.50 करोड़ रुपए 13000 किलोमीटर की पुरानी पटरियां, 40700 वैगन और 3,150 कोच के नवीकरण और प्रतिस्थापन पर खर्च किए जाएंगे। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

रेल पटरियों, रेल के इंजनों, कोचों और वैगनों के प्रतिस्थापन का शेष कार्य, जो मरम्मत और रखरखाव के बचे हुए कार्य के कारण और भी बढ़ गया है, बार-बार होने वाली रेल दुघर्टनाओं का एक कारण है । मैं नहीं जानता कि यह आवंटन पर्याप्त है अथवा नहीं । लेकिन मुझे संदेह है कि क्या इसी वर्ष में आवंटन का पूरा उपयोग हो सकेगा । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह वर्ष 1982-83 खत्म होने से पहले 568.50 करोड़ रुपए से नवीकरण और प्रतिस्थापन का कार्य पूरा करने की योजना पहले ही बना चुके हैं ।

अगस्त, 1981 में इस सभा ने रेलवे में नई लाइनें बनाने के लिए 297.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक इस राशि में से कितनी राशि खर्च की गई है, कितनी नई लाइनें बनाई गई हैं और पटरियों को बदलने का कितना काम अब तक पूरा हो चुका है ।

माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि चूंकि चल रही और स्वीकृत परियोजनाएं तथा सर्वेक्षण इतने अधिक हैं कि उपलब्ध साधनों से उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता । वह दुर्लभ संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने की युक्तियुक्त नीति अपनायेंगे और कुछ परियोजनाओं को शीघ्र ही पूरा करेंगे जिससे राष्ट्र इस पूंजी निवेश से लाभ उठा सके । यही कारण हैं कि उन्होंने अनुमोदित कारूर—दिंडीगल—टूटीकोर्न—तिरुनेलवेली बड़ी लाइन के लिए 70 लाख रु० की अल्प राशि का प्रावधान किया है । पिछले वर्ष इस परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी पिछले तीन दशकों में दक्षिणी रेलवे के तमिलनाडू क्षेत्र में कोई नई लाइन नहीं बनायी गई है और न ही लाइन बदलने की कोई परियोजना है । संभवतः यह इस कारण से है कि केन्द्र में तमिलनाडू से कोई भी रेल मंत्री नहीं बन सका । हमारे रेल मंत्री श्री सेठी ने 1982-83 में इटारसी-भूसा बललाइन, इटारसी-नागपुर लाइन, बलहारशाह-वर्धा लाइन, काजीपट-सन्तनगर लाइन और भोपाल नागदा लाइन के विद्युतीकरण की मंजूरी देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं । श्री केदार पांडे ने अपने कार्यकाल में रेल मंत्री के रूप में बिहार में प्राथमिकता वाली परियोजनाएं आरम्भ कीं । पंडित कमलापति त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश में नई परियोजनाएं बनाईं । श्री मधु दंडवते ने अपने राज्य, महाराष्ट्र में नई परियोजनाओं का आदेश दिया । श्री ललित नारायण मिश्र ने बिहार में नई परियोजनाओं की मंजूरी दी । रेल मंत्री जिस राज्य के रहने वाले होते हैं उसी राज्य की ओर रेलों के समूचे विकास की कीमत पर अधिक ध्यान दिया जाता है ।

इस पृष्ठभूमि में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि पिछले 30 वर्षों में तमिलनाडु में नई लाइन बनाने या किसी लाइन को बदलने की कोई योजना मंजूर तथा स्वीकृत नहीं की गई है । कारूर-दिंडीगल-टूटीकोर्न-तिरुनेलवेली बड़ी लाइन कई दशकों से 4 5 करोड़ तमिलवासियों की आशा बनी हुई है तथा यह लाइन लम्बे अर्से से इस पिछड़े और चिरकाल से सूखा से प्रभावित क्षेत्र की आवश्यकता है । इस क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति इस लाइन पर निर्भर करती है ।

आखिर मैं यह नहीं सोचता कि इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि 2200 लाख टन भार के भाड़े का राजस्व प्राप्त किया गया है। मैं नहीं सोचता कि इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि प्रति दिन प्रति डिब्बा 1090 टन के भार का परिवहन प्राप्त किया गया है जो कि भारत में रेलों द्वारा प्राप्त किये गये भार में सबसे अधिक रहा है, मगर मैं कहना चाहूंगा कि यद्यपि यह उपलब्धि है; परन्तु हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिये क्योंकि जैसे ही मैं बजट को देखता हूं, सम्पूर्ण बजट को देखता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि आगे दुर्दिन सामने हैं और यदि हम एक कार्यकुशल प्रणाली चलाना चाहते हैं तो देश में सामान्य नीति के द्वारा बहुत कुछ करना पड़ेगा।

यह दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते समय अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित छोटी-छोटी समस्याओं, विशेष स्थानों पर गाड़ियों के रुकने तथा आरक्षण आदि से सम्बन्धित बातें की हैं। परन्तु मैं नहीं सोचता कि यह सब संगत है। यदि मूल रूप से सामान्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाये तथा सुधार किया जाए तो ये सब छोटी-मोटी समस्यायें अपने आप ही समाप्त हो जायेंगी।

शुल्क में वृद्धि की आलोचना की गयी है। यह कैसे सम्भव हो सकता है कि शुल्क को न बढ़ाया जाये जब कि अन्य सभी वस्तुओं की कीमत भी बढ़ गयी है। और वह रेल विभाग के नियन्त्रण के बाहर की बात है। मैं नहीं समझता कि यह मांग करना व्यवहार्य है कि रेलवे को भाड़ा नहीं बढ़ाना चाहिये जबकि रेलवे को बहुत सी अन्य वस्तुओं के लिए जिनकी इसने व्यवस्था करनी है। अधिक भुगतान करना पड़ेगा। अतः भाड़े में वृद्धि की गयी है और जहां तक मैं समझता हूं यह न्यूनतम वृद्धि की गयी है। केवल एक बात जो मुझे दिखाई नहीं देती वह यह है कि यह बजट एक लम्बी अवधि की योजना का एक भाग नहीं है। जब तक बजट से आगामी वर्षों की योजना का आभास नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि प्रति वर्ष इधर-उधर छोटी-मोटी कामचलाऊ व्यवस्था करने से जो हम हर वर्ष करने का प्रयास करते हैं समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। बजट को इस बात का सूचक बनाना होगा।

हमारे सामने एक बहुत ही कठिन लक्ष्य है जिसको मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा। आपने 2300 लाख टन राजस्व परिवहन की निकासी का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक अनुदार अनुमान के अनुसार भी आपको सम्भवतः 2550 लाख टन की निकासी करनी पड़ेगी। इससे स्पष्ट है कि आज जो स्थिति है उससे पहले ही कमी है। यह तो इसका एक पहलू है तथा इसका दूसरा पहलू यह है कि हम उत्पादन की गति को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा उत्पादन की गति को बढ़ाने के लिए हमें कच्चे माल तथा तैयार माल व हरेक वस्तु के आवागमन को बढ़ाना है। 8% सोचे गये औद्योगिक विकास तथा हरेक क्षेत्र में बढ़ोतरी, इस्पात 21%, सीमेन्ट 22%, ऊर्जा तथा कोयले में वृद्धि के साथ मुझे नहीं समझ आता कि हम इन कठिनाइयों का सामना करने में कैसे सफल होंगे तथा सम्भावना यह है कि इसमें कठिनाइयां तथा समस्यायें आयेंगी और अन्त में, यद्यपि हमने ये लक्ष्य अच्छे इरादों से निर्धारित किये हैं

फिर भी वे लक्ष्य हमारी आशाओं से कम रह जायेंगे । रेलें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही हैं । यह मामले का मूल मर्म है ।

माननीय मंत्री को मेरा नम्र सुझाव यह है कि सोचने के लिए मूल बात यह है कि उन्हें आवश्यक निधियों का प्रावधान करने में समर्थ होना चाहिए । मैं नहीं समझता कि वह हर समय हरेक आदमी को यह कहकर कि हमारे पास धन का अभाव हैं; हम ये कार्य करना चाहते हैं, परन्तु हमारे पास धन नहीं है, संतुष्ट करने में सफल हो जायेंगे । इस बात से आगे कोई सन्तुष्ट नहीं होने जा रहा क्योंकि यदि हम इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो वर्षों तक हम बहुत से कार्य नहीं कर पायेंगे अतः माननीय मंत्री को इस बात पर सोच विचार करना होगा कि किस प्रकार से अधिक धन प्राप्त किया जा सकता है तथा वर्तमान प्रणाली को बदलने के लिए कौन से साधन तथा तरीके अपनाये जा सकते हैं । पैट्रोलियम मंत्रालय जैसे दूसरे मंत्रालयों में, जिसमें वह पहले मंत्री थे, राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जाता है तथा राज्य सरकारें संयुक्त क्षेत्रो में कुछ परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आगे आ रही हैं । इसी प्रकार से रेसवे में भी कुछ परियोजनाओं में राज्य सरकारों को न लगाये जा सकने का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता । यदि वे रेलवे की संयुक्त परियोजनाओं में भाग लेंगी तो रेलवे को अधिक धन मिल जायेगा, योजना में आवंटित धन ही नहीं बल्कि उससे अतिरिक्त धन हाल ही में गुजरात सरकार ने कोच फैक्टरी आरम्भ करने के उद्देश्य से एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है । यदि मैं ठीक हूं तो उनकी आवश्यकता 2,100 कोचों की है, परन्तु फिलहाल हम 1000 कोचों का भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि सरकार उत्तरी रेलवे में कहीं पर एक कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कर रही है । उत्तरी रेलवे पर मैं बाद में आऊंगा, परन्तु मुझे विश्वास है कि यह परियोजना भी केवल 500 या 600 कोच प्रतिवर्ष बनायेगी और इससे हमारी आवश्यकतायें पूरी नही हो सकेंगी । अतः मैं पूछना चाहूंगा कि गुजरात सरकार द्वारा, जो कि धन लगाने के लिए तैयार थी, किया गया प्रस्ताव रेलवे को स्वीकार्य क्यों नहीं था । इसका आशय पत्र स्वीकार क्यों नहीं किया गया था आखिर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के इस संयुक्त उद्यम से कमी दूर हो जाती और यदि वे थोड़ा अधिक उत्पादन कर सकते तो उसका निर्यात किया जा सकता था । जब नागरिक उड्डन मंत्रालय हवाई अड्डों के रख-रखाव व हवाई पट्टियां बनाने आदि के कार्यों में राज्य सरकारों का सहयोग ले रहा है तो रेल मंत्रालय के लिए राज्य सरकारों, जो कि संयुक्त उद्यमों के लिए धन प्रदान करने के लिए तैयार हैं । के सहयोग पर विचार करना सम्भव क्यों नहीं है ? भारत में ऐसे क्षेत्र है जहां पर काफी मात्रा में खनिज संसाधन हैं परन्तु रेलवे ने किसी भी वस्तु को एक मुश्त रूप से ले जाने की क्षमता की कमी के कारण उनको ले जाया नहीं जा सकता । अतः इस प्रकार के संयुक्त उद्यम उपयोगी तथा उस स्थान की तथा राज्य की अर्थ व्यवस्था को सुधारने में तथा परिणामस्वरूप पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था सुधारने में सहायक होंगे । मुझे विश्वास है कि यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी संयुत योजनाओं पर विचार करने का निर्णय कर लेती है तो बहुत से राज्य अतिरिक्त धन के साथ आगे आयेंगे । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय

इस सुझाव पर विचार करेंगे। मैं पुनः कहता हूं कि धन उपलब्ध नहीं है, ये बहाना अब हमें सन्तुष्ट नहीं करने जा रहा है।

मैं समझता हूं कि समेकित कोच फैक्ट्री के लिए उत्तरी रेलवे में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि यह सर्वेक्षण एक क्षेत्र विशेष में क्यों किया जा रहा है? भारत में किसी दूसरी जगह पर क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि इस प्रकार के निर्णय लेने की प्रणाली को ही संशोधित करने की आवश्यकता है। यह समूचे राष्ट्र के सन्दर्भ में होना चाहिए क्योंकि रेल विभाग समूचे देश से सम्बन्धित है, किसी क्षेत्र विशेष से नहीं। यदि सर्वेक्षण इस विचार के आधार पर किया जाये तो मैं समझता हूं कि हम बेहतर प्रगति कर सकेंगे।

अभी कोई दुर्घटनाओं के बारे में बात कर रहा था। पहले यह समझा जाता था कि हवाई जहाज से यात्रा करने में दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है परन्तु अब मेरी राय यह है कि रेल से यात्रा करने में दुर्घटना की अधिक सम्भावना है। इसका एक कारण यह है कि हमारा समूचा तन्त्र ही नष्ट हो रहा है। हजारों मील लम्बी रेलवे लाइनों के नवीनीकरण की आवश्यकता है, परन्तु यह हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास धन नही है, हजारों कोच ऐसे हैं जो पुराने तथा जीर्ण शीर्ण हैं तथा उनको बदलने की आवश्यकता है, परन्तु हम यह धन के अभाव में नहीं कर सकते। हमारे पास रख-रखाव के लिए भी धन नहीं है। इस सबके अतिरिक्त हमारी पुर्जे खरीदने की प्रणाली ऐसी है कि हम बढ़िया पुर्जे प्राप्त नहीं कर सकते।

इसलिए वर्तमान हालात में भारत में टूट-फूट इतनी अधिक होती है कि वे इसे ठीक नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त अनुशासन-हीनता तथा मानसीय विफलताएं भी इसके अन्य कारण हैं। रेलवे में अनुशासनहीनता इसलिए बढ़ गई है कि जो व्यक्ति अनुशासहीनता अथवा अयोग्यता के कारण निकाल दिये गये थे उन्हें जनता शासन के दौरान पुनः सेवा में ले लिया गया। उन्हें उन अधिकारियों के विरोध के बावजूद सेवा में लिया गया जिन्होंने उनके विरुद्ध कार्यवाही की थी। अब आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? यदि ऐसे संगठन में अनुशासहीन व्यक्ति होते हैं तो उन्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ता अपितु दुर्घटना होने पर सैकड़ों बे गुनाह लोगों की जाने जाती हैं।

अब मैं समझता हूं कि एक अत्यन्त दृढ़ एवं अनुशासित कार्मिक शक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा तथा मन्त्री महोदय को पूरी स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला करना होगा।

अन्ततः, रेलवे में भोजन सेवा का स्तर प्रति दिन बहुत गिर रहा है। आज यह बहुत घटिया स्तर का है। इसका कारण यह है कि भोजन-व्यवस्था विभाग में लिए जाने वाले लोग प्रशिक्षित नहीं हैं। मुझे पता चला है कि जो व्यक्ति, आज रसोइये का कार्य कर रहे हैं, जो आज वहां पर्यवेक्षण का कार्य कर रहे हैं वे पहले खलासी थे। भोजन-प्रबन्ध अत्यन्त तकनीकी कार्य है। आज यह अधिक तकनीकी बन गया है।

ऐसी संस्थाएं हैं जो जनता को भोजन-व्यवस्था सिखाती हैं। इण्डियन एयर लाइन्स तथा अन्य संगठनों ने अपनी सहायक संस्था के रूप में भोजन-व्यवस्था विभाग स्थापित किये हैं। तब रेलवे, जो कि उससे बहुत बड़ा संगठन है, भोजन-व्यवस्था के लिए पृथक् संगठन क्यों नहीं बनाती। भोजन बनाने के लिए वे प्रशिक्षित व्यक्ति क्यों नहीं लगाते? वे वस्तुओं को अधिक सफाई से अधिक उपयोगी और सस्ती क्यों नहीं बनाते?

अन्त में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा मेरे द्वारा उठाई गयी सभी बातों पर ध्यान दें।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्रीमान्, आपने सुना है रायल सीमा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई तथा 9 डिब्बे हैदराबाद के निकट गिर गये।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री नारायण चौबे : यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोलें तब आप इसका उल्लेख कर दें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय रेलवे मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं और बधाई इस बात के लिए कि अभी तक सारे देश में बड़ा असमंजस था कि समाजवाद की परिभाषा क्या है? आपने अपने बजट में जो प्रपोजल रखे हैं, उनसे उस व्यवस्था का स्पष्टीकरण हो जाता है कि वास्तव में सत्तारूढ़ दल जो समाजवाद की बात कहता है, उसका असली तात्पर्य क्या है।

मन्त्री महोदय की बजट भाषण में टिप्पणी यह थी कि छोटे फासले के सफर पर रेल गाड़ियों में मोटर बसों के मुकाबले में ज्यादा खर्च होता है इसलिए रेल यात्रा को छोटे फासले के सफर के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, डिसकरेज किया जाना चाहिए और यात्रा तभी करनी चाहिए जब मस्ट हो, अति आवश्यक हो। यह ठीक है कि आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी आ पड़ी है जिसे आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपको निभानी पड़ रही है। लेकिन शायद शब्दों के चयन के अन्दर आपने किसी प्रकार की गम्भीरता नहीं दिखाई है। हिन्दुस्तान की अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और उसके जीवन निर्वाह के साधन बड़े सीमित हैं। कम से कम इस तरह की बात कहकर आपको उसकी भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचानी चाहिए थी। आज छोटी यात्रा का सफर कौन करता है? वह किसी हिल स्टेशन पर जाने के लिए सफर नहीं करता है, मौज के लिए सफर नहीं करता है। उसको मजबूरी में सफर करना पड़ता है। छोटी यात्रा करने के लिए मोटर का किराया अधिक पड़ता है। उस किराये को देने की उसकी क्षमता नहीं होती है। इसलिए रेल में सफर करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। अपनी फरियाद करने के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर तक, जिला केन्द्र तक जाना होता है। इसलिए मजबूरी में वह सफर करता है। जगह न होने पर भी रेल की छत पर बैठकर और अपनी जिन्दगी को खतरे में डाल कर वह सफर करता है। उसको आप डिसकोज करना चाहते हैं रेल पर सफर करने से। उसको आप कहना चाहते हैं कि तुम छोटे सफर की यात्रा मोटर से करो रेल से न करो। यह किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। ऐसा कहकर मैं समझता हूं कि आपने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इतना ही नहीं। इतना कह देने के बाद उसके जख्म पर नमक छिड़कने से भी आप बाज नहीं आए। आपने यहां तक कह दिया है कि मैं जो अपनी प्रोपोल्ज दे रहा हूं उनसे जनसाधारण पर अधिक बोझ मैं डालना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने बोझ डालने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आपका लाजिक मेरी समझ में तो आया नहीं, आपका तर्क मेरी समझ में तो आया नहीं। पांच साल की जो छूट थी उसको आपने घटाकर तीन साल कर दिया है। कौनसा तर्क आपने दिया है सिवाय

इसके कि जो आपके अफसर हैं यह उनकी दिमागी कुश्ती है। तीन साल कर देने से ज्यादा मिसचीफ, ज्यादा शरारत करने का आप लोगों को मौका दे रहे हैं। जो चालाक आदमी हैं, जो पढ़ा लिखा आदमी है वह तो पांच साल के बच्चे को भी तीन साल का बना देगा लेकिन जो सीधा सादा इंसान हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो गांव में रहता है और जिसके बल पर आप भी जिन्दा रहना चाहते हैं वह ऐसा नहीं कर सकेगा और उसका बच्चा अगर तीन साल का भी नहीं होगा तो उसको तीन साल से ऊपर का बना दिया जाएगा। और वह बच नहीं सकेगा।

आप और देखें। न्यूनतम किराया जो पचास पैसे हुआ करता था उसको आपने सत्तर पैसे कर दिया है और एक्सप्रैस ट्रेन का एक रुपये के बजाय डेढ़ रुपया कर दिया है। जुलाई 1980 में किराए बढ़ोत्तरी के समय सौ किलोमीटर तक जो दस प्रतिशत की छूट थी उसको भी आपने वापिस ले लिया है और अप्रैल 1981 की बढ़ोतरी के समय जो दो सौ किलोमीटर तक पांच प्रतिशत सरचार्च की छूट थी, को भी वापिस ले लिया है। आपने कहा कि इन टैक्सों से आपको करीब 261.65 करोड़ रु० की आमदनी होगी। लेकिन इस प्रकार से जो छूटें आपने वापिस ली हैं गत वर्ष में और जो किराए भाड़े बढ़े हैं उन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 600 करोड़ से अधिक का भार आपकी नई प्रोपोजल्ज से देश की जनता पर पड़ने वाला है।

इतने पर ही आपको तसल्ली नहीं हुई। आपने नमक, शक्कर, अनाज, दालों, खाने योग्य तेलों, वनस्पति, खाद वगैरह जिन पर छूट थी, उनको भी नई प्रोपोजल्ज के अन्दर कवर कर लिया है। क्या इसके कारण इन वस्तुओं के दाम जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, जन साधारण के काम आती हैं, महंगे नहीं होंगे, ये चीजें महंगी नहीं होंगी? क्या इन नये प्रोपोजल्ज के कारण साधारण व्यक्ति की जेब पर भार नहीं बढ़ेगा? वह पहले ही महंगाई से परेशान है और आपके प्रोपोजल्स से और बोझ बढ़ेगा।

पार्सल की दर में आपने बढ़ोत्तरी कर दी और इसमें आपने दवाइयां, मैगजीन्स और न्यूजपेपर इनक्लूड कर दिये। मैं और चीजों के लिए नहीं कहूंगा जैसे कि ताजे फल हैं, लेकिन कम से कम अखबार, मैगजीन और दवाईयां ऐसी चीजें हैं जिनके पार्सल रेट्स नहीं बढ़ाते। यह सारे प्रोपोजल्स सरकार के नजरिये को बताते हैं कि सरकार की जनसाधारण के लिये, जिसकी आय सीमित है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, विचार है?

मुझ से पूर्व वक्ता ने कहा और मैं जिक्र कर देता हूं कि वास्तव में आपका बजट छोटे इन्सान के लिये नहीं, जिसमें बोलने की शक्ति नहीं, आन्दोलन नहीं कर सकता उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो मूक है असंगठित है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता उसको दबाने के लिये आपने यह बजट बनाया है। एयर कंडीशन में नई दिल्ली से मद्रास तक के किराये में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि आर्डिनरी क्लास के पैशैंजर्स पर नई दिल्ली से मद्रास तक 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है, और छोटे सफर के यात्रियों पर 23 परसेंट तक की बढ़ोत्तरी की है। एयर कंडीशन और फर्स्ट क्लास और AC में जो यात्री सफर करते हैं इनके लिये एक वर्ड कोइन्ड है सी० ओ० पी० (cat others pocket) यह जिन्दा हैं दूसरे की पाकिट पर। इन दर्जों में सफर करने वाले अपनी जेब से कुछ नहीं खर्च करते

हैं बल्कि या तो सरकार उनको खर्चा देती है या कम्पनियां देती हैं। इन पर आपने बढ़ोत्तरी की होती तो हम समझ सकते थे। लेकिन उन पर नहीं, बल्कि उस पर बढ़ोत्तरी की है जो साधारण इन्सान है और मजबूरी के अन्दर सफर करता है और अपनी जेब से पैसा देता है। ऐसे इन्सान पर आपने भार बढ़ाया है। इसलिये आप अपने बजट प्रोपोजल्स पर जो किराया बढ़ाया है उस पर गम्भीरता से विचार करें और राहत देने की कोशिश करें। यह पहला मौका है कि अभी तक जो परिपाटी थी कि सैकेन्ड क्लास या आर्डिनरी पैसेंजर्स के लिये छूट की घोषणा की जाती थी और दूसरों पर किराया बढ़ाया जाता था, उस परिपाटी के विरुद्ध आपने काम किया है और इस बार सेकेन्ड क्लास और आर्डिनरी पैसेंजर्स पर इतना किराया बढ़ाया है कि शायद रेलवे के इतिहास में यह पहला साल होगा कि इतना अधिक किराया बढ़ाया है।

इन सब किरायों को बढ़ाने के लिये विभिन्न कोटियों की आड़ ली गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे नेशनल ट्रांसपोर्ट कमेटी हो, या कोई दूसरी कमेटी हो, क्या आपने उनकी अन्य सिफारिशों को भी माना है, यह ठीक है कि उन्होंने किराया बढ़ाने के लिए कहा, तर्क हो सकता है, लेकिन उसको स्वीकार करना या न करना सरकार की नीति पर निर्भर करता है। आपने उसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जहां तक आपकी पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों की पूर्ति के निमित्त जो कुछ भी आशायें पचवर्षीय योजना में रेलवे विभाग से की गई हैं तथा आप उन्हें पूरा कर पायेंगे ? मेरा कहना है कि स्वयं आपके अनुसार जो लक्ष्य छठी योजना में निर्धारित किये गये उनको आप पूरा नहीं कर पायेंगे। और उस सम्बन्ध में स्वयं आपका·····

रेलवे बजट के मैमोरेंडम में आपने स्वीकार किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक औरिजनेटिंग ट्रैफिक 309 मिलियन टन हो जाना चाहिये था। इस बात को आपने स्वय स्वीकार किया है कि जिस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, पैसे की कमी है, उसको देखकर हम उस ट्रैफिक को छठी योजना के अन्त तक 309 मिलियन टन तक नहीं पहुंचा पायेंगे। आपने अपने एक्सप्लेनेटरी मैमोरंडम में कहा है कि हम उसको केवल 283 मिलियन टन के लक्ष्य तक पहुंचा पायेंगे। यह क्या शो करता है ?

यही नहीं, जहां तक वैगन और कोचेज के प्रोडक्शन का सवाल है रेलवे ट्रेक को ठीक करने का सवाल है, नई लाइनें बनाने का सवाल है, जितने भी लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये गये हैं, हमें शक ही नहीं, बल्कि विश्वास है कि रेलवे मंत्रालय छठी योजना के लक्ष्यों तक, जो आज स्थिति है, उसके अनुसार नहीं पहुंच पायेगा। यह मैंने एक उदाहरण दिया है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने इस कमेटी की सिफारिश को मान लिया, सीकरी कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, आपके ट्रेक्स के बारे में आज की स्थिति यह है कि 13,000 किलो मीटर रेलवे ट्रेक तुरन्त रिन्यूअल मांगता है।

मैं रेलवे ट्रैक की बात कह रहा हूं, 1981-82 के अन्दर 164 करोड़ 59 लाख का प्रोवीजन था, इसको 1982-83 में आपने कम करके 160.53 करोड़ पर लाकर छोड़ा है यानी गत वर्ष के मुकाबले में आपने रेलवे ट्रैक के रिन्यूअल के लिये 40 करोड़ से कम रकम ली है। इसका नतीजा क्या हुआ ? नये वर्ष के 160.53 करोड़ में से 125.86 करोड़ तो वर्क-इन-प्रोग्रेस के लिये चला जायेगा और नये साल के लिये आपके पास केवल 34.67 करोड़ रुपया है। इसका तात्पर्य यह है कि ट्रैक रिन्यूअल के बारे में 1979, 80, 81 के अन्दर जो भी योजनाएं ली, जिनका काम चल रहा है, वह पुरी होंगी, बाकी नई योजनाओं का काम इसमें नगण्य होगा। क्या इससे स्थिति सुधर जायेगी ?

दूसरी स्थिति बैगन्स की है, जो हमारी जानकारी है, आज 65 हजार से भी अधिक वैगन आपके ओवर-रज हो चुके हैं। आपने बजट भाषण में 44,700 बताये हैं, हमारी सूचना के अनुसार लगभग जितना स्टाक है, उसका 12 प्रतिशत यानी 35,000 बैगन्स आज overage हो चुके हैं।

कोचेज आपके 7,500 overage हुए हैं जो कि लगभग टोटल कोचेज का 20 प्रतिशत हैं। जो वैगन्स ओवरहाल के लिए ड्यू हो गए हैं वह भी 25 प्रतिशत हैं। लेकिन आपने जो बजट रखा है रोलिंग स्टाक का 1981-82 में यह था 445 62 करोड़ और 1982-83 में आपने 467.29 करोड़ रखा है यानी इसमें 44.2 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है। इसका परफामैन्स क्या हुआ ? यह होने वाला है कि 456 10 करोड़ is meant for deliveries of stock already on order. जिनके आर्डर दिये जा चुके हैं पिछले बजट में, पिछले वर्ष में उन्हीं के पैसे चुकाने में यह 460.10 करोड़ चला जायेगा और नये कामों के लिए इस रोलिंग स्टाक के अन्दर केवल 11.19 करोड़ ही कार्फा रहेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि छठी पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य आंके गये हैं और उनको देखकर जो रोलिंग स्टाक की स्थिति है, ट्रेक्स की स्थिति है, उनको पूरा करने के लिये आगे बढ़ने का सवाल नहीं होता। रेलवे विभाग प्रोडक्शन को ज्यादा करके वर्तमान मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। जहां तक लोकोमोटिव्ज का सम्बन्ध है पुराने प्रोग्राम के अगेंस्ट डिलिव्री 13,874 और इस साल के प्रोग्राम के लिए डिलिव्री केवल 452 हैं। कैरिजिज गये साल की 10,215 की डिलिव्री के मुकाबले में इस साल केवल 288 हैं। वैगन्ज नये साल के आर्डर्ज के अगेंस्ट 21,517 हैं और इस साल 379 हैं। ये सब आंकड़े बता रहे हैं कि आज की स्थिति कितनी असंतोषजनक हैं।

मैं एक और गंभीर बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। व्हील एंड एक्सल प्लांट, बंगलौर के लिए 1981-82 में 64 करोड़ रुपये का प्रावीजन था, लेकिन 1982-83 के लिए केवल 30 करोड़ रुपये का आउटले रखा गया है। स्थिति यह है कि आज इस प्लांट को पूरा करने के लिए 60 करोड़ रुपये चाहिए। इसके मुकाबले में इम्पोर्ट आर्डर्ज और इन्डिजिनस मशीनरी के आर्डर्ज 68 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। इस साल बजट केवल 30 करोड़ रुपये का है। तो फिर इस 60 करोड़ रुपये के खर्च को कैसे मीट किया जाएगा ?

आपने इसी बगलौर प्लांट के बारे में पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट देखी होगी। उसमें बताया गया है कि इस प्लांट को सेवन्टीज में बन कर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन रेल विभाग द्वारा की गई ढीलों के कारण, गलत नीतियों के कारण और योजना न होने के कारण आज वह प्लांट दस बीस टाइम्ज कास्टली हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके लिए जो रकम मांग रहे हैं, उससे क्या होगा।

जहां तक नई रेलवे लाइनों का सम्बन्ध है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पहले के काम और योजना को नसालिडेट कर दिया जाये और अभी नई लाइनों की ज्यादा बात न की जाए। लेकिन जिन लाइन्ज को सैंक्शन कर दिया गया है, जिन पर खर्चा भी हो गया है, उनके लिए नए बजट में केवल नामिनल राशि रख कर क्या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं किया जा रहा है ? उदाहरण के लिए मेरी कांस्टीट्युएन्सी में कोटा-चित्तौड़गढ़ लाइन का सैंक्शन हो गयी है। मत्री महोदय को भी उस लाइन से काफी लगाव है। वहां लैंड एक्वीजीशन हो गया है, अर्थ-वर्क के आर्डर्ज प्लेस हो गए हैं और मिट्टी पड़नी शुरू हो गई है। मगर उस लाइन के लिए केवल ढाई करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे उस लाइन का क्या होगा ? यह वह लाइन है जिस पर कोटा को चित्तौड़गढ़ से कनेक्ट करने के बाद आठ से दस तक सीमेंट के कारखाने खड़े हो जाएंगे। इतना सारा मैटीरियल वहां पर पड़ा हुआ है। वह सारा बैकवर्ड एरिया है। मगर इस लाइन के लिए सिर्फ ढाई करोड़ दिए गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय इन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं।

रेलवे में बहुत बंगलिंग हो रही है। मेरे पास समय के अभाव में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्टस को पढ़ने का टाइम नहीं है। आप ये रिपोर्टस पढ़ सकते हैं। पब्लिक एकाउन्टस कमेटी की 15वीं रिपोर्ट (1980-81) कोलैबोरेशन एग्रीमेंट फार मैनुफेक्चरिंग आफ डीजल इंजिन्ज, 23वीं रिपोर्ट (1980-81) : इमपोर्ट आफ व्हील सेट्स, 45वीं रिपोर्ट (1980-81) : व्हील एण्ड एक्सल प्लांट, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, 73वीं रिपोर्ट (1980-81) : रीमाडलिंग आफ मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड।

इन रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रशासन की लालफीताशाही और समय पर निर्णय न लेने के कारण सारी गड़बड़ियां हो रही हैं और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। अगर इस पैसे की बचत की जाए, तो मंत्री महोदय को और पैसा मांगने की जरूरत नहीं होगी। अगर फाइनांस मिनिस्टर रेलवे के विकास के लिए और पंच-वर्षीय योजनाओं की पूर्ति के लिए पूरा पैसा दें, तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन रेलवे के पास साधन मौजूद हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स में रेगुलरली आर्टिकल्ज आ रहे हैं कि एक एक्सपर्ट ने योजना बना कर रेलवे विभाग को दी है, जो पांडे कमेटी के विचाराधीन है। उसने बताया है कि रेलवे बिना खर्च किए बीस साल में आत्म-निर्भर हो सकती है और उसे किराया या भाड़ा बढ़ाने की जरूरत नही है। मैं जानना चाहता हूं उस पर क्या विचार किया है। मुझे डर है कि वह रिपोर्ट लालफीताशाही द्वारा दबा नहीं दी जाये।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि जहां तक वैगन-एलाटमेंट की बात है, श्री केदार पांडे के जमाने में जो कुछ हुआ उसको मैं कहना नहीं चाहता। हजारों वैगन आउट आफ टर्न एलाट किए गए। और उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं आउट आफ टर्न जो रैक्स एलाट किए जाते हैं उसमें पचास हजार से लाख-लाख रुपया तक लिया जाता है। शायद किसी भी मिनिस्ट्री ने ऐसा रिकार्ड क्रिएट नहीं किया होगा। किसी को चार, किसी को पांच और किसी को सात इस—तरह से पौने चार सौ रैक्स आउट आफ टर्न एलाट किए गए। इस तरह की चीजें और घोटाले अगर बन्द हो जायेंगे तब भी स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है।

***श्री वी० एस० विजय राघवन** (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से इस बजट का स्वागत करता हूं। माननीय रेल मंत्री ने पिछले वर्ष भाड़ा अर्जित करने वाले यातायात में हुई भारी वृद्धि का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि दिसम्बर, 1981 के अन्त तक रेलों ने 21.5 करोड़ टन माल ढोया और उसमें इस बर्ष और भी वृद्धि होने की सम्भावना है। मैं रेल मंत्री तथा उनके विभाग को उनके द्वारा व्यवहारिक रुख अपनाये जाने के लिए बधाई देता हूं। उसी प्रकार मुझे खुशी है कि रेल मंत्री पुराने रेल मार्गों का नवीकरण कर रहे हैं तथा इंजनों और डिब्बों को बदल रहे हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि ट्रैक की स्थिति तथा इंजन डिब्बों की हालत के कारण ही दुर्घटनाएं होती हैं। रेल मार्ग तथा इंजनों डिब्बों की खराब हालत के कारण 1980 में 17% दुर्घटनाएं हुईं। किन्तु एक वर्ष में उनका प्रतिशत बढ़कर 52% हो गया है। इससे केवल यही पता चलता है कि इस समस्या की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

मुझे इस बजट का समर्थन करते हुए प्रसन्नता है परन्तु यह मेरा कर्त्तव्य है कि रेलवे के कार्यकरण की कमियों की ओर ध्यान दिलाऊं। मेरा विचार है कि दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए बजट में प्रस्तावित भाड़ा वृद्धि बहुत अधिक है। इस वृद्धि का प्रभाव लम्बी दूरी के यात्रियों पर अधिक पड़ेगा। दिल्ली से केरल जाने वाले यात्री को अब 25 रुपये अधिक किराया देना पड़ेगा इससे उन पर भारी भार पड़ेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह प्रस्तावित वृद्धि पर पुनः ध्यान दें। उसी प्रकार मंत्री महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान बच्चों को दी गई रियायत को वापिस ले लिया है। उन्होंने रियायत के लिए बच्चों की आयु सीमा को 5 से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। मैं समझता हूं कि हमें बच्चों पर कुछ रहम दिखाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस रियायत को बहाल करें।

अब मैं केरल राज्य की कुछ समस्याओं को लेता हूं। रेल विकास के मामल में केरल की सदा उपेक्षा की गई है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि रेलवे में मामले में केरल में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि रेलवे लाइनों के मामले में केरल का हिस्सा देश की औसत से बहुत कम है। हमारे देश में 60,000 कि० मी० रेलवे लाइन है, उसमें से केरल में केवल 914 कि० मी० है। अन्य राज्यों में एक लाख की जनसंख्या पर 10

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कि० मी० लाइन है, परन्तु केरल में यह अनुपात केवल 4 कि० मी० पड़ता है। इससे पता चलता है कि वर्षों से केरल की कितनी उपेक्षा की गई। मुझे खेद है कि इस वर्ष के बजट में भी कोई महत्वपूर्ण पूंजी लगाये जाने की योजना नहीं है।

केरलवासियों की कुट्टीपुरम-गुरुवयूर रेलवे लाइन के लिए बहुत समय से मांग रही है। काफी समय से इस प्रश्न को सभा में उठाया जाता रहा है। भूतपूर्व रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने इस लाइन के महत्व को समझ लिया था और वास्तव में अपने समय में उन्होंने बजट में इसके लिये कुछ व्यवस्था भी की थी। परन्तु नाममात्र की व्यवस्था से काम नहीं बनेगा। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि यह लाइन गुरुवयूर को, जो कि दक्षिण का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, भारत के शेष भागों से जोड़ेगी। हजारों लोग प्रति दिन इस मंदिर की यात्रा करते हैं। मुझे इस लाइन के महत्व पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्री महोदय को इस स्थान पर यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूं और तब वह इस विशेष लाइन के महत्व को अनुभव करेंगे। अपना बजट कार्य समाप्त करके वह गुरुवयूर की यात्रा के लिए कुछ समय निकालें। मैं एक बार फिर उन्हें निमंत्रण देता हूं। मेरा उनसे निवेदन है कि इस लाइन के सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र किया जाये ताकि इस पर यथा शीघ्र विचार हो सके।

अन्य बात जिसे मैं उठाना चाहता हूं वह केरल की तटीय रेलवे के बारे में है। वस्तुतः योजना आयोग ने एलेप्पी से एर्नाकुलम तक एक तटीय रेलवे लाइन के महत्व को समझ लिया था। नारियल जटा उद्योग जो कि केरल का परम्परागत उद्योग है एलेप्पी में केन्द्रित है। नारियल जटा, खोपरा तथा अन्य उत्पादनों का देश के अन्य भागो में भेजा जाना इस लाइन के बन जाने से सरल हो जायेगा। परन्तु मुझे खेद है कि इसके लिए केवल 30,000 रुपये का आबंटन किया गया है। वास्तव में लाभप्रदता की दृष्टि से यह लाइन बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से हृदय से अपील करता हूं कि वह इस लाइन पर कुछ अधिक ध्यान दें।

दूसरी बात मैं केरल की लाइनों के विद्युतीकरण के बारे में कहना चाहता हूं। केरल में फालतू बिजली है जिसका उपयोग लाइनों के विद्युतीकरण में किया जा सकता है। इस समय हमें केरल के स्टीम इंजनों के लिए कोयला बिहार में मिल रहा है। यदि बिहार से कोयले की सप्लाई में विलम्ब हो जाता है अथवा वह रुक जाती है तो कई गाड़ियां रद्द करनी पड़ती हैं। विद्युतीकरण ही इस समस्या का एकमात्र हल है। लेकिन किसी तरह भी सरकार ने इसके पक्ष में ये विचार नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करें।

मैं केरल की उपेक्षा की बात कर रहा था। लेकिन केरल का मलाबार क्षेत्र अधिक उपेक्षित है। जब कोयले की कमी होती है तो सबसे पहले मलाबार क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं। इससे मलाबार के लोगों को असंख्य कष्ट होते हैं। अतः इस क्षेत्र में रेल सुविधा में सुधार करने के लिए मुझे कुछ सुझाव देने हैं। सबसे पहले, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आरकोट एक्सप्रेस को, जो मद्रास से शुरू होती है और इरोड पर समाप्त हो जाती है, कालीकट तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। कालीकट एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र

है। यदि इस गाड़ी को वहां तक बढ़ा दिया जाए तो यह कोयम्बतूर के लिए भी लाभप्रद होगी। मंत्री महोदय, कृपया इस सुझाव पर विचार करें। इसी तरह, कोल्डनगोडे और त्रिचूर बरास्ता अलाथुर के बीच एक अन्य लाइन भी बनाई जानी चाहिए। इस लाइन को और आगे बढ़ाया जा सकता है जिससे कि एक तरफ पाजहानी, मदुराई को तथा दूसरी तरफ तिरुवमपदी, परमेक्कबु और गुरूवायूर को जोड़ा जा सके। अन्य सुझाव यह है कि नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली के० के० एक्सप्रेस को, जोकि आजकल सप्ताह में दो बार चलती है, सप्ताह में तीन बार चलाया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत भीड़ होती है।

केरल के मलाबार क्षेत्र में पालघाट महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। मैंने कई बार यह मांग की है कि पालघाट में रेल के डिब्बे मरम्मत करने की फैक्टरी बनाई जानी चाहिए। केरल सरकार ने इस उद्देश्य के लिए निःशुल्क भूमि देने और बिजली तथा पानी उचित दर पर देने का वचन दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश रेल मंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस निवेदन के पक्ष में विचार करें और पालघाट में रेल के डिब्बे मरम्मत करने की फैक्टरी की स्थापना करें।

अन्य समस्या जिस की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह शोरनुर में लोको शेड के बारे में है। इस लोको शेड का निर्माण 1890 में किया गया था। वहां डीजल इंजन शुरू करने से इस शेड को समाप्त किया जा रहा है। इस शेड में 10 0 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। उन्हें यह स्थान खाली करने के लिए कहा जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। निश्चय ही डीजल इंजन बनाना एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके साथ ही उन कर्मचारियों को खपाने के लिए भी कुछ प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस लोको शेड ने इस क्षेत्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अतः शोरनुर के विकास को निरन्तर बनाए रखने के लिए वर्तमान लोको शेड की जगह, डीजल इंजन की मरम्मत के लिए शेड का निर्माण किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस समस्या की ओर आकर्षित करूंगा जिसका सामना भिलाई तथा मध्यप्रदेश में रह रहे केरलवासियों को करना पड़ता है। इस क्षेत्र में लाखों मलयाली रहते हैं। उनमें से अधिकांश स्टील संयंत्र में काम कर रहे हैं। सैंकड़ों लोग रोज केरल जाते हैं लेकिन वहां रेल सुविधा इतनी कम है कि इन लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम, इस जगह से केरल के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है। उन्हें सबसे पहले नागपुर जाना पड़ता है वहां से मद्रास तक वे दूसरी गाड़ी लेते हैं, और मद्रास से अपने नगरों तक पहुंचने के लिए एक अन्य गाड़ी लेनी होती है। आरक्षण बहुत ही मुश्किल है। यदि एक टिकट के लिए 100 रु० देना हो तो आरक्षण के लिये उन्हें 150 रु० देने पड़ते हैं। अतः मैं मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि हावड़ा तथा कन्याकुमारी के बीच बरास्ता भिलाई और नागपुर, एक गाड़ी शुरू की जानी चाहिए। इससे इन लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी। मुझे आशा है वह इस पर ध्यान देंगे।

महोदय, अंत में मैं एक बार फिर बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे सभी सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (बांका) : मैं समझता हूं कि रेल मंत्रालय के सराहनीय कार्य की, जोकि उन्होंने पिछले वर्ष तथा उससे पहले किया, प्रशंसा करते हुए मैं इस सदन की भावनाओं को ही व्यक्त कर रहा हूं। उन्होंने आर्थिक दशा सुधारने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुख्य रूप से इन्हीं प्रयासों के कारण सही सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ना संभव हुआ है और देश में मूलभूत सुविधाओं की स्थापना में सुधार हुआ है। इस कारण भी रेलवे अधिक अर्थक्षम हो गयी है और इसकी वित्तीय स्थिति में निश्चय ही सुधार हुआ है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है, जैसाकि इस सदन के बहुत से सदस्यों ने भी कहा है, वह भाड़ा अर्जित करने वाले यातायात के क्षेत्र में हैं। मैं मंत्री महोदय द्वारा उद्धृत किए गए आंकड़ों को पुनः दोहराना नहीं चाहता। लेकिन रेल मंत्री और उनके योग्य सहयोगी और उनके पूर्ववर्ती रेल मंत्री तथा सबसे अधिक रेलवे बोर्ड के सभापति और सदस्य उनके द्वारा किये गये कार्य के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे उन कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने इस अच्छे कार्य के लिए अपना योगदान दिया।

मैं कुछ आंकड़ों को उद्धृत करना चाहता हूं जिससे यह संकेत मिलेगा कि आज भी इस सुधार की स्थिति दृढ़ता से और निरन्तर चल रही है। पिछली जनवरी में कुल दैनिक लदान 34041 वैगनों तक बढ़ गया था। राजस्व अर्जित करने वाले परिवहन की जो जनवरी 1981 में 18.53 मीट्रिक टन था, बढ़कर जनवरी में 19.70 मीट्रिक टन होने की संभावना थी। राजस्व अर्जित करने वाले परिवहन का शुद्ध टन किलोमीटर में कुल योग दिसम्बर 1980 में 14.39 बिलियन था जबकि पिछले दिसम्बर में यह 14.39 बिलियन था। कुल मिलाकर शुद्ध टन अप्रैल से दिसम्बर 1981 तक 120-20 बिलियन रहा जब कि 1980 की इसी अवधि में यह 103.9 बिलियन था।

मुझे आशा है कि रेलवे अपने बजट अनुमान से 5 एमटी से भी अधिक आगे बढ़ जायेगा। यह बढ़ती हुई प्रवृत्ति रेलवे-प्रणाली की अच्छी स्थिति की सूचक है। इसने देश के सभी सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के उत्साह को बढ़ाने में बहुत सहायता दी है। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अच्छे नेतृत्व से बहुत कम समय में अच्छे परिणाम उपलब्ध किए जा सकते हैं।

पिछले दो वर्षों में आस्तियों के उपयोग में निरन्तर वृद्धि हुई है लेकिन 1976-77 के उच्च स्तर तक पहुंचना बाकी है। वैगनों के वापसी चक्कर समय में पर्याप्त सुधार हुआ है। वापसी चक्कर व समय में एक दिन की कमी का अर्थ है 500 करोड़ रुपए की वृहत राशि। रेलवे इस समय को केवल एक ही साल में 2½ दिन कम करने में सफल हुई है जिससे रेलवे प्रणाली की सामान्य क्षमता में वृद्धि हुई है। तथापि, माल यातायात में और सुधार की गुंजाइश है तथा इसे और अधिक द्रुतगामी बनाया जा सकता है। 1979-80 में मालगाड़ी की गति

14.8 थी जो अब थोड़ी सी बढ़ कर 1980-81 में 15 2 हो गई है। लेकिन मैं समझता हूं यह वृद्धि उनके द्वारा शुरू किए गए विद्युतीकरण डीजल इंजनों को लगाने के कार्यक्रम से ही हुई है। और मुझे विश्वास है कि कार्य स्तर में सुधार से रेलवे और अधिक उपलब्धियां करने में सफल होगा।

मुझे यह और कहना है कि रेलवे में औद्योगिक शांति कायम रखी गई है, जिसका पूरा श्रेय प्रबन्धकों और कर्मचारियों को जाता है। सभी स्तरों पर कर्मचारियों के मन में काम के प्रति अनुशासन और लगन की बात बैठाना आसान काम नहीं है और मैं समझता हूं कि वे ठीक दिशा में जा रहे हैं।

कई मामलों में कुछ आरोप लगाये गये हैं, जैसे कि एक सदस्य ने यह कहा था कि रेलवे स्वयं को बहुत अधिक विस्तृत करने का प्रयत्न कर रहा है और सुरक्षा के प्रति सावधानी नहीं बरती जा रही है। मैं इसे निराधार और गलत आलोचना समझता हूं।

लेकिन इसके साथ ही मैं कहूंगा कि 1976-77 में जो कार्य निष्पादन था उसे अभी भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। मेरा विचार है रेलवे पुनः उस स्तर तक पहुचेगी। इसके अतिरिक्त, आस्तियों का उपयोग अन्य देशों की रेल प्रणाली की तुलना में काफी कम है।

लगभग सभी सदस्यों ने स्थिति को बहुत अधिक स्पष्ट किया है, चाहे वह विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया हो जैसा कि अभी श्री गोयल ने कहा है। वह हर तरह से सुधार करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने किरायों और भाड़ों में की गई वृद्धि की आलोचना की थी, जिनका यहां सुझाव दिया गया है।

हम देखते हैं कि हालांकि रेलवे योजना खर्च का 41 प्रतिशत पिछले 30 वर्षों के दौरान रेल डिब्बों, माल डिब्बों, इंजन आदि प्राप्त करने पर लगा है, तथापि आवश्यक परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिब्बों आदि का आधुनिकीकरण रेलवे के लिए अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे आंकड़े उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पटरियों और डिब्बों आदि के रख रखाव, पुलों की मरम्मत आदि अभी भी बहुत सा काम बाकी है।

आने वाले भविष्य में भी रेलवे देश के परिवहन ढांचे की रीढ़ बनी रहेगी। ऑरीजिनेटिंग ट्रैफिक का छठी पंचवर्षीय परियोजना में 1984-85 में 309 मिलियन टन होने का अनुमान है और 1984-85 में परिवहन की कुल आवश्यकता 210 बिलियन टन किलो मीटर होगी। रेलवे को कम दूरी के परिवहन को छोड़कर सभी प्रकार के भाड़े वाले परिवहन की क्षमता में सुधार करना होगा।

विद्युतीकरण कार्यक्रम की गति में तेजी लानी होगी तथा पुराने डिब्बों आदि के प्रतिस्थापन और रख-रखाव के कार्य में भी तेजी लानी होगी। इस पृष्ठभूमि में, हम देखते हैं, जैसा कि प्रो० मधु दंडवते ने बताया है, कि कुल योजना परिव्यय आने वाले वर्षों में न केवल आकस्मिक एवं अनिवार्य जिम्मेवारियों के लिए अपर्याप्त है बल्कि योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी कम है।

योजना आयोग को पिछड़े और ऐसे क्षेत्रों में भी, जहां कोई रेल सुविधा प्राप्त नहीं है, नई लाइनें बनाने के कार्य को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिस पर विगत में उचित ध्यान नहीं दिया गया है । अधिक रेलवे लाइनें बनाने और रेलवे के विकास बहुत आवश्यक है । यहाँ लगभग प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ बात और सुझाव हैं । सरकार के लिए इन मांगों को लम्बे समय तक अस्वीकार करना बहुत मुश्किल और कदाचित अनुचित है ।

आर० टी० ई० सी० ने अनुमान लगाया है कि 2000 ई० तक यात्री यातातात 520 विलियन पैसेंजर किलोमीटर तथा माल यातायात 468 विलियन टन कि० मीटर होगा । योजना रेलवे के प्रति उदार होनी चाहिए । लेकिन रेलवे को भी अपने आन्तरिक साधनों को भी अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए ।

वर्तमान योजना परिव्यय में रेलवे द्वारा $\frac{1}{4}$ योगदान दिये जाने की व्यवस्था की गई जबकि आर० टी० ई० सी० ने सुझाव दिया कि कुल व्यय का 40% आंतरिक स्रोतों से एकत्र किया जाये ।

बहुत से सदस्यों ने, विशेष रूप से विपक्ष के सदस्यों ने रेलवे द्वारा भाड़ा वृद्धि का विरोध किया है । परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि रेल भाड़ा मुख्य कच्चे माल से बहुत कम था । पिछले 25 वर्ष में 1950-51 से 1975-76 तक खनिज तेलों तथा लोहा और इस्पात के मूल्य सूचकांक में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा रेलवे कर्मचारियों पर औसत व्यय में 418 प्रतिशत वृद्धि हुई है परन्तु प्रति यात्री औसत आय में वृद्धि 234 प्रतिशत तथा औसत प्रति टन किलोमीटर आय में 257 प्रतिशत वृद्धि हुई है । आर० टी० ई० सी० के सुझावों को ध्यान में रखना पड़ेगा जिसमें पूरे रेलवे टैरिफ के पुनर्गठन की मांग की गई है, जोकि अनिवार्य है तथा इसे टाला नहीं जा सकता और यह न केवल रेलवे के सुधार के लिए अपितु भविष्य में रेल प्रणाली के विकास के लिए भी आवश्यक है ।

मंत्रालय इसे धीरे-धीरे करना चाहता हैं, जोकि न केवल अपर्याप्त है, परन्तु उसमें उपयुक्त स्तरों पर उपयुक्त मात्रा में लैवियों में अंतर की अनुमति नहीं देता । आज रेलवे में सुयोजित एवं पर्याप्त प्रयत्नों की अत्यन्त आवश्यकता है ।

यह उपाय मुद्रास्फीति-परक नहीं है । श्रीमान, कोयले के भाड़े में 100 प्रतिशत वृद्धि भी उसके थोक मूल्य में 0.2 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी । इससे भी अधिक यात्री यातायात के लिए मांग प्रबन्ध का पहलू भी है । श्री गोयल ने भाषण की भाषा पर आपत्ति की । इसमें सुधार हो सकता है, परन्तु सार यह है कि यह शत-प्रतिशत सही है क्योंकि रेलवे यात्रियों द्वारा थोड़ी दूरी की यात्राओं को निरुत्साहित करती है, जिन्हें अन्य परिवहन साधनों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए । इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि रेलों के सही करने के लिए तथा विश्वास के साथ भविष्य का सामना करने के लिए एक साहसी कदम वास्तव में नई दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि अनुसंधान एवं विकास खंड पर अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता है, जिससे नवीनता का विकास हो तथा सभी दिशाओं में नये

तकनीक बरते जायें परन्तु दो-तीन वर्ष में आने वाली चुनौतियों को पूरा करने के लिए नहीं अपितु 2000 ईसवी की चुनौती को पूरा करने के लिए रेलवे को उचित हालत में लाने के लिए गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

समाप्त करने से पूर्व मैं कुछ शब्द श्रमिक समस्या के बारे में कहना चाहूंगा । उत्पादकता के इस वर्ष में, उत्पादकता पर आधारित बोनस योजना को सभी रेल कर्मचारियों के लिए अधिक अर्थ-पूर्ण बनाये जाने की मैं प्रशंसा करूंगा । परन्तु वर्तमान कर्मचारियों की संख्या के बारे में एक पहलू की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा । कुल 15 7 लाख नियमित रेल कर्मचारियों में से 9 प्रतिशत वर्ग 'क' और 'ख' के हैं, 45.9 प्रतिशत वर्ग 'ग' के हैं तथा 53.4 प्रतिशत वर्ग 'घ' के हैं । प्रति कर्मचारी औसत आय 703 रुपए मासिक बैठती है । इस 703 रुपए की औसत की तुलना में वर्ग 'घ' की औसत केवल 450 रुपए मासिक है । तथा वर्ग 'ग' की औसत आय 550 रुपए मासिक है । इस प्रकार इससे पता चलता है कि वर्ग 'घ' तथा अधिकांशतः वर्ग 'ग' के कर्मचारी अपने पूरे कैरियर में 703 रुपए की औसत आय से बहुत कम वेतन लेते हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति बनती जा रही है कि शिखर प्रशासन को बहुत अधिक वेतन दिये जाते हैं । यदि 1960-61 और 1980-81 के बीच कर्मचारियों की संख्या में तुलना की जाये तो यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वर्ग 'क' और 'ख' में भारी वृद्धि हुई जोकि लगभग दुगुने से भी अधिक है जबकि वर्ग 'ग' और 'घ' में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि केवल 3.0% है । मैं रेल मंत्री को सुझाव देता हूं कि प्रश्न के इस पहलू पर विचार करें तथा जहां भी कटौती की जा सके तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके, मैं समझता हूं कि वह ऐसी कटौतियों में संकोच नहीं करेंगे ।

फिर वर्ग 'ग' के कुल 7.21 लाख कर्मचारियों के वर्ग 'ख' में पदोन्नति के अवसर 0.7 हैं । पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं । इस विशेष समस्या के कारण वर्गानुसार बहुत से संगठन बन गये हैं जोकि रेलवे में सम्पूर्ण श्रमिक आन्दोलन के लिए खतरा बन गये हैं । मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री तथा उनके योग्य सहयोगी — राज्य मंत्री इस समस्या पर ध्यान देंगे तथा कर्मचारियों को अधिक निष्ठा से रेल सेवा करने का अवसर देंगे ।

सेठी जी ने पूरी अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद को सम्भाला है । पैट्रोलियम और रसायन मंत्री के रूप में उनका रिकार्ड प्रशंसा योग्य रहा है तथा उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कीं । मुझे विश्वास है कि अपने अनुभव और गतिशीलता से वह रेलवे को भविष्य की चुनौती का सामना करने के लिए अधिक सक्षम एवं स्वस्थ बना पायेंगे ।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : मैं रेल मन्त्री, श्री सेठी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करता हूं ।

विभिन्न दलों के सदस्यों ने रेलों में सुरक्षा के बारे में तथा यात्रियों को अधिक सुविधाएं दिए जाने पर अपने विचार व्यक्त किये हैं ।

दुर्घटनाएं बहुत होती हैं इसलिए यह अच्छी बात है कि रेल मन्त्री ने सुरक्षा के पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया है ताकि भविष्य में दुर्घटनाएं न हों।

इससे पूर्व कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा अपने राज्य की बात कहूं मैं एक दो बात रेलों में सुधार के बारे में कहना चाहूंगा तथा मुझे विश्वास है कि रेल मन्त्री महोदय इन पर ध्यान देंगे।

मेरे कुछ मित्रों ने सामान्य रिजर्व को देय लाभांशों की चर्चा की है जोकि 1954 अथवा 1956 में लिये गये थे। इनका उपयोग केवल रेलवे लाइनें बिछाने तथा माल डिब्बों और यात्री सवारी डिब्बों की खरीद के लिए किया गया है मुझे बताया गया है कि प्रति वर्ष रेलवे अभिसमय समिति द्वारा इसकी पुनरीक्षण की जाती है कि इस बात की संभावना का पता लगाया जाये कि रेलवे सामान्य रिजर्व निधि में कितनी राशि दे। यदि मैं सही हूं तो रेलवे भी एक सरकारी प्रतिष्ठान है। वर्तमान सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगाई है। मैं स्वयं भी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में हूं। मैंने अन्य सरकारी उपक्रमों में इस प्रकार की अभिसमय समिति नहीं देखी है। अन्य सरकारी उपक्रमों की तुलना में रेलवे सार्वजनिक उपयोग की सेवा है। मैं कह सकता हूं कि यह देश के अन्य सरकारी उपक्रमों से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि सभी सरकारी उपक्रमों के लिए अभिसमय समिति गठित की जाती है, तो दूसरी बात है। रेलवे द्वारा सामान्य रिजर्व में लाभांश के रूप में अंशदान दिये जाना, जिसे बाद में रेलवे के विकास के लिए उपयोग में लाया जा सके, यह बात मेरी समझ में आती है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। वर्तमान बजट में चल रही परियोजनाओं एवं नई रेलवे लाइनों के बारे में अच्छी स्थिति दर्शायी गई है। यदि रेलों ने लाभांश देना बन्द कर दिया होता तो स्थिति यह न होती। सरकार को तथा रेल मंत्रालय को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आपका सुझाव है कि रेलवे को सामान्य रिजर्व में अंशदान नहीं देना चाहिए।

श्री के० राम मूर्ति : यह मेरा सुझाव है। यद्यपि यह सामान्य रिजर्व में जाता है, सामान्य राजस्व से रेलवे को उपयोग के लिये धन नहीं दिया जाता। यदि वही धन उपयोग के लिए रेलवे को वापस दिया जाये, तो इसका भली प्रकार उपयोग होगा।

तमिलनाडु के मेरे साथियों ने तूतीकोरिन, डिंडीगल-करुर रेलवे लाइन का उल्लेख किया है। पिछले वर्ष हमारे पूरे प्रयत्नों से इस परियोजना को स्वीकृति मिलनी थी, तथा 42 करोड़ के अनुमानित कार्य के लिये 2 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इस बार उन्होंने केवल 70 लाख रुपए आवंटित किए हैं। ऐसा क्यों हुआ है। इससे न केवल तमिलनाडु के संसद सदस्यों अपितु तमिलनाडु की जनता के मन में भी सन्देह पैदा हो गया है कि क्या इस परियोजना को लिया जाएगा अथवा इसे समाप्त कर दिया जायेगा। रेल मंत्री के बजट भाषण से इस बारे में और सन्देह पैदा हो गया है। मैं उद्धृत करता हूं :—

"चूंकी ऐसी चालू और स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें उपलब्ध संसाधनों के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं अनेक परियोजनाओं पर थोड़ा थोड़ा धन लगाने की बजाय अपर्याप्त संसाधनों के विवेक पूर्वक उपयोग की युक्तियुक्त नीति अपनाने और कुछ परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए बाध्य हूं, ताकि राष्ट्र को निवेशों का लाभ मिल सके।

अब, मेरा प्रश्न है, कि यदि यही स्थिति है तो उन्होंने, इतनी सारी परियोजनाएं क्यों हाथ में ली हैं। या तो इन्हें राजनीतिक दबाव के कारण लिया गया है, अथवा इसके लिए क्षेत्र में अत्यन्त आवश्यकता हो सकती है। एक बार संसद को आश्वासन दे दिया जाता है, एक बार इसे उपयुक्त अधिकारियों द्वारा स्वीकृति मिल जाती है तो इसे पूरा किया जाना चाहिए। यदि स्थिति इतनी अच्छी है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस चल रही परियोजना को समाप्त क्यों कर दिया जाए। इस बारे में मैं रेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी चालू परियोजना के लिए अत्यन्त मूल्य राशि आवंटित करना बहुत बुरी बात है।

मेरे मित्र ने ठीक ही कहा है कि एक रेल मंत्री तमिलनाडु का होना चाहिए।

यह सत्य है कि न केवल 1980 में और इसके बाद बल्कि 1950 से ही तमिलनाडु में कोई नई रेलवे लाइन नहीं बनाई गई और न ही कोई मीटर गेज लाइन ब्रोड गेज लाइन में बदली गई। रेलवे बोर्ड तथा रेल अधिकारी बहुत ही चतुर हैं। वे मन्त्रियों को खुश करना जानते हैं। यदि कोई साधारण सदस्य कोई योजना प्रस्तुत करता है तो उसको तुरन्त कूडेदान में फेंक दिया जाता है। परिस्थितिवश यदि वह रेल मन्त्री हैं तो वोही योजना तुरन्त सबसे पहले उसकी मेज पर रखी जायेंगी। इस प्रकार काम चल रहा है। व्यबहार में यह हो रहा है। श्री जाफर शरीफ हँस रहे हैं। परन्तु यह सत्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री सी० के० जाफर शरीफ ने इस प्रकार का कोई कार्य किया है ?

श्री के० राममूर्ति : मुझे नहीं मालूम और मैं कुछ बातों को उद्धृत करके श्री जाफर शरीफ को लज्जित नहीं करना चाहता। परन्तु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पड़ोसी हैं।

कुछ परियोजनाओं के अनुमान तैयार किये जा चुके हैं तथा उन्हें स्वीकृति दी जा चुकी है तथा परियोजनाओं का कार्य शुरू हो जाने के बाद भी, विशेष रूप से तमिलनाडु में वह कार्य पूरा नहीं किया गया है। यह बहुत बुरी बात है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लाइन बंगलौर से सलम तक तथा दूसरी तिरुनेलवेली से नागर कोयल तक के अतिरिक्त पिछले तीस वर्षों में वहां कोई नई रेलवे लाइन शुरू नहीं की गयी।

मेरे मित्र श्री विजयराघवन् अभी-अभी कह रहे थे कि येरकण्ड एक्सप्रैस को, जो इरोड में समाप्त हो जाती है, कालीकट तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।

आपको ज्ञात है कि मद्रास-कालीकट या त्रिवेन्द्रम् लाइन पर सात गाड़ियां चल रही हैं। एक गाड़ी कोयम्बटूर में समाप्त हो जाती है, दूसरी गाड़ी इरोड में समाप्त होती है। शेष पांच गाड़ियां केरल से आती हैं। अतः पेरकन्द एक्सप्रैस का कोलीकट तक बढ़ाने की मांग के पीछे कोई उचित तर्क नहीं है।

जबकि अन्य सभी गाड़ियां त्रिवेन्द्रम पर समाप्त हो जाती हैं तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि इन एक्सप्रैस गाड़ियों को त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक बढ़ाने के लिए या तो रेल विभाग या रेलवे बोर्ड या दक्षिणी रेलवे भी तैयार नहीं है। वैसे तो वे सदैव इस बात का दावा करते हैं कि हमारा देश कन्याकुमारी से काश्मीर तक है। परन्तु गाड़ियों को वे कन्याकुमारी तक नहीं बढ़ाते। त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक केवल एक यात्री गाड़ी चलती है।

मद्रास को छोड़कर हमारे देश के अन्य सभी महानगरों में तीव्र गति वाली परिवहन व्यवस्था है। इस वर्ष उन्होंने मद्रास के कर्मचारियों को जिन्दा रखने के लिए कुछ धन का आवंटन तो किया है, परन्तु वे मद्रास शहर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को तथा वहां तीव्र परिवहन प्रणाली की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए परियोजना की स्वीकृति देने के लिए तैयार नहीं हैं। विश्व बैंक ने भी शहर के विस्तार के लिए कुछ धन दिया है क्योंकि शहर में बहुत अधिक भीड़भाड़ बढ़ गई है। रेलवे प्राधिकारी अभी भी इस परियोजना पर सो रहे हैं। कलकत्ता में उन्होंने मीट्रो प्रणाली शुरू कर दी है। बम्बई में भी उन्होंने महानगरीय तीव्र परिवहन प्रणाजी शुरू की है।

मेरे मित्र श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम् दिल्ली में वृत्ताकार रेलवे के बारे में बतला रहे थे। यदि आपको कभी समय मिले तो आप कृपया जाकर उस गाड़ी में बैठकर देखें, और यदि आपको आप सहित चार यात्री उस गाड़ी में मिल जायें तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इस बात को कहने का मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि इस परियोजना को पूरा नहीं किया जाना चाहिए। इन परियोजनाओं के लिये कुछ प्राथमिकता होनी चाहिए मैं जानना चाहूंगा कि अन्य परियोजनाएं कितनी अवधि में पूरी कर दी जायेंगी।

दूसरी समस्या बंगलौर तथा सलेम रेलवे लाइन को परिवर्तित करने की है। हमारे रेलवे राज्य मंत्री को अच्छी तरह ज्ञात है कि उनके राज्य में यशवन्तपुर लाइन अभी भी, उनके मन्त्री बनने के बावजूद भी, मीटर गेज ही है। यह लाइन उनके द्वारा रेल मन्त्री की शपथ ग्रहण किये जाने से पहले भी मीटर गेज ही थी। लगभग अन्य सभी लाइनें ब्रोडगेज में परिवर्तित कर दी गयी हैं। सैद्धान्तिक रूप से एक बार इस पर सहमति भी हो गई थी···

एक माननीय सदस्य : रेल राज्य मंत्री सहमत नहीं हुए हैं। आप पहले उनको सन्तुष्ट कीजिये।

श्री के० राममूर्ति : हो सकता है वे हमेशा सहमत न हों। इस सलेम-बंगलौर लाइन को परिवर्तित करने का महत्व एक बार सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। यह कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इस पर अभी विचार भी नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री इसका सर्वेक्षण कराने के लिए सहमत हो सकते हैं।

श्री० के० राम मूर्ति : मन्त्री महोदय ऐसा कहें।

दूसरी महत्वपूर्ण बात विशेष रूप से मद्रास से विलूपुरम वाली लाइन है। मेरे मित्र श्री ईरा अनवरासु उसी चुनाव-क्षेत्र से हैं। चिंगलपुट तथा दूसरे क्षेत्रों से मद्रास शहर में कार्य करने के लिए लगभग एक लाख से अधिक यात्री आते हैं। गाड़ियों की आवृत्ति में वृद्धि करने या दोहरी लाइनें बनाने के प्रस्ताव पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। लगफग डेढ़ लाख यात्री हैं। रेल मंत्रालय को यदि कोई सन्देह है तो उन्हें सर्वेक्षण कराना चाहिए। हाल ही में गाड़ियों में जगह उपलब्ध न होने की वजह से झगड़ा हो गया था तथा काफी व्यक्ति गिरफ्तार हो गये थे तथा उनको न्यायालय में सजा दी जा रही है, अतः मद्रास से विलुपुरम तक दोहरी लाइन का निर्माण करने की बहुत भारी आवश्यकता है।

अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र कृष्णगिरि पर आता हूं। 1978 में गाड़ी नं० 901-902 दिन के समय सलेम से बंगलौर के बीच चलती थी। यह बन्द कर दी गयी है। जब मैं उस तरफ बैठता था तो मैंने प्रो० मधु दण्डवते से इस विषय में पूछा था जो उस समय यहां बैठे थे और उन्होंने हमें बतलाया था कि कोयला उपलब्ध न होने की वजह से यह अस्थायी रूप से रोकी गयी है अस्थायी भी नहीं बल्कि बहुत कम समय के लिए। मुझे पिछले चार वर्षों से आश्चर्य हो रहा है कि रेल मंत्रालय को कोयला कैसे नहीं मिल रहा। दिन के समय चलने वाली वह एकमात्र गाड़ी थी। सभूचे धर्मपुरी जिले की आवश्यकता इस गाड़ी के द्वारा पूरी की जा रही थी। धर्मपुरी जिले को भारत सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर दिया है। बंगलौर से सलेम तक रात को एक गाड़ी चलती है। यह बंगलौर शहर से रात्रि में 9 बजकर 20 मिनट पर चलती है तथा 125 मील दूर स्थित सलेम स्टेशन पर सुबह 6 बजे पहुंचती है। क्या ऐसी गाड़ी से कोई यात्रा करेगा ? केवल 125 मील की दूरी तय करने के लिए इसको लगभग 9½ घंटे लगते हैं। गाड़ी नं० 901-902 बन्द कर दी गयी है। धर्मपुरी के एक ओर जोलारपेट है तथा दूसरी ओर सलेम। मैं बार-बार मंत्री से यही निवेदन करता रहा हूं कि इन दो स्थानों में से मोरापुर या सामलपट्टी—किसी एक स्थान पर दिन में चलने वाली किसी गाड़ी को रोका जाना चाहिए। समूचे धर्मपुरी जिले की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने हमें बतलाया है कि कुछ सुरक्षा सम्बन्धी कारणों की वजह से हम वहां पर गाड़ियों को रोक नहीं सकते। परन्तु, महोदय, जोलारपट से तिरुपट्टूर के बीच मुश्किल से सात किलोमीटर का फासला है। दक्षिण रेलवे प्रशासन यह समझता है कि जोलारपट्ट तथा तिरुपट्टूर पर तो गाड़ी रोकना बहुत उचित है परन्तु 70 किलोमीटर के बीच किसी जगह गाड़ी रोकने के लिए वे तैयार नहीं हैं। दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा यह अयथार्थ दृष्टिकोण अपनाया गया है।

मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री इन मामलों पर ध्यान देंगे तथा मेरे चुनाव-क्षेत्र और तमिलनाडू सम्बन्धी सुझावों से सहमत भी होंगे। मुझे आशा है कि इन मामलों में वे कुछ न्याय करेंगे।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाफर शरीफ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रेल बजट पर चर्चा में भाग लिया है। मैंने उनके द्वारा दिये गये बहुमूल्य सुझावों को सुना है। मेरे वरिष्ठ साथी श्री प्रकाश चन्द सेठी वाद-विवाद को समाप्त करते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठाया गया है वह योजना आयोग द्वारा और अधिक धन का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में है, ताकि रेलवे की विकास योजनायें धन की कमी की वजह से अपूर्ण न रहें। जैसा कि पहले ही बजट-भाषण के दौरान कहा गया है कि रेलवे की वित्तीय स्थिति की मध्यवर्षीय पुनरीक्षा के दौरान अधिक धन आवंटन कराने का हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा। मगर मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किरायों में प्रस्तावित वृद्धि तथा भाड़े की दरों में समायोजन के बावजूद भी रेलवे की वित्तीय स्थिति कठिन ही रहेगी। वास्तव में कहीं पर यह बात भी कही गयी है कि संसाधनों को बढ़ाने के लिए हमारे वर्तमान प्रयत्न इतने पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि रेलवे विभाग अविलम्बनीय आवश्यकताओं को पूरा करने, बकाया राशियों का भुगतान करने तथा मरम्मत एवं रखरखाव करने तथा पुरानी परिसम्पत्तियों को बदलने आदि के लिए पर्याप्त आन्तरिक संसाधनों की व्यवस्था नहीं कर सकेगा।

कई माननीय सदस्यों ने रख-रखाव के सम्बन्ध में विशेषकर पुरानी पटरियों के नवीकरण के लिए पिछले आर्डरों का बकाया समाप्त करने की अत्यधिक आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस समय अन्य रेल उपकरणों जैसे इंजन, डिब्बे और माल डिब्बों में खराबी होना भी उचित रख-रखाव न होने के कारण ही है।

अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिससे हमारा गहरा ताल्लुक है वह है रेलवे की सुरक्षा और हम रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि रेल मंत्री जी द्वारा बजट-भाषण में कहा गया है। हमने रेलों में होने वाली घटनाओं को यथासंभव कम करने के लिए व्यवहारिक उपाय प्रारम्भ किए हैं तथा रेलवे कार्यों में सभी स्तरों पर सुरक्षा का वातावरण बना रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वासन देना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण पहलू हमारे मन में बहुत ही प्रबल रूप से है।

इसी तरह जहां तक समय की पाबंदी का संबंध है, हम इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं और अन्य उपायों के साथ-साथ हमने रेलवे बोर्ड में नियमित रूप से निगरानी करने वाले कक्ष की स्थापना की है, जिसका निजी रूप से मेरे द्वारा तथा मेरे वरिष्ठ मंत्री द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और यहां भी शीघ्र ही सुधार होने की आशा है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं देश के विभिन्न मंडलों का दौरा करता रहा हूं और पाबंदी तथा सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्नतम कार्यालय के साथ भी चर्चा करता रहा हूं।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ समस्याओं को लेना चाहता हूं। मेरे माननीय सहयोगी, श्री मधु दण्डवते ने कर्मीदल रहित फाटक के प्रश्न की ओर संकेत किया है। भारतीय रेलवे में 22,000 से अधिक कर्मीदल रहित फाटक हैं। अतः श्री दंडवते यह महसूस करेंगे चूंकि वह स्वयं भी मंत्री रहे हैं—कि कर्मीदल रहित फाटकों पर कर्मियों की नियुक्ति करने से सड़क और रेलवे के संरेखन, दृश्यता तथा रेल फाटक से गुजरने वाली पटरी आदि सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। राज्य सरकारों के परामर्श से रेलवे द्वारा इन बहुत से कर्मीदल रहित फाटकों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा यह निश्चित किया जाता है कि किस फाटक पर कर्मियों की नियुक्ति अथवा सुधार की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, रेलवे द्वारा स्थानीय नागरिक प्राधिकरणों के परामर्श से उन फाटकों की सूची तैयार की जाती है जिन पर कर्मी नियुक्त करने अथवा जिनको सुधारने की आवश्यकता होती है। और धनराशि उपलब्ध होने पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फाटकों पर नियुक्ति की जाती है।

एक कर्मीदल रहित फाटक पर कर्मी नियुक्त करने पर आरम्भ में लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च आते हैं तथा उसके रखरखाव पर हर वर्ष 20,000 रुपए खर्च होते हैं। अतः सभी कर्मीदल रहित फाटकों पर कर्मियों की नियुक्ति करने पर, जिनकी संख्या 22,000 है, आरम्भ में करीब 330 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे और हर वर्ष 45 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

श्री दण्डवते ने एक और प्रश्न यह उठाया है कि संघों सुरक्षा पहलू से संबद्ध किया जाना चाहिए। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। इस सम्बन्ध में, मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि हाल ही में इस विषय पर बहुत सी बैठकों में श्रमिक नेताओं के साथ चर्चा की गई थी, जहां न केवल बड़े श्रमिक नेता थे बल्कि छोटा काम करने वाले ड्राइवर, गार्ड और सहायक स्टेशन मास्टर आदि भी उपस्थित थे। हमारी उनके साथ बहुत ही उपयोगी और स्पष्ट वार्ता हुई। उन्होंने बहुत से कीमती सुझाव दिए और हम उन पर ध्यान दे रहे हैं।

श्री दंडवते द्वारा अन्य प्रश्न यह उठाया गया है कि गाड़ियां बिना गार्ड के चल रही हैं और गाड़ियों को फायरमैन चला रहे हैं ड्राइवर नहीं। वास्तव में वर्तमान नियमों के अनुसार गाड़ियों को पर्याप्त सावधानी लेने के बाद आपात की स्थिति में गार्ड के बिना चलाया जा सकता है। किन्तु आम तौर पर ऐसा नहीं होता।

जहां तक फायरमैन द्वारा गाड़ी चलाये जाने का प्रश्न है, किसी कर्मचारी को अपने आप गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि वह सुशिक्षित नहीं है तथा परीक्षण के बाद उसे सक्षमता का प्रमाणपत्र नहीं मिला हो। उन्होंने यह उल्लेख भी किया कि यद्यपि वैगनों का आवंटन करने में कुछ बड़े उद्योगों का ध्यान रखा जाता है, लघु उद्योगों को पर्याप्त डिब्बे नहीं मिल रहे हैं। मैं अपने विद्वान मित्र की इस बात से सहमत नहीं हो सकता। जैसा कि वह जानते हैं, डिब्बे सप्लाई करने की बकाया मांग रेल परिवहन की मांग तथा पूर्ति की यथार्थ सूचक है।

उनकी यह जानने में दिलचस्पी होगी कि बड़ी लाइन के मामले में 2,04,387 वैगनों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। जनवरी 1982 तक ये आंकड़े घटकर 55,401 हो गये जबकि दिसम्बर 1981 तक ये आंकड़े 83,052 थे इसी तरह मीटर-गाज पर भी 1979-80 में 84,871 वैगनों की पूर्ति नहीं की जा सकी। यह संख्या घटकर 31,255 हो गई है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय रेलवे में माल डिब्बों की सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इसीलिए, लघु उद्योगों को भी अपना हिस्सा मिल रहा है।

मेरे सहयोगी, श्री राम मूर्ति अभी-अभी कोयले का उल्लेख कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कोयले की कमी के कारण गाड़ियां रद्द की जा रही हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं, देश में भाप के कोयले की कमी है। कोयला कई प्रकार का होता है भाप बनाने वाला कोयला और कोयले का चूरा। कोयले के चूरे का उपयोग बिजली घर में किया जाता है जबकि भाप बनाने के कोयले का उपयोग कपड़ा, चीनी, शीशा, रेलवे आदि उद्योगों में भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देश में भाप के कोयले की कमी है जिसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया सभी वर्गों की मांग पूरी करने में समर्थ नहीं है। उसमें यथानुपात कटौती की जाती है और रेलवे को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी गाड़ियां रद्द की जाती हैं जो कि रेलवे की गलती नहीं है बल्कि देश में भाप के कोयले की कमी के कारण है।

श्री के० राम मूर्ति : कभी-कभी नहीं। चार साल तक। इसकी तरफ मैंने संकेत किया था।

श्री जाफर शरीफ : जहां तक रेलवे का संबंध है, यदि स्टेशनों पर कोयला उपलब्ध हो तो वे कोयला दे सकते हैं। हम बिजली घरों, इस्पात और सीमेंट उद्योगों को भी कोयला दे सके हैं। बिना टिकट यात्रा करने की भी कुछ आलोचना की गई है। जैसाकि आप जानते हैं, सरकार जनता को सच्ची और कुशल सेवा देने के लिए कृतसंकल्प है। मेरे सहयोगी, श्री मल्लिकार्जुन और निर्देशक बिना टिकट यात्रा का निरीक्षण करने के लिए गए। इस बारे में अच्छा सुधार हुआ है। 1979-80 में 1.8 लाख बिना टिकट के यात्रा करते थे। बाद में, हमारे तेज अभियान और प्रयासों से और निरीक्षण में तेजी आने से स्थिति में सुधार हुआ है। इस समय यह 2.6 लाख है। इससे स्पष्ट है कि कितनी तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं।

अपने माननीय सहयोगी श्री पाराशर की बात पर वापिस आता हूं। उन्हें अभी अभी चंडीगढ़ में एक मंडलीय कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता सहसूस हुई ताकि हरियाणा, पंजाब, जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में आने वाले क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लिया जा सके। पिछले वर्ष के बजट में रेल मंत्री ने कहा था कि रेलवे सुधार समिति की स्थापना की गई है जो नए रेलवे जोन स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी तथा साथ ही, यदि आवश्यक हुआ तो क्षेत्रीय रेलों में नई डिविजन की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

हमारे आदरणीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी यहां हैं। जब वह रेल मंत्री थे तो रेल बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने यह घोषणा की थी कि दिल्ली क्षेत्र को दो डिविजनों में बांटा

जाएगा। संचालन तथा प्रशासनिक कारणों से नए मंडल की स्थापना चंडीगढ़ की बजाय अम्बाला में करने को अधिक लाभप्रद पाया गया है। अम्बाला में जमीन लेने की कोशिशें चल रही हैं।

श्री पाणिग्रही ने भी क्षेत्रों को दो शाखाओं में बांटने तथा नए डिवीजन बनाने के प्रश्न का भी उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने अभी कहा है, रेलवे सुधार समिति द्वारा इन मामलों की जांच की जायेगी और सरकार निश्चय ही उनके सुझावों पर विचार करेगी।

(व्यवधान)

महोदय, उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि प्रबन्ध में मजदूरों की सहभागिता की योजना का श्रमिकों से सहयोग प्राप्त करने के लिए विस्तार किया जाये। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछले चार वर्ष से निगमित उद्यम ग्रुप, जिनमें रेल कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों की बराबर-बराबर संख्या है। रेलों में क्षेत्रीय और मंडलीय स्तर पर काम कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये प्रत्येक बड़ी वर्कशाप में नियमित रूप से हों, अनुदेश जारी किये गए हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिषद और बहुत से कर्मचारी परिषद भी काम कर रहे हैं।

श्री दौलत राम ने यह इच्छा व्यक्त की है कि प्रत्येक मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए, विशेषकर लोको-रनिंग कर्मचारियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में कर्मचारियों की बड़ी मात्रा में छंटनी पर ध्यान दिया जाना चाहिये। महोदय, जैसा कि रेल मंत्री ने कहा है, हमें इस तथ्य की जानकारी है कि प्रबुद्ध प्रबंधकों को अच्छी भूमिका अदा करनी है और यह उनका प्रमुख कर्त्तव्य है कि वे अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का ध्यान रखें और उनकी शिकायतों को बातचीत द्वारा खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करें। महोदय, जहां तक लोको-रनिंग कर्मचारियों का संबंध है, उनकी स्थिति इस सदन में कई बार बताई गई है। सरकार की यह नीति है कि अपने कर्मचारियों के प्रति उसे कोई प्रतिशोधात्मक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए तथा इन बातों पर सामान्य कार्यवाही की जानी चाहिए तथा मामले गुणवता के आधार पर निर्णीत किए जाने चाहिए। जो भी हो, माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि अनुशासनहीनता की घटिया कार्यवाही की अनुमति भारतीय रेलों में नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

महोदय, अपने तर्क की पुष्टि करने के लिए मैं श्री दंडवते द्वारा कही गई बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। अपने भाषण में उन्होंने प्रशासन और रेल कर्मचारियों की अधिक उत्पादकता के लिए प्रशंसा की है। अतः, इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन तथा कर्मचारियों के बीच कैसे संबंध हैं। महोदय, भारतीय रेलों के लिए सबसे अच्छा वर्ष 1976-77 था जब हमने 212.59 मिलियन टन माल ढोया। 1977-78 में यह 210.78 मिलियन टन था। 1978-79 में यह घटकर 199-56 मिलियन टन तक रह गया। जब जनता सरकार ने 1979-80 में सत्ता हमें सौंपी तो यह 193.1 मिलियन टन था। 1980-81 में सत्ता हमारे हाथ में आने के

बाद, इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा सकती है यह 195.84 मिलियन टन तक पहुंच गई। पुनः 1981-82 में जनवरी 1982 तक यह आंकड़े 180.74 मिलियन टन हैं तथा अनुमानित आंकड़े 230 मिलियन टन हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच आपसी सहयोग है और इससे सरकार के संकल्प का भी पता चलता है। यही कारण है कि हम परिणामोन्मुख कार्य पूरे कर सके हैं।

मुझे आशा है कि मैं उन सभी प्रश्नों पर प्रकाश डाल चुका हूं जिनका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है और शेष प्रश्नों और नीति सम्बन्धी मामलों की चर्चा मन्त्री महोदय अपने उत्तर में देंगे।

श्री एन० ई० होरो (खूंती) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे भारत भर में सबसे बड़ा नियोजक है। इसमें 15,7 नियमित तथा 2.65 लाख नैमित्तिक कर्मचारी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मन में यह आशंका बहुत समय से है कि रेलवे में अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती बहुत ही कम रही है।

(श्री चिंतामणि पाणग्रही पीठासीन हुये)

सभी श्रेणियों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती पर्याप्त संख्या में नहीं हुई है। रेलवे विभाग ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इससे पहले दो बार, अर्थात् पहली बार 1975-76 में तथा दूसरी बार 1977-78 में, द्रुत कार्यक्रमों द्वारा कुछ अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती की गयी। इस संबंध में, मैं सुझाव दूंगा कि सभी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में रेल सेवा आयोग की शाखाओं की स्थापना की जाये ताकि उन्हें अधिक रोजगार मिल सके और अब तक भरे न गये पदों पर नियुक्तियां की जा सकें।

अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिये कुछ सैल बनाये गये हैं। लेकिन इन सैलों का कार्यभार कनिष्ठ स्तर के लोगों को सौंपा गया है। उनका कोई भी महत्व नहीं है, जिसके फलस्वरूप इन सैलों की स्थापना का उद्देश्य निष्फल सिद्ध हो रहा है। मैं रेल मंत्री का ध्यान इन सैलों को सुदृढ़ करने की जरूरत की ओर दिलाना चाहूंगा, इन सैलों को वस्तुतः प्रभावशाली बनाया जाना चाहिये ताकि अब तक के अधूरे कार्यों को पूरा किया जा सके। मेरा अनुरोध यही है।

रेलवे में लगभग 2 लाख नैमित्तिक श्रमिक हैं। उनकी सेवाओं को शीघ्रातिशीघ्र नियमित करने का प्रश्न कई बार सामने आया है। उन्हें बहुत समय तक नैमित्तिक रूप में नहीं रखा जाना चाहिये। मैंने सुना है कि कई लोगों की 7 अथवा 8 साल की सेवा है और वे अब भी नैमित्तिक श्रमिक के ही रूप में काम कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और इस स्थिति में सुधार लायें।

रेलवे में समग्र रूप से कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के मामले में, मैं अनुभव करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिये अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिये कि रेलवे कर्मचारी वस्तुतः

ईमानदारी तथा सावधानी से काम करें। यदि आप किसी रेलवे स्टेशन पर जायें तो आप यात्रियों को इधर-उधर घूमते हुये देखेंगे; हर व्यक्ति अन्दर या बाहर जाने के चक्कर में रहता है और रेलवे कर्मचारी कोई भी सहायता नहीं करते। आपको इन रेल कर्मचारियों को निदेश देने चाहिये कि उन्हें सचमुच यात्रियों की सहायता करनी चाहिये। बाहर के देशों में मैंने ऐसा देखा है। हर बार जब गाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकती है तब हर दरवाजे पर रेलवे कर्मचारी होते हैं; वह यात्रियों के उतरने तथा चढ़ने में सहायता देने की कोशिश करते हैं। यदि इस प्रणाली को इस देश में लागू कर दिया जाये तो इसका श्रेय आपको मिलेगा और लोग भी आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे। हमें रेलवे कर्मचारियों में ईमानदारी तथा अनुशासन की भावना पैदा करने के लिये हर प्रकार के प्रयत्न करने चाहिये।

भारतीय रेलवे में कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबन्धी कुछ कार्यक्रम हैं। तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के अलावा आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिये कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को भी कुछ प्रशिक्षण मिले। इस प्रकार सरकार तथा रेलवे कर्मचारियों के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।

दूसरे, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आपको आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे सेवा आयोग की अधिक शाखायें खोलनी चाहिये ताकि अधिक से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी में लिया जा सके। मैं आपसे दूसरा अनुरोध भी करना चाहूंगा और वह है पूर्वी क्षेत्र में एक नया रेलवे जोन खोलने के बारे में।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में दो मंडल हैं—चक्रदरपुर मंडल तथा आद्र मंडल। एक दूसरा मंडल भी है और वह है पूर्वी प्रदेश का धनबाद मंडल। यदि आप इन तीनों मंडलों को लें और एक नया रेलवे जोन बनायें इससे वास्तव में उस क्षेत्र की जरूरतें पूरी होंगीं। इन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ बहुत मात्रा में हैं। रेलवे को इन खनिज पदार्थों के परिवहन द्वारा बहुत आय प्राप्त होगी। रेलवे को अधिक कार्यकुशल तथा वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये इस नये जोन का गठन किया जाना चाहिये।

इस सभा में हमने रांची से लोहारडागा तथा कोटशिला से पुरुलिया तक की मीटर गेज लाइन के ब्राडगेज लाइन में परिवर्तित करने के लिये बार-बार अनुरोध किया है। ऐसा मालूम होता है कि कुछ समय पहले कुछ काम शुरू किया गया था, लेकिन बाद में वह काम बंद किया गया। इस काम को अब जल्दी शुरू किया जाना चाहिये तथा पूरा किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त लोगों से ऐसा प्रस्ताव तथा मांग आयी है कि रांची के रेल मार्ग द्वारा तोड़ी से जोड़ा जाये। इस समय राँची से दिल्ली तथा उससे आगे जाने वाली दो गाड़ियों चल रही हैं। एक टाटानगर-अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ी है और दूसरी हाटिया-रांची-चंड़ीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है। यदि कोई दिल्ली से रांची जाना चाहे वह रास्ते में पतरातु उतर कर बस में बैठकर रांची जल्दी पहुंच सकता है। लेकिन यदि वह गाड़ी द्वारा ही रांची जाये तो उसे 5 से 6 घंटे अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। इस प्रकार बहुत समय बर्बाद होता है। अतः फासले को कम करने के लिये एक

प्रस्ताव किया गया था कि रांची को तोड़ा से जोड़ी जाये। वह बर्कखाना-डाल्टागंज मार्ग पर है और लोहारडागा और तोड़ी के बीच केवल 15 मील का अन्तर है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की ओर ध्यान दें ताकि बहुत से फासले को कम किया जा सके और यात्री अपना कीमती समय बचा सकें। यह तभी किया जा सकता है जब रांची-लोहारडागा मीटर गेड लाइन को ब्राड गेड लाइन में बदल दिया जाये। डुमका को रांची से रेल लाइन द्वारा जोड़ने का प्रश्न यहां उठाया गया था और मेरे विचार में यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है। यह रेलवे मार्ग गिरिडीह तथा हजारीबाग होते हुये डुमका से रांची तक बनाया जाना चाहिये। यह बात अभी तक विचाराधीन है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस लाइन पर कुछ काम शुरू किया जा चुका था। इस बारे में कोई न कोई रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत की गयी है। लेकिन बाद में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। यह लोगों की सही मांग है। डुमका को रेल से रांची के साथ जोड़ने से चार जिलों के जिला मुख्यालय रेल मार्ग द्वारा जुड़ जायेंगे।

रेलवे ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु एक प्रकार से बुनियादी ढांचे का काम किया है और उनकी कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां भी हैं। निस्संदेह वे कुछ सामाजिक जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। लेकिन मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि रेलवे को कई क्षेत्रों में पैसा लाकर अधिक स्कूल तथा अस्पताल खोलने चाहिए। उन्हें इस प्रकार की सामाजिक सेवा उन क्षेत्रों में भी करनी चाहिए जहां उन्होंने अभी तक कोई भी सेवा प्रदान नहीं की है। यह मेरा एक नया सुझाव है। कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए रेलवे इन क्षेत्रों का इस प्रकार विकास कर सकती है और इसी प्रकार सामाजिक दायित्व निभाये जायेंगे। यह एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का एक उद्देश्य आसपास के क्षेत्र के लोगों के विकास हेतु सहायता करना है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का यह उद्देश्य सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में रेलवे का भी होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार करें।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : 1982-83 के रेल बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और समर्थन करते हुए अपने कुछ विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

नए रेल मंत्री सेठी जी को इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में रेल सुरक्षा यात्रियों की सुरक्षा, रेलों को समय पर चलाना और रेलवे रिजर्वेशन आदि आवश्यक सेवाओं में से भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर जोर दिया है। मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री जी अपनी प्रशासनिक कुशलता और श्रमिकों के प्रति सदभावना से रेलवे प्रशासन में अवश्य ही चुस्ती एवं अनुशासन लाने में सफल होंगे।

विशेष रूप से 1982 को हमारे देश की प्रधान मन्त्री आदरणीय इन्दिरा जी ने उत्पादन वर्ष घोषित किया है और राष्ट्र को सत्यमेव जयते का नारा दिया है। मैं समझता हूं कि

उसी भावना के अनुरूप रेलवे प्रशासन में मंत्री गण अधिकारीगण, इंजीनियर एवं मजदूर वर्गों के सभी साथी उस बात को कार्यरूप में परिणत करने के लिए लग जाएंगे।

भारत जैसे बड़े राष्ट्र में रेल सेवाओं का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित एवं मजबूत बनाने में रेलों का जो योगदान है वह सराहनीय है। चाहे कोयले की ढुलाई की बात हो, खनिज लोहे या उत्पादन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने की बात हो या फिर सिमेंट, खाद, गेहूं, अनाज या अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की जरूरत हो। पिछले 30-32 सालों में माल भाड़े के कार्य में लगभग तीन सौ गुना वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों का गौरवशाली इतिहास भारतीय रेल सेवाओं में हुई उल्लेखनीय प्रगति का प्रमाण है। 1950-51 में हमारे पास 17 डीजल इंजिन एवं 72 विद्युत इंजन थे। 1980-81 में यह संख्या बढ़कर क्रमश: 2403 एवं 1036 हो गई। इसी तरह से रेल वैगनों एवं पैसेंजर कोचों की संख्या में भी दुगनी वृद्धि हुई है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की भी चर्चा की है कि नई रेल लाइनों के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई और पिछले तीस वर्षों में सिर्फ 7644 किलो मीटर का ही विस्तार कार्य हुआ है। उन साथियों का ध्यान मैं इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में जहां 7644 नए मार्गों का निर्माण हुआ है वहां उसके साथ साथ 7913 किलोमीटर लाइनों का दोहरीकरण यानी डबलिंग हुआ या मल्टीपल लाइनें बनाने का कार्य हुआ है और 1543 रूट किलो मीटर पर मीटर गेज लाइनों को परिवर्तित करके उनके स्थान पर ब्राड गेज लाइनें डाली गई हैं। इस प्रकार कुल करीब 17100 किलोमीटर लम्बाई में नई रेल लाइनों का कार्य हुआ है। इसी तरह आजादी के पूर्व सिर्फ 388 रूट किलोमीटर पर ही विद्युतीकरण था। इन तीस वर्षों में हमारे देश में अब करीब 4957 रूट किलो मीटर का नवीन विद्युतीकरण हुआ है। 1985 तक जोकि वर्तमान पंचवर्षीय योजना का समय है और 2800 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

कल भूतपूर्व रेल मंत्री श्री दंडवते जी ने अपने रेल मंत्रित्व काल के वर्ष 1977-78 में हुई प्रगति का कुछ विवरण सदन के समक्ष रखा था। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1977-78 में जो परिणाम उनके सामने आए थे वे वास्तव में वर्ष 1975 से 1977 के बीच एमरजैंसी के दौरान जो रेल सेवाओं में प्रशंसनीय सुधार हुआ था उसका परिणाम था, जनता शासन या उनकी योग्यता का वह परिणाम नहीं था। यह बात इससे स्पष्ट हो जाएगी कि 1977-78 के बाद जो 1978-79 और 1979-80 के वर्ष थे उन वर्षों में रेलों की विभिन्न सेवाओं में किस तरह से गिरावट आई और यह चीज आंकड़ी से स्पष्ट हो जाती है। फ्रेट ट्रैफिक के आंकड़ों का उल्लेख हमारे माननीय जाफर शरीफ सहाब ने किया है। 1976-77 में 212 मिलियन टन फ्रेट ट्रैफिक था जो घट कर 1977-78 में 210.78, वर्ष 1978-79 में 199.56 मिलियन टन और 1979-80 में 193.06 मिलियन टन रह गया। वहीं यदि आप गौर करें तो हमारी रेल सेवाओं ने 1981-82 में 220 मिलियन टन और आगामी वर्ष में 230 मिलियन टन फ्रेट ट्रैफिक ढोने की बात की है।

इसी तरह से यदि वैगन यूटिलाइजेशन को देखें जो मैं ब्रोड गेज के बारे में कह रहा हूं, नैट टन किलो मीटर प्रति वैगन डे जो 1977-78 में 1045 था वह 1978-79 में 976 रह गया और 1978-79 में 972 रह गया। इसी प्रकार से वैगन टर्न राउन्ड टाइम 1976-77 में 13 दिन था वह 1977-78 में 13.30, 1978-79 में 14.30 और 1979-80 में 15.1 बढ़ कर हो गया। वर्तमान में पुनः वैगन टर्न राउन्ड समय घटकर 13.6 पर आ गया है, और हमें उम्मीद है कि इसमें और आगे सुधार की गुंजाइश है, इसके लिये कोशिश की जानी चाहिये।

जहां तक 1978 से 1980 के बीच में रूट विद्युतीकरण का सवाल है आपको जानकार आश्चर्य होगा कि सिर्फ 193 किलो मीटर का ही विद्युतीकरण हुआ था। जबकि हमारी सरकार ने एक वर्ष में 800, 1000 किलो मीटर विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस समय 22-0 किलो मीटर प्रमुख ट्रंक रूट्स पर तेजी से विद्युतीकरण का काम चल रहा है।

हमारी रेल सेवाओं में 60 प्रतिशत आय फ्रेट ट्रैफिक से होती है और बढ़ते हुए आंकड़े यह साबित करते हैं कि पिछले दो सालों में रेलवे के फ्रेट ट्रैफिक कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-82 में 220 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त होने की पूरी सम्भावना है और आगामी वर्ष 1982-83 में 230 मिलियन टन माल को सफलता से ढोने का पूरा विश्वास है। इस उपलब्धि के लिये रेल मंत्रालय एवं रेल प्रशासन निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं।

वर्ष 1982-83 में 3914.34 करोड़ रु० की आय अनुमानित की गई है जिसमें 261.45 करोड़ रु० अतिरिक्त यात्री किराये एवं माल भाड़े में की गयी प्रस्तावित वृद्धि से प्राप्त होंगे। योजना आयोग द्वारा की गई कटौती के कारण रेलवे को अतिरिक्त आय के साधन जुटाना जरूरी भी हो गये थे। अतः मेरा मत है कि नई प्रस्तावित वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

रेल मंत्री जी ने यह भी कहा है कि करीब 13,000 किलो मीटर रेल ट्रंक के नवीनीकरण (रिनूअल) की आवश्यकता है, साथ ही 40,700 वैगन्स और 3,150 कोच भी पुराने हो चुके हैं जिनकी रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। इस कार्य के लिये 1137 करोड़ रु० में से 50 प्रतिशत राशि जो प्लान बजट में से मिली है खर्च करने की बात कही गई है।

डेप्रीसियेशन रिजर्व फंड में जो वर्ष 1981-82 में 350 करोड़ रु० था उसको बढ़ाकर 500 करोड़ रु० कर दिया गया है और इसका उपयोग भी नवीनीकरण और रोलिंग स्टाक को बदलने के लिये करने की बात कही गई है। यह सही है कि डेप्रीसियेशन रिजर्व फंड बढ़ा कर 500 करोड़ रु० किया गया है, परन्तु यदि भारतीय रेल की 31 मार्च, 1981 की बैलेंसशीट देखें तो पायेंगे कि 9671.88 करोड़ के असेट्स में से जो फिक्स्ड ब्लाक असेट्स हैं जिनकी वैल्यू 7448.39 करोड़ रु० है जिस पर डेप्रीसियेशन जो 500 करोड़ रखा गया है उसका 6.71 प्रतिशत ही होता है। वैसे जो डेप्रीसियेशन फिक्स्ड एस्सेट हैं और रोलिंग स्टाक एलाऊ किया जाता है, वह 10 से 15 प्रतिशत होना चाहिये, तभी हम इन घिसी हुई चीजों और वस्तुओं का समय पर रिप्लेसमैंट कर सकते हैं। चाहे रोलिंग स्टाक के रिप्लेसमैंट की बात हो या रेलवे ट्रैक के रिन्यूअल की बात हो या सिविल निर्माण कार्य की बात हो, डेप्रीसियेशन रिजर्व फंड

का हम पिछले वर्ष का आंकड़ा देखें तो पिछले वर्ष में हमको 275.59 करोड़ रुपये का ओपनिंग बैलेंस मिला था, इसमें साढ़े 300 करोड़ रुपये अगर जोड़ें तो डैपरिसियेशन एकाउन्ट हैड में हमको करीब 625 करोड़ रुपये प्राप्त थे और इस बार जो ओपनिंग बैलेंस की उम्मीद की गई है, संभावना की गई है वह 152.70 करोड़ बचाने की बात कही गई है। उसमें भी 500 करोड़ हम डैपरिसियेशन के जोड़ें तो कुल इस तरह से डैपरिसियेशन आय की यह राशि ज्यादा नहीं होगी बल्कि साढ़े 6 करोड़ की डैपरिसियेशन राशि में से 25 करोड़ रुपये का ही इजाफा हुआ है।

रेल दुर्घटनाओं के बढ़ते हुए प्रतिशत को देखते हुए भारतीय रेल सेवा को आधुनिक एवं सुरक्षित बनाना भी जरूरी हो गया है। बढ़ते हुए रेल ट्रेफिक और रेलों की गति को देखते हुए यदि हम स्टीम इंजनों को जल्दी से जल्दी फेज-आउट करके बिजली एवं डीजल इंजनों का उपयोग करें, उनकी गति और क्षमता दोनों को बढ़ावें तो निश्चित रूप से हमारी क्षमता में विस्तार होगा। रेलवे सुरक्षा प्रणाली को भी आधुनिक करने की आवश्यक्ता है। इसके लिये हमें उन्नत किस्म के सुरक्षा उपकरणों की सिगनलिंग, टेलीकम्युनिकेशन्ज सिस्टम, इंटर लाकिंग प्रणाली में और ट्रेक सर्किटिंग आदि में स्थापना करनी होगी।

यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात है कि आर० डी० एस० ओ० जो रेलवे में अनुसंधान एवं विकास के लिये महत्वपूर्ण संस्थान है, उसने हाल ही में आई० आई० टी० नई दिल्ली के सहयोग से भारतीय तकनीक पर आधारित मल्टीपल एन्ट्री एक्सल काउन्टर सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है तथा ट्रेक सर्किटिंग में भी आटोमैटिक ट्रेक सर्किटिंग सिस्टम, जिसको हम ए० टी० सी० कहते हैं, उसका हम कुछ रूट्स पर सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। इस अति आधुनिक प्रणाली में इलैक्ट्रानिक विधि से लाइन क्लीयर न होने पर या एक ही ट्रेक पर दो ट्रेनों के आ जाने से इंजन के ड्राइवर को या ड्राइविंग क्रू को आटोमैटिक वार्निंग अलार्म मिलता है और इस पर अगर वह कोई कार्यवाही नहीं करते तो गाड़ी स्वतः रुक जाती है। इस इलैक्ट्रानिक सेफ्टी सिस्टम का और अधिक स्थानों पर उपयोग किया जाना चाहिये, ऐसा सुझाव है।

सुरक्षा की इन सभी प्रणालियों में आर० डी० एस० ओ०, एवं हैदराबाद स्थित सिगनलिंग एवं टेलीकम्युनिकेटिंग इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स एवं तकनीशियनों ने जो कार्य किया है, वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं।

इस बजट में पैसेन्जर्स ट्रेफिक में दिये गये कंसैशन्स को समाप्त करने की बात भी कही गई है। रेलवे की आय को बढ़ाने की दृष्टि से यह निर्णय उचित है, परन्तु देश के खिलाड़ी एवं कलाकारों को दिये जा रहे कन्सैशन्स समाप्त करना न्यायोचित नहीं है क्योंकि दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें देश की युवा शक्ति रचनात्मक दिशा देने के लिये महत्वपुर्ण भूमिका रहती है। अतः युवा खिलाड़ी एवं कलाकारों को मिलने वाले सभी कन्सैशन सौर रियायतें जारी रहनी चाहियें, ऐसा मेरा सुझाव है।

बच्चों की उम्र में छूट अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में दी गई थी, वह जारी रहनी चाहिये यानि कि 3 वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष के बच्चों को किराये में छूट मिलनी चाहिये ।

यदि रेल बजट पर चर्चा करते समय मैं मध्यप्रदेश की चर्चा न करूं तो मेरी बात सभापति महोदय, अधूरी रह जायेगी । माननीय रेल मंत्री जी स्वयं मध्यप्रदेश के हैं और वह स्वयं जानते हैं कि हमारे प्रदेश में सिर्फ 5.715 किलो मीटर रेल लाइन है जिसका औसत 1.3 किलो मीटर प्रति सौ वर्ग किलोमीटर ही आता है जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति सौ वर्ग किलो मीटर 1.9 किलो मीटर है ।

यद्यपि रेल बजट में प्रदेश की दृष्टि से काफी कार्यों का प्रावधान किया गया है, परन्तु एक बात जो मैं कहूंगा जो इस समम नई नहीं है ।

देश के हर प्रदेश की राजधानी को सीधे दिल्ली से जोड़ने की योजना हमारे रेल मंत्रालय ने पांच छः वर्ष पूर्व स्वीकृत की थी । इस योजना के अंतर्गत भोपाल के अलावा सभी राजधानियों से नई रेल सेवाएं प्रारभ हो चुकी हैं । इस सम्बन्ध में भूतपूर्व रेल मंत्री श्री त्रिपाठी जी ने अगस्त, 1980 में भोपाल-नई दिल्ली के बीच सांची एक्सप्रेस नाम की नई एक्सपेस ट्रेन की स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी, जिसकी घोषणा श्री केदार पांडे जी ने अप्रैल, 1981 में भोपाल में की थी । मैं आदरणीय रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस योजना को शीघ्र ही स्वीकृति देने की कृपा करें ।

श्री दलवीर सिंह (शहडोल) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री द्वारा 1982-83 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं । इस बजट में किराये और भाड़े में प्रस्तावित वृद्धि से रेल प्रशासन को 261.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी । उसमें से 175.60 करोड़ रुपए यात्री-किराये की वृद्धि से, 76.83 करोड़ रुपये माल भाड़े में वृद्धि से और 12 करोड़ रुपये सामान और पार्सल के बढ़े हुए भाड़े से प्राप्त होंगे ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 1982-83 में रेल योजना के लिए 1137 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है । उसमें से 132 करोड़ रुपये नई लाइनें बिछाने और मीटरगेज को ब्राडगेज में परिवर्तित करने के लिए रखे गए हैं ।

माननीय श्री सेठी पहले मध्य प्रदेश में मुख्य मंत्री थे । मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ हूं । ऐसी आशा की जाती है कि रेल प्रशासन में जो भी खामियां हैं, वह उन्हें सुधारने में सक्षम होंगे ।

चूंकि समय कम है, इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मध्य प्रदेश में तीन रेलें जाती हैं वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे । पिछले वर्ष वैस्टर्न रेलवे से 36 करोड़ रुपये, सेंट्रल रेलवे से 62 करोड़ रुपये और सेंट्रल रेलवे से 60 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी । रेलवे बजट के घाटे को पूरा करने के लिए रेल मंत्री को मेरा सुझाव है कि मध्य प्रदेश में और भी रेलवे लाइनें बिछाई जाएं । जब

मध्य प्रदेश के द्वारा मैटीरियल को रेल के द्वारा दूसरी स्टेट्स ले जाया जायेगा, तो रेलवे के घाटे में कमी को दूर किया जा सकेगा।

अनुमान है कि 1980-81 में पुराने साज-सामान के कारण 17 प्रतिशत दुर्घटनाएं हुई, जबकि 1982 में उनकी संख्या बढ़ कर लगभग 52 प्रतिशत हो गई। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें।

रेल किराये में प्रस्तावित वृद्धि से जो 172.60 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी, उसका सबसे ज्यादा बोझ दूसरे दर्जे के यात्रियों पर पड़ेगा। इससे उपनगरीय क्षेत्र को छोड़ कर सभी यात्राएं महंगी हो जाएंगी। साधारण सवारी-गाड़ी के दूसरे दर्जे में यात्रा करने वाले जो लोग 100 किलोमीटर तक की टिकट लेते थे, 1980 में उन्हें 10 प्रतिशत अधिभार से मुक्त रखा गया था। 200 किलो मीटर तक की टिकट लेने वालों को अप्रैल, 1981 में 5 प्रतिशत अधिभार से मुक्त रखा गया था। लेकिन इस नए बजट में न केवल ये छूटें वापस ले ली गई हैं, बल्कि किराया बढ़ा दिया गया है। दूसरे दर्जे में जो साधारण और ग्रामीण अंचलों के लोग यात्रा करते हैं, उनकी सुविधाओं को देखते हुए मेरा विनम्र निवेदन है कि रेल मंत्री ने किराये में जो वृद्धि की है, वह उसमें संशोधन करें।

सभापति महोदय पुरी, उड़ीसा से आते हैं। वहां से दिल्ली के लिए कलिंग और उत्कल दो ट्रेनें आती हैं। वे ट्रेनें हफ्ते में पांच दिन चलाई जाती हैं और दो दिन नहीं चलती हैं। इन गाड़ियों में बहुत सवारियां निकलती हैं। इसलिए इन्हें पूरा हफ्ता चलाया जाना चाहिए। या तो कलिंग को बढ़ाया जाये, या उत्कल को बढ़ाया जाए। इतनी लम्बी दूरी की गाड़ी के साथ डाइनिंग कार की व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां से मैं आता हूं वहां 34-अप ट्रेन जो चलती है उसमें, जैसा कि आपने कहा शासन की यह नीति भी है कि हर डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर से स्टेट कैपिटल की दूरी 12 घंटे में तय होनी चाहिए, अगर डीजल इंजन लग जाता है तो यात्रियों को बड़ी सुविधा पहुंचेगी। उसमें अभी 8-9 डिब्बे लगते हैं जिसके कारण पसैंजर्स को बड़ी असुविधा होती है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो पार्सल बिलासपुर से कटनी चलती है उसको आप इलाहाबाद तक बढ़ा दीजिए क्योंकि छत्तरगढ़ के जो मजदूर हैं वे अपनी मजदूरों के लिए इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश) जाते हैं। इससे उनको बड़ी सुविधा मिल सकेगी। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि बाम्बे-हावड़ा ऐक्सप्रैस को कटनी, ब्योहारी, चोपन, सिंगरौली मुगलसराय होते हुए चलाया जाए तो 8 घंटे की बचत हो सकेगी। आप जानते ही हैं कि कोयला खदानों में सिंगरौली का दुनिया में दूसरे नम्बर का स्थान है। वहां के मजदूरों एवं कर्मचारियों को इससे बड़ा लाभ मिल सकेगा।

पिछले वर्ष भी मैंने इस सदन में निवेदन किया था और आज पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि विंध्य का जो डिवीजन है वहां सर्वेक्षण हो गया है तथा पिछली बार पंडित जी ने 1980

में अपने रेलवे बजट भाषण में आश्वासन भी दिया था कि ललितपुर-पन्ना-छतरपुर-खजुराहो-सतना-रीवा-सीधी सिंगरौली की एक नयी रेल लाइन बिछाई जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि रीवा में डिवीजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद इतने दिन बीतने के बाद भी इस रेलवे लाइन का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा निवेदन है कि जब भी इस सदन में आप अनुपूरक बजट प्रस्तुत करें उसमें इस रेलवे लाइन की व्यवस्था अवश्य करें।

इसी प्रकार से गुना-शिवपुरी-ग्वालियर-इटावा लाइन का सर्वेक्षण भी हो गया है तथा पंडितजी ने अपने 1981 के बजट भाषण में इसका उल्लेख भी किया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली-राजहरा-कोंडागांव-बेलाडीला यह ट्रैक जो बहुत महत्वपूर्ण ट्राइबल क्षेत्र को जोड़ता है इसका भी बहुत महत्व है। यह बहुत रिमोट ट्राइबल एरिया है। वहां पर जो हमारे ट्राइबल आदिवासी भाई निवास करते हैं उनको भी लाभ पहुंचना चाहिए।

मैं जिस शहडौल जिले से आता हूं उस शहडौल सिटी के बीच से रेलवे लाइन गई है। वहां पर एक अन्डरब्रिज बनाने का बहुत दिनों से प्रस्ताव है। इसके अभाव में वहां पर कितने ही लोगों की जानें चली जाती हैं। इसके लिए वहां का शासन 50 प्रतिशत राशि देने के लिये भी तैयार है। मेरा निवेदन है कि सेन्टर से यह प्रस्ताव मंजूर हो जाना चाहिए ताकि आगे इस पर कार्यवाही हो सके।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि जितनी भी मीटरगेज की लाइन हैं उसको ब्राडगेज में बदला जाना चाहिए। जैसा मंडला से गोंदिया-पालाघाट का जो क्षेत्र है उसमें मैंगनीज, कापर तथा बाक्साइट के भण्डार भरे पड़े हैं। पिछली बार भी संसद में मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। यह सारा जो आदिवासी क्षेत्र है इसकी ओर जब आपका ध्यान जायेगा तभी वहां के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हो सकेगा जिससे कि प्रदेश के साथ-साथ राष्ट्रीय उत्थान को भी सहायता पहुंचेगी।

अन्त में मेरा निवेदन है कि हरिजन आदिवासियों के सम्बन्ध में रेलवे अथवा अन्य विभागों के लिए जगहें भरने के लिए बड़े-बड़े अखबारों में एडवटाइजमेन्ट निकलते हैं। यह विज्ञापन लोकल अखबारों में भी निकलने चाहिए क्योंकि रिमोट ट्राइबल एरियाज तक इन विज्ञापनों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। इस प्रकार से उनकी जगहें खाली रह जाती हैं। मेरा निवेदन है कि जो जगहें खाली रह जायें उनको सही प्रकार से कैरी-फार्वर्ड करके भरा जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि बम्बई-वाराणसी बुरहानपुर होते हुए जो लाइन है उसमें बुरहानपुर की लगभग डेढ़ लाख की आबादी है, जहां उत्तर प्रदेश के लगभग 17 हजार लोग पावरलूम में काम करते हैं।

इस ट्रेन के यहां पर न रुकने से लोगों को बड़ी असुविधा होती है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुरहानपुर में वाराणसी-बम्बई एक्सप्रेस को रोका जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो सके।

ज्यादा न कहते हुये, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमारे रेल मंत्री जी, श्री सेठी, बहुत ही सक्षम हैं । उनका पूरा प्रदेश देखा हुआ है, मध्य प्रदेश का जितना बड़ा क्षेत्रफल है, उसको देखते हुए वहां काम्यूनिकेशन्स के साधन बहुत ही कम हैं । मुझे आशा है कि वे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे । हमारे प्रदेश की जनता को बहुत आशा है कि श्री सेठी जब यहां पर रेल मंत्री हैं, तो वहां पर कुछ नई रेल लाइन बिछाने की प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी । मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगामी अनुपूरक बजट में नई रेलवे लाइन अवश्य जोड़ेंगे । रीवा डिवीजनल हैडक्वार्टर होते हुए भी वहां पर रेलवे लाइन नहीं है । सिंगरौली और खजुराहो के महत्व को देखते हुये, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही गाड़ी जाती है यदि खजुराहो होते हुए यह रेलवे लाइन जाती है तो इससे पर्यटकों को भी बड़ी सुविधा होगी और आने-जाने में बाधायें उत्पन्न नहीं होंगी और लोगों को बहुत लाभ होगा । इससे हमारे प्रशासन को, रेलवे विभाग को ज्यादा से ज्यादा राशि मिलेगी ।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेलवे बजट पर कुछ विचार रखने का मौका दिया ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, इस तथ्य से तो इंकार नहीं किया जा सकता है कि रेलवे अपनी कार्य निष्पादकता में सुधार लाने के लिए कठिन प्रयास कर रहा है । हरेक खुले-मस्तिष्क वाले व्यक्ति को इस सच्चाई को मान लेना चाहिए कि कुछ क्षेत्रों में गत वर्ष की उपलब्धियां वास्तव में ही उल्लेखनीय रही हैं । मन्त्री महोदय ने गत वर्ष अपने भाषण में यह बात कही थी "हमने भारतीय रेलवे में अब तक का सर्वाधिक मालभाड़ा-लदान करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ।" यह एक बड़ी ही श्रेयस्कर उपलब्धि है, विशेषकर इसलिये कि यह न केवल हमारी रेलों को गतिमान रखेगी अपितु देश की समस्त अर्थव्यवस्था को गतिमय रखेगी । उन्होंने भारी सुधार और उपलब्धि के एक और अन्य क्षेत्र का विशेषतया उल्लेख किया था, अर्थात यह कि यात्रीगाड़ी-डिब्बों की आवधिक सम्पूर्ण मरम्मत के लिए कार्यशाला की क्षमता का उपयोग 1980-81 में 94% से धीरे-धीरे बढ़ाकर 1981-82 में 98.5% तक ले जाया गया है । अतः हमें इस विशिष्ट कार्य निष्पादन के लिए जो कि राष्ट्र के समक्ष आ चुकी है, मन्त्री महोदय की, रेलवे-बोर्ड की तथा रेल कर्मचारियों की प्रशंसा करनी चाहिए । इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रगति हुई है, यद्यपि कुछ अन्य क्षेत्रों में हम प्रगति की दर से सन्तुष्ट न हों और हम यह चाहेंगे कि कुछ सशक्त कदम उठाये जाएं ।

बजट की कुछ स्वागत योग्य विशेषताएं भी हैं । उदाहरणस्वरूप हम देखते हैं कि उपयोग के बाद पुरानी पड़कर घिस गई रेल की पटरियों, पुराने रेल इंजनों और यात्री-डिब्बों को बदलने का कार्यक्रम त्वरित गति से चल रहा है । मैं सदन के इस ओर से मन्त्री महोदय पर इस प्रकार के त्वरित कार्यक्रम की आवश्यकता पर बारम्बार बल देने का प्रयास करता रहा हूं । बजट की एक और प्रशंसनीय विशेषता है, यथा, हमने कलकत्ता और दिल्ली में महानगरीय रेलवे सेवा के लिए परिव्यय का प्रस्ताव रखा है । एक और स्वागत योग्य विशेषता

है 1138 कि० मी० अतिरिक्त रेल मार्ग का विद्युतीकरण। यह एक सही दिशा में उठाया गया कदम है और हमारी आज की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह एक अच्छी बात है।

हम विद्युतीकरण पर अधिकाधिक ध्यान दिये जाने की मांग करते रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सही दिशा में कदम उठाया गया है। फिर भी, यहां मैं मन्त्री महोदय को यह भी बता देता हूं कि जहां तक केरल का सम्बन्ध है वहां पर विद्युतीकरण की बहुत ही भारी गुंजाइश है तथा आवश्यकता है। मैंने बार-बार इस सदन में उठकर हमारे केरल राज्य में रेलों के विद्युतीकरण की मांग की है, विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल में विद्युत का आधिक्य है। सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि विशेषकर केरल में रेलों के विद्युतीकरण की आवश्यकता को अपेक्षित महत्व दिया जाना चाहिये। हमें बताया गया है कि विद्युतीकरण के कुछ मानदण्ड होते हैं। परन्तु बिहार से कोयले की ढुलाई न होने आदि के कारण रेलों को रद्द करना पड़ रहा है और यात्रियों की कठिनाई तभी दूर की जा सकती है यदि उस दिशा के अनुरूप, जहां कि बजट हमें ले जाना चाहता है, मानदण्डों को भी उचित रूप में संशोधित कर दिया जाए।

मैं यह भी कहूंगा कि मुझे प्रसन्नता है कि कुछ क्षेत्रों में उपलब्धियों के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि कुछ दिशाओं में बजट एक सही कदम है, इससे रेल मंत्री महोदय और रेलवे बोर्ड का सिर इन उपलब्धियों के कारण फिर नहीं गया है। वे इस तथ्य के प्रति आत्म-सन्तुष्ट नहीं हैं कि अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जोरदार कदम आवश्यक हैं। मन्त्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि समयनिष्ठा और सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह एक बड़ी ही स्वागत योग्य बात है, कि मन्त्री महोदय और रेलवे बोर्ड समस्याओं के प्रति सजग हैं और कोई आत्मतुष्टि का रवैया उन्होंने नहीं अपनाया है।

हम देखते हैं कि बजट में यह दावा किया गया है कि आगामी वर्ष के लिए अतिरिक्त उदग्रहण (लेवी) 261.45 करोड़ रुपये तक का है, यात्री किराए से 172.60 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होंगे और बढ़े हुए किराये तथा पार्सल भार से अलग से 88.85 करोड़ रुपये की आय होगी। जहां तक बजट का सम्बन्ध है, एक दावा यह किया गया है कि सिवाय सीमान्त समायोजन के भाड़े की दरों को छेड़ा नहीं गया है। मुझे खेद है कि दावे को उचित ढंग से नहीं लिया गया है। दुर्भाग्य से हमारे यहां बजट-पूर्व लेवियां लगी हुई हैं और मुझे डर है कि बजटोत्तर लेवियां दूर नहीं हैं। केवल दो मास पूर्व ही, हमारे यहां एक वर्ष में हीं अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये की आय करने के लिए किराये की दरों में बहुत ही भारी और तेज वृद्धि हुई है। अतः मैं तो यह कहूंगा कि जैसाकि बजट में अनुमान लगाया गया है, कुल अतिरिक्त लेवियां 261 करोड़ रुपये की हैं और उसमें बजट-पूर्व अवधि के 300 करोड़ रुपये और जमा कर लिए जाएं तो कुल 561 करोड़ रुपये हो जाते हैं। यात्री किरायों में भारी वृद्धि के अतिरिक्त, विशेष-करु यात्री किरायों के बढ़ने के बाद मैं अतिरिक्त लेवी की कुछ अवांछनीय विशेषताओं की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : वांछनीय विशेषताओं के बारे में तो आपने दस मिनट का समय ले लिया है और अब अवांछनीय विशेषताओं के लिए केवल दो मिनट ही बचे हैं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं तो कहूंगा कि इन अतिरिक्त लेवीज की प्रकृति अवनतिशील है । पहले तो हम यह पाते हैं कि कम दूरी के यात्रियों और दूसरे दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों पर ही मुख्य भार डाला गया है । हमने पाया है 250 कि० मी० तक की यात्राओं के लिये प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित चेयर कार के किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई जबकि द्वितीय श्रेणी की यात्राओं को अधिक भुगतान करना पड़ेगा । लम्बी दूरी के मामले में भी, द्वितीय श्रेणी में वृद्धि प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित चेयर कार के मुकाबले अधिक है । हम गरीबों को अधिक भुगतान करने पर बाध्य कर रहे हैं । यह अवनतिशील प्रकृति की लेवी का एक पहलू है ।

दूसरे, वह अतिरिक्त भाड़ा जिससे 88.85 करोड़ रुपये मिलेंगे, वह पूर्णतया दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं से ही मिलेगा । गत तीन वर्षों से, ऐसी कुछ वस्तुएं थीं, जो कि ऐसी लेवीज से विमुक्त रखी जा रही थीं । परन्तु अब हम देख रहे हैं कि आवश्यक वस्तुओं को भी खींच लिया गया हैं जिसमें लवण, अनाज, सब्जियां, चीनी, खाने के तेल, तारकोल और खनिज पदार्थ सम्मिलित हैं । जहां तक आवश्यक वस्तुओं पर लेवी का सम्बन्ध है वे इस प्रभाव को झेलेंगी और यह लेवी अस्थकर विशेषता है ।

लेवी की तृतीय अस्वस्थकर और अवनतिशील प्रकृति यह है कि निःशुल्क यात्रा की आयु को घटाकर पांच से तीन वर्ष तक कर दिया गया है ।

उपनगरीय आवधिक टिकटों के बारे में भी विवाद था । मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं । रेलवे-बोर्ड के चैयरमैन ने कहा है कि इसे आर्थिक सहायता दी जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है, क्योंकि विशेषज्ञ अब इससे इन्कार कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसे स्पष्ट करें ।

रेलवे टेरिफ जांच आयोग ने यह बताया है कि उपनगरीय सेवाओं में औसत प्रति कि० मी० 2.14 रुपये की लागत के मुकाबले, उपनगरीय यात्री से 0.82 रुपये प्रति कि० मी० राजस्व प्राप्त होता है । परन्तु विशेषज्ञों ने यह बताया है कि उपनगरीय सेवाओं से प्रति कि० मी० प्रति यात्री 1979-80 में आय 2.02 रुपये से बढ़कर 1980-81 में 2.20 रुपये हो गई है । इस तथ्य के अतिरिक्त, उपनगरीय आवधिक पासधारियों को पूर्णतया वाणिज्यिक रूप में ही नहीं लिया जाना चाहिये, उनके बारे में एक उपयुक्त रवैया अपनाया जाना चाहिये ।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, केरल की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय : अपने राज्य की समस्याओं को अन्त में क्यों ला रहे हो ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं आपके अभिमत को अगली बार पालन करूंगा और उन्हीं से शुभारंभ भी करूंगा।

हम बारम्बार गुरुवायूर-कुट्टीपुरम रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को शीघ्र आरंभ करने की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। भूतपूर्व रेल मन्त्री महोदय श्री त्रिपाठी जी की बड़ी दया रही है जो उन्होंने सर्वेक्षण के पुनरीक्षण के आदेश दिए। मुझे आशा है कि उस मामले को शीघ्र निपटाया जायेगा।

येरसौद एक्सप्रेस रेलगाड़ी संख्या 69 और 70 के विस्तार के बारे में भी एक अन्य सुझाव है। आजकल रेल गाड़ी संख्या 69 इरोड में 7.20 बजे आती है और फिर संख्या 70 बनकर 20.15 बजे फिर से चलती है। अतः इसे सरलता से कालीकट तक बढ़ाया जा सकता है। और जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, यह मालाबार क्षेत्र, जो कि इस बात में बहुत पिछड़ा हुआ है, के लिए यह एक अच्छा वरदान सिद्ध होगा।

महोदय, हमारे यहां भारत में एक लाख जनसंख्या के पीछे 10 कि० मी० रेलवे लाइन पड़ती है। फिर भी केरल में एक लाख की जनसंख्या के पीछे 4 किलो मीटर का अनुपात पड़ता है और एक बार फिर केरल के ही मालाबार प्रदेश में बहुत कम औसत है। जहां तक मालाबार का सम्बन्ध है, मुझे आशा है कि इसकी आवश्यकताओं पर विचार किया जायेगा। इसके बाद फिर, दक्षिण रेलवे के ओलावा कोट मण्डल में एक वाल्लिकुनुम स्टेशन है। इस वाल्लिकुनुम स्टेशन को एक खण्ड-स्टेशन के स्तर तक ऊपर उठाने की आवश्यकता है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं मन्त्री महोदय से एक हार्दिक अपील करना चाहता हूं कि वे यह देखें कि जहां तक हमारी रेलों का सम्बन्ध है, मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग को सेवा में उचित और उपयुक्त हिस्सेदारी के लिए दिये गये आश्वासन को जो कि बार-बार दिया गया है, पूरा किया जाये।

रेल यात्रा और दुर्घटनाओं आदि की सुरक्षा का प्रश्न है। वह लोगों के मस्तिष्क में उमड़-घुमड़ रहा है। मुझे आशा है कि इस प्रश्न पर भी मन्त्री महोदय और रेलवे बोर्ड यथोचित विचार करेंगे।

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : माननीय सभापति जी, माननीय रेल मंत्री जी ने वर्ष 1982-83 का जो रेल बजट इस सदन में पेश किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

कल जब मैं प्रोफेसर मधु दण्डवते जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने इस बात को भली भांति स्वीकार किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे अच्छा रेल-बजट पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने किराया वृद्धि और माल भाड़े की दर में वृद्धि के औचित्य को भी स्वीकार किया था। केवल कुछ विरोधी दल के संसद सदस्यों ने ही इस बजट का विरोध किया है, वह भी बहुत हल्के ढंग से और केवल इसलिए कि जिससे उनका पता लग जाए कि वे विरोध

में हैं, वरना वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हमको भी सब में शामिल कर लिया ?

श्री रामेश्वर नीखरा : आप शामिल भले ही न हों, पर आप भी इस बात को ढूंढ़ रहे हैं कि कहां विरोध करें ।

माननीय सेठी जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस देश को इस बात का विश्वास दिलाया है कि 1982 में होने वाले "एशियाड" के लिए दिल्ली में इलैक्ट्रिक सर्कुलर रेल सेवा प्रारंभ हो जाएगी । उन्होंने 220 मिलियन टन रेलवे से माल ढोकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, इसके लिए भी वे बधाई पात्र हैं । वर्तमान में जो रेलवे लाइनें हैं, उनका पूरी तरह से दोहन करने के लिए डबल हैडेड एंजिन योजना लागू की है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । जहां पूरी ट्रेन रिजर्व रहती थी, जो यात्री रिजर्वेशन नहीं कराते थे, उनको बड़ी भारी असुविधा होती थी, इसके लिए हर महत्वपूर्ण ट्रेन में 1-2 साधारण बोगियां लगाने की व्यवस्था की गई हैं, इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं । उन्होंने पहली बार रेलवे यात्री की सुरक्षा, जान-माल की सुरक्षा एवं एक्सीडेंट्स न हों, इन बातों की आवश्यकता पर बल दिया है ।

निश्चित रूप से विरोधी दल के नेताओं ने किराया वृद्धि की बात कही । जहां हम नई-नई सुविधाओं की मांग करते हैं, नई रेल-गाड़ियां चलाने की मांग करते हैं, कंफर्टेबल यात्रा की मांग करते हैं, जहां 400 करोड़ का पिछले साल का घाटा हो वहां पर यह बात जरूरी है कि इन सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी मद से प्राप्ति की जाए। इसलिए जो किराए और माल-भाड़े में वृद्धि की गई है, निश्चित रूप से आवश्यक प्रतीत होती है ।

उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि केन्द्रीय सरकार से जो रुपया लिया जाता है उसका असर उन करोड़ों लोगों पर भी पड़ता है जो रेल सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं और जो रेल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं उनसे ही यह रुपया लिया जाना चाहिए । मैं निश्चित रूप से इस मत का हूं कि दूसरी श्रेणी के किराए में जो वृद्धि की गई है इसको कम किया जाना चाहिए और आवश्यक सामान पर जो लेवी लगाई गई है उस लेवी को भी कम किया जाना चाहिए ताकि आम जरूरत की चीजों के दाम न बढ़ सकें ।

नई रेल लाइनें बनाने की जो असमर्थता मंत्री जी ने प्रकट की है उसको भली भांति समझा जा सकता है । जब पूरे देश में सामान को समय पर पहुंचाने की बात हो, कोयला समय समय पर पहुंचाने की बात हो, स्टील प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स, सीमेंट, पेट्रोलियम प्लांट्स को चलाने की बात हो, उनको चालू रखने की बात हो, उनको कोयला पहुंचाने की बाता हो या उत्पादित माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात हो तो उसको प्राथमिकता मिलनी

ही चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय सदन को विश्वास दिलाएं कि अगले वर्ष में रेल सेवाओं में निश्चित सुधार होगा, वे संतोषजनक होंगी, वर्तमान में जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, रिजर्वेशन की जो सुविधा है, उसमें सुधार होगा और टिकट लेने के लिए जो लम्बी लाइनें दिखाई देती हैं वे दिखाई नहीं देंगी और गाड़ियां समय पर चलेंगी और समय पर पहुंचेंगी। साथ ही प्लेटफार्म्ज, डिब्बों, बाथरूम्ज आदि की सफाई का भी संतोषजनक इन्तजाम होगा। मैं यह भी चाहता हूं कि स्टाफ का जो व्यवहार जनता के प्रति है उसमें सुधार आना चाहिए, वह सही होना चाहिए। इस ओर भी मंत्री महोदय ध्यान दें।

सैकड़ों कार्य जो पार्लियामेंट के द्वारा मजूर किए जा चुके हैं और जिन पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है उनकी ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। वे अधूरे पड़े हुए हैं। उनको अगर पूरा कर दिया जाए तो एक ओर तो लोगों को सुविधा होगी और दूसरी ओर रेलों के वास्ते आमदनी के नए जरिए पैदा होंगे। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

कैंटीनों के जो ठेके दिए जाते हैं उनकी तरफ अब मैं आना चाहता हूं। उसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार, सोशल भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार सभी कुछ शामिल होता है। वर्तमान में जो ठेके देने का तरीका है उसको अगर आप बदल दें तो मैं समझता हूं कि रेलों को करोड़ों रुपये की आमदनी हो सकती है। मैं इटारसी का उदाहरण देना चाहता हूं भोपाल और दिल्ली का उदाहरण देना चाहता हूं केवल एक कांट्रेक्टर को पूरे एक जंक्शन का ठेका दे दिया जाता है। वह सब कांट्रेक्टर—एप्वाइंट कर लेता है, पान वाले से सौ रुपया, चाय वाले से दो सौ रुपया, फल वाले से पांच सौ रुपये, मिठाई वाले से चार सौ रुपया लेता है और इस तरह से हजारों रुपये की इनकम वह रोज करता है। जो आपका उद्देश्य है कि सबसिडाइज्ड फूड लोगों को मिले, अच्छा खाना अच्छी चाय लोगों को मिले वह पूरा नहीं हो पाता है। वर्तमान व्यवस्था को खत्म करके अगर बेरोजगार नौजवानों को डायरेक्ट ठेके दिए जाएं तो हजारों रुपया जो एक-एक ठेकेदार वसूल कर रहा है वह रेलवे वसूल कर सकती है। टेण्डर के लिए या और किसी तरह से इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि रेलों की आमदनी भी बढ़ सके और लोगों को अच्छा सामान भी खाने पीने को मिल सके।

मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो दलहनों का इलाका है। पूरे देश में वहां से दालों को भेजा जाता है। नरसिंहपुर, पिपरा, होशंगाबाद, इटारसी आदि में तीन सौ से अधिक दाल के कारखाने हैं। वहां वैगनों की बड़ी गम्भीर समस्या है। वहां वैगनों की ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए। आश्वासन दिया जाना चाहिए कि निश्चित मात्रा में एक सप्ताह में इस स्थान को इतने वैगन प्राप्त होंगे। ऐसा आपने किया तो हजारों बोरे दाल देश के विभिन्न भागों में भेजने की व्यवस्था हो सकती है और दालों को समय पर भेजा जा सकता है।

इटारसी में एक ओवर ब्रिज के बारे में कई सालों से कहा जा रहा है। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी बेतूल से भोपाल जा रही थीं। उनको वहां एक आध घण्टा रुकना पड़ गया। उनको बहुत तकलीफ हुई 1962 में इस ओवर ब्रिज की बात को स्वीकार किया गया था।

राजधानी सेवा प्रारम्भ करने की जो बात की है पिछले दिनों भोपाल से दिल्ली के लिए एक नई गाड़ी चलाने की घोषणा रेल मंत्री जी ने की थी। पर जब देखा गया तो भोपाल में नई रेल गाड़ी खड़ी करने की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिये इटारसी जो महत्वपूर्ण जंक्शन है और जहां दोनों प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं तथा भोपाल से 50 मिलोमीटर की दूरी पर है अतः उस गाड़ी को क्यों न इटारसी से प्रारम्भ करके नई दिल्ली को जोड़ दिया जाये। इस तरह आपका उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा और मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी नर्मदा है इसलिए इस गाड़ी का नाम नर्मदा एक्सप्रेस रखा जाए।

होशंगाबाद एक डिवीजनल टाउन है और सारे डिवीजनल आफिसेज वहां हैं। झेलम एक्सप्रेस वहां से निकलती है जो कि छोटी जगहों पर तो रुकती है, लेकिन होशंगाबाद नहीं रुकती है आफिशयली। यद्यपि कि अन-आफिशियली क जाती है। इसलिये क्यों नहीं उसको रोका जाए। इसी तरह इटारसी महत्वपूर्ण होशंबाद में आफिशियली जंक्शन है वहां तमिलनाडु एक्सप्रेस को रोका जाय। पिछले दिनों जब आप होंशंगाबाद गये थे तो वहां पर पिपरिया के जनप्रतिनिधि आप से मिले थे उन्होंने मांग की थी कि महानगरी एक्सप्रेस को वहां रोका जाय क्योंकि पंचमढ़ी हिल स्टेशन नजदीक है। और 1980-81 का जो रेलवे टाइम टेबिल रेलवे ने निकाला है उसमें 2 मिनट इस गाड़ी के रुकने का वहां जिक्र है। लेकिन रुक नहीं रही है। साथ ही दो बर्थ के रिजर्वेशन की भी व्यवस्था है। परन्तु ट्रेन के वहां न रुकने से यह काम नहीं हो सकता। अत इस विसंगति को समाप्त किया जाए।

इसी तरह से गंगा-कावेरी गाड़ी जो चलती है, गड़रवारा एक महत्वपूर्ण नगर है उसको वहां रोकने की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण गाड़ियां चलती हैं जो वहीं से चलती हैं। पहली गाड़ी इंदौर से शुरू होकर बिलासपुर पर खत्म होती है। इसमें डीजल इंजन लगाया जाय और डिब्बों की संख्या बढ़ायी जाय और समय पर गाड़ी पहुंचे। इसी तरह कुतब एक्सप्रेस जबलपुर से भी लेट चलती है उसको भी समय पर चलाने की व्यस्था हो।

इसी प्रकार से जबलपुर से गोंदिया और मंडला से नैनपुर छोटी लाइन की जो गाड़ियां हैं उनको ब्रोडगेज में चेंज करने की मांग की जा रही है। वहां के लोगों को आशा है कि आप इस पर अवश्य ध्यान देकर इनको ब्रोडगेज करेंगे।

इसी तरह से बुरहानपुर में बहुत से पावरलूम्स हैं जो बम्बई और इटारसी के बीच स्थित हैं। वहां पर असीरगढ़ का किला भी है जिसको देखने के लिए लोग उतरते हैं। साथ ही वहां से अजन्ता और इलौरा के लिये भी लोग जाते हैं। इसलिए महानगरी एक्सप्रेस को बुरहानपुर में रोकने की व्यवस्था करें।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार आपने देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी नहीं होने दी उसी प्रकार रेल व्यवस्था में भी आप सुधार करेंगे।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : माननीय सभापति जी, अपने पूर्व के दो वक्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने मेरे द्वारा की जा रही मांगों का भी समर्थन किया है।

महानगरी एक्सप्रेस जो बम्बई से बनारस जाती है, को बुरहानपुर में रोकने की मांग है, एक महत्वपूर्ण ट्रेन है। बुरहानपुर में 17,000 पावर लूम हैं और यह कपास की एक बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है डेढ़ लाख की आबादी का नगर है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह मांग जो कि नई नहीं है, मुझे तीसरी बार रेल बजट पर बोलने का मौका मिला है और हर साल मैं इस मांग को दोहराता हूं और मुझे भूतपूर्व रेल मंत्री श्री केदार पांडे और श्री मल्लिकार्जुन जी द्वारा आश्वस्त भी किया गया था कि आने वाले अप्रैल सत्र से इसका प्रबन्ध करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लायक रेल मंत्री इस ओर ध्यान देंगे। एक शेर है कि—

लोग कहते हैं बदलता है जमाना सक्सर,
मर्द वह है जो जमाने को बदल देते हैं।

मर्द के रूप में हमें सेठी जी मिले हैं, जब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। मध्य प्रदेश में एक नई चमक आई है, वहां के निवासियों में आशाएं जगी हैं, न केवल आशाएं जगी हैं, बल्कि आशाओं के फूल लगे और फल भी मिले।

हमारे सेठी जी के केन्द्र के जिस-जिस विभाग में रहे हैं, उन्होंने बड़ी निर्भयता और कर्मठता से अपने कर्त्तव्य का निर्वाह किया है और उनसे जो आशाएं व अपेक्षाएं रखी गई थीं, उनको पूर्णतः सफलता से लागू किया है। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं कि एक बहुत अच्छा रेलवे बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है।

दंडवते जी ने स्वयं माना है, ऐसी कठिन परिस्थिति में जब कि हमारे सामने लगभग 47,500 डिब्बे खराब हो गये हैं, लगभग 3150 सवारी डिब्बे बदलने हैं, कई रेलवे ट्रेक खराब हो गये हैं, बहुत से निर्माण कार्य जो मेन्टिनेन्स के अभाव में पड़े हैं, पूरे करने हैं और बहुत सी लाइनें जिनमें निर्माण कार्य पिछले समय से चल रहा है, उनको पूरा करना है, ऐसी परिस्थिति में अगर बजट में यह प्रस्ताव आते हैं तो मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। वास्तव में अगर किसी भी डैवलपिंग कंट्री को, जिसको अपने को डैवलप करना है, विकसित करना है, उसे कुछ भार भी उठाना पड़ता है तो हमको उससे घबराना नहीं चाहिये। मैं सेठी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बुरहानपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है, मध्यप्रदेश का 11वां नम्बर का शहर है और यहां के किसान केला काफी मात्रा से बोते हैं, लगभग 10 करोड़ रुपये का केला बुरहानपुर तहसील से और हमारे साथ लगे हुए महाराष्ट्र का जो जलगांव जिला है, जिसमें शावेर, भुसावल, निभारी सावदा, फैजपुर के किसान दिल्ली केला लाते हैं अपने बजट में जो यह प्रस्ताव लाये कि रेलवे कन्सेशन फ्रेट रेट्स जो हैं वह केवल जून तक लागू रहेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आखिर में जाकर यह सारा वर्डन जो पड़ता है, यह व्यापारी सहन नहीं करता है, बल्कि किसान पर पड़ता है और आज किसान वैसी ही पिटी हुई हालत में तकलीफ में है, मैं समझता

हूं कि उनकी भावना को आप स्वीकार करेंगे और जो छूट जून तक दी जा रही है, उसको आगे यथावत लागू रखेंगे ।

बीड़ में भागलपुर एक्सप्रैस रोकने की काफी समय से क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं और हरूसद में बाम्बे-भागलपुर जनता एक्सप्रैस के एक हाल्ट के लिये भी काफी समय से मांग की जा रही है, ओंकारेश्वर जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है, जहां पर कि सारे हिन्दुस्तान के तीर्थ-यात्री आते हैं, परन्तु उस स्टेशत पर इन रेलवे सुविधाओं का काफी अभाव है, जो सुविधाएं स्टेशन पर होनी चाहियें । यात्रियों के लिये, पिछले दिनों जब-जब भी वहां प्रमुख लोग आये हैं, मिनिस्टर आये हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं बढ़ायेंगे लेकिन वह सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं ।

अब चूंकि श्री सेठी जी के निर्वाचन-क्षेत्र से लगा हुआ यह केवल 20 किलो मीटर दूरी का मामला है, मैं चाहता हूं कि कोई एक स्पेशल रिप्रेजेन्टेटिव या अफसर वहां भेजकर वहां पर जो सुविधाएं चाहियें, उनको पूरा किया जाये ।

श्री सेठी से बहुत सी आशाएं और अपेक्षाएं की जा रही थीं । मध्य प्रदेश में इन्दौर, खंडवा और बुरहानपुर के अखबारों में ऐसी बातें छप रही थीं कि हमको रेलवे लाइन मिलेगी, यहां यह होना चाहिए, वह होना चाहिए । लेकिन श्री सेठी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह मध्य प्रदेश के नहीं, बल्कि इस देश के रेल मंत्री हैं । जिस तरह से घर के बुजुर्ग को समझना पड़ता है कि कितना पैसा मेरी जेब में है और उसे किस ढंग से खर्च करना है, उसी तरह श्री सेठी ने कम से कम पैसों से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न किया है ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही इस साल नहीं, लेकिन जब कभी बजट अलाऊ करे, जब कभी उचित अवसर मिले, तब खडवा-दाहोद और बुरहानपुर-बैतूल लाइनों के सर्वेक्षण के लिए प्रावधान करायें । इन लाइनों के लिए बहुत दिनों से मांग चली आ रही है ।

कई बार सारी सुविधाओं की व्यवस्था करने के बावजूद भी छोटी-छोटी बातों की कमी के कारण रेलवे प्रशासन की सफलता का आकलन नहीं हो जाता है । बुरहानपुर रेलवे स्टेशन शहर से डाई मील दूर पड़ता है । पहले बुरहानपुर सिटी में एक बुकिंग आफिस था, लेकिन न जाने किन कारणों से उसको हटा दिया गया । हम लोग तीन साल से मांग कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर एक एनक्वायरी क्लर्क नियुक्त किया जाए । यात्री डाई तीन मील चल कर स्टेशन पर पहुंचते हैं और ऐन वक्त पर उन्हें बताया जाता है कि ट्रेन लेट है । इससे उनका पैसा और टाइम बर्बाद होता है । इसलिए वहां पर रेलवे एनक्वायरी आफिस बनाकर अलग से एनक्वायरी क्लर्क नियुक्त किया जाये और माइक का भी इन्तजाम किया जाए ।

चिंचाला रेलवे लाइन के दूसरी तरफ का एरिया है । वहां आने-जाने में काफी तकलीफ होती है । वहां पर एक ओवरब्रिज बनाया गया है । अब केवल कुछ पैसा खर्च करके उसको एक्सटेंड करना है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय चिंचाला के ओवरब्रिज के बारे में आदेश देंगे ।

बुरहानपुर स्टेशन पर लूप-लाइन डालना बहुत आवश्यक हो गया है। सुपर-फास्ट ट्रेन के जाने के कारण वहां पर यात्री-गाड़ियों और गुड्ज ट्रेनों को रुकना पड़ता है, जिससे यात्रियों को बहुत तकलीफ होती है। वहां पर लूप-लाइन डालने से इस कठिनाई को हल किया जा सकता है।

हम लोग बुरहानपुर में एक शूगर कारखाना कोआपरेटिव में डाल रहे हैं। मैं श्री केदार पांडे का आभारी हूं कि उन्होंने रेलवे वैगन्ज उपलब्ध करा दिये थे। लेकिन मुझे दुख है कि उनके आदेश के बावजूद 25,000 सीमेंट के बोरों के लिए वैगन्ज नहीं मिले। वह किसानों का कोआपरेटिव है। आने वाले समय में उस कारखाने के लिए एक लाख बोरे सीमेंट की आवश्यकता होगी। उसके लिए अवश्य वैगन्ज दिलाए जाएं।

खंडवा और निम्बोला में ओवरब्रिज की मांग बहुत पुरानी है। जब श्री सेठी चुनाव के समय या उसके बाद बुरहानपुर जाते हैं, तो रेलवे ब्रिज के अभाव में उन्हें भी दस पंद्रह मिनट तक रुकना पड़ता है। इन्दौर से बंगलौर का ट्रक ट्रेफिक, और इन्दौर से बम्बई जाने के लिए खलघाट या अन्य स्थानों पर अवरोध होता है, तो वह सारा ट्रेफिक डाईवर्ट होता है। निम्बोली में ओवर-ब्रिज बनाने से यह कठिनाई दूर हो जाएगी। खंडवा के ओवरब्रिज के अभाव से पूरे शहर में कनजेशन हो जाता है। इस ओवरब्रिज की मांग बहुत पुरानी है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

बुरहानपुर से जो पैसेंजर वाराणसी एक्सप्रेस से इटारसी आते हैं, पहले उन्हें जी. टी. एक्सप्रेस मिल जाता था। लेकिन समय-सारणी में परिवर्तन होने के कारण अब उन्हें इटारसी में जी. टी. एक्सप्रेस नहीं मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि उसको इस ढंग से समायोजित किया जाए कि बुरहानपुर से दिल्ली आने वाले यात्रियों को इटारसी में जी. टी. एक्सप्रेस मिल जाए।

सूरत और बड़ौदा वगैरह से जो गुजराती भाई और अन्य पैसेंजर आते हैं, वे सुबह साढ़े 9 बजे भुसावल पहुंचते हैं। साढ़े 9 बजे से साढ़े 4 बजे तक बुरहानपुर, खंडवा और इटारसी के के लिए कोई ट्रेन नहीं है। यह बहुत बड़ी मांग है कि सूरत से भुसावल जो ट्रेन आती है, उसको खंडवा या इटारसी तक एक्सटेंड कर दिया जाए या दूसरी ट्रेनों के समय को इस तरह समायोजित किया जाए कि पैसेंजर को छः सात घण्टे तक भुसावल पर न रुकना पड़े।

माननीय प्रकाश चन्द सेठी जी से हमें बड़ी आशा है। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं क्योंकि वे जो कुछ कहते हैं वह करते भी हैं। मैं उन्हें एक बार पुनः हृदय से बधायी देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

धन्यवाद।

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनन्तनाग) : मैं इस मौके पर सदन के समक्ष प्रस्तुत किए किये रेल बजट पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करता हूं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मैं

इस यथार्थवादी बजट की, जो आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, अलग ढंग से सराहना नहीं कर सकता ।

आपने मुझे ठीक ही परामर्श दिया है कि मुझे अपने ही क्षेत्र, जम्मू काश्मीर राज्य, जिसका मैं प्रतिनिधि हूं, तक ही सीमित रहना चाहिए । जम्मू और काश्मीर राज्य में रेलवे की समस्याएं बहुत पुरानी हैं । मैं इस सदन को, इस बजट पर लम्बी वार्त्ता के कारण उत्पन्न निद्रा और नीरसता से दूर ले जाना चाहता हूं और उन्हें जम्मू और काश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर लिए चलता हूं, जो कि आजकल बर्फ से ढके हुए हैं ताकि हम उन समस्याओं पर धैर्य और शांति से विचार कर सकें, जिनका सामना जम्मू व काश्मीर राज्य के लोगों को करना पड़ता है। हमारा राज्य ऐसा राज्य है, मुझे कहना चाहिए, जहां रेलवे के बारे में जानकारी सिर्फ छात्रों को ही है और इस बात का पता उन्हें तब लगता है जब वे इतिहास पढ़ते हैं । तभी उनको पता लगता है कि कोई रेल संचार संबंधी भी कोई चीज है । इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से तथा जम्मू व काश्मीर राज्य के लाखों लोगों की तरफ से इस विषय पर उनकी हार्दिक इच्छा तथा गर्व इस भव्य सभा के समक्ष प्रकट करना चाहता हूं कि जम्मू व काश्मीर राज्य की भावनात्मक एकता को, काश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन बनाकर, मजबूत बनाना, भारत के लिए नया इतिहास होगा ।

काश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के साथ हमारी भावनात्मक एकता है, जम्मू व काश्मीर राज्य के लिए रेल संचार संपर्क आवश्यक है जिसकी महत्ता केवल मेरे राज्य की युद्ध नीति के लिए ही नहीं है बल्कि हमारे सिर पर खतरे की तलवार टंगी रहती है, जहां हम हर वक्त विदेशी दबाव के खतरे में हैं । हम लोगों की कठिनाई यह है कि हमारे पास कोई और लाइन नहीं है एकमात्र संचार व्यवस्था, जो इस भाग को काश्मीर के आंतरिक भाग के साथ जोड़ती है । वह सड़क यातायात व्यवस्था है और वह परिवहन व्यवस्था बहुत खतरनाक है, विशेषकर सर्दियों के मौसम में जब हमारा संपर्क सम्पूर्ण विश्व के साथ कट जाता है । यदि इस समस्या के इस महत्वपूर्ण पहलु पर, न केवल युद्ध नीति की दृष्टि से बल्कि रक्षा की दृष्टि से भी, तथा न केवल रक्षा की दृष्टि से वरन् अन्य वित्तीय दृष्टिकोणों से, गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया तो वहां पर बहुत सी घटनाए घट सकती हैं । यदि मैं सिर्फ रक्षा बजट को लेता हूं तो सरकार को उस भाग में व्यक्ति और माल भेजने का क्या मूल्य मिलेगा । रेल संचार व्यवस्था से राजस्व के रूप में इससे सैंकड़ों गुना अधिक मूल्य दे सकेगा और उस आधार पर सरकार बहुत सा धन बचा सकती है ।

इस राज्य की, जो कि हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के खतरों से घिरा हुआ है, एकता तथा अखंडता को मजबूत करने के लिए रेलवे लाइन बहुत आवश्यक है । इस समय, सभी रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति परिवहन संचार द्वारा की जा रही है । यह साधारण बात नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है तथा यदि हम इसकी कीमतें कम कर सकें तो हम हजारों लाखों रुपए बचा सकेंगे । हमारा पर्यटक यातायात बहुत अधिक है कि हम लाखों पर्यटकों के लिए केवल मात्र सड़क यातायात के साधन से सब प्रबन्ध नहीं कर सकते । मेरी प्रबल इच्छा

है कि मैं अपने पर्यटकों को जम्मू से अपनी घाटी तक सीधा ले जा सकूं। लेकिन, रास्ते में, उन्हें जम्मू रुककर आगे जाना पड़ता है। आप मुझ से उन्हें ले जाने की आशा कैसे कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि, बढ़ती हुई सामरिक समस्याओं, बढ़ती हुई खराब आर्थिक स्थितियों, हमारे पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या, तथा मेरे राज्य के आर्थिक विकास को देखते हुए, यह सदन इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगा जिसका सामना भारत को करना पड़ रहा है। जम्मू को काश्मीर घाटी से मिलाने के लिए जम्मू से काश्मीर तक रेल लाइन बनाई जा सकती है।

सभापति महोदय : एक मिनट रुकिए। क्या आपकी जम्मू-काश्मीर सरकार रेलवे को भूमि देने के लिए तैयार है ?

श्री गुलाम रसूल कोचक : जी हां, वह सहमत है। वास्तव में पिछले वर्ष मैंने उन पर बहुत दबाव डाला था। सरकार रेलवे को आवश्यक भूमि देने के लिए तैयार है और यहां तक वह भूमि की कीमत को पूरा करने के लिए भी तैयार है।

सभापति महोदय : आप कृपया जम्मू और काश्मीर की सरकार से विचार विमर्श कीजिए।

श्री गुलाम रसूल कोचक : मैं इस बारे में निश्चित हूं। महोदय, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान, मैं यह कहूंगा कि, भारत से घाटी तक रेलवे की संभाव्य रिपोर्ट तैयार की गई थी। वह संभाव्यता रिपोर्ट रिकार्ड में रखी है। हम जानते हैं कि ब्रिटिश लोग भारत को काश्मीर की घाटी से आंतरिक रूप से जोडने के लिए सोच रहे थे।

एक अन्य संभाव्यता रिपोर्ट थी जोकि 1956 में प्रस्तुत की गई थी जिसमें टाटा की पार्टियों ने 300 करोड़ रुपए की मांग की थी। उससे पहले इस परियोजना का मूल्य केवल 30 करोड़ रुपए था। तत्पश्चात् परियोजना का मूल्य 300 करोड़ रुपए तक बढ़ गया।

अब प्रश्न यह है कि : जब हम सामरिक महत्व के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं तब इस राज्य को आंतरिक रूप से एक वैकल्पिक मार्ग से जोड़ने के लिए हमें, तथा इस राष्ट्र को आगे बढ़ना चाहिए। पिछले वर्ष, इसी सदन में, मैंने बहुत दबाव डाला था कि हमारी रेलवे की जम्मू से ऊधमपुर तक ले जाने की पहल की जानी चाहिए। इस सदन में इसे स्वीकार भी किया गया था। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस वर्ष इस योजना को वित्तीय कठिनाइयों के कारण रोक दिया गया है। यह एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने का प्रश्न नहीं है वरन् भारत को काश्मीर से जोड़ने का प्रश्न है। दोनों पक्षों की तरफ से मैं मीटर-गॉज को ब्राड-गॉज में बदलने की बात सुन रहा हूं। यहां प्रश्न भारत को काश्मीर से जोड़ने का है। मैं आदर सहित यह अनुरोध करता हूं कि विषय के इस महत्वपूर्ण पहलू को हर प्रकार की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति इससे बहुत कुछ आशाएं रखे हुए हैं किन्तु कोई भी इसकी सेवा करने अथवा इसमें सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। आम बजट से रेलवे बजट का अलग

होना भाग्य की बहुत बड़ी विडंबना है। अन्य सभी विभाग, जैसे—कोयला, खानें, सीमेंट और उद्योग बहुत सी बातें पूछ रहे हैं लेकिन रेलवे बजट को आम बजट में प्रमाणित क्यों नहीं किया गया, आखिर रेलवे जन साधारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः, रेलवे से कुछ कहने के बजाय हमें इसे अधिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहियें। इससे इस महत्वपूर्ण विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।

श्री मोहन लाल पटेल (जूनागढ़) : सभापति जी, मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

मुझ से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत से सुझाव दिए हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। भारत में रेलवे का क्या महत्व है, इसका बहुत से सदस्यों ने उल्लेख किया है लेकिन मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं।

आज हमारे देश में जो भी साधन हैं, उनमें गुड्स वैगन, पैसेंजर कोच, इंजन और रेक्स आदि हैं। उनका अगर ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, तो हमारे यहां कोई भी कमी रहने की बात नहीं है। पिछले दो सालों में उनका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरे से पूर्व-वक्ताओं ने कहा है कि हमारे पास जो वेगन हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग पिछले दो सालों में हुआ है। सन् 1976-77 और 1977-78 में हमारे पास जो वैगन थे, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हुआ था। सन् 1976-77 में जो हमारे पास 3 लाख 84 हजार वैगन थे, उन्होंने 212 मिलियन टन सामान की ढुलाई की और 1977-78 में जो 3 लाख 86 हजार वैगन थे, उन्होंने 220 मिलियन टन सामान की ढुलाई की लेकिन पिछले सालों में इसमें कुछ गिरावट आई थी। उसके बाद सन् 1981-82 और 1980-81 में उसमें सुधार हुआ है। इंजनों का उपयोग भी हमारे यहां बढ़ना चाहिए। यहां पर जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें यह दिया हुआ है कि 1976-77 में पैसेन्जर ट्रेन में स्टीम इंजन ने 233 किलो मीटर एक दिन में कवर किया, 1977-78 में 288 किलो मीटर, 1978-79 में 218 किलो मीटर, 1979-80 में 215 किलो मीटर और 1980-81 में 210 किलो मीटर कवर किया। इस तरह से आप यह देखें कि इसमें कुछ गिरावट आ रही है। 'पर डे किलो मीटर चलने में डीजल इंजन में भी गिरावट आई है लेकिन डीजल इंजन और कोयले के स्टीम इंजन में बहुत बड़ा फर्क है। जहां स्टीम इंजन एक दिन में 210 किलो मीटर चलता है वहां डीजल का इंजन 610 किलो मीटर चलता है। इस तरह से आप यह देखें कि डीजल इंजन स्टीम इंजन के मुकाबले में तीन गुना काम देता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जितनी जल्दी हो सके, इंजनों का कन्वर्जन डीजल या बिजली के इंजनों में किया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सब जगहों के लिए यह कहा जाता है कि हमारे यहां रेलवे की सुविधाएं बढ़ाओ लेकिन मैं गुजरात से आता हूं।

गुजरात में रेलवे लाइन, ट्रेक ज्यादा से ज्यादा हैं, खास करके सौराष्ट्र में जहां से कि मैं आता हूं। हमारे भावनगर-राजकोट डिविजन में ट्रेक तो बहुत हैं लेकिन हमारे यहां पैसेंजर

ट्रेफिक रेल से कम होता जा रहा है। इसके सम्बन्ध में मैंने नियम 377 के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया था।

हमारे पूरे इण्डिया में रेलवे में 1973-74 में रेलवे का ट्रेफिक 2,654 मिलियन नम्बर था वह 1980-81 में बढ़ कर 3,012 मिलियन ट्रेफिक हो गया। यह पूरे इण्डिया का एक हजार मिलियन ट्रेफिक बढ़ा है लेकिन हमारे भावनगर में जहां 1971 में 21.7 मिलियन ट्रेफिक था वह 1980-81 में घट कर 17.7 मिलियन हो गया। इस तरह से पिछले दस सालों में यह चार मिलियन ट्रेफिक घटा। इसलिए यह हमारे लिए चिंता की बात होती जा रही है कि हमारे यहां ट्रेफिक रेलवे से घटता जा रहा है।

इसके दो कारण हैं। एक तो वहां पर रेलवे की स्पीड बहुत कम है। जहां स्टेट ट्रांसपोर्ट बस एक जगह पहुंचने में चार घंटे लेती है वहां रेलवे से पेसेंजर 6-7 घंटे में पहुंच पाता है। इसलिए पैसेंजर्स बस से ट्रेवल कर रहे हैं और रेलें खाली जा रही हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि वहां के रेलवे ट्रेक बहुत पुराने हैं।

माननीय सभापति जी, हमारे यहां कहावत है—सौराष्ट्र राज्य में जगह-जगह राजा, स्टेशन कम, जंक्शन ज्यादा। वहां स्टेशन कम हैं जंक्शन ज्यादा हैं। लेकिन वहां रेलवे का ट्रेफिक कम होता जा रहा है इसलिए वहां रेलवे में नुकसान होता है और इसी की वजह से वहां रेलों को रद्द कर दिया जाता है। कोयले की कमी की वजह से भी रेलों को रद्द कर दिया जाता है। कभी वहां 50, कभी 30, कभी 20 ट्रेंस रद्द कर दी जाती हैं। आज भी वहां पर 12 टेंस रद्द कर दी गयी हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां एक स्पेशल इंक्वायरी करायी जाए और यह पता लगाया जाए कि इस सबके बारे में किसी कमेटी के बिठाने की जरूरत है या नहीं। हमें भय है कि आहिस्ता-आहिस्ता करके हमारी काफी ट्रेनें रद्द कर दी जाएंगी।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे रेलवे ट्रेक के कंवर्शन के लिए काफी रकम का प्रोविजन किया गया है। हापा-पोरबन्दर, हापा-ओखा मीटरगेज लाईन के कंवर्शन के लिए बजट में 50 परसेंट प्रोविजन हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि राजकोट से विरावल पोर्ट तक का 150 किलो मीटर का टुकड़ा रह जाता है। विरावल पोर्ट एक बहुत बड़ा पोर्ट है। वहां से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बहुत होता है। उसको भी ब्राडगेज में कन्वर्ट करने के बारे में सोचिए और उसका सर्वे कराइये।

हम यह चाहते हैं कि वहां की ट्रेंस की आप स्पीड बढ़ाइये, वहां टेंस तो काफी हैं, लेकिन ट्रेंक पुराने हैं। आपने साबरमती-दिल्ली रेलवे लाईन के ब्राडगेज कन्वर्शन के लिए थोड़ी-सी रकम रखी है। हमारी मांग है कि उसका काम भी जल्दी से जल्दी पूरा हो।

एक हम यह चाहने हैं कि सर्वोदय एक्सप्रेस जो अहमदाबाद से दिल्ली आती है वह हफ्ते में दो दिन चलती है। उसको हफ्ते में तीन दिन कर दिया जाए।

इतना कहकर मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेलवे का काम संभाला है और एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। पिछले दो सालों में हमारी रेलों में प्रगति और एफीशियेंसी बढ़ी है। मैं आशा करता हूं कि यह आगे भी बढ़ेंगी। धन्यवाद।

कार्य मंत्रणा समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.0' म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 3 मार्च, 1982/12 फाल्गुन, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।